# लोक-सभा वाद-विवाद

का

# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

# 5th
# LOK SABHA DEBATES

[ आठवां सत्र
Eighth Session ]

Preservation Unit
Fumigated 24-8-92
Parliament Library

[ खंड 30 में अंक 11 से 20 तक है
Vol. XXX contains Nos. 11 to 20 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

*Price :* Two Rupees

## विषय सूची/CONTENTS

अंक 20—बुधवार, 22 अगस्त, 1973/31 श्रावण, 1895 (शक)
*No.* 20—*Wednesday, August* 22, 1973/*Sravana* 31, 1895 (*Saka*).

### प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 381 | बिहार के बरारी गांव में हरिजन महिलाओं को गर्म सलाख से दागना | Harijan Women branded with hot Iron Rod in Barari Village, Bihar | 1–6 |
| 383 | नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन्स अहमदाबाद के कार्यों के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन | Report of Enquiry Commission into the Affairs of National Institute of Designs, Ahmedabad | 6–8 |
| 384 | आशयपत्रों तथा लाइसेंसों का जारी किया जाना | Issue of Letters of Intent and Licences | 8–11 |
| 386 | रेडियो कार्यक्रमों में रिकार्ड बजाने के लिये ग्रामोफोन कम्पनियों को रायल्टी का भुगतान | Payment of Royalty to Gramophone companies for playing their Records in the Radio Programmes | 11–13 |
| 387 | स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र | Petitions for Grant of Pension to Freedom Fighters | 13–17 |


### प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS


| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | | | |
|---|---|---|---|
| 382 | अखबारी कागज की सप्लाई में कटौती के परिणामस्वरूप पृष्ठों की संख्या कम करने वाले समाचार पत्रों के मूल्य कम करने का प्रस्ताव | Proposal to cut down the price of such Newspapers which have reduced the number of pages owing to cut in newsprint supply | 18 |
| 385 | वर्ष 1946 में पूरी हुई डाक जीवन बीमा पालिसियों का भुगतान न किया जाना | Non-payment of PLI Policies matured in 1946 | 18 |
| 388 | योजना मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित रिक्त पड़ स्थान | Vavancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes not filled in the Ministry of Planning and its Subordinate Offices | 18–19 |
| 389 | लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्रों का निपटान करने के लिये समय सीमा | Time Limit for disposal of Applications for Licences | 19–20 |


*किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.



1—23 LSS/73

| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 390 | "इंडियाज़ साइंस पोटेन्शियल अंडर यूटिलाइज़" (भारत की वैज्ञानिक क्षमता का अल्प-उपयोग) शीर्षक के अंतर्गत समाचार | News item entitled "India's Science Potential under-utilized" | 20 |
| 391 | दिल्ली में गलत टेलीफोन बिलों के बारे में शिकायतें | Complaints re. Wrong Telephone Bills in Delhi. | 20 |
| 392 | औद्योगिक विकास तथा परमाणु ऊर्जा की प्रगति में अंतर | Gap between Industrial Development and Advancement in Nuclear Energy. | 21 |
| 393 | प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का परीक्षा के लिए तैयार करने हेतु राज्यों में पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना | Pre-Examination Training Centres in States to Coach Scheduled Castes and Scheduled Tribes Candidates Appearing in Competitive Examinations. | 21 |
| 394 | चलचित्रों के संयुक्त रूप से उत्पादन और टेलीविजन कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के लिए भारत और रूस के बीच करार | Agreement Between India and USSR for Joint Production of Films and Exchange of Television Programmes. | 22 |
| 395 | औद्योगिक क्षेत्र में पहले पुरी न हुई परियोजनाओं का पांचवीं योजना में शामिल करना | Spill over projects in the Industrial Sector during Fifth Plan. | 22–23 |
| 396 | सेकेंडरी स्कूल की भूमि से संबंधित विवाद के सिलसिले में वाराणसी जिले (उ० प्र०) के रामपुर गांव में गोलीबारी | Firing in Village Rampur, Varanasi District (U.P.) in connection with Dispute regarding the Land of the Secondary School. | 23 |
| 397 | केन्द्र तथा राज्यों के बीच हिन्दी में पत्राचार | Correspondence in Hindi between Centre and States. | 23 |
| 398 | बड़े नगरों के लिए टेलीफोन निगम | Telephone Corporations for Big Cities. | 23–24 |
| 399 | केरल में एक संयंत्र की स्थापना करने के लिये थापर ग्रुप को लाइसेंस दिया जाना | Issue of Licence to Thapar Group for Setting up a Plant in Kerala. | 24 |
| 400 | बेलगांव के मराठी भाषी छात्रों पर कन्नड़ भाषा थोपना | Imposition of Kannad Language on Marathi Speaking Students of Belgaum. | 24–25 |
| **अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.** | | | |
| 3772 | कागज मिलों के वितरकों द्वारा कागज का चोर बाजारी | Black marketing of paper by Paper Mill Distributors. | 25 |
| 3773 | मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार | Employment for Educated Unemployed in Madhya Pradesh | 25–26 |

| अता० प्र० संख्या U. Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3774 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और बर्मा के बीच सहयोग | Co-operation between India and Burma in the Field of Science and Technology. | 26 |
| 3775 | मध्य प्रदेश में घर बनाने के लिये हरिजनों को स्थानों का आवंटन | Performance of House site allotments to the Harijans in Madhya Pradesh. | 26 |
| 3776 | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा | Service Safeguards for S.C. and S.T. | 26–27 |
| 3777 | संचार व्यवस्था की योजना के विस्तार के लिये विश्व बैंक से ऋण | World Bank Loan for Development of Communications. | 27 |
| 3778 | चावल न मिलने के कारण नागरकोइल (तमिलनाडु) में एक महिला द्वारा आत्म-हत्या | Suicide by Woman in Nagarcoil (Tamil Nadu) for want of rice. | 27–28 |
| 3779 | प्रधान मंत्री के आवास पर लगे दूरभाषों स किए गए ट्रंक काल | Trunkcalls made from the Telephones installed at the residence of P.M. | 28 |
| 3780 | संगीत तथा नाटक प्रभाग का आर्मी एन्टरटेनमेंट विंग | Army Entertainment Wing of Song and Drama Division. | 28–29 |
| 3781 | थुम्बा स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र में अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिये सुविधाएं बढ़ाना | Expansion of Facilities at Vikram Sarabhai Space Research Centre at Thumba for Space Programme. | 29 |
| 3782 | भारतीय इलैक्ट्रानिकी निगम द्वारा आरंभ किये जाने वाले कार्य | Works to be taken up by the Electronics Corporation of India. | 29–30 |
| 3783 | इंडियन रेअर अर्थस् के अलवाई संयंत्र में रेअर अर्थस् क्लोराइड का उत्पादन | Production of Rare Earths Chloride at Alway Plant of Indian Rare Earths. | 30–31 |
| 3784 | पटना हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी | Arrest of Pakistan Citizens at Patna Aerodrome. | 31 |
| 3785 | दिल्ली में पुलिस नियुक्तियां | Police Postings in Delhi | 31 |
| 3786 | औद्योगिक परीक्षण तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं का विस्तार और पुनर्गठन | Expansion and Reorganisation of Industrial Testing and Research Laboratories. | 31–32 |
| 3787 | टायरों की बिक्री पर नियंत्रण | Control on Sale of Tyres | 32 |
| 3788 | हार्डिंग ब्रिज, नई दिल्ली के निकट डाकुओं के गिरोह द्वारा लोगों को लूटना | Looting of Persons by a Gang of Dacoits near Harding Bridge, New Delhi | 32–33 |

| अता० प्र० संख्या U. Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3789 | सूखाग्रस्त राज्यों को सीमेंट और आर० सी० सी० पाइपों का आबंटन | Allotment of Cement and RCC Pipes to Drought Affected States | 33 |
| 3790 | जयंती विलेज योजना के अंतर्गत गृह-निर्माण के लिये स्वीकृति की गई राशियों | Break up amount sanctioned for construction of houses under the scheme of Jayanti Villages | 33–34 |
| 3791 | आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकना | Check on rising prices of Essential Commodities | 35–36 |
| 3792 | पांचवीं योजना के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाना | Formulation of Family Planning Programmes for Fifth Plan | 36 |
| 3793 | कुछ राज्यों द्वारा भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में भाग लेने से इन्कार | Certain States declined to participate in the Indian Medical and Health Service | 37–38 |
| 3794 | दिल्ली में जाली डिग्री देने वाला गिरोह | Fake Degree Racket in Delhi | 38 |
| 3795 | विस्तार की अनुमति मांगने वाली विदेशी फर्मों पर निर्यात दायित्व डालना | Imposition of Expert Liability on Foreign Firms Seeking Expansion. | 39 |
| 3796 | विद्युत उत्पादन के बारे में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति की सिफारिशें | Recommendations by National Committee on Science and Technology on Power Generation | 39 |
| 3797 | 'होट गैस' से बिजली तैयार करना. | Power Generation from Hot Gas | 39–40 |
| 3798 | सेन्ट्रल फ्यूएल रिसर्च इंस्टीट्यूट, धनबाद के निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप | Charges of Corruption against Director, Central Fuel Research Institute, Dhanbad | 40 |
| 3799 | सीतामढ़ी, बिहार के निकट सुरसद नियंत्रण चौकी पर गैर-बंगाली पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी | Arrest of Non-Bengali Pakistani Citizens at Sursand Check Post near Sitamarhi in Bihar | 40 |
| 3800 | फैजाबाद जिले के ठाकुर वसुधा सिंह को राजनीतिक पीड़ित मानना | Treatment of Thakur Vasudha Sing of Faizabad District as Political Sufferer | 40–41 |
| 3801 | उत्तर प्रदेश के उद्योग विभाग से ऋण | Loans from Department of Industries, U.P. | 41 |
| 3802 | उत्तर प्रदेश को सीमेंट का आबंटन | Allotment of Cement to Uttar Pradesh | 41 |
| 3803 | नैशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई बीमार मिलों को उनके मूल मालिकों को वापिस न करना | Sick Mills taken over by National Textile Corporation not to return to original owners. | 41 |

| अता० प्र० संख्या U. Q. Nos | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3804 | 1973 में सीमेंट का उत्पादन | Production of Cement in 1973 | 42 |
| 3805 | आर्थिक और राजनीतिक नीतियों के बारे में जून में जापानी तथा भारतीय विशेषज्ञों के मध्य टोकियो में विचार विमर्श | Discussions between Japanese and Indian Experts in Tokyo in June on Economic and Political Policies . . | 42 |
| 3806 | खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति | Implementation of 2nd Pay Commission Recommendations in Khadi Gram Udyog Bhavan, New Delhi . . | 42 |
| 3807 | पांचवीं योजना आरंभ होने से पूर्व प्रशासन में पैदा हुई गंभीर स्थिति के बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट आफिसर्स फेडरेशन की चेतावनी | Warning by Central Government Officers' Federation as regards serious situation developing in Administration prior to the commencement of Fifth Plan | 43 |
| 3808 | इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज में विदेशी सहयोग और ईक्विटी पूंजी भागिता को समाप्त करने के बारे में आगे की कार्यवाही | Follow up Action on Termination of Foreign Collaboration and Equity participation in Indian Telephone Industries | 43 |
| 3809 | गवर्नमट मैनेज्ड मिल एसोसियेशन का उद्घाटन | Inauguration of Government-Managed Mill Association . | 43–44 |
| 3810 | विदशों में नारियल जटा की मांग में वृद्धि | Increase in demand of Coir in Foreign countries . . | 44 |
| 3811 | दिल्ली में बिक्री करों में गड़बड़ी करने वाले गिरोह का पकड़ा जाना | Unearthing of Sales Tax Racket in Delhi . . . . . | 44–45 |
| 3812 | संकटग्रस्त मिलों की देनदारियों का मूल्यांकन करने के लिये समिति | Committee to assess Liabilities of Silk Mills . . . | 45 |
| 3813 | श्री एम० जी० रामचन्द्रन के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन का मामला | Case of violation of Foreign Exchange Regulations against Shri M. G. Ramachandran | 45 |
| 3814 | सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई कपड़ा मिलों में हुआ लाभ | Profits in Textile Mills taken over by Government . . | 46 |
| 3815 | भारतीय उद्योगों में विदेशी ईक्विटी साझेदार, संबंधी समिति का प्रतिवेदन | Report of Committee on Foreign Equity participation in Indian Industries . . . . | 46 |
| 3816 | बेरोजगार व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु 1972-73 में किया गया नियतन | Allocation made during 1972-73 for creating Job opportunities for unemployed . . . | 46–47 |
| 3817 | पर्यावरण संबंधी भूषण का सामना करने के लिये योजना | Schemes to Fight Environmental Pollution . . . . . | 47–48 |

| अता० प्र० संख्या U. Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3818 | वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अनसंधान शिक्षार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने की मांग | Demand for an increase in the amount of Scholarships for Research Scholars given by CSIR . . . . . | 48 |
| 3819 | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये राजस्थान में गृह निर्माण समितियों को वित्तीय सहायता | Financial Assistance for the House Building Societies in Rajasthan for Scheduled Castes and Scheduled Tribes | 49 |
| 3820 | दिल्ली के निकट जय सराय गांव में रहने वाले एक केन्द्रीय सरकारी हरिजन कर्मचारी और उसके परिवार को गांव से जबरन निकाला जाना | Harijan employees of Central Government and his family being forced to leave Jai Sarai village near Delhi . . | 49–50 |
| 3821 | मध्य प्रदेश में आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये छात्रावास का प्रबंध करने हेतु सरकार द्वारा दी गई धनराशि | Amount given by Government for hostel for Adivasi and Backward students in Madhya Pradesh . . . . | 50 |
| 3822 | राज्यों में हरिजनों के साथ अत्याचार तथा उनकी हत्या की घटनाएं | Number of Harijans tortured, evicted and murdered in States | 50 |
| 3823 | कोन्ठकाई गांव मदूरै के पेरुवाल मंदिर स भगवान विष्णु और देवी अमान की प्रतिमाओं की चोरी | Idols of Lord Vishnu and Goddess Amman stolen from Perumal Temple at Konthakai Village Madurai. . . | 50 |
| 3824 | बौद्ध धम स्वीकार करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति | Scholarships to scheduled Castes and Scheduled Tribes students who embraced Buddhism . | 51 |
| 3825 | बरवा' जाति को अनुसूचित जातियों की सूचियों में शामिल किया जाना | Inclusion of Berwa Caste in the List of Scheduled Castes . | 51 |
| 3826 | राष्ट्रीय आय में अस्थिरता | Fluctuations in National Income | 51–52 |
| 3827 | भारत के संविधान में संशोधन | Amendment of the Constitution of India . . . . . | 52 |
| 3828 | समृद्ध वर्गों के प्रयोग के लए उपभोक्ता वस्तुओं के अस्थायो उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव | Proposal to ban temporary production of consumer goods meant for the use of affluent sections . . . . . | 52 |
| 3829 | जम्मू और काश्मीर के गुरेज क्षेत्र में हिमानी तुफान के कारण सीमा सुरक्षा दल के जवानों की मृत्यु | Death of BSF Jawans due to avalanche in Gurez sector of Jammu and Kashmir | 52–53 |
| 3830 | आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सीमेंट कारखानों की स्थापना | Setting up of Cement Plant in Andhra Pradesh and Tamil Nadu . . . . . | 53 |

| अता० प्र० संख्या U. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3831 | बेरोजगारों को सहायता देने के लिए राज्यों द्वारा सहकारी परियोजनाएं बनाना | Preparation of Co-operative Projects by States to help the jobless persons . . . | 54-55 |
| 3832 | टायर निर्माताओं के विदेशी सहयोग सम्बन्धी करारों के नवीकरण की शर्तें | Conditions for Renewal of Foreign collaboration Agreements of Tyre Manufacturers | 55-56 |
| 3833 | मध्य प्रदेश के लिए नियत सीमेंट का कोटा उत्तर प्रदेश को भेजना | Diversion of M. P. Cement Quota to U.P. . . . | 56 |
| 3834 | सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई रुग्ण कपड़ा मिलों की आस्तियां | Assets of Silk Textile Mills taken over by Government | 56 |
| 3835 | सूती धागे का थोक मूल्य सूचकांक . | Wholesale price of Index for Cotton Yarn . . . | 57-58 |
| 3836 | खादी आयोग के पटना स्थित कार्यालय का बंद हो जाना | Closure of Khadi Commission office at Patna . . . | 58 |
| 3837 | डालमिया सीमेंट का उत्पादन | Production of Dalmia Cement | 58-59 |
| 3838 | कल्याण कुमार बसु द्वारा विदेशी मुद्रा संबंधी नियमों का उल्लंघन करने का मामले की जांच | Inquiry into violation of Foreign Exchange rules by Shri Kalyan Kumar Basu . . | 59 |
| 3839 | 1973 में विदेशी मुद्रा संबंधी नियमों के उल्लंघन के मामले | Cases of Violation of Foreign Exchange Regulations in 1973 | 59 |
| 3840 | आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में हरिजनों की हत्या | Murder of Harijans in Warangal District, Andhra Pradesh . . | 60 |
| 3841 | आसाम में आदिवासी विकास बोर्ड | Tribal Development Board in Assam . . . . . | 60-61 |
| 3842 | हरिजनों और आदिवासियों को निःशुल्क शिक्षा देने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता | Financial Assistance to States for providing Free Education to Harijans and Adivasis | 61-62 |
| 3843 | कृत्रिम अंगों का निर्माण करने के लिए संयंत्र | Plant for Components of Artificial Limbs in Gujarat . . | 62 |
| 3844 | 'फ्लाई-ऐश' का भवन निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग | Use of 'Fly Ash' as Building Material . . . . . | 62-63 |
| 3845 | मध्य प्रदेश को सीमेंट के नियतन में कटौती को बहाल करना | Restoration of the Cut in allocation of Cement for Madhya Pradesh . . . . | 63 |
| 3846 | सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिए कपड़ा मिलों के बिक्री एजेंटों के रूप में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की नियुक्ति | Appointment of Educated Unemployed as Selling Agents of Textile Mills taken over by Government . . . | 64 |

| अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3847 | दिल्ली विश्वविद्यालय प्रांगण में अपराध के मामले | Crime Cases in Delhi University Campus | 64–65 |
| 3848 | विशेष डाक टिकट और 'फर्स्ट डे कवर' | Special postage Stamps and First Day Cover | 65–66 |
| 3849 | लाइसेंस प्राप्त क्षमता में वृद्धि कर के वस्तुओं के निर्माण की अनुमति | Permission for Manufacture of Items by enhancing Licensed Capacity | 66 |
| 3850 | राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशालाद्वारा विकसित 'गैस लेसर' का निर्माण | Manufacture of Gas Laser Developed by the National physical Laboratory | 67 |
| 3851 | राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का स्थानान्तरण | Shifting of National Police Academy | 67 |
| 3852 | समाचार पत्रों को अखबारी कागज की सप्लाई में 30 प्रतिशत की कटौती लागू करने संबंधी आदेश में ढील देने के लिए राज्य सरकारों का अभ्यावेदन | Representation from State Governments to Relax the order imposing 30 per cent cut in the Newsprint supply to the Newspapers | 67–68 |
| 3853 | छात्रों को विदेश भेजने के झूठे आश्वासनों पर "राष्ट्रमंडल छात्र तथा युवक संघ" द्वारा लाखों रुपये की राशि का इकट्ठा किया जाना | Collection of Lakhs of Rupees by Commonwealth students and youth Association for giving False Promises of sending Students abroad | 68 |
| 3854 | आकाशवाणी द्वारा समाचार खरीदने के लिये विभिन्न समाचार एजेंसियों को धनराशि देना | Amount given to News Agencies by AIR for News | 68–69 |
| 3855 | जलपाईगुडी जिले को डाक-तार विभाग द्वारा डिवीजनल मुख्यालय के रूप में माना जाना | Treatment by P & T Deptt. of Jalpaiguri District as Divisional Headquarter | 70 |
| 3856 | कूच बिहार जिले में डाकघरों का खोला जाना | Opening Post Offices in District Cooch Behar | 70 |
| 3857 | चंडीगढ़ के डाक-घर में डाक स्टेशनरी की कमी | Shortage of Postal Stationery in Post Office in Chandigarh | 70–71 |
| 3858 | गया, नवादा और जहानाबाद जिलों में नये टेलीफोन कनेक्शन | New Telephone Connections in Districts of Gaya, Nawadha and Jehanabad | 71 |
| 3859 | फिल्म प्रभाग के रक्षा फिल्म विंग के अधिकारियों के कार्यालय स्थानों के लिए सरकार द्वारा बहुत अधिक किराया दिया जाना | Exorbitant Rents paid by Government on premises for offices of Defence Film Wing of Films Division | 71 |
| 3860 | पुलिस का अखिल भारतीय संगठन गठित करने की योजना | Plans for an All India Federation Police | 72 |

| अता० प्र० संख्या U. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3861 | निर्माणाधीन परमाणु संयंत्र को आरंभ करने के लिये भारी पानी की आवश्यकता | Requirement of Heavy water for Commissioning Atomic Plants under Construction | 72–73 |
| 3862 | कुछ राजनैतिक दलों द्वारा अपनी एक गुप्त आकाशवाणी सेवा प्रारंभ करने की योजना | Plan of Political Parties to Start a Secret Radio Service of their own . . . . . | 73 |
| 3863 | लघु उद्योगों का विकास | Development of Small Scale Industries . . . . | 73 |
| 3864 | 'गरीबी हटाओ' योजनाओं में कटौती | Cut in Garibi Hatao Plans | 74 |
| 3865 | कम्पनियों में लाइसेंस से अधिक क्षमता का उत्पादन | Production in Companies more than Licensed Capacity . | 74 |
| 3866 | राज्य सरकारों द्वारा संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लेना | Take over of Sick Textile Mills by State Governments . | 74–75 |
| 3867 | अलीगढ़ के एक हत्यारे की हत्या | Murder of a Murderer of Aligarh | 75 |
| 3868 | 'पिन कोड' प्रणाली का असफल होना | Failure of PIN Code System | 75–76 |
| 3869. | बिहार सर्किल में डिवीजन और सब-डिवीजन खोलना | Opening of Division and Sub-Divisions in Bihar Circle . | 76–77 |
| 3870 | पटना में डाक-तार विभाग के आवास अयोग्य घोषित क्वाटरों पर कथित गैर-कानूनी कब्जा | Alleged Illegal Occupation of P& T Condemned Quarters at Patna . . . . . | 77 |
| 3871 | बिहार सर्किल में लाइन मैनों के पद खाली पड़ रहना | Posts of Linemen Lying vacant in Bihar Circle . . . | 77–78 |
| 3872 | पटना सी० टी० ओ० में तारों के भेजने में विलंब | Delay in Transmission of Telegrams in Patna CTO. . | 78 |
| 3873 | मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में टेलीफोन सुविधाओं का अभाव | Lack of Telephone Facilities in Tikamgarh and Chhatarpur Districts of M. P. . . | 79 |
| 3874 | पार्सलों, बीमाशुदा वस्तुओं और मनीआर्डरों की चोरी | Theft of Parcles, Insured Articles and Money Orders . | 79 |
| 3875 | ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों में नियुक्त कर्मचारी | Manning of Post Offices in Rural Areas . . . ; | 79 |
| 3876 | फिल्मी जगत के कलाकारों, लेखकों, निदेशकों, फिल्म आलोचकों के एक स्वच्छिक फिल्म सेंसर बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव | Proposal for Setting up a Voluntary Film Censors Board Consisting of Film personalities Writers, Director Film Critics | 80 |

| अता० प्र० संख्या U. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3877 | हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा सोडियम ट्रिपोली फास्फट सल्फर एसिड और फास्फोरिक एसिड उत्पादन के लिये आवेदन-पत्र | Application from Hindustan lever Limited for Prcductic n of Sodium Tripoly Phc sphate Sulphuric Acid and Phosporic Acid . . . . . | 80 |
| 3878 | आर्थिक और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन से चारों पंच वर्षीय योजनाओं में विकास और क्षत्रीय असंतुलन में असमानता का पता लगाना | Disparity in Growth and Regional Imbalance The Outcome of Four Five Year plans as Revealed in the Study conducted by the Economic and Scientific Research Foundation . . . . . | 81 |
| 3879 | चौथी योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय | Per capita Income during Fourth Plan . . . . . | 81–83 |
| 3880 | विदेशों में प्रत्यशियों के साक्षात्कार पर व्यय | Expenditure incurred on Interviewing candidates abrcad . | 83 |
| 3882 | गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशों से तकनीकी सहयोग के लिये प्रस्ताव | Proposal for Technical Collaboration in Private Sector with Foreign Countries . | 83 |
| 3883 | डाक व तार विभाग में समयोपरि भत्ते का भुगतान | Payment of Overtime Allowance in P & T Department . | 83 |
| 3884 | अंतर्राज्यीय सलाहकार परिषद् बनाने का तमिलनाडु सरकार का सुझाव | Suggestion of Tamil Nadu Government to set up an inter state Advisory Council . | 84 |
| 3885 | बुन्देलखंड में सरकारी क्षेत्र में कारखाने की स्थापना | Setting up of Factory in Bundelkhand in Public Sector . | 84 |
| 3886 | उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिये दिये गये लाइसेंस/आशय पत्र | Issue of Letters of Intent Licen ces for Setting up Industries in Bundelkhand Area, I. P. . | 84–85 |
| 3887 | दिल्ली में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को आवास | Housing of P & T Employees in Delhi . . . . . | 85 |
| 3888 | दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में कार्य कर रहे तकनीशियनों के लिये आवास | Accommodation for Technicians Working in Delhi Telephone District . . . . | 85 |
| 3889 | मूल्यों के बारे में अंतर्मंत्रालय दल द्वारा अत्यावश्यक वस्तुओं के लिये दुहरी मंडी प्रणाली का सुझाव | Dual Market System for Essential Commodities Recommended by the Inter Ministerial Group on Prices . . | 85–86 |
| 3890 | ट्रकों के टायरों का आयात. | Import of Truck Tyres . | 86 |
| 3891 | चांदनी चौक, दिल्ली में एक व्यापारी की हत्या | Murder of a Businessman in Chandni Chowk, Delhi . | ८६–८७ |
| 3892 | उत्पादिता के लाभ बांटने संबंधी राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् | National Productivity Council on Sharing gains of Productivity . . . . . | 87 |

| अता०प्र०संख्या U.Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3893 | सरकारी क्षेत्र में सीमेंट संयंत्र | Cement Plants in Public Sector | 87–88 |
| 3894 | भारत में दूर संचार परियोजनाओं के लिए वित्त | Financing of Telecommunication Projects in India . . | 88 |
| 3895 | केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के खर्चे में वृद्धि | Increase in Expenditure of Central Reserve Police | 89 |
| 3896 | भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु जन समितियों का बनाया जाना | Formation of People's Committees for Implementation of Employment Schemes for Landless Labourers . . | 89 |
| 3897 | मंत्रालयों/विभागों में लोअर डिवीजन क्लर्क के ग्रेड में तदर्थ नियुक्तियां | *Ad hoc* Appointments in the Grade of LDC in the Ministries/Departments . . | 89–90 |
| 3898 | भूतपूर्व नरेशों द्वारा जेवरात तथा मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री | Sale of Jewellery and Valuable Articles by Former Rulers | 90 |
| 3899 | 'पिम्प पम्पस् आउट परमिट्स फ्राम वी० आई० पी०' नामक समाचार | News Item 'Pimps pump out permits from VIPs' . . | 90–91 |
| 3901 | मंत्रियों को दिये गये सुरक्षिगण | Guards provided to Ministers | 91–92 |
| 3902 | साहा इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लीयर फिजिक्स में अप्रयुक्त पड़े आयातित उपकरण | Imported Instruments lying Unutilised in Saha Institute of Nuclear Physics . . | 92 |
| 3903 | मुस्लिम लीग के नेता का वक्तव्य | Statement made by the Muslim League Leader . . . | 92 |
| 3904 | पट्टी जेल (अमृतसर) से एक पाकिस्तानी तस्कर का पाकिस्तान भाग जाना | Escape of a Pak Smuggler from Patti Jail (Amritsar) to Pakistan . . . . . | 92–93 |
| 3905 | काश्मीर में रेशम कीट पालन केन्द्रों की स्थापना | Setting up of Sericulture Centres in Kashmir . . | 93 |
| 3906 | अपराधों की उचित जांच के लिए उत्तर प्रदेश संगणक केन्द्रों की स्थापना | Setting up of Computer Centres in U.P. for proper Investigation of Crimes . . . | 93 |
| 3907 | देहरादून सीमेंट प्लांट का विस्तार | Expansion of Dehradun Cement Plant . . . . . | 94 |
| 3908 | पेंशन लेते समय स्वतंत्रता सेनानियों को होने वाली कठिनाइयां | Difficulties experienced by Freedom Fighters while Receiving pensions . . | 94 |
| 3909 | आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को स्वाधीनता सेनानियों के रूप में पेंशन की अदायगी करना | Grant of Freedom Fighters' Pension to Ex-INA personnel | 94–95 |
| 3910 | देश के सभी सिनेमा गृहों में नेताजी सुभाष बोस के बारे में पूर्ण वृत्त चित्र का दिखाया जाना | Exhibition of the Total Documentary on Netaji Bose in all the Cinema Houses of the country . . . . . | 95–96 |

| अता० प्र० संख्या U.Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3911 | देश में आपात् स्थिति का जारी रखना | Continuation of Emergency in the Country . . . | 96 |
| 3912 | स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन के लिये आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व व्यक्तियों के आवेदन | Committee to Review the Applications of Ex-INA Personnel for Freedom Fighters Pensions . . . . | 96–97 |
| 3913 | मिनी कागज मिलों की स्थापना . | Setting up of Mini Paper Mills | 97 |
| 3914 | गत भारत-पाक युद्ध के बाद से पाकिस्तानियों द्वारा सीमा का अतिक्रमण करने के मामले | Cases of Tress Passing by Pakistanis since the last Indo-Pak war . . . | 97–98 |
| 3915 | मूल्य-आय-मजूरी-उत्पादिता संबंधी नीति की जांच संबंधी समिति का प्रतिवेदन | Report of the Committee Appointed to Examine Prices Income Wages Productivity Policy . . . . | 98 |
| 3916 | योजना क्रियान्विति व्यवस्था में सुधार | Improvement in Plan Implementation Machinery . . | 98–99 |
| 3917 | रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सहायता | Central Assistance to West Bengal for Creating employment . . . . | 99 |
| 3918 | पश्चिम बंगाल में डलखोला में तापीय विद्युत् परियोजना | Thermal Power Project at Dalkhola in West Bengal . | 99 |
| 3919 | कूच बिहार जिले में खोले गए डाकघर | Post offices opened in District Cooch Behar . . . | 99–100 |
| 3920 | डाकघरों तथा अन्य कार्यालयों के भवनों के लिए पश्चिम बंगाल सर्किल में डाक तथा तार विभाग द्वारा किरायों का भुगतान | Payment of rents by P & T Department in West Bengal Circle for housing Post Offices and other Offices . . | 100–101 |
| 3921 | कूच बिहार जिले का पृथक डाक डिवीजन बनाया जाना | Treatment of Cooch Behar District as separate Postal Division . . . . | 101 |
| 3922 | दिल्ली में पुलिस की कार्य क्षमता | Working capacity of Police in Delhi . . . . . | 101 |
| 3923 | दिल्ली में अपमिश्रित पेय पदार्थों के कारण हुई मौतों के संबंध में की गई जांच के परिणाम | Result of Inquiry instituted in connection with deaths due to adulterated drinks in Delhi . . . . . . | 101–102 |
| 3924 | देश में नये स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना | New Automatic Telephone Exchanges in the country . . | 102 |
| 3925 | गोधरा (गुजरात) के बिजलीघर में कार्य करने वाले एक भूमिगत पाकिस्तानी नागरिक का बंदी बनाया जाना | Arrest of an underground Pak Citizen working in the Electricity office at Godhra (Gujarat) . . . . | 102 |

| अता०प्र०संख्या U.Q.Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3926 | दिल्ली में ब्रिटिश उच्च आयोग के सामने सिक्खों का धरना | Dharna by Sikhs at British High Commission in Delhi | 102 |
| 3927 | ऐजल (मिजोरम) में बम विस्फोट | Bomb Explosion in Aijal, Mizoram | 103 |
| 3928 | बम्बई में एक व्यक्ति पर प्रधान मंत्री के जाली हस्ताक्षर बनाने के कारण मुकदमा चलाया जाना | Prosecution of a Person in Bombay for Forging P.M.'s Signature | 103–104 |
| 3929 | प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति विकास संबंधी व्यय, राज्यों आदि को प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता के के बारे में आंकडे एकत्र करने लिए एक सैल की स्थापना | Setting up of a Cell for Collecting Statistics as regards Per Capita-Income, Per Capita Development Expenditure Per Capita Central Assistance to States etc. | 104 |
| 3930 | पांचवीं योजना के दौरान संचार-उपग्रह कार्यक्रम | Communication Satellite Programme during Fifth Plan | 104 |
| 3931 | उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विकास योजनाओं का क्रियान्वित किया जाना | Implementation of Development Schemes of Hilly areas in U.P. | 105 |
| 3932 | केरल से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये प्राप्त विचाराधीन आवेदन-पत्र | Pending Application from Kerala for Industrial licences | 105 |
| 3933 | नेवादा कोर्टस से मूर्तियों की चोरी | Theft of Idols from Newadah Courts | 105 |
| 3934 | नेताजी जांच आयोग का प्रतिवेदन | Report of Netaji Inquiry Commission | 105–106 |
| 3935 | भारत में दिखायी जाने वाली अंग्रेजी की विदेशी फिल्मों का आयात | Import of Foreign Films in English to be shown in India | 106 |
| 3937 | गैर-स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन दिये जाने के विरुद्ध शिकायतें | Complaints against the Grant of Pension to persons not eligible as Freedom Fighters | 106 |
| 3938 | स्वतंत्रता सेनानियों को 'ताम्र-पत्र' देना | Award of Tamra Patra to Freedom Fighters | 107–108 |
| 3939 | डाक और तार बोर्ड के सदस्य के संवर्ग में पद | Posts in the Cadre of Member P & T Board | 108–199 |
| 3940 | पटना नगर में डाक और तार औषधालय के काम के घंटे | Working Hours in P & T Dispensary at Patna City | 109–110 |
| 3941 | भारत पर एक उप-ग्रह केन्द्र स्थापित करने के लिये भारत-ब्रिटेन वार्ता | Indo-U. K. Talks on Setting up a Satellite Over India | 110 |
| 3942 | समुद्रीय संसाधन आयोग | Marine Resources Commission | 110 |
| 3943 | चर्म उद्योग में लगे हुए उड़ीसा में पंचायत उद्योग | Panchayat Industries in Orissa engaged in Leather Industry | 110–111 |

| अता० प्र० संख्या U.Q.Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3944 | मापुसा नगरपालिका परिषद, गोआ के अध्यक्ष के बारे में शिकायत | Complaint Regarding Citizenship of President of Mapusa Municipal Council (Goa) . | 111 |
| 3945 | मनीपुर में भूतपूर्व संयुक्त विधेयक दल की सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप | Allegations of Corruption against Former ULP Ministry of Manipur . . | 111 |
| 3946 | मनीपुर में शिक्षित युवकों के लिए रोजगार | Employment for Educated Youths in Manipur . . | 111 |
| 3947 | मनीपुर में टेलीफोन व्यवस्था का कार्यकरण | Working of Telephones in Manipur . . . . | 112 |
| 3948 | संगीत तथा नाट्क प्रभाग के अंतर्गत प्रदर्शन तथा मनोरंजन मंडलियों का विकेन्द्रीकरण | Decentralisation of the Performing Entertainment Troupes under Song and Drama Division . . | 112–113 |
| 3949 | मनीपुर में सीमेंट उद्योग | Cement Industry in Manipur | 113 |
| 3950 | लघु चित्र वाले टिकटों की बिक्री | Sale of Miniature Paintings Stamps . . . . | 113 |
| 3951 | पोर्ट ब्लेयर स्थित पुरानी सेल्युलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक बनाना | Dedication of old Cellular Jail at Port Blair as a National Monument . . . | 114 |
| 3952 | पोर्ट ब्लेयर में अंदमान में सजा पाये भूतपूर्व कैदियों का अभिवादन | Honouring Ex-Andamans Prisoners at Port Blair . . | 114 |
| 3953 | भारत-ब्रिटेन प्रौद्योगिकी सहयोग समूह की बैठक | Meeting of Indo-British Technological Collaboration Group . . . . | 114–115 |
| 3954 | मूल्य वृद्धि के कारण वर्ष 1973-74 की वार्षिक योजना में कटौती | Cut in the Annual Plan for 1973-74 due to Price Rise . | 115–116 |
| 3955 | अखबारी कागज की खरीद के लिए दी गई कनाडा सहायता का उपयोग न किया जाना | Non-utilization of Canadian Aid given for the Purchase of Newsprint. . . . | 116 |
| 3956 | हैदराबाद के निकट न्यूक्लीयर इंधन काम्पलेक्स द्वारा तैयार किया गया विविधीकरण कार्यक्रम | Diversification programme drawn by Nuclear Fuel Complex near Hyderabad . | 116 |
| 3957 | आकाशवाणी केन्द्रों से सम्बद्ध अंशकालिक जिला संवाददाता | Part time District Correspondents attached to Radio Stations . . . . | 117 |
| 3958 | आकाशवाणी में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए कोटा का आरक्षण | Reservation of Quota for promotion of Scheduled Castes Tribes Employees in AIR . | 117–118 |

| अता० प्र० संख्या U. Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 3959 | डाक द्वारा समाचारपत्रों को भेजने के बारे में 'डी' संख्या का आबंटन | Allotment of D-Numbers for posting of Newspapers by Mail . . . . . | 119 |
| 3960 | फिरोजाबाद तथा वाराणसी के दंगों संबंधी रिपोर्ट | Report on Ferozabad and Varanasi Riots . . . . | 119 |
| 3961 | अनुसूचित जातियों द्वारा धर्म परिवर्तन | Change of Religion by Scheduled Castes . . . | 119 |
| 3962 | दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए सेलेक्शन ग्रेड | Selection Grades for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Delhi Administration. . | 120 |
| 3963 | शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग | Use of Atomic Energy for Peaceful Purposes . . | 120 |
| 3964 | दिल्ली में पांच वर्ष से अधिक समय से रह रहे स्टेशन निदेशक तथा सहायक स्टेशन निदेशक | Stay of Station Directors and Assistant Directors in Delhi Beyond Five Years . . | 120–121 |
| 3965 | प्रोड्यूसरों सहित स्टाफ आर्टिस्टों का पुनःस्थानान्तरण | Re-Transferring of Staff Artistes including Producers. . . | 121 |
| 3966 | आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र तथा देश के टेलीविजन केन्द्रों के विभिन्न कार्यालयों में कार्य कर रहे केजुअल आर्टिस्टों की संख्या | Number of Casual Artistes Working in various Offices of AIR in Delhi and T.V. Centres in the country . | 122 |
| 3967 | बेरोजगारी संबंधी भगवती समिति द्वारा उत्पादकता और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 'सिस्टम अप्रोच' की सिफारिशों को लागू करना | Adoption of 'System approach' for promoting productivity and employment as recommended by the Bhagwati Committee on Unemployment . . . . . | 122 |
| 3968 | मैसूर सीमेंट में मिलावट | Adulteration in Mysore Cement . . . . . | 122–123 |
| 3969 | लघु उद्योगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी गोष्ठी | Seminar on Science and Technology in Small Industries | 123 |
| 3970 | आगरा फाउन्ड्री उद्योग में उत्पादन | Production in Agra Foundry Industry. . . . | 123–124 |
| 3971 | लखनऊ विश्वविद्यालय की घटना के बारे में जांच | Inquiry into the incident of Lucknow University . . | 124 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| **अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—** | Calling Attention to matter of Urgent Public Importance . . . . . | |
| बम्बई बंदरगाह पर आयातित खाद्यान्नों के खराब हो जाने का समाचार | Reported wastage of imported foodgrains in Bombay port— | |
| श्री पी० के० देव | Shri P. K. Deo . . | 124, 125–126 |
| श्री फखरुद्दीन अली अहमद | Shri F. A. Ahmed . | 125, 126–127 |
| **सभा-पटल पर रखे गये पत्र** | Papers Laid on the Table . . | 127–128 |
| **नियम 377 के अधीन मामला—** | Matter under rule 377— | |
| बरौनी तेल शोधक कारखाने मे हड़ताल | Strike in Barauni Oil Refinery . . . . . . | 129 |
| **हरियाणा के अधिकारियों द्वारा संसद सदस्यों को कुछ दस्तावेज दिखाने से इंकार किये जाने के बारे में** | Re. Refusal by Haryana Authorities to show certain documents to Members of Parliament . . . | 129–131 |
| **उड़ीसा के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को लागू रखने के बारे में सांविधिक संकल्प—स्वीकृत—** | Statutory Resolution Re. Continuance of Proclamation in respect of Orissa—*Adopted*— | |
| श्री चिंतामणि पाणिग्रही | Shri Chintamani Panigrahi . | 131–133 |
| श्री सी० चित्तिबाबू | Shri C. Chittibabu . . | 133–134 |
| श्री श्याम सुन्दर महापात्र | Shri Shyam Sunder Mohapatra . . . . | 134–136 |
| श्री पी० के० देव | Shri P. K. Deo . . . | 136–137 |
| श्री बनमाली पटनायक | Shri Banamali Patnaik . | 137–139 |
| श्री गिरिधर गोमांगो | Shri Giridhar Gomango . | 139 |
| श्री अर्जुन सेठी | Shri Arjan Sethi . . | 139–140 |
| श्री अनादि चरण दास | Shri Anadi Charan Das . | 140–141 |
| श्री मधु लिमये | Shri Madhu Limaye . | 141 |
| श्री कृष्ण चन्द्र पन्त | Shri K. C. Pant . . | 141–145 |
| **उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड के लिये ऋण की अधिकतम राशि निर्धारित करने के बारे में सांविधिक संकल्प—** | Statutory Resolution Re. Fixation of Maximum Amount of Loan for Orissa State Electricity Board— | |
| डा० के० एल० राव | Dr. K. L. Rao . . . | 146, 149–150 |
| श्री हुकुम चंद कछवाय | Shri Hukam Chand Kachwai . . . . | 147 |

| विषय | Subject | पृष्ठ Page |
|---|---|---|
| श्री जगन्नाथ राव | Shri Jagannath Rao | 147–148 |
| श्री डी० के० पंडा | Shri D. K. Panda | 148 |
| श्री श्याम सुंदर महापात्र | Shri Shyam Sunder Mohapatra | 148 |
| श्री पी० के० देव | Shri P. K. Deo | 148–149 |
| श्री चिंतामणि पाणिग्रही | Shri Chintamani Panigrahi | 149 |
| श्री मधु लिमये | Shri Madhu Limaye | 149 |
| अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे), 1973-74— | Supplementary Demands for Grants (Railways), 1973-74 | |
| श्री दीनेन भट्टाचार्य | Shri Dinen Bhattacharyya | 151–153 |
| श्री वयालार रवि | Shri Vayalar Ravi | 153–154 |
| श्री सरजू पांडे | Shri Sarjoo Pandey | 154–155 |
| श्री भागवत झा आजाद | Shri Bhagwat Jha Azad | 155–156 |
| श्री अटल बिहारी वाजपेयी | Shri Atal Bihari Vajpayee | 157 |
| आधे घंटे, की चर्चा | Half-an-Hour Discussion. | |
| स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिये आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अवधि बढाना | Extension of period for receipt of applications for grant of pension to Freedom Fighters | |
| श्री सी० के० चन्द्रप्पन | Shri C. K. Chandrappan | 157–158 |
| श्री उमाशंकर दीक्षित | Shri Uma Shankar Dikshit | 160–161 |



2—23 L. S. S./73

# लोक-सभा
# LOK SABHA

**बुधवार, 22 अगस्त, 1973/31 श्रावण, 1895 (शक)**
Wednesday, August 22, 1973/Sravana 31, 1895 (Saka)

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.*

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKAR *in the Chair*]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### बिहार के बरारी गांव में हरिजन महिलाओं को गर्म सलाख से दागना

*381. **श्री पी० जी० मावलंकर**

**श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बरारी गांव में कुछ व्यक्तियों द्वारा चार हरिजन महिलाओं को गर्म सलाख से दागा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्दोष महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार और अभद्र व्यवहार करने वाले अपराधियों को गिरफतार किया गया है तथा दंडित किया गया है ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) और (ख) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 6 जुलाई, 1973 को सहर्षा जिले के माधेपुरा थाने के अन्तर्गत गांव माधोवन (न कि बरारी) के कुछ व्यक्ति श्री नन्द केश्वर पासवान के घर में घुस गये और घर से बलपूर्वक चार महिलाओं को अपने साथ ले गये तथा उनके शरीर के विभिन्न भागों में लोहे की गर्म सलाख से दाग दिया। मामले की जांच के दौरान 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148/149/452/342/307/324 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किये हैं। मामला न्यायाधीन है। न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त को जमानत स्वीकृत की गई थी परन्तु पुलिस के अनुरोध पर अब जमानत रद्द की गई है।

2. बिहार सरकार ने रिपोर्ट दी है कि यह घटना राज्य विधान सभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की विषय वस्तु थी और पुलिस तथा चिकित्सा अधिकारी के आचरण के संबंध में आरोप थ। अतः अध्यक्ष द्वारा मामला सदन की प्रश्न समिति को सौंपा गया है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

**श्री पी० जी० मावलंकर :** मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मंत्री महोदय द्वारा सभा-पटल पर रख गए विवरण में बिहार के गांव में हुए पैशाचिक और घिनौने कार्य के संबंध में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है। क्या यह सच है कि यह घटना सरे-आम हुई थी और हजारों लोग इस जघन्य कार्य के साक्षी थे और यदि हाँ, तो क्या मंत्री महोदय के पास यह जानकारी है?

क्या मंत्री महोदय को पता है कि इस घटना की जानकारी है कि यह अपने आपमें अनोखी घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं सारे दश में और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में घट रही है। यह एक गम्भीर मामला है और आप सदन में इस मामले पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गए है। मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पुरुषों और स्त्रियों और विशेषकर गांवों में रहने वालों की सुरक्षा और उनकी इज्जत को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। यह कहन का कोई लाभ नहीं कि मामला निर्णयाधीन है और हम कुछ नहीं कर सकते।

**श्री रामनिवास मिर्धा :** यह बहुत संगत है कि मामला निर्णयाधीन है और इस लिए इस प्रकार की चर्चा करने की मनाही है।

जहां तक घटना का संबंध है, हमने कुछ तथ्य दिए हैं। यह घटना 6 जुलाई, 1973 को हुई थी और 7 जुलाई, 1973 को पुलिस घटनास्थल पर गई थी और मामला दर्ज किया था। 7 जुलाई को ही डी० एस० पी० मामले की छानबीन करने गए। अतः जहाँ तक इस मामले का संबंध है, हम यह नही कह सकते कि डी० एस० पी० ने ढिलाई बरती है।

जहाँ तक अन्य तथ्यों का संबंध है, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि मामला निर्णयाधीन है।

**श्री पी० जी० मावलंकर :** कुछ समय पूर्व माननीय प्रधान मंत्री ने सदन में यह आश्वासन देते हुए कहा था कि राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को ये अनदेश दिए गए हैं कि वे हरिजनों किए जा रहे अत्याचारों के मामलों की छान बीन करन के लिए एक विशेष सैल बनाएं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह पाशविक और घिनौनी घटना बिहार मुख्यमंत्री के सैल के अधीन सक्रिय रुप से विचाराधीन है और यदि हाँ, तो क्या सदन में यह रिपोर्ट पेश की जाएगी ताकि सदन इस बात से अवगत हो सके कि दोषी व्यक्ति को दंड देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

**श्री रामनिवास मिर्धा :** प्रधान मंत्री द्वारा उल्लीखित सैल केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं देगा। मुख्यमंत्रियों के साथ इस मामले पर बातचीत करने का मात्र उद्देश्य यह था कि वे व्यक्तिगत रुप में मामलों में रुचि लें और इस बात का ध्यान रखें कि अत्याचार के मामलों पर गौर किया जाए, उनकी जांच की जाए और पिछडे वर्गों के साथ न्याय किया जाए तथा सम्पूर्ण राज्य प्रशासन तंत्र को इस प्रकार प्रयुक्त किया जाए कि पिछड़े वर्गों को संरक्षण मिले और उन्हें अपक्षित लाभ भी मिले।

**श्री पी० जी० मावलंकर :** यह केवल कागजों में हैं। व्यवहारतः सरकार क्या कर रही है?

**श्री रामनिवास मिर्धा :** माननीय सदस्य एक 'वाइल्ड' आरोप लगा रहे है कि यह व्यवहार में नहीं है . . .

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** इस में 'वाइल्ड' क्या है? . . . **(व्यवधान)**

**श्री पी० वी० जी० मावलंकर :** मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। यह अत्यन्त आपत्तिजनक है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार क्या सजग कार्यवाही कर रही है।

**Shri Atal Bihari Vajpayee:** Shri P. V. Mavalankar has said that it is all on paper only and not in practice,, what is there will about it?

माननीय मंत्री स्वयं 'वाइल्ड' बात कह रहे हैं।

**श्री रामनिवास मिर्धा :** आम वक्तव्य देने से कोई लाभ नहीं। हम सदन में कई बार बता चुके हैं कि केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है और राज्य सरकारों को क्या कार्यवा ी करने के लिए कहा है और यह अनुवर्ती . . .

**श्री पी० जी० मावलंकर :** मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय मंत्री यह स्पष्ट करें कि मेरे अनुपूरक प्रश्नों में क्या "वाइल्डनैस" है . . . **(व्यवधान)** यह एक गम्भीर मामला है । मंत्री महोदय अपने शब्द वापिस लें।

**ो० मधु दंडवते :** मंत्री महोदय जैसे शिष्ट व्यक्ति को 'वाइल्ड' बात नहीं कहनी चाहिए . . . **(व्यवधान)**

**श्री वसंत साठे :** श्री मावलंकर ने कहा कि यह केवल कागजों में है। यह कहना 'वाइल्ड' था कि यह केवल कागजों में है और कुछ नहीं किया गया है। यह एक 'वाइल्ड' विचार है और क्षमा मांगने का कोई कारण नहीं है . . . **(व्यवधान)**

**श्री एच० एम० पटेल :** यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर बोलने की अनुमति दी जाए। जब मंत्री महोदय कहते है कि माननीय सदस्य ने 'वाइल्ड' आरोप लगाया है . . . **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति।

गृह **मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित):** इस विशिष्ट मामले पर पूरा पूरा ध्यान दिया गया है। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार डी० एस० पी० तथा अधिकारी वहां गए और डाक्टर को भेजा गया . . . **(व्यवधान)** तथा 6 व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत गम्भीर अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया एक मामले में जमानत मंजूर की गई थी . . .

**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** जमानत मंजूर क्यों की गई?

**श्री उमा शंकर दीक्षित :** अतः सरकार की और से . . . **(व्यवधान)** माननीय सदस्य मेरी बात सुने। सरकार की और से आवेदन-पत्र दिया गया और जमानत रद्द कर दी गई और छठा आदमी भी हिरासत में है और विधान सभा में इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई है। अतः पुरा ध्यान दिया जा रहा है। जहां तक प्रश्न का संबंध है, यह मामला कागजों में नहीं है। एहतियाती कार्यवाही की जा रही है और यह दुःख एवं खद की बात है कि ऐसी घटनाएं घट रही है। किसी भी स्थिति में इस प्रकार की घटना होना दुःख की बात है । अतः केवल यह कहने से कोई लाभ नहीं कि हम केवल कागजी कार्यवाही कर रहे है । अन्ततः सभी कार्य या तो लिख कर किए जाते है अन्यथा बोलकर **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** आप कृपया बठ जाइये। मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है और विस्तारपूर्वक बता दिया है। तब मने महसूस किया कि वे विस्तार में जाने की बजाय धमकी दे रहे है और साथ ही वे लड़ाई कर रहेहै . . .

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या लड़ाई कर रहे हैं?

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, नहीं आप की भाषा लड़ाई वाली है। आप बोलने के साथ साथें धमकी द रहे है। यदि मंत्री महोदय इसको ऐसा कहते है, तो आप क्रोधित हो उठते है। उन्हे अपने विचारों को प्रकट करने का परा अधिकार है। यदि आप समझते है कि यह असंसदीय है, पर मैं नहीं सोचता कि यह असंसदीय है। आप इसस भी बुरे शब्दों में अपने विचार प्रकट करते हैं। कृपया धैर्य रखें, लड़ाई या धमकी की भाषा का प्रयोग न करें। जब कोई दूसरा व्यक्ति क्रोधित होता है, तो आप शोर मचाते हैं।

**Shri Chandu Lal Chandrakar:** It is not an isolated incident in Bihar, a number of incidents have already occured and the State Government have sent report also.

May I know from the Government whether they will assure us that persons found guilty will not only be awarded rigorous punishment but State Governments or Chief Ministers will also be warned to see that such incidents do no recur in future ?

**Shri Ram Niwas Mirdha:** A number of incidents have taken place in Bihar, but State Administration has acted with great alacrity. Senior police officers have also suspended the Deputy Superintendent of Police of that area. Efforts are being made to go into each and every incident of such nature. We will request the State Governments to take stringent action in regard to this particular incident and other incidents of such type.

**Shri Swami Brahmanandji:** Mr. Speaker, Sir, this is not a new incident. Atrocities on Harijans are the order of the day. I suggest that any sweeper should be made Home Minister of India on an experimental basis and the atrocities being committed on Harijans will be reduced. A Harijan should be appointed as Superintendent of Police of that area.

**Shri Atal Bihari Vajpayee:** A commissioner has been appointed under the Constitution for going into the matter relating to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I would like to know whether the Commissioner has been asked to visit the spot, make enquiry and to submit his report to the Centre.

Secondly, it is not clear from the statement made by the hon. Minister as to what was the crux of the incident and why women were carried away and treated barbarously ?

**Shri Ram Niwas Mirdha:** The Commissioner has run to the spot and is still there we have requested him to apprise us of the facts after making enquiry.

So far as the question of causes of the incident is concerned, they can be ascertained only after prosecution is over and enquiry has been completed.

**Shri Uma Shankar Dikshit:** I would like to narrate some more facts about the incident. This incident took place in the house of Shri Nathan Paswan. The complainant has alleged that the boy had died due to Snake-bite. Some people are backward and they are superstitious. They claim that boy died of witch-craft. It is nothing but the foolishness of the superstitious people. I do not want to go into the details. The matter is sub-judice. I do not want to say anything which may affect the matter prejudicially.

**श्री डी० बसुमतारी :** समय समय पर यह मामला सदन में उठाया जाता रहा है। आपने इस उद्देश्य के लिए गठित की गई संसदीय समिति में इस पर विचार किया था। क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संयुक्त समित को यह अधिकार देना सम्भव है अथवा नहीं कि वह मामलों को देखे और उनकी जांच करे और राज्य सरकारें इन मामलों में शीघ्र कार्यवाही करें।

**श्री रामनिवास मिर्धा :** समिति को अधिकार प्राप्त है जैसा कि सदन द्वारा स्वीकृत किए जा चुके है। समिति उन्हीं अधिकारों के अन्तर्गत कार्य कर सकती है जो उसे सदन से प्राप्त हुए हैं।

**Shri B. P. Maurya:** Mr. Speaker, Sir, such shameful incidents are the order of the day. May I know whether arrangements will be made for appointing an official of I.G. rank to see that such atrocities are not Committed on Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

**Shri Ram Niwas Mirdha:** We have issued instructions to the State Governments that incidents of untouchability should be treated as special report cases and enquiry should be conducted. Senior officers should take personal interest in looking into such cases. It depends upon the State Governments whether they appoint an I.G. at State level or create a cell or whether the Chief Minister has his own personal set-up. But State Governments have taken us into confidence and have stated that they will take administrative steps and alert police so that full enquiry may be conducted into such incidents.

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि छः व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं, परन्तु 28 जुलाई, 1973 को कलकत्ता के प्रकाशित होने वाल स्टेटसमैन का कहना है कि उसी गांव के एक दर्जन गुण्डों ने उनको नंगा किया तथा तेज गर्म लोहे की सलाख से उन्हे यातनायें दीं। मंत्री महोदय कहते हैं कि केवल 6 व्यक्ति ही गिरफ्तार किये गये हैं। पत्र में आगे कहा गया है कि आठ आहत व्यक्तियों को माधपुरा में एक डाक्टर के पास तथा पुलिस स्टेशन भेजा गया कहा जाता है कि वहां उन्होंने लिखित में रिपोर्ट दर्ज कराई। ऐसा लगता है कि उन्होंने आक्रमणपार्टियों में घूस स्वीकार की, डाक्टर ने भी घूस ली और वह भी इस जघन्य अपराध में शामिल है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि डाक्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और इस सबंध में उचित कदम क्यों नहीं उठाये गये?

माननीय प्रधान मंत्री ने इस सभा में कहा कि मुख्य मंत्री के नेतृत्व में वहां एक विशेष सैल स्थापित किया जा रहा है। परन्तु फिर भी, बिहार में इस प्रकार की जघन्य घटना घटी। इसलिये मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक विशेष सैल गठित्त होने के बावजुद जब ऐसी हृदयविधारक घटना होती है तो मैं जानना चाहूंगा हूं कि क्या सरकार ऐसी भयंकर घटनाओं के बारे में एक संसदीय समिति द्वारा जांच कराने को तैयार है।

**श्री राम निवास मिर्धा :** यह मामला पहले ही विधान सभा की प्रश्न समिति के विचाराधीन है। जब यह मामला बिहार विधान सभा में आया तो सदस्य गण दिये गये उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे या वे और अधिक तथ्य चाहते थे। और इसलिये अध्यक्ष महोदय ने वह मामला विधान सभा की प्रश्न समिति को सौंप दिया। डाक्टर के प्रमाणपत्र मामला दर्ज करने में विलम्ब तथा माननीय सदस्यों द्वारा लगाये गये आरोप तथा चर्चा के दौरान की गई टिप्पणियाँ आदि संबंधी सब बातें प्रश्न समिति को सौंप दी गइ थी। हम प्रतीक्षा करना चाहते हैं तथा देखना चाहते हैं कि वे इस मामले में क्या कहना चाहते हैं।

**Shri Rajendra Prasad Yadav:** I feel grieved to say that this incident occured in my constituency. As regards my Constitutency, this is the first such case there although we receive reports of such incidents in other parts of the country. I want an assurance from the Central Government besides what is being done by the State Government that the Centre will take appropriate steps to ensure that such incidents do not rear in future.

**Shri Ram Niwas Mirdha:** The Central Government is vigilant and the States have also been approached.

**अध्यक्ष महोदय :** हम इस प्रश्न पर पहले ही 20 मिनट ले चुके हैं। इस संबंध में एक चर्चा का निश्चय भी किया जा चुका है।

**श्री एस० एम० बनर्जी :** इस तथ्य की दृष्टि से कि स्वयं प्रधान मंत्री ने ऐसी घटनाओं की निन्दा करने में रुचि ली है तथा एक सैल भी नियुक्त किया है, क्या मैं जान सकता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये मुख्य मंत्रियों की जब बैठक बुलाई जायेगी क्योंकि हरिजनों को यातना देने का यह कोई इक्का दुक्का उदाहरण नहीं है बल्कि अधिकांश राज्यों में उन्हें परेशान किया जा रहा है? क्या सरकार इस समस्या पर सारगर्भित रूप से विचार करने के विपक्षी नेताओं के सहयोग से मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलायेगी ?

**श्री राम निवास मिर्धा :** हाल ही में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित कर्णधार समिति (स्टियरिंग कमेटी) की बैठक 24 अगस्त को हो रही है और कर्णधार समिति अन्य विषयों के साथ साथ इस विषय पर भी चर्चा करेगी ताकि जब राष्ट्रीय एकता परिषद् व्यवस्था को सक्रिय किया जायेगा तब इन अत्याचारों तथा तत् संबंधी मामलों को कैसे निपटाया जाये।

**नेशनल इंस्टीट्युट आफ डिजाइन्स, अहमदाबाद के कार्यो के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन**

*383. **श्री बेकारिया :** †

**श्री अरविन्द एम० पटेल :**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के कार्यों की जांच करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये जाँच आयोग के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की गयी और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :** (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 5452/73** ]

**श्री बेकारिया :** सभा पटल पर रखे गए विवरणी से यह प्रतीत होता है कि चेयरमैन के विरुद्ध लगाए गए आरोप यद्यपि सारे नहीं, तो कम से कुछ निसंदेह ही सही है अत: वर्तमान चेयरमैन को हटाने तथा संस्थान को पुरा अपने नियंत्रण में लेने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**श्री प्रणव कुमार मुखर्जी :** समिति की विचारों के अनुसार चेयरमैन के विरुद्ध कोइ भी महत्व-पूर्ण आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त श्री वाच ने, जिन्होंने कि जाँच कराइ यह बताया कि चेयरमैन ने उत्साह पूर्वक संस्थान के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किए। चेयरमन ने इस्तीफा दे दिया है और वह सरकार के विचाराधीन है।

**श्री वकेरिया :** निष्कर्ष संख्या 2 में कहा गया है कि मतभेदी विचारों पर गौर से विचार नहीं किया गया है। दूसरे कुछ नियुक्तियों के बारे में यद्यपि वह अर्हताओं की दृष्टि से उचित थी फिर भी उनके बारे में गलत सलाह दी गइ। चेयरमैन के प्रति यह दो आरोप लगाए गए और आश्चर्य है कि सरकार यह उत्तर दे रही है कि कोइ आरोप सिद्ध नहीं हुए है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन निष्कर्षों को सही मानती है अथवा नहीं। अब तक संस्थान को कितना धन दिया जा चुका है और संस्थान में कितने विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं;

**श्री प्रणव कुमार मुखर्जी :** मैं पहले ही बता चुका हूं कि सरकार ने मुख्य सिद्धातों पर समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। जहां तक नियुक्तियों का संबंध है यह कहा गया है कि अर्हताओं की दृष्टि से वह व्यक्ति उचित और आवश्यक स्तर के थे पर इसके बावजूद भी, जाँच समिति ने कहा कि ऐसा आभास नही होना चाहिये जिससे यह लगे कि संस्थान के किसी विशेष फर्म या उद्योग के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और उसी कारण चेयरमैन ने अपना इस्तिफा दे दिया है। वर्ष 1971 तक 100 विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। संस्थान में व्यय किए गए धन के आंकड़े इस प्रकार हैं। केन्द्र सरकार ने 121,99,681 रुपये की सहायता दी और गुजरात सरकार ने 17 लाख रुपये तथा फोर्ड फाउंडेशन ने 61,77,223 रुपये की सहायता दी। इसके अतिरिक्त परामर्श सेवा प्रदान करने के लिए फीस के रूप में 8,42,500 रुपये प्राप्त हुए। संस्थान को आवर्ती व्यय पूरा करने हेतु 12 लाख रुपये की राशि दी जा रही है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर रखे गए विवरण में कहा गया है कि जिस शिकायत की जांच के लिए श्री वाँचू को नियुक्त किया गया था उसमें बताया गया था कि कुछ व्यक्तियों की नियुक्तियों जो अर्हताओं की दृष्टि से उपयुक्त थे और जिन्हें अधिशासी परिषद् ने भी स्वीकृति दे दी थी उनके बारे में गलत सलाह दी गइ। श्री वांचू ने यह निष्कर्ष निकाला था। यह शिकायत की गई है कि चेयरमैन ने अपने परिवार के लोगों तथा मित्र को संस्था में मुख्य ओहदे प्रदान किए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री वाँचू द्वारा नियुक्तियों के बारे में निकाले गये निष्कर्ष की अर्हता आदि को देखते हुए ये नियुक्तियां उचित होने पर भी गलत सलाह पर की गइ थी, यही है कि ये नियुक्तियां गलत तरीके से की गइ थी। दूसरे यह भी शिकायत की गइ है कि चेयरमैन ने अधिशासी परिषद् की, महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में उपेक्षा की। क्या वह समिति के इन निष्कर्षों को जिसमें कहा गया है कि अधिशासी परिषद् ने, संस्थान की गतिविधियों के संबंध में चेयरमैन को बहुत छूट दे दी थी, सही नहीं मानते है ? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या यह सच है कि श्री गौतम साराभाई के विरुद्ध लगाया गया यह आरोप कि वह संस्थान को एक निजी संस्थान के रूप में चला रहे थे। यदि हाँ, तो सरकार द्वारा संस्थान को क्या परामर्श दिया गया है ताकि भविष्य में नियुक्तियों के संबंध में चेयरमैन और अधिशासी परिषद् अपनी मनमानी न कर सकें।

**श्री प्रणव कुमार मुखर्जी :** वांचू समिति के प्रतिवेदन के सारांश में से मैं कुछ पंक्तियाँ उद्धृत कर सकता हूं जिसमें कि श्री साराभाई के योगदान का उल्लेख इस प्रकार किया गया है।

"जहां तक श्री गौतम साराभाई के संस्थान के क्रिया कलापों को चलाने का संबंध है, यह नोट किया जाए कि श्री वांचू इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि श्री साराभाइ के विरुद्ध लगाए गये यह आरोप, कि उन्होंने संस्थान की सुविधाओं का दुरुपयोग किया है तथा कुछ दुर्भावनापूर्ण कार्य

किए है, अनचित तथा निराधार है। श्री वांचू ने यह भी कहा है कि चेयरमैन श्री गौतम साराभाई ने जिस लगन से कार्य किया उसकी सराहना की जानी चाहिए थी तथा संस्थान की सफल उपलब्धियों के लिए उन्हें श्रय दिया जाना चाहिए... " ।

जहां तक प्रशासनिक निदेशक और चेयरमैन की नियुक्ति का संबंध है संस्थान के नियमों तथा विनियमों के अनसार अधिशासी परिषद के चैयरमैन सहित सात सदस्य भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसमें 3 सदस्य पदेन हैं।

संस्थान की पूरी स्थिति का मल्यांकन करने हेतु एक पुनरीक्षा समिति की नियुक्ति की गइ है जिसके बारे में मैंने अपने मूल उत्तर में उल्लेख किया है। सरकार समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है जिसके इस वर्ष के अन्त तक आने की संभावना है और समिति के विचारों के आधार पर संस्थान के पुनर्गठन और नवीकरण के बारे में इस बारे में निर्णय लिया जाएगा।

**Shri Madhu Limaye:** Mr. Speaker, Sir it appears from the information given by the hon. Minister to the house that the charges levelled by Shri Somen against the Chairman are almost correct. May I know from the hon. Minister firstly that what action is being taken by the Government to immune the institution from nepotism, secondly how many members are there in the review committee and on what basis they have been selected. Do they possess some special qualities or have they been selected because of their committed views?

**श्री प्रणव कुमार मुखर्जी :** मैं पहले ही बता चुका हूं कि चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। प्रशासनिक निदेशक की नियक्ति होने वाली है। जहां तक अधिशासी परिषद् के गठन का संबंध है मैं पहले ही बता चूका हूं कि अहमदाबाद के महापौर और गुजरात सरकार के मुख्य सचिव इसके दो पदेन सदस्य हैं। प्रशासनिक निदेशक की नियुक्ति अधिशासी परिषद् द्वारा की जाती है। वह भी पदेन सदस्य होता है। अधिशासी परिषद् के लिये चयरमैन तथा सात अन्य सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

**Shri Madhu Limaye:** Answer to my second question has not been given. I wanted to konw the basis on which the members of the review committee have been selected.

**श्री प्रणव कुमार मुखर्जी :** मैंने प्रश्न के मूल उत्तर में इसका उत्तर दे दिया है। श्री रमेश थापर की अध्यक्षता में एक पुनरीक्षा समिति की नियुक्ति की गई है जिसमें अंतराष्ट्रीय ख्याति के कुछ विशेषज्ञ भी सम्मिलित है।

## आशयपत्रों तथा लाईसेन्सों का जारी किया जाना

*384. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** +

**श्री प्रभुदास पटेल :**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जुलाई, 1973 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि इस वर्ष जून, 1973 तक जारी किये गये आशय पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों में (सी० ओ० बी० लाइसेंसों क अतिरिक्त) गत दो वर्षों में इस अवधि के आंकड़ों की तुलना में कमी हुए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो मामले के लक्ष्य क्या हैं और दोनों अवधियों के तुलनात्मक आंकड़े क्या है; और

(ग) 1970–71 में कुल कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये और वे युनिट इस समय किस हद तक पूरे हो गये हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी):** (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

(क) जी, हाँ।

(ख) जनवरी–जून, 1971, जनवरी–जून, 1972 तथा जनवरी–जून 1973 की अवधि में जारी किए गये आशय पत्रों/लाइसेंसों के तुलनात्मक आँकड़े निम्नलिखित सारणी में दिये जाते हैं।

| अवधि | सारणी आशय पत्रों की कुल संख्या | लाइसेंसों (सी० ओ० बी० को छोड़कर) की कुल संख्या |
|---|---|---|
| जनवरी–जून 1971 . . | 551 | 155 |
| जनवरी–जून 1972 . . | 471 | 194 |
| जनवरी–जून 1973 . . . | 283 | 163 |

(ग) वर्ष 1970 तथा 1971 में जारी किये गये कुल औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या क्रमशः 383 तथा 625 थी। औद्योगिक लाइसेंस मिलने के पश्चात् किसी भी उपक्रम में उत्पादन होने लगने मे सामान्यतया 3 से 4 वर्ष लग जाते है। अतएव ये लाइसेंस कार्यान्वियन की विभिन्न स्थितियों में है।

**श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** विवरण से स्पष्ट है कि आशय पत्रों और लाइसेंसों की संख्या में कमी हुई है और केवल 25 प्रतिशत आशय पत्रों को ही लाइसेंसों में परिवर्तित किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इन्हें जारी करने में मंत्रालय ने प्रक्रिया में क्या सरलीकरण किया है ताकि इन्हें शीघ्र जारी किया जाये और मंत्रालय द्वारा आवेदन मिलन और इन्हें जारी करने मे कितना समय औसतन लगता है ?

**श्री प्रणव कुमार मुखर्जी :** किसी एक वर्ष जारी किए गए लाइसेंसों का यह अर्थ नहीं है कि उस वर्ष उतने ही आशय पत्रों प्राप्त हुए थें। सरलीकरण के बारे में पहले ही अनेक बार बताया जा चुका है कि प्रक्रिया को अधिक से अधिक आसान बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ मामलों में यह अवधि पूंजी की मंजूरी सहित 90 दिन है। बड़े व्यापार गृहों के मामलों में इसे और स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। कुछ अन्य मामलों में यह अवधि 150 दिन हैं। इन मामलों को और शीघ्रता से निपटाने के लिए एक परिपर्ण सचिवालय बनाया जाने वाला है।

**श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या उन्हे पता लगा है कि जनवरी, 1972 से जनवरी 1973 तक की अवधि में दिए गए लाइसेंसों में से 75 प्रतिशत लाइसेंस महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यो को दिए गए हैं जबकि केवल 25 प्रतिशत ही शेष राज्य को और केवल 1.25 प्रतिशत राजस्थान को दिए गए हैं और उसके 60 से अधिक आवेदन मंत्रालय में बकाया है। क्या पिछड़े क्षेत्रो को अधिक लाइसेंस दिए जाएंगे ?

**श्री प्रणव कुमार मुखर्जी :** लाइसेंस राज्य को हरबार नही दिए जाते हैं। मुख्य बात राज्यो से प्राप्त आवेदनों की संख्या है और सरकार को अन्य कई बातों का भी ध्यान रखना होता है। जैसा कि अनेक बार बताया जा चुका है यह सुनिश्चित करना सरकार की नीति है कि उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में लगाए जाए और ऐसे आवेदनों को प्राथमिकता दी जाती है।

**डा० रानेन सेन :** क्या इन में से अधिकांश बड़े एकाधिकारवादी गृहों ने हथिया लिए हैं?

**अध्यक्ष महोदय :** मूल प्रश्न तो इनकी संख्या में कमी के बारे में है।

**डा० रानेन सेन :** मेरा प्रश्न भी तो उसी से संबद्ध है।

**अध्यक्ष महोदय :** क्या आप मुझे विश्वास दिला सकते हैं कि मूल प्रश्न की किस पंक्ति में इसका उल्लेख है।

**डा० रानेन सेन :** आशय पत्र और लाइसेंस तो जारी किए ही गए हैं, तो वे किन्हें मिले यह पूछना संगत ही तो हुआ ?

**अध्यक्ष महोदय :** खेद है कि यह संगत नही है। आप दूसरी तरह प्रश्न पूछें।

**Shri R. S. Pandey:** Sir, Rajasthan may be backward but not Rajasthanis, they are everywhere in commanding positions unlike Madhya Pradesh and its people. I want to know whether letters of intent/licences are issued in pursuance of the policy laid down in this regard to give preference to backward districts and if so, the number of licences and letters of intent issued so far and the extent to which licenced capacity has been utilised.

**Mr. Speaker:** If I could allow you why did not allow Shri Sen ?

**श्री राम सहाय पाण्डे :** पिछड़े जिलों को लाइसेंस नही दिए गए हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** यदि आप आज ही एक पृथक प्रश्न भेजें तो मैं उसे अवश्य स्वीकार कर लूंगा।

**श्री एस० आर० दामाणी :** जैसा कि कुछ समय पूर्व प्रेस में भी आया था और अभी मंत्री महोदय ने भी कहा है शीघ्र लाइसेंस आदि जारी करने के लिए प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किए गये हैं और समय-सीमा भी बांधी गई है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह समय आवेदन प्राप्त होने से गिना जाता है ?

**श्री प्रणव कुमार मुखर्जी :** यह अवधि आवेदक से या राज्य सरकार से आवेदन प्राप्त होने की तारीख से गिनी जाती है।

**श्री पी० के० देव :** मेरे राज्य उड़ीसा में एक-एक कलशियम कार्बाइड, एलुमिनियम और कागज कारखाना औद्योगिक दृष्टिसे पिछड़े कारापुट जिले में लगाने के लिए आशय-पत्र दिए गए हैं। ये उद्योग रेलवे सुविधा न होने के कारण नहीं लगाए जा रहें है। तो क्या रेल और औद्योगिक विकास मंत्रालयों में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के संबंध में कोई ताल-मेल है ?

**श्री प्रणव कुमार मुखर्जी :** विभिन्न मंत्रालयों में ताल-मेल रखा जाता है और आपसी सहयोग दिया/लिया जाता है।

**श्री व्यालार रवि :** जहां तक लाइसेंस देने का संबंध में प्रक्रिया में कुछ छूट देना अच्छा है परन्तु क्या इससे छोटी पार्टियों की अपेक्षा एकाधिकारवादी गृहों को प्रक्षम मिलेगा ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न कैसे संगत है ?

**श्री प्रणव कुमार मुखर्जी :** प्रश्न लाइसेंस देने और आवेदन निपटाने के लिए प्रक्रिया से संबंधित है। कमी मुख्यत: उस समय से संबंधित है जो ये मामले निपटाने में लगता है। इसीलिये आसान प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि उचित समय में ही अधिकाधिक आवेदन निपटाए जा सकें और अनुचित विलम्ब न हो।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या आशय पत्र जारी करने के लिए नई प्रक्रिया अपनाने के बहाने 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प का स्पष्ट उल्लंघन नहीं किया जा रहा है और क्या अधिकांश आशयपत्र बड़े औद्योगिक-गृहों को बिना एकाधिकार निर्बन्धनात्मक व्यापार प्रक्रियाओं पर ध्यान दिए नहीं दिए जा रहे हैं ?

**श्री प्रणव कुमार मुखर्जी :** उक्त संकल्प का कोई उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

**Payment of Royalty to Gramophone Companies for Playing their Records in the Radio Programmes**

***386. Shri Atal Bihari Vajpayee:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of the Gramophone Companies to which All India Radio paid royalty for playing their records during the last three years and the amount thereof, separately;

(b) when was the scheme in regard to paying of royalty to them introduced; and

(c) the time by which the All India Radio would become self-reliant in this field?

**The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha):** (a) The requisite information is given in the Statement attached [*Placed in Library. See No. LT 5453/73.*]

(b) Scheme in regard to paying of royalty to Gramophone Companies was introduced in 1946, when an agreement was made with M/s. Phonographic Performances (Eastern) Private Limited, Calcutta;

(c) Since, like other broadcasting organisations of the world All India Radio has to depend always to certain extent upon such gramophone records of films and other kind of music which may be more attractive to the common people, the question of attaining self-reliance by All India Radio in this filed does not arise.

**Shri Atal Bihari Vajpayee:** In the reply it has been stated that more than Rs. 3 lakhs are paid annually to M/s. Phonographic Performances (P) Ltd., Calcutta under an agreement concluded with them in 1946, I want to know when it expires?

**Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri I. K. Gujral):** M/s. Phonographic Performances (P) Ltd., is a combine of six companies with whom agreement has been concluded and it is reviewed from time to time. Off hand I cannot tell but I think agreement will run for some more period of time, perhaps, two years or so.

**Shri Atal Bihari Vajpayee:** Does that business combine include any foreign Company and was the agreement of 1946 not as favourable as it should have been? So, will Government review it to make it more favourable?

**श्री इन्द्र कुमार गुजराल :** एकाधिकार आयोग ने इसकी भी जांच की है और अब भी कर रहा है। जहां तक मुझे ज्ञात है मैं 6 कंपनियां एक दुसरे से संबद्ध हैं और ये पृथक कंपनियाँ नही हैं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या ये विदेशी कंपनियां हैं?

**श्री इन्द्र कुमार गुजराल :** इनमें विदेशी हित तो हैं। इस प्रश्न पर न केवल किए जाने वाले करारों की दृष्टि से अपितु इनके कार्यकरण की दृष्टि से भी विचार किया जाता है। उन्हे याद रखना चाहिये कि इन कंपनियों के कुल कार्य की अपेक्षा आकाशवाणी उन्हे बहुत ही कम राशी दी जा रही है। इस प्रश्न पर भारत में संगत के विपणन की दृष्टि से ही नही, भारत से निर्यात किए जा रहे संगीत की दृष्टि से भी विचार करना होगा। करार करते समय कोई कंपनी यदि किसी ऐसी धारा को शामिल करने पर जोर देती है तो वह एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अधीन आ सकती है क्योंकि एक धारा के अनुसार यदि कंपनी से कोई करार करने वाला पक्ष किसी अन्य के साथ कोई कार्यक्रम नही दे सकता। इन समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने पहले ही कंपनी अधिनियम बोर्ड का इस ओर ध्यान दिलाया है कि इस पर एकाधिकार आदि की दृष्टि से विचार किया जाये। जहां तक वर्तमान करार का संबंध है, यह दो वष ीर चलेगा। इस मामले के सभी पहलुओं पर आकाशवाणी के हितों की दृष्टि से ही नही, पुरे देश के हितों की दृष्टि से बिचार करना होगा।

**Mr. Speaker:** What is the Hindi term for Gramophone?

**Shri Atal Bihari Vajpayee:** There is no need of Hindi term for Gramophone. Hindi is so comprehensive that it can assimilate English also.

**Shri Shankar Dayal Singh:** In a Gramophone record, there is participation of three persons viz. song-writer, music-director and play-back singer. They have given the maximum amount of Rs. 3 lakh 55 thousand and minimum Rs. 270 as royalty. Will they work out such a procedure by which the artists can get royalty direct instead of Gramophone Companies? Secondly, may I know the names of the greatest singers whose records have been played maximum times?

**Mr. Speaker:** The question is about the Gramophone Companies and the hon. Member has irrelevantly mentioned singers and artists.

**श्री आई० के० गुजराल** : जहां तक गीतकारों के कार्यकरण के अधिकारों का संबंध है ये ऐसे करार है जो उस करार के भाग होते है जिस पर ग्रामोफोन कम्पनी उनके साथ हस्ताक्षर करती है। सामान्यतया सर्वाधिकार ग्रामोफोन कम्पनी को दिये जाते हैं। कभी कभी गायकों और गीतकारों को रायल्टी का थोड़ा अंश मिल जाता है और कभी–कभी वे बिक्री की समूची रायल्टी को छोड़ देते हैं। इसलिये जिस करार पर हमने ग्रामोफोन कम्पनी के साथ हस्ताक्षर किये हैं उसमें ऐसी सब बातें शामिल हैं जो सर्वाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आती हैं।

**Shri Shankar Dayal Singh:** Records of Lata Mangeshkar are played maximum times but she does not get a paisa as royalty from the All India Radio. I have asked a question in this regard and the hon. Minister had replied in this way a few days ago.

**Shri I. K. Gujaral:** I had replied correctly. The agreement of Lata Mangeshkar has been signed with the Gramophone Company. I do not know about the details thereof as to whether she sings on the royalty basis or as per song. It is between her and the Company. The agreement which we sign with Lata Mongeshkar, we include all the copy rights in that agreement which are conducted with the singer, writer and Gramophone Company.

## स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र

+
*387. **श्री डी० एन० तिवारी :**

**श्री एस० सी० सामन्त :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1973 तक स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिये जाने के लिए कितने प्रार्थना पत्रों का राज्य–वार निपटारा किया गया ; और

(ख) क्या वर्ष 1972 में बड़ी संख्या में प्राप्त ऐसे प्रार्थना–पत्रों का अभी तक निपटारा नही किया गया है ?

**गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) :** (क) 31 जुलाई, 1973 तक आवेदन पत्रों की प्राप्ति तथा निपटान की स्थिति दर्शाता हुआ एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के लगभग 3000 आवेदनों को छोड़ कर जिनको श्री शाह नवाज खां की अध्यक्षता में एक विशेष समिति द्वारा विचार किया जाना है और गोवा तथा त्रिपुरा से कुछ सौ आवेदन–पत्र (150 गोवा से तथा 515 त्रिपुरा से) जहां संघ राज्य क्षत्र प्रशासन / राज्य सरकार से स्पष्टीकरण आना है, वास्तव में 31 मार्च, 1973 तक प्राप्त आवेदन–पत्रों की जांच की गई है।

14 अगस्त, 1973 तक लगभग 1,27,000 आवेदन–पत्रों की जांच की गई है और 50,924 मामलों में जो पात्र पाये गये थ पेंशन का अनुमोदन किया गया है। 19,350 आवेदन-पत्र अस्वीकृत किए गए हैं और 56,680 मामलों में आवेदकों / राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

विवरण

| राज्य | 31-7-73 तक प्राप्त संशोधित | प्रक्रिया की गई | स्वीकृत किए गए | अस्वीकृत किए गए | निपटाये गए | स्पष्टीकरण मांगा गया |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अंडमान व निकोबार | 10 | 10 | — | — | — | 10 |
| आंध्र प्रदेश | 8735 | 7506 | 2604 | 1362 | 3296 | 3540 |
| अरुणाचल प्रदेश | — | — | — | — | — | — |
| असम | 4745 | 3829 | 1159 | 362 | 1521, | 2308 |
| बिहार | 13504 | 10563 | 6896 | 1400 | 8296 | 2267 |
| चंडीगढ़ | 110 | 90 | 37 | 12 | 49 | 41 |
| दिल्ली | 2434 | 1933 | 1122 | 174 | 1296 | 637 |
| गोवा | 1046 | 676 | 183 | 275 | 458 | 218 |
| गुजरात | 4513 | 3980 | 1321 | 1068 | 2389 | 1591 |
| हरियाणा | 4068 | 2538 | 727 | 154 | 881 | 1657 |
| हिमाचल प्रदेश | 1547 | 1217 | 134 | 22 | 156 | 1061 |
| जम्मू व काश्मीर | 1164 | 936 | 104 | 73 | 177 | 759 |
| केरल | 5521 | 4026 | 791 | 1297 | 2088 | 1938 |
| मध्य प्रदेश | 5149 | 4440 | 1735 | 1555 | 3290 | 1150 |
| महाराष्ट्र | 13015 | 12739 | 7148 | 2126 | 9274 | 3465 |
| मणिपुर | 201 | 130 | 34 | 2 | 36 | 94 |
| मेघालय | 102 | 82 | 30 | 9 | 39 | 43 |
| मिज़ोरम | 2 | 2 | 2 | — | 2 | — |
| मैसूर | 7370 | 6379 | 2359 | 713 | 3072 | 3307 |
| नागालैण्ड | 2 | 2 | — | — | — | 2 |
| उड़ीसा | 5661 | 5116 | 1867 | 1359 | 3226 | 1890 |
| पांडिचेरी | 516 | 361 | 147 | 121 | 268 | 93 |
| पंजाब | 11895 | 6523 | 3241 | 163 | 3404 | 3119 |
| राजस्थान | 1478 | 1190 | 281 | 207 | 488 | 702 |
| तमिलनाडु | 10008 | 9255 | 2259 | 1085 | 3344 | 5911 |
| त्रिपुरा | 939 | 377 | 88 | 3 | 91 | 286 |
| उत्तर प्रदेश | 20320 | 19767 | 10169 | 2446 | 12615 | 7152 |
| पश्चिम बंगाल | 15314 | 12597 | 5091 | 812 | 5903 | 6694 |
| जोड़ | 139369 | 116264 | 49529 | 16800 | 66329 | 49935 |

**Shri D. N. Tiwary:** It is given in the statement that 1,49,369 petitions have been received. May I know whether these petitions were submitted by the States after processing them or they were sent direct? If they were submitted by the States after processing, how did it involve the question of seeking clarification? About 50 thousand petitions have been returned for clarification.

**Shri Uma Shankar Dikshit:** According to the rule, an applicant should send two copies of the petition—one to the State Government and the other to the Central Government. Some petitions were received direct from the applicants. All the State Governments did not scrutinise the petitions fully as they were instructed for doing so. The clarification from the States has only been sought to the petitions which either did not contain certificates or they were obviously contrary to the rule of six months' imprisonment or such other rules from which the fachial position was not clear. In some cases, clarification has been sought from the individuals where petitions have been received. direct from them. Mostly, the clarification has been sought by the State Governments.

**Shri D. N. Tiwary:** During the last Budget Session, the Minister of Home Affairs had stated that the petitions received till March 31, 1973 would be disposed of by the 15th of August, 1973. May I know whether it has been done or the period for disposal has been extended? By what time the petitions, received till March 31, 1973, will be disposed off?

A large number of persons were asked to send clarification direct and they have sent their clarification but that is lying some-where else instead of being attached to the proper documents and that is why their pension could not be sanctioned. Is it true?

The clarification was sought according to the previous rule. Recently the Minister of Home Affairs gave an assurance in Parliament that if there was no certificate with regard to six months' imprisonment and if the applicant had been transferred from one jail to another and if he had a certificate to that effect he would be treated entitled. Sometimes back a certificate of six months' imprisonment was asked but as some of them were transferred from one jail to another and they are not in a position to get certificate from there, so an assurance was given that if there was certificate to the effect of transfer from one jail to other, then the case would be considered for pension. After this recent declaration, clarification is not needed in several cases. May I know whether the cases of such applicants, from whom the clarification has already been sought will be disposed of without their clarification? If their cases are not disposed of by the 15th of August, by what time they will be disposed off?

**Shri Uma Shankar Dikshit:** We had stated that the petitions received by 31st of March, would be disposed off by the 15th of August. Except a few petitions from Tripura or INA, it has been done . . .

**Shri D. N. Tiwary:** 50 thousand petitions have been returned for clarification. It is not a disposal.

**Shri Uma Shankar Dikshit:** It is disposal. We shall not accept the petitions which will be against the rules. Certain petitions have been received and complaints have also been received and we have rejected them and it will not be in the public interest to tell here in Parliament the reasons for their rejections. We have to consider both the aspects that the eligible and entitled persons are not deprived of and thieves and dacoits should not get.

So far as the time is concerned, this period has been extenued by the 14th of August. All the petitions received till 14th of August, will be treated with retrospective effect i.e. from the 15th August of last year to the 15th August this year. They will be given pension in lump sum for this period and after that it will be given monthly. The petitions received after this date, will also be coonsidered,



3—23 L. S. S./73

as it has been decided, but pension will not be given for the period that has already passed. That will be given after 15th August and it is a different thing if any petition is left inadvertently. Petitions are coming even to-day. During these fifteen days i.e. from July 31 to August 14, more petitions, perhaps 25 or 26 than 4500 petitions have come. They were received at the rate of ten thousand. It is my submission that the hon. Member may think if it is proper that the petitions received late be disposed off first and those are pending since long are not disposed off.

**Shri D. N. Tiwary:** First clarification was sought because the certificate of both the jails was not there. That was there regarding transfer from one jail to other. It was said in the House that transfer certificate would also be considered. If it is considered, a few petitions will require clarifications out of those 45 thousand petitions returned for clarification.

**Shri Uma Shankar Dikshit:** We shall accept where there is no need. We shall not make any change in the accepted rules.

**श्री एस० सी० सामन्त** : मंत्री महोदय कहते हैं कि सभी आवेदन पत्रों की तुरंत जांच की जाती है। परन्तु हमें इस आशय की शिकायतें मिल रही है कि 1972 से उन आवेदन पत्रों को केन्द्र को मंजूरी हेतु भेजा गया है और आवेदकों को सूचना नहीं दी गई है और जो आवेदन स्मरण–पत्र पर स्मरण-पत्र भेज रहे हैं उन्हें उनकी प्राप्ति की सूचना नहीं दी जा रही है। क्या सभी राज्यों में राज्य सलाहकार समितियां स्थापित की गई है और क्या कुछ राज्यों में जिला समितियां भी स्थापित की गई हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार 1973 तक सभी आवेदन–पत्रों को निपटाना चाहती थी । परन्तु इतना अधिक काम रुक रहा है। अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन कार्यकर्ताओं जिन्हें राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में ताम्र–पत्र मिले हैं, यदि उन्हें जेल की सजा न मिली हो तो उनके मामलों पर विचार किया जायगा क्योंकि हम जब कार्यकर्ताओं के रुप में समूच देश का भ्रमण करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई आदमी, किसी कारण से छह महीने की जेल काट आया है वह पेंशन ले रहा है जब कि उन लोगों को जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिये सभी आन्दोलनों में भाग लिया, सम्मान नहीं दिया जा रहा है। हम स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने जा रहे हैं परन्तु हम पाते हैं कि...

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपना प्रश्न समाप्त करिए ताकि मंत्री महोदय आपके प्रश्न का उत्तर दे सके।

**श्री एस० सी० सामन्त** : ....कि उन लोगों से प्रमाण–पत्र देने का कहा जा रहा है और जिसके लिये उन्ह काफी भाग-दौड़ करनी पड़ती है। यदि सरकार के पास व अभिलेख नह है तो उन्हे इस स्थान से उस स्थान पर जाने के लिये क्यों कहा जाता है? क्या हम स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नही कर रहे हैं और उन्हें सम्मान देने के नाम पर, हम वास्तव में उन्हें इस इस अपमानजनक स्थिति में रख रहे हैं?

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सामन्त, उत्तर के लिये बहुत कम समय रह गया है ।

**श्री एस० सी० सामन्त** : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने आवेदन-पत्रों को शीघ्र निपटान के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

**श्री उमा शंकर दीक्षित** : माननीय सदस्य की चिंता वैद्य है। हमने कर्मचारियों की संख्या में पहले से चार गुना अधिक वृद्धि कर दी है । 30,000 आवेदन-पत्रों का अनुमान था परन्तु आवेदन पत्र प्रति मास 10,000 के हिसाब से आ रहे हैं हमने कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर दी है और काम में जल्दी कर दी है। मैं इस सभा को आश्वासन देता हूं कि शेष आवदन-पत्रों को भी शीघ्र ही निपटा दिया जायेगा।

जहां तक उन स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध है जिन्हें काफी तकलीफ हुई है या जो आत्म-सम्मान की भावना के कारण हमें पत्र नहीं लिखना चाहते हैं.....यदि प्रसिद्ध मामले हों तो वह अलग बात है.... परन्तु उन सभी मामलों में हमें स्वयं को आश्वस्त करने के लिये कुछ साक्ष्य की आवश्यकता होती कि मामला ठीक है और पेंशन का अधिकारी है। परन्तु यदि माननीय सदस्य की जानकारी में कोई ऐसा मामला है जिसमें स्वतंत्रता सेनानी को भाग-दौड़ करनी पड़ती है तो जहां तक दिल्ली का संबंध है, मैं तुरंत कार्यवाही करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि ऐसी बात भविष्य में न हो।

कुछ माननीय सदस्य **खड़े हुए।**

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया शांति रखिए। प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

**श्री दीनेन भटटाचार्य** : यदि कोई विरोधी दल का सदस्य किसी स्वतंत्रता सनानी को प्रमाणित करता है तो उसे नहीं ...(**व्यवधान**)

**श्री उमा शंकर दीक्षित** : वह बात ठीक नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं बहुत चाहता हूं कि हमें काफी समय मिले परंतु बारह से दो मिनट ऊपर हो गए है ...(**व्यवधान**)

यदि आप आधे घंटे की चर्चा करना चाहते हैं तो मैं उसकी अनुमति दे दूंगा।

**Shri Shyamnandan Mishra:** I have been waiting for putting a supplementary and I did not get a chance last time when this question was raised, we are freedom fighters and we have some sentiments in this regard, we want to ask questions. You ask us to put supplementary in a minute whereas the hon. Minister takes four minutes.

**Mr. Speaker:** I am in a fix as to whether how supplementaries can be put up while it is two minutes past twelve?

**प्रो० मधु दण्डवते** : क्या मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकता हूं।

**Shri Ramawatar Shastri:** They have not granted pensions even to the Tamra Patra holders ... (*Interruptions*).

**Mr. Speaker:** Please tell me how it is possible to ask question when the Question Hour is over?

**Shri Phool Chand Verma:** The hon. Minister gives a long reply that we cannot have opportunity to ask supplementary.

**Shri Shyamnandan Mishra:** Restriction is imposed on our supplementary but there should be restriction on the hon. Minister's reply too.

**Mr. Speaker:** Mr. Mishra, I have to say nothing to you. Your grudge is reasonable. Why do you put me into trouble?

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

# WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

**अखबारी कागज की सप्लाई में कटौती के परिणामस्वरूप पृष्ठों की संख्या कम करने वाले समाचार-पत्रों के मूल्य कम करने का प्रस्ताव**

*382. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज की सप्लाई में 30 प्रतिशत की कटौती के परिणामस्वरूप कुछ प्रसिद्ध समाचारपत्रों ने अपने पृष्ठों की संख्या कम कर दी है ;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे समाचारपत्रों के मूल्यों में आनुपातिक कटौती करने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ग) इस समय एक समाचार पत्र में समाचार तथा विज्ञापन का अनुपात कितना रखने की अनुमति दी जाती है और क्या अखबारी कागज की सप्लाई में की गई कटौती को देखते हुए सरकार ने मामले के इस पहलू पर विचार किया है और क्या इस अनुपात में परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) :** (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) समाचारपत्रों को विज्ञापनों के लिए दिया जाने वाला स्थान निर्धारित करने की स्वतन्त्रता है । फिलहाल समाचारपत्रों में विज्ञापनों को दिए जाने वाले स्थान का सीमांकन करना कानूनी तौर से सम्भव नहीं है ।

**वर्ष 1946 में पूरी हुई डाक जीवन बीमा पालिसियों का भुगतान न किया जाना**

*385. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसी डाक जीवन बीमा पालिसियां हैं जिनकी बीमा अवधि वर्ष 1946 में समाप्त हो गई थी और पालिसीधारियों को अभी तक उनका भुगतान नहीं किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे पालिसीधारियों की संख्या कितनी है और प्रत्येक मामले में कितनी राशी का बीमा कराया गया था और प्रत्येक मामले में "कम्युटेड वैल्यू" तथा "सरेन्डर्ड वैल्यू" का भुगतान किये जाने के क्या कारण हैं ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) :** (क) जी हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है । **(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5454/73)**

**योजना मंत्रालय और उसके अधिनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्त पड़े स्थान**

*388. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में उनके मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवार भर्ती किए गए ;

(ख) वर्ष 1972 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने स्थान नहीं भरे गये और उन्हें अगले वर्ष में भरने के लिए रिक्त रखा गया और इसके क्या कारण थे; और

(ग) इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :**

| | | |
|---|---|---|
| (क) | अनुसूचित जातियां . . . . . . | 16 |
| | अनुसूचित जन-जातियां . . . . . . | 4 |
| (ख) | अनुसूचित जातियां . . . . . . | 10 |
| | अनुसूचित जन-जातियां . . . . . . | 11 |

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित ये पद 1972 में भरे न जा सके। इसका कारण रोजगार कार्यालय/कार्मिक विभाग से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना या पदों को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने को अंतिम रूप नहीं दिया जाना हो सकता है।

(ग) रोजगार कार्यालय को फिर दुबारा कहा जायेगा कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों को भेजें। यदि वह फिर दुबारा उम्मीदवारों को भेजने में असफल रहा हो तो रोजगार तथा प्रशिक्षण के महानिदेशक से कहा जाएगा कि वह पदों का विज्ञापन करें और हम मान्यताप्राप्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के संघों से भी कह सकते हैं कि वे उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम भेजें। राजपत्रित पदों का जहां तक सम्बन्ध है, संघ लोक सेवा आयोग से कहा जायेगा कि यदि वह इस प्रकार के उम्मीदारों की सिफारिश करने में असमर्थ है तो वह अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित पदों को पुनः विज्ञापित करें।

सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाने के लिए रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक ने हाल ही में एक विशेष स्कीम शुरू की है जिसके अन्तर्गत इन जातियों से सम्बन्धित लगभग 1,000 लोगों को 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसके दौरान उन्हें वजीफा भी दिया जायगा। आशा है कि ये उम्मीदवार भरती अभिकरणों द्वारा निर्धारित निम्नतम मानदण्डों की पर्याप्त पूर्ति करेंगे।

## लाइसेन्सों के लिए आवेदन-पत्रों का निपटान करने के लिये समय सीमा

***389. चौधरी राम प्रकाश :**

**श्री बरके जार्ज :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाईन्सेसों के लिये दिये गये आवेदन पत्रों का निपटान करने हेतु सरकार द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का सारांश क्या है और निर्धारित समय सीमा क्या है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) और (ख) सरकार इस समय औद्योगिक लाइसेन्सिंग प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के लिय कुछ प्रस्तावों की जांच कर रही है जिससे

(1) प्रत्येक मामले में लाइसेंसिंग के लिये विदेशी सहयोग अथवा पूंजीगत वस्तुओं के लिये 90 दिन के भीतर स्वीकृति प्रदान करना सम्भव हो सके;

(2) सम्मिलित स्वीकृति 120 दिनों में प्रदान की जा सके ;

(3) एम० आर० टी० पी० के मामले, जो एकाधिकार आयोग को नहीं भेजे जाते ; 150 दिनों के भीतर निपटाये जा सकें ।

**"इण्डियाज साइंस पोटेन्शियल अंडर यूटिलाइज" (भारत की वैज्ञानिक संभाव्यता का अल्प-उपयोग) शीर्षक के अन्तर्गत समाचार**

*390. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

**श्री बी० आर० शुक्ल :**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, विज्ञान नीति अध्ययन संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणी, जो 24 जुलाई 1973 के इण्डियन एक्सप्रेस में "इंण्डियाज़ साइन्स पोटेंशियल अण्डर यूटिलाइज" (भारत को वज्ञानिक सम्भाव्यता का अल्प-उपयोग) शीर्षक से प्रकाशित हुई है, की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) सरकार ने समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना देखी है ।

(ख) उनको नोट कर लिया गया है । इन टिप्पणियों को बताने से पूर्व ही इस प्रश्न पर अध्ययन किया जा रहा था और उपलब्ध शक्तियों को पूर्ण उपयोग करने संबंधी कार्यक्रमों को पंचवीं योजना में एक खण्ड के रूप में विचार किया जा रहा है ।

**दिल्ली में गलत टेलीफोन बिलों के बारे में शिकायतें**

*391. **श्री रामकंवर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टेलीफोन के गलत बिलों के बारे में टेलीफोन प्रयोक्ताओं से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो टलीफोन प्रयोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए अगर कोई कार्यवाही करने का विचार है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :** (क) जी हां । कुछ टेलीफोन उपभोक्ताओं से शिकायतें आई हैं ।

(ख) इन मामलों में एक बड़ी संख्या में ऐसे मामले थे जिनमें टेलीफोन उपभोक्ताओं ने जो एस० टी० डी० कालें की थीं, उन का गलत मूल्यांकन करने के कारण यह महसूस किया गया था कि बिलों में चार्ज बहुत ज्यादा किया गया था । कुछ मामलों में यह पाया गया कि उपस्कार के सर्किट में दोष आने के कारण मीटर पर ज्यादा कालें आई थीं ।

जांच के बाद जिन मामलों में यह पाया जाता है कि उपभोक्ता ने जो शिकायत की है, वह जायज है, उनमें चार्जों में छूट मंजूर करने की प्रक्रिया पहले से ही वर्तमान हैं । सरकार ने दिल्ली टलीफोन जिले की बिलिंग प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त विषय की जांच करने के लिए एक समिति का गठन भी किया है । आशा है कि यह समिति अपनी सिफारिशें जल्द ही पेश कर देगी । समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी ।

## औद्योगिक विकास तथा परमाणु ऊर्जा की प्रगति में अन्तर

*392. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास और परमाणु ऊर्जा में प्रगति के बीच विद्यमान अन्तर से हाल के वर्षों में गम्भीर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) और (ख) परमाणु विद्युत के विकास के सम्बन्ध में हमारी मूलभूत नीति यह रही है कि परमाणु बिजलीघरों के निर्माण में भारतीय सामग्री के अंश को बढ़ाया जाये। इसके लिये हमें परिष्कृत किस्म के उपकरणों के निर्माण में देशी उद्योगों पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में, भारतीय निर्माताओं, सार्वजनिक तथा प्राइवेट क्षेत्रों से प्राप्त उत्तर बड़ा उत्साहवर्धक रहा है तथा न्यूक्लीय संघटकों को बनाने के काम में व काफी संख्या में आगे आ रहे हैं। जटिल किस्म का काम होने तथा वास्तविक तौर पर निर्माण करने के दौरान सामने आने वाली तकनीकी समस्याओं के कारण, कुल मिला कर वे डिलीवरी की तारीख तक सामान नहीं दे पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परियोजनाओं को पूरा होने में विलम्ब हो जाता है। इन कठिनाइयों को दूर कर उनकी क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से यह विभाग उन्हें आवश्यक तकनीकी जानकारी तथा उत्पादन के सभी चरणों में अपने तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करता है। अनुभव तथा क्षमता में वृद्धि होने से विश्वास के साथ यह आशा की जाती है कि भारतीय निर्माता उपकरणों की जटिलता, विनिर्देशों की कठोरता तथा सौंपे गए कार्य को समय पर समाप्त करने की मांग को शीघ्र ही पूरा कर सकेंगे।

## प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने हेतु राज्यों में पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

*393. **श्री बक्शी नायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया था कि उच्च पदों के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिये तैयार करने हेतु पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाये ; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व किस हद तक बढ़ जायगा ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) पिछड़े वर्ग योजना के मध्य क्षत्र में "परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण" योजना को सम्मिलित करने का मुख्य ध्येय विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ना है जिसमें उनके लिए पदों को सुरक्षित किया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरा जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य संवर्गी सेवाओं में इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित कोटा वर्ष 1964 से आगे पूरा भरा जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के स्थापित करने के परिणामस्वरूप विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों का सम्भवतः किस सीमा तक प्रतिनिधित्व बढ़ा है उसकी संख्या बताना सम्भव नहीं है।

**चलचित्रों के संयुक्त रूप से उत्पादन और टेलीविजन कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के लिए भारत और रूस के बीच करार**

*394. **श्री वी० मायावन :**

**श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्र और टेलीविजन सम्बधी संयुक्त उद्यमों के लिए भारत और रूस के बीच कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक लागू किया जायेगा ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) :** (क) से (ग) सरकार ने फिल्मों के संयुक्त निर्माण हेतु रूस से कोई करार नहीं किया है। तथापि, रूस के साथ सांस्कृतिक करार के भाग के रूप में, टेलीविजन और रेडियो ब्राडकास्टिंग के क्षेत्र में आकाशवाणी और रूस के बीच सहयोग के लिए एक संलेख का मसौदा विचाराधीन है। उम्मीद है उसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

**औद्योगिक क्षेत्र में पहले पुरी न हुई परियोजनाओं को पांचवीं योजना में शामिल करना**

*395. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन् :**

**श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं योजना में औद्योगिक क्षेत्र में पहले पूरी न हुई परियोजनाओं के लिए अपेक्षित परिव्यय का ब्यौरा तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बहुतसी परियोजनाओं का पहले पूरा न होने का कारण यह है कि चौथी योजना में सम्मिलित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं की क्रियान्वित की गति धीमी रही ;

(ग) क्या योजना आयो ने केवल उन्हीं पहले पूरी न हुई परियोजनाओं को विचारार्थ शामिल किया है जिनके बारे में ठोस निर्णय है लिया गया था; और

(घ) क्या आयोग ने योजना में शामिल की जाने वाली नई परियोजनाओं की लम्बी सूची बना ली है यदि हां, तो वे परियोजनाओं कौन-कौन सी हैं ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कार्यान्विति की गति धीमी रहने के अलावा, परिव्ययों की वृद्धि तथा चौथी योजना में कतिपय नई परियोजनाओं का शामिल किया जाना जैसे अन्य कारण हैं जिन्होंने काफी मात्रा मे परियोजनायें पांचवी योजना में शामिल करने में योगदान किया है।

अगली योजना में, शामिल की जाने वाली परियोजनाओं जैसे जिन पर निर्माण कार्य चल रहा है या जिनके कार्यान्वयन के बारे में ठोस निर्णय लिए जा चुके हैं उन्हें पांचवा योजना में शामिल किए जाने पर अनिवार्यत: प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

आयोग विभिन्न मन्त्रालयों तथा राज्यों के साथ उनके पांचवीं योजना के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श कर रहा है। विचार-विमर्श पूरा होने तथा अन्तःक्षेत्रीय प्राथमिकताओं के बारे मे निर्णय लिए जाने के बाद, पांचवीं योजना मे शामिल की जाने वाली परियोजनाओं की सूची तैयार की जायेगी।

**सेकेंडरी स्कूल की भूमि से सम्बन्धित विवाद के सिलसिले में वाराणसी जिले (उ० प्र०) के रामपूर गांव में गोलीबारी**

*396. **श्री पीलू मोदी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी जिले के रामपुर गांव में 20 दिसम्बर, 1971 को सैकेण्डरी स्कूल की भूमि से संबंधित विवाद के परिणामस्वरूप गोलीबारी की कोई घटना हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो जिन लोगों ने गोलीबारी आरम्भ की उनके विरुद्ध मुकद्दमा क्यों नहीं दर्ज किया गया है ?

**गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) :** (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) इस घटना के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/307/324/504/506 के अधीन 28 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज किया गया तथा 26 अगस्त 1972 को न्यायालय में एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

**Correspondence in Hindi between Centre and States**

*397. **Shri Chiranjib Jha:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have any time-bound programme to start correspondence in Hindi language with all the States in the Country; and

(b) if so, when?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha):** (a) and (b) Instructions to use Hindi in correspondence with the Hindi speaking States of Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh and the States of Gujarat, Maharashtra and Punjab which have adopted Hindi for purposes of communication with the Central Government already exist. In regard to non-Hindi-speaking States or those who have not agreed to adopt Hindi for correspondence between State and Centre, the Engllish language shall be used for purposes of communication between the Union and a State under the first proviso to Section 3(1) of the Official Languages Act, 1963, as amended.

**बड़े नगरों के लिए टेलीफोन निगम**

*398. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :**

**श्री भोला मांझी :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े नगरों में टेलीफोन नियम स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह मामला इस समय किस चरण पर है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)** : (क) बड़े शहरों में टेलीफोन जिलों के संगठनात्मक ढांचे में संशोधन करने के लिए कई सुझावों की इस समय जांच की जा रही है ।

(ख) और (ग) समूचे मामले की प्रारम्भिक स्तर पर जांच हो रही है । अतः इस समय इस प्रस्ताव की विस्तृत रूप रेखा बताना संभव नहीं है ।

**केरल में एक संयंत्र की स्थापना करने के लिये थापर ग्रुप को लाइसेन्स दिया जाना**

*399. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में एक संयंत्र की स्थापना करने के लिये थापर ग्रुप को लाइसेन्स दिये जाने पर केरल में विवाद की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार को केरल के एक मंत्री के इस आशय के वक्तव्य की भी जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार ने ही इस बात पर जोर दिया था कि संयंत्र को गैर-सरकारी क्षेत्र में थापर बन्धुओं द्वारा स्थापित किया जाये न कि सरकारी क्षेत्र में; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्)** :(क) से (ग) समझा यह जाता है कि केरल में एक टिटेनियम उद्योग समूह की स्थापना हेतु मैसर्स बल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा-बोर्ड मिल्स लि० को दिये गये आशयपत्र का उल्लेख किया गया है । इस पार्टी को 1966 में केवल एक आशय पत्र दिया गया था, जिसे अभी तक औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित नहीं किया गया है । आशय-पत्र की अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई थी तथा पिछली बार यह अवधि वर्ष 1971 में बढ़ाई गई थी जिसकी वैधता तिथि 31 दिसम्बर, 1971 तक थी । चूंकि केरल सरकार इस प्रश्न की जांच कर रही है कि क्या वे आवश्यक कच्ची सामग्री उपलब्ध कराने में समर्थ हो सकेंगे पार्टी की और आगे समय बढ़ाने की प्रार्थना अभी स्वीकार नहीं की गई है तथा केरल सरकार की अंतिम राय की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है ।

समाचार पत्रों में कुछ इस प्रकार के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि केरल विधान सभा में इस मामले पर चर्चा हुई थी, किन्तु इस सरकार को इस बात का पता नहीं है कि केरल के किसी मंत्री ने इस प्रकार का कोई वक्तव्य दिया है कि केन्द्र सरकार इस संयंत्र को सरकारी क्षेत्र में स्थापित न करके गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने में रूचि रखती है । विद्यमान एकक, मैसर्स ट्रावनकोर टिटेनियम प्रोडक्टस लिमिटेड को क्षमता का विस्तार करने हेतु एक आशय पत्र जारी किया जा चुका है ।

**बेलगाम के मराठी भाषी छात्रों पर कन्नड़ भाषा थोपना**

*400. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने हाल ही में बेलगाम और पड़ौसी क्षेत्र के मराठी भाषी छात्रों पर कन्नड़ भाषा थोपने का प्रयास किया है;

(ख) क्या इससे उस क्षेत्र में मराठी भाषी लोगों में काफी अशान्ति फैल गई है; और

(ग) इस मामले में केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** :(क) से (ग) मैसूर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने प्राथमिक तथा सेकण्डरी स्कूलों में शिक्षा के सम्बन्ध में त्रिभाषा फारमूला स्वीकार किया है । विद्यार्थियों को अपनी मातृ भाषा मराठी तथा अंग्रेजी समेत दूसरी भारतीय भाषा के अध्ययन के लिए छूट है । अक्तूबर, 1970 में दिए गये आदेश के अन्तर्गत 3 से 7 वी

कक्षा तक उन विद्यार्थियों के लिए जो कन्नड़ का अध्ययन नहीं करते कन्नड़ को एक अतिरिक्त अनिवार्य विषयक के रूप में पढ़ाने के लिए व्यवस्था की है किन्तु ऐसे विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए एक विषय के रूप में उसे लेने की आवश्यकता नहीं है । गत दो शैक्षणिक वर्षों से बेलगांव जिले के स्कूलों समेत राज्य के विभिन्न स्कूलों में यह आदेश लागू है ।

मैसूर सरकार ने स्पष्टीकरण किया है कि कन्नड़ का अध्ययन अन्यथा न करने वाले विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त अनिवार्य भाषा के रूप में कन्नड़ पढ़ाने के लिए राज्य में प्रयोग होने वाली मुख्य भाषा को सीखने के लिए केवल ऐसे विद्यार्थियों को समर्थ बनाने और मराठी भाषी विद्यार्थियों के लिए कोई कठिनाई न हो इसलिए व्यवस्था की गई है ।

मैसूर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जुलाई, 1973 के अन्तिम सप्ताह में बेलगांव जिले में आन्दोलन शुरू किया गया था । स्थानीय प्राधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण में लाने तथा क्षेत्र में सामन्यता लाने के लिये शीघ्र कार्यवाही की थी ।

### Black Marketing of Paper by Paper Mill Distributors

3772. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether the Delhi Paper Dealers Association has alleged the blackmarketing of paper by the paper mill distributors as reported in the Hindustan dated the 17th July, 1973;

(b) whether the said Association has made a complaint to the Delhi Administration in this regard; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee):** (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The Delhi Paper Traders' Union who were requested by the Delhi Administration to furnish relevant data in support of the complaint made, have not yet furnished the requisite information.

### मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार

3773. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में शिक्षित बेरोजगारों को रोज़गार प्रदान करने के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की लागत का ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) जी, हां ।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि 'पांच लाख रोज़गार कार्यक्रम' के अन्तर्गत 5.30 करोड़ रुपये की अधिकतम राशि के अन्तर्गत चालू वर्ष में लगभग 30,000 शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार स्कीमें तैयार करें। अब तक राज्य सरकार से 1.82 करोड़ रुपये के परिव्यय के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। उन्हें पहले ही स्वीकार किया जा चुका है और औपचारिक स्वीकृति जारी की जा रही है। बाकी प्रस्ताव जैसे ही प्राप्त होंगे उन्हें स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

इसके अलावा, 1971-72 में शिक्षित बेरोज़गारों के लिए आरम्भ किए गए कार्यक्रमों तथा 1972-73 में आरम्भ किए गए विशेष बेरोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य सरकारें अनेक रोज़गार स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। इनके लिए 1973-74 के दौरान राज्य सरकार ने अस्थायी रूप से 5.73 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया है।

### Co-operation between India and Burma in the field of Science and Technology

**3774. Shri Chandulal Chandarkar:** Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether a Burmese delegation have visited India to discuss the possibilities of co-operation in the field of Science and Technology; and

(b) if so, topics discussed and the decisions arrived at?

**The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam):** (a) A 15-member delegation of scientists visited India during the period 18th July to 4th August which was led by Dr. Nyi Nyi, Deputy Minister, Ministry of Education of the Government of Burma.

(b) During the stay the delegation visited centres of research in various parts of the country and held discussions with Department of Science and Technology, Council of Scientific and Industrial Research and other research councils and organisations. As a result of the visit certain areas of cooperations have been identified mostly in the field of industrial research. A formal request is now awaited from the Burmese side.

### मध्य प्रदेश में घर बनाने के लिए हरिजनों को स्थानों का आबंटन

**3775. श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के लिए हरिजनों तथा आदिवासियों को स्थान आबंटित करने के कार्य की प्रगति बहुत धीमी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसके प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जायगी।

### अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा

**3776. श्री एस० एम० सिद्दय्या :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा सम्बन्धी मामलों की अनुसूचित जाति और अनसूचित जनजाति आयुक्त द्वारा सीधे सुनवाई करने तथा उनकी जांच करने के संवैधानिक अधिकार को सरकार द्वारा मान्यता दिये जाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा अनुसूचित

जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति को इस बारे में आश्वासन दिये जाने के पश्चात् एक जुलाई 1971 को हुई उच्च शक्ति प्राप्त समिति की तीसरी बैठक में विचार विमर्श किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस में क्या निर्णय किया गया ;

(ग) क्या यह मामला सचिवों की समिति के पास भी भेजा गया था और यदि हां, तो उनकी क्या सिफारिशें हैं ; और

(घ) क्या उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने इस बारे में अंतिम निर्णय कर लिया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) जी, हां, श्रीमन् ।

(ख) अभी इस मामले में निर्णय लिया जाना है ।

(ग) जी हां, श्रीमन् । भाग (ख) को ध्यान में रखते हुये सचिवों की समिति की सिफारिशों को इस अवस्था में बताना अपक्व होगा ।

(घ) जी नही, श्रीमन् ।

### World Bank Loan for Development of Communications

**3777. Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether India is likely to get a loan of 80 million dollars from the World Bank for the development of communications during the Fifth Five Year Plan; and

(b) if so, the manner in which India proposes to develop her communications system?

**The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna):** (a) Yes, Sir. This is, however, a development Credit from the International Development Agency and meant to cover the foreign costs of development programmes in the first two years of the 5th plan period (1974-76).

(b) The draft 5th Five-Year Plan for telecommunications at an outlay of about Rs. 1200 crores is still under consideration of the Planning Commission. Broadly the plan proposes giving about 7.8 lakhs of new telephone connections, improvement of the trunk network, opening of new PCOs and Combined Offices, expansion of telex exchanges and improvement of telegraph service.

### चावल न मिलने के कारण नागरकोइल (तमिलनाडु) में एक महिला द्वारा आत्म-हत्या

**3778. श्री आर० एन० बर्मन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 जुलाई, 1973 को नागरकोइल में एक महिला ने इसलिये आत्महत्या कर ली क्यों कि उसे अपने बच्चों को खिलाने के लिये चावल नहीं मिले ;

(ख) उस महिला का नाम क्या है और उसके परिवार के सदस्य कितने हैं ;

(ग) पुलिस की जांच के क्या परिणाम है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) से (घ) तमिलनाडू सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और इसके प्राप्त होने पर लोक सभा के पटल पर रख दिया जायगा ।

**Trunk Calls made from the Telephones installed at the Residence of P.M.**

**3779. Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of Trunk Calls made from the Telephones installed at the official residence of the Prime Minister during the last one year; and

(b) the total expenditure incurred thereon?

**The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna):** (a) 165 official trunk calls were made from the two telephones at the Prime Minister's residence during the period 1st August, 1972 to 31st July, 1973.

(b) The total expenditure incurred on the trunk calls in question was Rs. 8,825.75.

**संगीत तथा नाटक प्रभाग का आर्मी एन्टरटेनमेंट विंग**

3780. **श्री वाई० ईश्वर रेडडी : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे की

(क) क्या संगीत तथा नाटक प्रभाग के आर्मी एन्टरटेनमेंट विंग को समाप्त किया जा रहा है; और विसर्जित किया जा रहा है;

(ख) क्या इसके विरुद्ध आर्टिस्टों ने अभ्यावेदन दिया है;

(ग) क्या इस बात की जांच कर ली गई है कि इस निर्णय से एन्टरटेनमेंट विंग की कुशलता और गुणो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो आर्टिस्टो को राहत देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) गीत और नाटक प्रभाग के सशस्त्र सैनिक मनोरंजन स्कन्ध में 9 मण्डलियां हैं; तीन-तीन मण्डलियों के मुख्यालय जालन्धर, बरेली तथा सिलीगुड़ी में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं।

(ख) जी, हां।]

(ग) मण्डलिया को बाहर भेजने का निर्णय सशस्त्र सैनिक मनोरंजन स्कन्ध की दक्षता के हित में तथा मण्डलियों, जिनको दिल्ली से देश के विशाल क्षेत्रों को कवर करना पड़ता था, की सक्रियात्मक सुविधा में वृद्धि करने के लिए किया गया है।]

(घ) वे सभी सुविधायें, जो सरकारी कर्मचारियों को मुख्यालय स्थानान्तरण होने पर उपलब्ध हैं, इन मण्डलियों के स्टाफ आर्टिस्टों को भी दी गई है। इनमें दो महीने का अग्रिम वेतन, जिसको 24 किस्तों में वापिस किया जाना होता है, देना भी शामिल है। इन केन्द्रों में से जसें किसी भी केन्द्र में तैनाती

के लिए उन्होंने आवेदन किया उसको जहां तक सम्भव हो सका, स्वीकार कर लिया गया। स्टाफ आर्टिस्टों को नये केन्द्रों पर निवास स्थान ढूंढ़ने तथा उनके बच्चों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश दिलाने में सभी सम्भव सहायता देने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों को पत्र भेज दिये गये हैं।

**थुम्बा स्थित विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र में अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिए सुविधाएं बढ़ाना**

3781. **श्री वयालार रवि** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिये अपेक्षित भिन्न-भिन्न वस्तुओं का उत्पादन आरम्भ करने के लिये थुम्बा स्थित विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र में सुविधाएं बढ़ाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या-क्या अतिरिक्त सुविधाएं उत्पन्न की जानी हैं और उन पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र के विभिन्न एककों में सुविधाएं बढ़ाने के कार्य में की गई प्रगति का ब्यौरा अन्तरिक्ष विभाग के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन में दिया गया है, जिसकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र में, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में उत्पन्न की जाने वाली अतिरिक्त सुविधाओं और उन पर आने वाले अनुमानित व्यय के सम्बन्ध में अभी विचार किया जा रहा है।

**भारतीय इलैक्ट्रानिकी निगम द्वारा आरम्भ किये जाने वाले कार्य**

3782. **श्री वयालार रवि** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इलैक्ट्रानिकी निगम द्वारा आगामी वर्षों में आरम्भ किये जाने वाले कार्यों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ;

(ख) क्या निगम का विचार केरल में कोई यूनिट आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हैदराबाद स्थित अपने पंजीकृत मुख्य कार्यालय के साथ अप्रैल, 1967 में हुई थी जिसका मुख्य उद्देश्य इलेनिक उपकरणों तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में विकसित संघटकों का उत्पादन करना है। इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन के उत्पादन सम्बन्धी कार्यों में अब जटिल किस्म के निम्नलिखित उपकरणों एवं प्रणालियों का निर्माण भी शामिल है :—

(i) आंगुलिकीय एवं एनलाग कम्प्यूटर

(ii) न्यूक्लीय उपकरण

(iii) डीजल इंजन के लिए उत्तेजन नियन्त्रण प्रणालियां

(iv) रक्षा सेनाओं द्वारा प्रयोग किये जाने वाले उपकरण एवं उप-प्रणालियां

(v) उपग्रह संचार के लिए एंटेना प्रणालियां

(vi) सिनक्रोस एवं सर्वो मोटर

(vii) सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए इलक्ट्रानिक संघटक

(viii) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के पहले यूनिट के लिये आवश्यक नियन्त्रण-उपकरण एवं इंधन व्यवस्था नियंत्रण

(ix) टेलीविजन सेट

कम्पनी ने वर्ष 1971-76 के लिए एक पंचवर्षीय प्रसार कार्यक्रम तैयार किया है जिसके अनुसार वर्ष 1975-76 के अन्त तक कुल 1,151 लाख रुपये पूंजीगत व्यय होने का अनुमान है। इसके कर्मचारियों की संख्या लगभग 5,200 होगी तथा बिक्री लक्ष्य 2,100 लाख रुपये होने की सम्भावना है। नये प्रभागों अर्थात् टेलीविजन प्रभाग, कम्प्यूटर प्रभाग एवं विशिष्ट-उत्पाद-प्रभाग आदि की स्थापना के अलावा, इस प्रसार-कार्यक्रम में कम्पनी के मौजूदा उत्पादन सम्बन्धी प्रभागों का विस्तार करना भी शामिल है।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं। तथापि, टेलीविजन सेटों के निर्माण से सम्बन्धित जानकारी का अंतरण करने के लिए केरल राज्य के इलैक्ट्रानिक विकास निगम के साथ बातचीत चल रही है। ये सैट इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा अपने नाम से मार्केट में बेचे जायेंगे।

**इंडियन रेअर अर्थ्स के अलवाई संयंत्र में रेअर अर्थ्स क्लोराइड का उत्पादन**

3783. **श्री वयालार रवि :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1971–72 तथा 1972–73 के दौरान 'इंडियन रेअर अर्थ्स' के अलवई संयंत्र में रेअर अर्थ्स क्लोराइड का उत्पादन लक्ष्य कितना था और वास्तव में कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) क्या वास्तविक उत्पादन, उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ है और यदि हां तो इसके क्या कारण है और पूरा उत्पादन प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

**प्रधान मंत्री परमाण ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):** (क) से (ग) वर्ष 1971–72 तथा 1972–73 के दौरान इंडियन रेअर अर्थ्स के आल्वे संयंत्र में रयर अर्थ्स क्लोराइड का उत्पादन लक्ष्य उत्पादन तथा उस में हुई गिरावट नीच तालिका में दर्शाई गई है :–

| 1971–72 | | | 1972–73 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| उत्पादन लक्ष्य | वास्तविक उत्पादन | कमी | उत्पादन लक्ष्य | वास्तविक उत्पादन | कमी |
| 4854 | 4463 | 391 | 4709 | 4388 | 321 |

इंडियन रेयर अर्थ्स द्वारा कास्टिक सोडा नियमित सप्लायरों के अलावा अन्य साधनों से तथा अपेक्षाकृत अधिक कीमत पर खरीदने के बावजूद देश भर में कास्टिक सोडे की कमी रही है, जिससे इसके उप्पादन में गिरावट आई। उत्पादन संबंधी जिन समस्याओं के कारण उक्त सामग्रियों के नियमित सप्लायर, मैसर्स ट्रावनकोर कोचीन कैमिकल्स लिमिटेड उनकी पत्ति नहीं कर सके, उन पर इस वर्ष नियन्त्रण पा लिया गया है तथा इंडियन रेयर अर्थ्स की कास्टिक सोडा सम्बन्धी आवश्यकताओं की कमी बने रहने की सम्भावना नहीं है।

### Arrest of Pakistani Citizens at Patna Aerodrome

**3784. Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether 12 Pakistani citizens, including women and children, were arrested at Patna Aerodrome on 27th July;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the action taken by Government against them?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin):** (a) to (c) On 25th July, 1973, eleven non-Bengalis from Bangladesh were arrested at the Patna aerodrome. They were alleged to be attempting to go to Pakistan via Nepal. A case has been instituted against them under the Foreigners Act, 1946.

### दिल्ली में पुलिस नियुक्तियां

**3785. श्री विभूति मिश्र :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के महा-निरीक्षक ने दिल्ली पुलिस में महत्वपूर्ण पदों पर अपने व्यक्ति नियुक्त किए हैं जो बिलकुल नए और अनुभवहीन ह जिससे राजधानी में विधि और व्यवस्था काफी खराब हो गई है और कानून का पालन करने वाल नागरिक निर्बाध रुपसे घूमना-फिरना असुरक्षित अनुभव करते हैं और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारियों में इस कारण बहुत असंतोष है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में विधि और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार काफी अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसीन) :** (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) अधिकारियों के अनुभव तथा सेवा का लेखा और पद की आवश्यकताओं पर विचार करने के पश्चात् दिल्ली पुलिस में उनका स्थानान्तरण किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

### औद्योगिक परोक्षण तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं का विस्तार और पुनर्गठन

**3786. श्री वरके जार्ज :** क्या **विज्ञान और औद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में औद्योगिक परीक्षण तथा अनसंधान प्रयोगशालाओं के विस्तार और पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम)** : (क) और (ख) औद्योगिक परीक्षण तथा अनुसंधान कार्य केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों तथा देश के उद्योग द्वारा किया जाता है। वर्तमान प्रयोगशालाओं के विस्तार तथा इस कार्य के लिये नई सुविधाएं देने सम्बन्धी योजनाओं की व्यवस्था विकास योजनाओं में की जाती है जो सम्बद्ध मंत्रालयों/संगठनों द्वारा विभिन्न स्तरों पर तैयार की जा रही हैं। अन्य प्रस्तावों में से नेशनल टेस्ट हाउस के देश के विभिन्न क्षेत्रों में नए टैस्ट हाउसों की स्थापना के प्रस्ताव का उल्लेख किया जा सकता है।

### टायरों की बिक्री पर नियन्त्रण

3787. **श्री वरके जार्ज** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में टायरों की बिक्री पर किसी प्रकार का नियन्त्रण करने पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : (क) और (ख) राज्य/सरकारों संघ क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन उन्हें उपलब्ध शक्तियों के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में विक्रेताओं द्वारा बेचे जाने वाले टायरों पर कड़ी निगरानी रखें जिससे उनके क्षेत्र में टायरों का उचित वितरण किये जाने का सुनिश्चित किया जा सके तथा टायरों का अनिधकृत रूप से राज्य से बाहर ले जाने को रोका जा सके। राज्य सरकारों से यह और भी अनुरोध किया गया है कि वे किसी विशेष तिमाही में वास्तविक समुचित उपभोक्ताओं को दिये गये टायरों की संख्या की प्राविष्टियां पंजीयन पुस्तिका में करें तथा राज्य में प्रत्येक उपभोक्ता को दी जाने वाली सप्लाइ का कोटा निश्चित करें जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक उपभोक्ता को उसकी आवश्यकता से अधिक कोटा नहीं मिलता है। सभी राज्य सरकारों ने अपने क्षेत्र में टायरों का वितरण विनियमित करने के लिये नियंत्रण आदेश जारी कर दिये हैं।

टायर निर्माताओं से भी अनुरोध किया गया है कि वे आपने यहां के विक्रताओं पर कड़ी निगाह रखे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे असामाजिक व्यवहार नहीं करते हैं तथा दोषी पाये जाने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

### Looting of Persons by a Gang of Dacoits near Hardinge Bridge, New Delhi

3788. **Shri Dharamrao Sharnappa Afzalpurkar**: Will the Minister of Home Affairs be pleased to State:

(a) Whether a gang of dacoits armed with daggers looted five persons near the Hardinge Bridge, New Delhi on the 3rd July, 1973 in the broad day light and escaped in a taxi;

(b) If so, whether the Police are unable to trace the culprits involved in such incidents; and

(c) If not, whether these culprits have been arrested?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin):** (a) No Sir.

(b) & (c) Question does not arise.

### सूखाग्रस्त राज्यों को सीमेन्ट और आर० सी० सी० पाइपों का आवंटन

3789. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखाग्रस्त राज्यों को आवंटने करने और सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाया जाता है जिससे वे राज्यों में कमी की स्थिति से निपटने हेतु सिंचाई के प्रयोजन की और ऐसी ही अन्य योजनाओं के लिये सीमेन्ड और आर० सी० सी० पाइप प्राप्त कर सकें; और

(ख) गत दो वर्षों में प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी मांग की गई और प्रत्यक राज्य को कितनी मात्रा आवंटित और सप्लाई की गई?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :** (क) और (ख) भारत सरकार किसी ी उपभोक्ता अथवा राज्य सरकार आदि को आर० सी० सी० पाइप का आवंटन अथवा वितरन नहीं करती है। जहां तक सीमेंट का सम्बन्ध है, 1 जुलाई, 1973 के पूर्व कोई भी राज्यवार कोटा नियत नहीं किया गया था। फिर भी, सिंचाई तथा अन्य योजनाओं के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त मांगों को उच्च ाथमिकता दी गई थी और सीमेंट कारखानों को रिलीज आर्डर जारी किये गये थे। परन्तु राज्य सरकारों ने सदैव इस बात का उल्लेख नहीं किया था कि सम्भरण सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये चाहिये अथवा किसी अन्य कार्य के लिए चाहिये। अतएव प्रत्येक राज्य सरकार को आवंटित मात्रा एवं इस प्रकार की मांग के लिए विशिष्ट रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्र की आवश्यकता पूरी करने हेतु वितरित कोटे का परिमाण बताना संभव नहीं है। केन्द्र सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान औसत खपत के आधार पर प्रत्येक राज्य का कोटा नियत कर दिया है तथा यह बात राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई है कि वे उपलब्ध सीमेंट की मात्रा का वितरण विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न कार्यों के लिए स्वयं कर सकती हैं।

### Break-up of amount sanctioned for construction of houses under the scheme of Jayanti Villages

3790. **Shri Dhan Shah Pradhan:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the State-wise amount of money sanctioned by the Central Government for the construction of houses and welfare of harijans under the scheme of Jayanti villages?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin):** A statement showing the state-wise amounts sanctioned to each State/Union Territory for the construction of houses for harijans engaged in unclean occupations in Jayanti villages during 1972-73 and 1973-74 is attached at Annexure I.

Annexure I

| Sl. No. | Name of State/U.T. | Amount sanctioned for construction of houses for Harijans engaged in unclean occupations in Jayanti Villages during 1972-73 | 1973-74 |
|---|---|---|---|
| | | (Rs. in | lakhs) |
| 1. | Andhra Pradesh | 4.00 | 36.00 |
| 2. | Assam | 6.50 | *5.00 |
| 3. | Bihar | 3.75 | 50.00 |
| 4. | Gujarat | 1.25 | 11·00 |
| 5. | Haryana | 1.25 | 12.00 |
| 6. | Himachal Pradesh | 1.65 | 5.00 |
| 7. | Jammu & Kashmir | 1.50 | 2.00 |
| 8. | Kerala | 3.50 | 11.00 |
| 9. | Madhya Pradesh | 3.75 | 34.00 |
| 10. | Maharashtra | 8.50 | 19.00 |
| 11. | Manipur | 0.50 | 0·25 |
| 12. | Meghalaya | .. | 0·25 |
| 13. | Mysore | 0.75 | 24.00 |
| 14. | Nagaland | .. | .. |
| 15. | Orissa | 1.25 | 21.00 |
| 16. | Punjab | 1.50 | 21·00 |
| 17. | Rajasthan | 2.55 | 26.00 |
| 18. | Tamil Nadu | 10·00 | 46.00 |
| 19. | Tripura | 0.50 | 1·00 |
| 20. | Uttar Pradesh | 4.00 | 115.00 |
| 21. | West Bengal | 4.30 | 55.00 |
| 22. | A. & N. Islands | .. | .. |
| 23. | Chandigarh | .. | 0.50 |
| 24. | Dadra & Nagar Haveli | .. | .. |
| 25. | Delhi | 1·25 | 4·00 |
| 26. | Goa, Daman & Diu | 0·35 | 0.25 |
| 27. | L.M.A. Islands | .. | .. |
| 28. | Pondicherry | 0.20 | 0.75 |
| | Total | 62·80 | 500.00 |

(*Allocated subject to the condition of Assam having Jayanti villages programme).

## आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकना

3791. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 24 जून को नई दिल्ली में प्रेस क्लब आफ इंडिया में कहा था (जैसा कि 25 जून, 1973 के 'स्टेट्समैन,' कलकत्ता संस्करण में छपा है) कि मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कठोर राजकोषीय एवं आर्थिक कदम उठाए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो अर्थ-व्यवस्था में फालतू मद्रा फैलाव को समेटने के लिए क्या क्या ठोस उपाय किए जाएंगे; और

(ग) देश भर में सभी आवश्यक वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) जी, हां।

(ख) कतिपय ऐसे कदम उठाने का निर्णय किया गया है जिनसे चालू वर्ष में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के व्यय में कुल लगभग 400 करोड़ रुपये की कमी होने की आशा है। इसके अतिरिक्त अर्थ-व्यवस्था में अधिक मुद्रा फैलाव को समेटने के लिए रिज़र्व बैंक ने और उपाय किए हैं। 12 जुलाई, 1973 से वाणिज्यिक बैंको को उपलब्ध रियायती पुनर्वित्त सुविधा में कमी कर दी गई है। बैंकों को भी सलाह दी गई है कि वे ऋण वसूली को बढ़ाएं, विशेषकर चीनी तथा सूती वस्त्र उद्योगों के मामले में। अभी हाल ही में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक के पास जमा की जाने वाली नकद आरक्षण की राशियों को 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 7 प्रतिशत करने का निर्णय किया गया है।

(ख) उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की मुल्य वृद्धि को कम करने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं ये हैं :–

(1) आयात तथा अधिक देशी उत्पादन कार्यक्रमों द्वारा आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की उपलब्धि को बढ़ाना;

(2) ग्रामीण क्षेत्रों तथा दुर्गम स्थानों में उचित दर की दुकाने खोलकर तथा इमदादी मूल्यों पर मुख्य अनाज देकर काफी व्यक्तियों को, विशेषकर समाज के कमज़ोर वर्गों को अनाज उपलब्ध कराना;

(3) मुल्य नियंत्रण तथा वितरण नियंत्रण के माध्यम से उचित मुल्योंपर आवश्यक उपभोग की वस्तुओं का समान वितरण ;

(4) गेहूं पैदा करने वाले सभी राज्यों में गेहू का थोक व्यापार हाथ में लेना;

(5) नवम्बर, 1972 से कम मूल्यों पर कपड़ की नियंत्रित किस्मों के वितरण के लिए स्कीम आरम्भ करना;

(6) बैंक ऋण को नियंत्रित करने के लिए 30 मई, 1973 को उठाये गए कदम। इनमें य सम्मिलित हैं :–

(क) बैंक दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत करना। (ख) नकद जमा को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करना। (जिसे अब 7 प्रतिशत कर दिया गया है)। यह जमा अनुसूचित बैंकों को रिज़र्व बैंक में करनी होती है। (ग) रिजर्व बैंक से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लिए जाने वाल ऋणों के सम्बन्ध मे न्यूनतम शुद्ध मुद्रा फैलाव के अनुपात को 37 प्रतिशत बैंक दर से बढ़ाकर 39 प्रतिशत करना। तथा (घ) कुछ वर्गो को छुट देते हुए बैंक अग्रिमों पर व्याज की न्यूनतम दर को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना।

(7) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे जमाखोरों तथा नफाखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें और यदि आवश्यक हो तो भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत शक्तियों का उपयोग भी करें।

**पांचवीं योजना के लिये परिवार नि ोजन कार्यक्रम बनाना**

**3792. श्री पी० गंगादेव :**

**श्री श्रीकिशन मोदी :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों से पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अपने परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) जी, हां।

(ख) पांचवीं योजना में अस्थायी रूप में 560 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है, जब कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 330 करोड़ रुपये का परिव्यय था। राज्य सरकारों / संघशासित क्षेत्रों से कहा गया है कि वे निम्नांकित व्यापक मार्गदर्शक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए परिवार नियोजन क्षत्र के लिए अपने योजना प्रस्तावों को तयार करें :

(1) परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य पांचवीं योजना के अन्त तक जनसंख्या की जन्मदर में 25 प्रति हजार की कमी लाना है। ये कार्यक्रम समस्त राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान में रख कर तैयार किए जायें।

(2) पांचवीं योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम परिवार नियोजन, चिकित्सा प्रसूतिका तथा शिशु स्वास्थ्य व पोषण सेवाओं के अंगीभूत ढांचे के अन्तर्गत कार्य करेगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम को अपना सकें।

(3) देश में शिशु मृत्यु की दर घटाने के लिए प्रसूतिका तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम को उपलब्ध संसाधनों के अनुरुप बढ़ाने का प्रयत्न किया जायेगा। ये सेवाएं सुगमता से उपलब्ध हो सके यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को कार्रवाई करनी चाहिए।

(4) ऐच्छिक संगठनों, स्थानीय निकायों तथा अन्य चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यापक जनसहयोग प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्यक्रम को जन आन्दोलन के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

(5) इस कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और कर्मचारी, भवन, गौर उपकरण के रुप में आवश्यक बुनियादी आधार पर की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(6) इस समय उपलब्ध सुविधाओं तथा भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हु चिकित्सा और पार्श्व-चिकित्सा कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। समुचित प्रशिक्षण समय-सारिणी तैयार की जाये।

(7) शहरी परिवार नियोजन केन्द्रों से पांचवीं योजना के दौरान प्रसूतिका तथा शिशुकल्याण सेवाएं प्रदान करने के लिए कहा जायेगा। तदनुसार इस उद्देश्य के लिए इन केन्द्रों को समुचित रूप से गठित किया जाये।

**कुछ राज्यों द्वारा भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में भाग लेने से इन्कार**

3793. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
**श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच राज्यों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में भाग लेने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) अपने मत के समर्थन में इन राज्यों द्वारा क्या तर्क प्रस्तुत किए गए हैं और इस योजना को बनाने के लिए कितने राज्य सहमत हो गए हैं ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** :(क) भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता के सम्बन्ध में सात राज्य सरकारें जो इस सेवा में भाग लेने के लिए पहले राजी हो गई थीं, उन्होंने तत्पश्चात् इस सेवा में भाग लेने के लिए या तो अपनी असहमति प्रकट की है अथवा कुछ शर्तें पेश की हैं ।

(ख) इन सात राज्यों के नाम हैं, असम, जम्मू एवं कश्मीर, मैसूर, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिल नाडु तथा पश्चिम बंगाल ।

(ग) एक विवरण संलग्न हैं ।

**विवरण**

| राज्य का नाम | भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में भाग लेने के सम्बन्ध में उनके मत :— |
|---|---|
| असम . . | असम सरकार ने जनवरी 1970 में सूचित किया था कि भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के लिए योजना कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में राज्य में व्याप्त हालते एवं परिस्थितियां उपयुक्त नहीं थीं । |
| पंजाब . . | पंजाब सरकार ने मई 1969 में सूचित किया था कि राज्य सरकार की सहमति इस सेवा में भाग लेने के लिए 6½ वर्ष पहले ली गई थी, राज्य सरकार इस विषय में नए सिरे से विचार करना चाहती है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अभी तक अपने आगे के विचार प्रकट नहीं किए हैं । |
| जम्मू एवं कश्मीर . | वर्ष 1970 में जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने फिलहाल इस सेवा में भाग न लेने का निर्णय किया था । |
| महाराष्ट्र . . | अक्तूबर 1969 में राज्य सरकार ने इस सेवा में भाग न लेने का निर्णय किया था क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि कुछ अन्य राज्य सरकारों ने इसमें भाग न लेने की सहमति प्रकट की है और इस सेवा में अखिल भारतीय स्वरूप का अभाव होगा । |
| मैसूर . . | मैसूर सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती की प्रणालियों में कुछ मौलिक परिवर्तन करने का सुझाव दिया और हालांकि भारत सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया, अतः राज्य सरकार ने इस सेवा में भाग न लेने का निर्णय किया था । |

| राज्य का नाम | भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में भाग लेने के सम्बन्ध में उनके मत :— |
| --- | --- |
| तमिल नाडु | राज्य सरकार महसूस करती है कि अखिल भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा का गठन करना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय। राज्य सरकार ने आगे उल्लेख किया है कि देश में वर्तमान व्याप्त परिस्थितियों में राज्यों की स्वायत्तता को कम करने की दिशा में उठाये जाने वाले किसी भी कदम को बहुत ही आशंका की दृष्टि से देखे जाने की सम्भावना है। |
| पश्चिम बंगाल | राज्य सरकार ने जून 1969 में सूचित किया है कि वे इस सेवा में तभी भाग लेंगे, यदि केन्द्रीय सरकार इस सेवा के गठन के सम्बन्ध में होने वाले कुल अतिरिक्त लागत का भार उठाने के लिए तैयार हो। चूंकि भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में होने वाली पूरी अतिरिक्त लागत के लिए सहमति नहीं दी, अत: राज्य सरकार का इस सेवा में भाग लेने से इन्कार करना अपरिहार्य समझा गया था। शेष राज्य सरकारों ने सिद्धान्त रूप से इस सेवा में भाग लेने की सहमति दी थी और उनमें से किसी ने अभी तक अपनी असहमति प्रकट नहीं की है। |

## दिल्ली में जाली डिग्री देने वाला गिरोह

**3794. श्री विक्रम महाजन :**
**श्री विश्वनाथ झुनझुनूवाला :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1973 के पहले सप्ताह में दिल्ली में एक जाली डिग्री देने वाले गिरोह का पता लगा था; और

(ख) पता लगाये गये उक्त गिरोह के व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और इस सम्बन्ध में उनकी कार्य-प्रणाली क्या थी ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसीन) :** (क) जी नहीं, श्रीमन्। ऐसे एक गिरोह का जुलाई, 1973 के दूसरे सप्ताह में पता लगा था।

(ख) पुलिस की जांच से जैसा मालूम हुआ है उसमें अन्तर्गस्त व्यक्ति इस प्रकार हैं :-

(i) श्री अमरजीत सिंह परदेशी, पंजाब व सिन्ध बैंक, कनाट सर्कस, नई दिल्ली का एक कर्मचारी,

(ii) श्री हंसराज शर्मा, अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक, लस्कर, ग्वालियर

(iii) श्री विद्याधर तिवाड़ी, ग्वालियर का एक वैद्य (अब दिवंगत)

(iv) राजेश साहनी, निवयसी सोनीपत, हरियाणा।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/468/471 के अन्तर्गत थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 1523 दिनांक 13-7-1973 को एक मामला दर्ज किया गया था और उस की जांच की जा रही है। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार तथा बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था। अभियुक्त व्यक्तियों की कार्य प्रणाली अथवा मामले के अन्य तथ्यों की जांच के सम्बन्ध में इस स्तर पर कोई राय प्रकट नहीं की जा सकती है।

**विस्तार को अनुमति मांगने वाली विदेशी फर्मों पर निर्यात दायित्व डालना**

**3795. श्री डी० पी० जदेजा :**

**श्री अरविंद एम० पटेल :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि –:

(क) क्या सरकार द्वारा विस्तार की अनुमति मांगने वाली विदेशी फर्मों पर निर्यात् दायित्व डाला गया है, और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) :** (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 2 फरवरी, 1973 के प्रेस नोट के पैरा 6 में बताया है (जिसकी प्रति लोक सभा में 21–2–1973 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं0 281 के उत्तर में संलग्न की गई थी) कि विदेशी बहुलांश वाली कंपनियों को अनुबंध –1 में अनुसूचित उद्योगों के अलावा उद्योग के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते कि उत्पादन का प्रमुख रुप से निर्यात किया जाये। अन्य मामलों में भी जहां कहीं भी ऐसा करना उपयुक्त तथा संभव है निर्यात् दायित्व लागू कर दिया गया है।

**विद्युत उत्पादन के बारे में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति की सिफारिशें**

**3796. श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन के बारे में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति की सिफारिशों की सरकार ने जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विज्ञान और औद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) :** (क) से (ख) अभी तक नहीं। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति की शिफारिशों से आर० एण्ड आई० की गतिविधियों का पता लगता है जिनसे बिजली उन्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकेगी। सिफारिशों पर अन्तिम रुप से निर्णय किया जारहा है तथा उन्हें योजना आयोग को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

**'हॉट गैस' से बिजली तैयार करना**

**3797. श्री राजदेव सिंह :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसे विद्युत संयंत्र का डिझाइन तैयार किया है जो चल पुर्जों, स्टीम साइकल और टरबाइन के विना सीध हॉट गैस (जिसे मेवानेटो-हाइड्रो डाइनेमिक्स जनरेशन कहते हैं) से 25 मैगावाट बिजली तैयार करेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संयंत्र को तैयार करने और इस पर परीक्षण करने के लिए आदेश देना उचित समझती है ; और

(ग) क्या इसकी परिकलित लागत बहुत अधिक है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसे-बड़े पैमाने पर तयार करने का है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम)** : (क) से (ग) : नहीं। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के एक दल ने चुंबकिय द्रव गतिकी (मेगनेटो-हाइड्रो-डायनामिक्स) पर एक प्रतिवेदन तैयार किया है जिसके आधार पर 2 से 5 मैगावाट स्तर के प्रयोग प्रारंभिक रुप से प्रयोगशाला के पमाने पर करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिससे आवश्यक प्रौद्योगिकी क्षमताओं को उन्नत किया जा सके। प्रयोगशाला के पैमाने में इन प्रयोगों से कीमती तकनीकी व आर्थिक आंकड़े का ज्ञान होगा जिसके आधार पर बड़े एम०एच०डी०संयंत्रों की स्थापना का निश्चय लिया जायेगा।

### सेन्ट्रल फ्यूएल रिसर्च इंस्टीट्यूट, धनबाद के निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

3798. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद–साइंटिफिक वर्कस एसीसिएशन, सेन्ट्रल फ्यूएल रिसर्च इंस्टीट्यूट ब्रांच, धनबाद ने मई, 1972 में महा-निदेशक (सी०एस०आई०आर०) को एक ज्ञापण भेजा था जिसमें इंस्टीट्यूट के निदेशक के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम)** : (क) जी, हां

(ख) सामान्य रूप से कुनबापरस्ती है से और भष्टाचार संबंधी आरोप हैं।

(ग) केद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर कुनबा परस्ती से संबंधित मामलों की जांच का कार्य-भार महानिदेशक (सतर्कता) को सोंपा गया है ।

### Arrest of Non-Bengali Pakistani citizens at Sursand check post near Sitamarhi in Bihar

3799. **Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether 9 non-Bengali Pakistani citizens were arrested at Sursand Check post near Sitamarhi on Bihar-Nepal Border in July;

(b) whether some arms and material were also recovered from them; and

(c) if so, the action taken against them?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin):** (a) to (c) The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House on its receipt.

### फैजाबाद जिले के ठाकुर वसुधा सिंह को राजनीतिक पीड़ित मानना

3800. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के फ़ैजाबाद जिले के ठाकुर वसुधा सिंह के मामले पर विचार किया है जिन्हें भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लेने के कारण ब्रिटिश सरकार के आदेश के अन्तर्गत फांसी पर लटकाया जाना था और जिनके दंड को गांधी जी के हस्तक्षेप पर कम कर दिया गया था ;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें राजनीतिक पीड़ित माना है और उन्हें किसी प्रकार सम्मानित और बढ़ी हुई पेंशन देने का विचार है ; और

(ग) उन्हें अथवा उनके परिवार को क्या-क्या अन्य सुविधाएं तथा लाभ दिये गये हैं अथवा देने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) से (ग) ठाकूर वसुधा सिंह को 135 रूपये मासिक पेंशन स्वीकृत की गई है। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनको स्वीकृत 65 रूपये मासिक पेंशन के अतिरिक्त है। सरकार को राज्य सरकार द्वारा उनको अथवा उनके परिवार को प्रदान की गई अथवा प्रदान की जाने वाली प्रस्ताविक अन्य सुविधाओं और लाभ का पता नहीं है।

## उत्तर प्रदेश के उद्योग विभाग से ऋण

3801. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के उद्योग विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋणों की कुल कितनी राशि दी गई हैं और जिसके भुगतान की अवधि आ गई है परन्तु जो अभी तक ऋण लेने वालों से वसूल नहीं की गई है?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : उत्तर प्रदेश सरकार से मिली सूचना के अनुसार उनके द्वारा चलाई जा रही विभिन्न औद्योगिक योजनाओं के लिए उन्होंने लगभग 17.8 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की है। इसमें से कुल लगभग 4.43 करोड़ रुपये का मूल धन 17 मार्च, 1973 को देय हो गया था।

## उत्तर प्रदेश को सीमेंट का आवंटन

3802. **श्री सरजू पांडे** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वह राज्य की जनसंख्या के आधार पर सीमेन्ट के कोटे का आवंटन करें ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी )** : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य के लिए उनके विगत पांच वर्षों के सीमेंट के वास्तविक खर्चे के आधार पर कोटा नियत किया गया है क्योंकि यह मानदण्ड जनसंख्या की अपेक्षा अधिक उपयुक्त तथा यथार्थ समझा गया था। 1 जुलाई, 1973 से 30 जून, 1974 की अवधि के लिये उत्तर प्रदेश के लिये 16.61 लाख मीट्रिक टन कोटा नियत किया गया है। राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार के विभागो आदि की मांग पर दिये जाने वाला कोटा इसमें शामिल नहीं है। 1973 की तृतीय तिमाही के लिये उत्तर प्रदेश राज्य को 39,000 मीट्रिक टन का एक अतिरिक्त कोटा दिया जा रहा है।

## नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन द्वारा आपने नियन्त्रण में ली गई बीमार मिलों को उनके मूल मालिकों को वापिस न करना

3803. **श्री जगन्नाथ मिश्र** :
**श्री अरविन्द एम० पटेल** :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि नैशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन ने जिन बीमार मिलों के प्रबन्ध को अपने नियंत्रण में ले लिया था उन्हें उनके मूल मालिकों को नहीं लौटाया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : (क) और (ख) सिद्धांतरूप से उन वस्त्र उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया गया है जिन्हें सरकार ने उद्योग (विकास त ा विनियमन) अधिनियम, 1951 तथा संकट ग्रस्त वस्त्र प्रतिष्ठान (प्रबंध अधिग्रहण) अधिनियम 1972 के उपबंधों के अधीन अपने हाथ में लिया है। यह निर्णय लोक हित में लिया गया है।

**Production of Cement in 1973**

3804. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state the quantity of cement produced in the country from the 1st April, 1973 to 30th June, 1973?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee):** 33.10 lakh tonnes.

**आर्थिक और राजनीतिक नीतियों के बारे में जून में जापानी तथा भारतीय विशेषज्ञों के मध्य टोकियो में विचार-विमर्श**

3805. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून में जापानी तथा भारतीय विशेषज्ञों की टोकियो में एक बैठक हुई थी जिसमें आर्थिक तथा राजनीतिक नीतियों तथा दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्धों और उनकी नई सम्भावनाओं के बारे में चर्चा हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो वे इस विषय में कहां तक सफल हुए ; और

(ग) दोनों देशों के सम्बन्धों को और सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) से (ग) : व्यापक एशियाई और विश्व परिप्रेक्ष्य में भारतीय-जापानी सम्बन्धों पर विचार करने के लिए भारत और जापान में आर्थिक विकास पर अध्ययनों सम्बन्धी भारत और जपानी समितियों की बैठक जून, 1973 के प्रथम सप्ताह में टोकियो में हुई। विचार-विमर्श सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक रहे तथा इनमें गरीबी की चुनौती का सामना करने गरीबी के कारण उत्पन्न तनाव तथा एशिया और विश्व के अन्य भागों में अस्थिरता पर भारतीय-जापानी सहयोग के महत्व पर बल दिया गया। दोनों पक्षों ने न केवल व्यापार व विनियोजन के क्षेत्र में बल्कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में भी भारत और जापान के मध्य सहयोग के विस्तार की सिफारिश की। भारत सरकार, दोनों देशों के मध्य सम्बन्ध बनाये रखने तथा उनमें आगे और सुधार करने की दिशा में निरन्तर प्रयत्न कर रही है।

**खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति**

3806 **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में कार्य कर रहे कर्मचारियों के मामले में द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्रियान्वयन की तारीख क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा उन्हें कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) :** (क) से (ग) खादी ग्रामोद्योग आयोग ने 1 जनवरी, 1973 से खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली के कर्मचारियों के लिए दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय किया है। कर्मचारियों के वेतन का संशोधित वेतनमानों के अनुसार निर्धारण यथा संभव शीघ्रता से किया जा रहा है।

**Warning by Central Government Officer's Federation as regards serious situation developing in administration prior to the commencement of Fifth Plan**

**3807. Shri Phool Chand Verma:**

**Shri Prabodh Chandra:**

Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in 'Nav Bharat Times' Hindi (Bombay) dated the 3rd July, 1973 in which the Central Government Officers' Federation is reported to have warned the Government that serious situation is developing in administration prior to the commencement of the Fifth Plan and if the situation is not analysed and the causes thereof not removed, the Fifth Plan would utterly fail and the law and order situation would become more serious; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha):** (a) Yes, Sir.

(b) Since no specific points have been mentioned, it is not possible for Government to take action on the general comments made in the news item.

**इण्डियन टेलिफोन इण्डस्ट्रीज में विदेशी सहयोग और ईक्विटी पूंजी भागिता को समाप्त करने के बारे में आगे की कार्यवाही**

**3808. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

**श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज में समूचे विदेशी सहयोग और ईक्विटी पूंजी भागिता को समाप्त करने के संचार मंत्रालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए उनके मंत्रालय ने इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज में लगी विदेशी पूंजी के मामलों में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धन राशि का भुगतान करना होगा ; और

(ग) क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज को सहायता देने वाली विदेशी कम्पनियों से कोई समझौता किया गया है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)** : (क) से (ग) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ विदेशी सहयोग 21 मई, 1973 से समाप्त कर दिया गया है। कम्पनी में विदेशी हिस्सेदारी को समाप्त करने से सम्बद्ध मामला सरकार के विचाराधीन है।

**Inauguration of Government-managed Mill Association**

**3809. Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether a Government-managed Mill Association has been formed which was inaugurated by him on the 7th July, 1973 in Bangalore;

(b) whether the Cotton Mills Federation is opposing it;

(c) whether the Textile Commissioner is not extending his cooperation to the said Association; and

(d) whether the Textile Commissioner did not attend the inaugural function of the Association on the 7th July, 1973 in spite of being invited there?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee):** (a) The Conference of the Chairman/Managing Directors of State Textile Corporations, Regional Controllers of the National Textile Corporation, Authorised Controllers, Custodians and Chief Executive Officers of Government-managed textile mills *inter-alia* resolved in their Conference held at Bangalore from the 7th July to the 9th July, 1973, to constitute an Association of all Government-managed textile mills in India with immediate effect, styled as "Association of Government-managed textile mills". This Conference was inaugurated by the Minister of Industries, Government of Mysore.

(b) Government are not aware of it.

(c) No such instance has come to notice so far.

(d) The Textile Commissioner could not attend the Conference due to other engagements.

**Increase in demand of Coir in Foreign Countries**

**3810. Shri Nawal Kishore Sharma:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether the demand of coir has increased considerably in some foreign countries;

(b) if so, the names of those countries who have asked the Government of India to supply coir to them; and

(c) the benefit likely to accrue to India as a result thereof?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari):** (a) to (c) The trend of export of coir shows that there has been some increase in the foreign exchange realisation in respect of some of the foreign countries. India's export earnings for the year 1972-73 was of the order of Rs. 14.94 crores as against Rs. 14.86 crores in 1971-72. Export of coir is not cannalised through Government agencies. Export orders are received by the exporters direct.

**दिल्ली में बिक्री करों में गड़बड़ी करने वाले गिरोह का पकड़ा जाना**

3811. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में बिक्री करों में गड़बड़ी करने वाले एक गिरोह का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अपराधियों के नाम क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के बिक्री कर विभाग को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश व्यक्तियों ने कूटकरण से पंजीकरण प्रमाणपत्र छपवा रखे हैं और उनमें जाली लेख बनाकर शुल्क मुआफी खरीद करने के लिए उनका प्रयोग कर रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर दिल्ली प्रशासन के बिक्री कर विभाग ने 11 जून, 1973 को पुलिस अधीक्षक (अपराध तथा रेल) दिल्ली को एक रिपोर्ट दी जिसके आधार पर पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/467/468/471/120-ख के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच के दौरान यह मालूम हुआ कि कुछ पंजीकृत व्यापारियों ने ऐसी फर्मों को जिनका पंजीकरण प्रमाणपत्र विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया था, वास्तव में बिक्री दिखाई हुई थी। पुलिस ने अब तक निम्नलिखित नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है :—

1. श्री शंकर लाल गुप्ता पुत्र श्री श्याम किशोर
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद वंसल पुत्र श्री अम्बा प्रसाद ।

3. श्री विशन अग्रवाल पुत्र श्री श्याम लाल
4. श्री टी० एस० माथुर पुत्र श्री राजा लाल माथुर
5. श्री बाल कृष्ण शर्मा पुत्र श्री विशम्बर सहाय
6. श्री प्यारे लाल पुत्र श्री धनी राम
7. श्री नरेश कुमार पुत्र श्री प्यारे लाल
8. श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री अमरनाथ
9. श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री मुंशी लाल

मामले की जांच प्रगति पर है ।

**संकटग्रस्त मिलों की देनदारियों का मूल्यांकन करने के लिये समिति**

3812. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1968 में निगम की स्थापना के समय से अब तक अपने नियन्त्रण में ली गई संकटग्रस्त मिलों की देनदारियों का मूल्यांकन करने के लिये समिति की स्थापना करेंगी; और

(ख) यदि हां, तो उस की रूपरेखा क्या है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : (क) और (ख) उन संकटग्रस्त कपड़ा मिलों जिनका प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है की अस्तियों और दायित्वों के मूल्यांकन कार्य का निरीक्षण और मार्गदर्शन करने के लिये सरकार ने एक निर्देशकारी समिति का गठन किया है। इस उद्देश्य के लिये लागत लेखा (कास्ट एकाउन्टस) तथा टैक्सटाइल विशेषज्ञों के दल बनाये जायेंगे तथा ये दल निर्देशकारी समिति के नियन्त्रण और मार्गदर्शन में कार्य करेंगे ।

**श्री एम० जी० रामचन्द्रन के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन का मामला**

3813. **श्री मधु लिमये** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम के संस्थापक और फिल्म अभिनेता, एम० जी० रामचन्द्रन, के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है; और

(ख) यदि उपरोक्त (क) भाग का उत्तर हां में हैं, तो इस समय यह मामला किस अवस्था में है और इस मामले में सरकार नें क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) तथा (ख): प्रवर्त निदेशालय, मैसर्स एमजीयार पिक्चर्स (प्राइवेट) लिमिटेड तथा इसके प्रबन्ध-संचालक श्री एम० जी० रामचन्द्रन द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के तथा कथित उल्लंघन के बारे में जांच-पड़ताल कर रहा है। इस विषय में अन्य ब्यौरे प्रकट करना उचित न होगा, क्योंकि इससे जांच कार्य में बाधा पड़ सकती है। जांच-पड़ताल के परिणामों के आधार पर ही इस पर विधि के अनुसार यथोचित कार्रवाई की जाएगी ।

**सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में ली गई कपड़ा मिलों में हुआ लाभ**

3814. **श्री सरोज मुखर्जी :**

**श्री एस० एम० बनर्जी :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में लिये गये मिलों ने लाभ कमाया है और यदि हां, तो प्रत्येक मिल को कितना लाभ हुआ है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में मोटे कपड़े का विदेश व्यापार कितना रहा और विदेशों को कितने मूल्य का ऐसा कपड़ा निर्यात किया गया; और

(ग) क्या मोटे कपड़े का विदेशों में व्यापार बढ़ाने के लिये, देश में ऐसे कपड़े के मूल्य में 50 से 60 पैसे प्रति मीटर की वृद्धि करके उसकी खपत कम करने का प्रयास किया जा रहा है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :** (क) इस समय सरकार के प्रबन्ध में कुल 103 कपड़ा मिलें हैं इन मिलों में से 51 मिलों के 1972 के लाभ/हानि सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध हैं जो संलग्न विवरण में दिये गये हैं। [**ग्रंथालय मे रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5455/73।**] बाकी मिलों में ऊपर बताई गई पूरी अवधि में कार्य नहीं हुआ अतः उनके लाभ/हानि सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) 1973-74 के शुरू के दो महीनों (अप्रैल और मई 1973) में सरकार द्वारा प्रबन्धित मिलों ने करीब 2.5 करोड़ रुपये मूल्य के 15 लाख वर्ग मीटर कपड़े का निर्यात किया।

(ग) जी नहीं।

**भारतीय उद्योगों में विदेशी ईक्विटी साझेदारी संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

3815. **श्री मनोरंजन हाजरा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय उद्योगों में विदेशी ईक्विटी साझेदारी के बारे में डा० ए० के० मल्होत्रा जो इसके संयोजक हैं, की अध्यक्षता में बनी उच्चस्तरीय समिति का कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) उस समिति द्वारा की गई मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) जी हां। यह प्रतिवेदन मुख्यतया विदेशी तकनीकी सहयोग के विषय में है।

(ख) और (ग) सरकार इस प्रतिवेदन की अभी जांच कर रही है तथा इस स्तर पर सिफारिशों को प्रकाशित करना उचित नहीं होगा।

**बेरोजगार व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु 1972-73 में किया गया नियतन**

3816. **श्री सरजू पांडे : क्या योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बेरोजगार व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु विशेष कार्यक्रमों पर 1972-73 में व्यय करने के लिय कुल कितना नियतन किया गया;

(ख) आबंटित किये गए धन में से कितनी राशि का उपयोग किया गया है, और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) से (ग) बेरोजगार के लिए रोजगार के अवसर सुलभ करने वाले विभिन्न विशेष कार्यक्रमों के लिए आबंटित राशि उपयुक्त राशि और सजित रोजगार के अनुमान निम्नांकित सारणी में दिए गये है :–

(करोड़ रुपये)

| कार्यक्रम | 1972–73 के आबंटन | उपयुक्त राशि | अनुमानित सजित अवकाश |
|---|---|---|---|
| 1. 1971–72 में आरंभ किए गए ग्रामोण रोजगार के लिए त्वरित कार्यक्रम | 50.40 (परिशोधित) | 53.01 | 1311.5 लाख श्रम दिवस |
| 2. 1971–72 में शिक्षित बेरोजगारों के लिए कार्यक्रम | 63.00 | 49.40 | 67800 (संख्या) |
| 3. राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम | 27.00 | 26–18 | 3,70,000 (संख्या) |
| जोड | 140.40 | 128.59 | 4,37800+ 1311.5 लाख श्रम दिवस |

**पर्यावरण संबंधी दूषण का सामना करने के लिए योजना**

**3817. श्री पी० वेंकटासुब्बया :**

**श्री फूल चन्द वर्मा :**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूषण का सामना करने के लिए नागपुर स्थित केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान में योजनाएं तैयार की जा रही है ;

(ख) क्या अध्ययन से भारत में पर्यावरण संबंधी दूषण का पता चला है और संस्था द्वारा बडौदा, बम्बई, कलकत्ता और श्रीनगर में हवा और जल को साफ करने की पद्धतियों का सुझाव दिया गया है, यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस कार्य के लिए कितनी प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है और इस कार्य के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है और इस कार्यक्षेत्र में प्रयोगशालाओं द्वारा अब तक की गई प्रगति क्या है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी हां, प्रदूषण को कम करने संबंधी देशी तरीके विकसित करने के लिए संस्था के अनुसंधान और विकास कार्य (आर० एन्ड डी०) को निर्देशित किया गया है ।

(ख) जी हां। देश के कुछ हिस्सों में प्रदूषण की समस्या विद्यमान तो है लेकिन बहुत से मामलों में वह भयानक नहीं है । बडोदा में और उसके चारों ओर उद्योगों के लिए प्रवाहित माध्यमों का निर्माण करने के हेतू संस्थान गुजरात सरकार का बृहद बंबई शहर में पानी संभरण और मल निष्कासन के तरीकों को बढाने के लिए बंबई नगर निगम का और जल और वायू प्रदूषण के नियंत्रण तथा संपूर्ण गंदगी को निपटाने सबंधी समस्याओं के लिए कलकत्ता नगर निगम का यह संस्थान परामर्शदाता है । हाल ही में जम्म काश्मीर सरकार को श्रीनगर में पानी की सप्लाई बढाने के लिए सलाह दी गई है।

(ग) केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (सी० पी० एच० ई० आर० आई०) नागपूर की आठ क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं संबंधित क्षेत्रों की पर्यावरण संबंधी प्रदूषन समस्याओं को निपटाने के लिए इस प्रकार है :- अहमदाबाद (बडोदा उपकेन्द्र), बम्बई (पानवल उपकेन्द्र), कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर और मद्रास ।

प्रदूषण को घटाने के तरीकों को विकसित करना प्रयोगशाला के नियमित अनुसंधान कार्यक्रम का एक अंग है । इस कार्य के लिए प्रयोगशाला को कोई धनराशि अलग से नहीं दी गई है ।

जलशद्धी तथा जलप्रवाह के उपयुक्त तरीकों, उद्योगों के प्रवाहित माध्यमों, वायुप्रदुषण नियंत्रण और संपूर्ण गंदगी को समाप्त करने के विषयों पर नगर निगमों, संस्थानों और राज्य सरकारों जैसी अनेक एजन्सियों कों परामर्श दकर इस संस्थान ने सहायता प्रदान की है ।

**वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अनसंधान शिक्षार्थियों को दी जान वाली छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने की मांग**

**3818. श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :-

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान शिक्षार्थियों को 300-400 रुपये प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह राशि कब निर्धारित की गई थी; और

(ग) क्या अत्यावश्यक वस्तुओं और दिन-प्रतिदिन की अन्य आवश्यकताओं के बढ़ते हुए मूल्यों को दृष्टि में रखत हुए छात्रवृत्ति की इस राशि को बढ़ान का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो क्यों ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री० सी० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस० आई० आर०) द्वारा कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षार्थियों को 300 रु० प्रतिमास और वरिष्ठ अनुसंधान शिक्षार्थियों को 400 रु० तथा 500 रु० प्रतिमास की छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है ।

(ख) 1-9-1966 से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनसंधान परिषद उपर्युक्त धनराशि की छात्रवृत्तियां प्रदान कर रही है ।

(ग) कुछ समय पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सी० एस० आई० आर०, आई० सी० ए० आर०, आई० सी० एम० आर, एन० सी० ई० आर० टी० आदि जैसी अन्य संस्थाओं के साथ परामर्श कर छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाने क प्रश्न पर विचार किया गया था। इस मामल को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विचार करने के लिए तय किया गया है ।

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये राजस्थान में गृह निर्माण समितियों को वित्तीय सहायता**

3819. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछडे वर्ग के लोगों के हितार्थ गृह निर्माण समितियों को वित्तीय सहायता दे हेतु राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार स अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कितनी सहायता मांगी है तथा केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता देना मंजूर किया है; और

(ग) सहायता किस प्रकार दी जायगी ?

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**दिल्ली के निकट जय सराय गांव में रहने वाले एक केन्द्रीय सरकारी हरिजन कर्मचारी और उसके परिवार को गांव से जबरन निकाला जाना**

3820. **श्री मधु दण्डवते :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के निकट जय सराय गांव में रहने वाले एक केन्द्रीय सरकारी हरिजन कर्मचारी तथा उसके परिवार को गांव के सवर्ण हिन्दू गांव छोडने के लिये मजबूर कर रहे हैं ।

(ख) क्या परिवार के मुखिया द्वारा अपनी और अपने परिवार की कोई सुरक्षा के लिए पुलिस से बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी पुलिस ने उस हरिजन परिवार की कोई रक्षा नहीं की ;

(ग) क्या पुलिस की अनुदारता के कारण उस परिवार को गांव छोडने की योजना बनानी पडी; और

(घ) यदि हां, तो गांव में हरिजनो के बचाव और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) से (घ) दिल्ली प्रशासक से प्राप्त सुचना के अनुसार दिल्ली के समीप जै सराई गांव में उच्च जाति के व्यक्तियों द्वारा किसी हरिजन को डराने धमकाने की किसी ऐसी घटना की सूचना नहीं दी गई है किन्तु यह सूचना दी गई है कि 12 जुलाई, 1973 को दो ग्राम वासी नामतः श्री मसत राम सामन, एक अनुसुचित जाति का केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी तथा श्री ान चन्द शर्मा के बीच श्री सामन के कुत्ते के बारे में झगडा होने का आरोप है । झगडे के दौरान श्री सामन तथा श्री ज्ञान चन्द शर्मा दोनों को चोटें आई। रिपोर्ट मि ी है कि श्री सामान की चोट मामूली थी और उसे बिना अस्पताल में दाखिल किए आवश्यक चिकित्सा के बाद मुक्त कर दिया गया। श्री ज्ञानचन्द शर्मा की चोट अधिक गंभीर होन की रिपोर्टें दी गई हैं और वह 15 जुलाई तक अस्पताल में रहा । 17 जुलाई को हुई गांव के गण्य मान्य लोगों की एक बैठक में दोनों व्यक्तियों के झगडे का समाधान किया गया था। 20 जुलाई 1973 को श्री सामन ने पुलिस में श्री ज्ञान चन्द के विरुद्ध नये आरोप लगाये जिसके

आधार पर अस्पृश्यता अपराध अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत एक मामला पर मामला दर्ज किया गया और ज्ञान चन्द को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने उसे जमानत पर छोड़ दिया । मामले पर अभी विचार होना है । श्री सामन के घर के पास दो कांस्टेबलों की रातदिन ड्यूटी लगाई गई है और गांव सभा ने भी उसे पूर्ण संरक्षण का आश्वासन दिया है ।

**Amount given by Government for Hostel for Adivasi and Backward Students in Madhya Pradesh**

**3821. Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether Government have sanctioned any amount for the purpose of hostel for students belonging to Adivasi and Other Backward Communities in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the district-wise allocation thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :** (a) & (b) The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House after it is received.

**राज्यों में हरिजनों के साथ अत्याचार तथा उनकी हत्या की घटनाएं**

**3822. श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970–71 में 1971–72 तथा 1972–73 के दौरान राज्य वार कितने हरिजनों की हत्या की गई, कितने हरिजनों को घोर यातना दी गई, कितनों को अपने मकानों से निकाला गया और कितने हरिजनों की झोंपडियां जलाकर राख कर दी गई ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

**कोन्ठकाई गांव मदुरै के पेरुमल मन्दिर से भगवान विष्णु और देवी अमान की प्रतिमाओं की चोरी**

**3823. श्री विक्रम महाजन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मदुराई के निकट कोन्ठकाई गांव में पेरुमल मन्दिर से तीन प्रतिमाएं एक भगवान विष्णु की प्रतिमा और दो देवी अमान की प्रतिमाएं चोरी हुई है, और

(ख) क्या सरकार का विचार मन्दिरों से प्रतिमाओं की चोरी करने वाले चोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की व्यवस्था करने के लिये कोई कानून बनाने का है और यदि हां तो कब ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :**

(क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) मंदिरों से मूर्तियों की चोरी के मामलों में भारतीय दण्ड संहिता के वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है । किन्तु पुरावशेषों तथा कला कृतियों के निर्यात व्यापार को नियमित करने, पुरावशेषों की तस्करी रोकने और सार्वजनिक स्थानों में पुरावशेषों के प्रस्तुतिकरण तथा अन्य संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए एक विस्तृत कानून "पुरावशेष तथा कलाकृति अधिनियम 1972" अधिनियमित किया गया है ।

**Scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students who embraced Buddhism**

**3824. Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have stopped giving Scholarships to a large number of Scheduled Castes/Scheduled Tribes students as they had embraced Buddhism;

(b) if so, the State-wise number thereof; and

(c) the steps being taken by Government to give them scholarships again?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :** (a) Change of religion has no effect on the status of Scheduled Tribe students who continue to get Scholarships irrespective of the religion they profess. In the case of Scheduled Castes, only those professing the Hindu or the Sikh religion are treated as members of Scheduled Castes. However, in 1971 the scheme of Government of India Post-matric scholarships has been extended to the Scheduled Caste converts to Buddhism also.

(b) and (c) Do not arise.

**Inclusion of Berwa Caste in the list of Scheduled Castes**

**3825. Shri Ram Kanwar Berwa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the time by which Berwa Caste would be included in the List of Scheduled Castes in Delhi and other States also, as has been done in Rajasthan and Madhya Pradesh ;

(b) whether Government have received any memorandum in this regard ; and

(c) the reasons for not including this caste in the List of Scheduled Castes in the whole of India ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :** (a) to (c) In accordance with article 341(2) of the Constitution, additions to the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 can be made only by Parliament by law. Government have received representation for inclusion of 'Berwa' community in the list of Scheduled Castes in Delhi and other States. The entire question of the revision of lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is at present under consideration. A view relating to Berwa Caste will be taken along with other suggestions. It cannot be said at this stage as to when the bill will be introduced.

**राष्ट्रीय आय में अस्थिरता**

3826. **श्री एस० डी सोमसुन्दरम् :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 में स्थिर और चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय क्या थी;

(ख) वर्ष 1971–72 की तुलना में 1972–73 के दौरान राष्ट्रीय आय में कितनी अनुमानित वृद्धि या कमी हुई; और

(ग) 1972–73 के दौरान यदि राष्ट्रीय आय कम हुई है या स्थिर रही है तो उसके क्या कारण है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) और (ख) वर्ष 1971-72 और 1972-73 के लिए प्रचलित और स्थिर भावों के आधार पर तैयार किए गए राष्ट्रीय आय के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## भारत के संविधान में संशोधन

3827. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 306 से 311 तक में संशोधन करने सम्बधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) तथा (ख) जी हां श्रीमान। भ्रष्टाचार निरोध सम्बन्धी समिति (संथानम कमेटी) की सिफारिश के आधार पर रिश्वत तथा भ्रष्टाचार के आरोपों से सम्बन्धित अनुशासनिक कार्यवाहियों को शीघ्रता तथा प्रभावी रूप से निपटाने को सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 311 में संशोधन करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

## समृद्ध वर्गों के प्रयोग के लिये उपभोक्ता वस्तुओं के अस्थायी उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव

3828. **श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समाज के समृद्ध वर्गों के लिये प्रयोग में आने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के अस्थायी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) और (ख) लाइसेन्स प्रदान करने का निर्णय लेते समय सरकार उत्पादन की जाने वाली वस्तु तथा अर्थव्यवस्था में उसकी अग्रता को ध्यान में अवश्य रखती है ।

## जम्मू और काश्मीर के गुरेज क्षेत्र में हिमानी तूफान के कारण सीमा सुरक्षा बल के जवानों की मृत्यु

3829. **श्री एस० ए० शमीम :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1973 में जम्मू और काश्मीर के गुरेज क्षेत्र में हिमानी तूफान के कारण सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए सप्लाई पहुंचाते हुए ग्यारह मजदूर मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में मरे व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या इस दुर्घटना में मरे व्यक्तियों के आश्रितों को कुछ मुआवजा दिया गया है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्। किन्तु 12 मजदूर 1 फरवरी 1973 को असैनिक ठेकेदार को जलाने वाली लकड़ियां काटते हुए हिमानी तूफान से दब गये थे। उनमें से दो को जीवित बचा लिया गया। अन्य सब मारे गये।

(ख) मारे गये मजदूरों के नाम जैसा कि सैनिक प्राधिकारियों से प्राप्त हुए है, सलग्न विवरण में दिये जाते है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

**जम्मू और काश्मीर में 1 फरवरी, 1973 को हिमानी तूफान में मारे गये मजदूरों के नाम**

1. रहमान लोन पुत्र फकीर लोन
2. फकीर लोन पुत्र हबीब लोन
3. सरवर कवाक पुत्र अमीर कवाक
4. सरवर तेरू पुत्र कातार तेरू
5. सुबन शेख पुत्र गुलजार शेख
6. खालिक शेख पुत्र गुल शेख
7. नूर लोन पुत्र मिर्जा लोन
8. गुल नजीर पुत्र रसूल नजीर
9. रहीम लोन पुत्र हबीब लोन
10. सालाम नजीर पुत्र शरीफ नजीर

**आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सीमेंट कारखानों की स्थापना**

3830. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ;

(ग) क्या तमिलनाडु राज्य में सीमेंट का कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव है ? और क्या राज्य सरकार इसके लिए बहुत दबाव डाल रही है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार अब इस प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** :(क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में यरागुन्तल्ला, तेन्दुर और आदिलाबाद में तीन सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के संबंध में भारतीय सीमेंट निगम ने सम्भाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**बेरोजगारों को सहायता देने के लिए राज्यों द्वारा सहकारी परियोजनाएं बनाना**

3831. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बेरोजगारों को सहायता देने के लिए राज्य सरकारों नें सहकारी परियोजनाएं बनाने हेतु योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में राज्यों को क्या सहायता दी गई है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) से (ग) कई राज्य सरकारों ने बेरोजगारों की सहायता के लिए सहकारी समितियां गठित करने की दृष्टि से स्कीमें तैयार की हैं। इन स्कीमों की मुख्य बातें इस प्रकार है :—

**1. लघु उद्योगों का क्षेत्र :**

कई राज्य सरकारों ने विभिन्न औद्योगिक वस्तुओं तथा स्कूटर, डीजल इंजन और पम्पसैट, सिल्वरमाइका कपिशियेटर, मशीनी औज़ार, लकड़ी का फर्नीचर आदि अनुषंगी वस्तुओं के निर्माण के लिए इंजीनियरों और तकनीशियनों की सहकारी समितिया गठित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं ।

**2. चिकित्सा तथा स्वास्थ्य और पशुचिकित्सा सेवा के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रम :**

विभिन्न राज्यों ने चिकित्सा स्नातकों की सहकारी ग्राम डिस्पेंसरियां बनाने के लिए स्कीमें तयार की हैं। कुछ राज्य सरकारों ने पशु चिकित्सा-स्नातकों आदि की सहकारी समितियां गठित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किए है ।

**3. अन्य सहकारी परियोजनाएं :**

राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने आटो-रिक्शा चालकों तथा टैक्सी चालकों जैसे परिवहन प्रचालकों के लिए सहकारी परियोजनाएं तैयार करने, आटोमोबाइल सर्विसिंग स्टेशनों, परिधानों का निर्माण करने तथा होटल स्थापित करने, कुकुट परियोजना आदि के लिए स्कीमें तैयार की हैं ।

सहकारी उपक्रम समिति की सामान्य पूंजी में सरकारी अंशदान के हकदार हैं। यह राशि सहभागियों द्वारा किए गए पूंजी अंशदान के तीन गुने तक होती है। इससे सहकारी समितियों को पर्याप्त संस्थागत वित्त उपलब्ध करने में सहायता मिलेगी। शेयर खरीदने के लिए बैंको से ऋण प्राप्त करने में भी सहभागियों की सहायता की जाती है ।

वित्तीय सहायता के अतिरिक्त सहकारी समितियां निम्नलिखित सुविधाओं की भी हकदार होगी :—

(1) उपयुक्त परियोजनाएं, प्रक्रियाएं, उपकरण आदि का चयन करने में उद्यमियों की सहायता के लिए परामर्श/मंत्रण सेवा ।

(2) सम्भाव्यता रिपोर्टें तैयार करने में 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता ।

(3) अवस्थापना जिसमें विकसित भू-खण्ड, औद्योगिक शैड, सामान्य सुविधाएं भी सम्मिलित हैं ।

(4) अन्य सुविधाएं जैसे, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एक अवधि तक बिक्री कर, चुंगी, बिजली शुल्क आदि में छूट देती हैं। यें प्रोत्साहन अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं।

(5) परियोजना की आवश्यकता के अनुसार उद्यमियों तथा तकनीशियनों को प्रशिक्षण ।

सामान्य पुंजी में अंशदान के लिए तथा पांच लाख रोजगार के अवसर सुलभ करने से संबंधित कार्य-क्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण व्यय की पूर्ति के लिए राज्यों को पूरी केन्द्रीय सहायता दी जाती है। परामर्श सेवाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी तिहाई व्यय के बराबर सहायता दी जाती है।

**टायर निर्माताओं के विदेशी सहयोग सम्बन्धी करारों के नवीकरण की शर्तें**

3832. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर निर्माताओं के विदेशी सहयोग सम्बन्धी करारों के नवीकरण के बारे में सरकार ने कोई शर्तें बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इतने विलम्ब से ऐसी शर्तें बनाने के क्या कारण हैं?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : (क) देश में टायर उत्पादन करने वाली 7 कम्पनियों में से 6 कम्पनियों ने अपने विदेशी सहयोग करारों का निम्न प्रकार से नवीकरण करने का अनुरोध किया था:—

| क्रम सं० | कम्पनी का नाम | आवेदन की तिथि | विदेशी सहयोग करार की समाप्ति की तिथि | सहयोग करार का नवीकरण करने की अवधि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मै० गुडयीयर, इण्डिया लि० | 19–8–71 | 31–8–71 | 5 वर्ष |
| 2 | मै० फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ क० आफ इण्डिया प्रा० लि० . . | 20–5–70 | 16–4–70 | 5 वर्ष |
| 3 | मै० डनलप इण्डिया लि० . | 1–3–72 (संशोधित प्रार्थनापत्र) | 31–12–69 | बताई नहीं गई |
| 4 | मै० सीयेट इण्डिया लि० . | 7–1–70 | 31–5–68 | 5 वर्ष |
| 5 | मै० मद्रास रबड़ फैक्टरी लि० | 2–3–73 | 31–3–73 | 5 वर्ष |
| 6 | मै० प्रीमियर टायरस् लि० | 8–5–72 | 22–2–72 | 5 वर्ष |

2. सरकार ने मै० फायरस्टोन टायर तथा रबर कम्पनी प्रा० लि० बम्बई की विदेशी सहयोग व्यवस्था के नवीकरण को रद्द कर दिया है क्योंकि यह कम्पनी 100 प्रतिशत विदेशी स्वामित्व वाली है और कोई विस्तार प्रस्ताव उनके पास नहीं हैं। मै० गुडयीयर, मै० सीएट तथा मै० डनलप के प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रेतर पांच वर्ष की अवधि के लिए उन्हें सहयोग प्रबंधों का नवीकरण करने की स्वीकृति दी है:—

(1) पहले से स्थापित उत्पादन पर कोई रायलटी नहीं दी जायेगी;

(2) रियायती दर पर रायलटी विस्तारित क्षमता का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए केवल विस्तारित क्षमता पर ही दी जायगी;

(3) पूर्व के करार की समाप्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक निर्माता द्वारा किये गये निर्यात पर भी रायलटी देने की अनुमति होगी;

(4) करार की बढ़ायी गई अवधि में कम्पनी को उपयुक्त अनुसन्धान और विकास सुविधा स्थापित करनी चाहिए ताकि बढ़ायी गई अवधि में अन्त में सहयोग करार के नवीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाये।

3. मै० मद्रास रबर फक्टरी लि० तथा मै० प्रीमियर टायर लि० के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ख) विदेशी सहयोग करारों के नवीकरण के प्रस्तावों की गुणावगुणों के आधार पर जांच की जाती है तथा जहां सरकार को यह संतुष्टि है कि विदेशी सहयोगी द्वारा लगातार सहायता आवश्यक है तथा संबन्धित भारतीय कम्पनी तथा देश के लिए लाभप्रद है ऐसे विशेष मामलों में स्वीकृति दी जाती है। ऐसे मामलों में सहयोग करारों के नवीकरण को स्वीकृति देते समय कुछ शर्तें लगाने की सरकार की प्रसामान्य नीति है ताकि करारों के लिए बढ़ायी गई अवधि में करार की शर्तों को कम कर दिया जाये अथवा अधिक अपने हित का किया जाये।

### Diversion of M. P. Cement Quota to U. P.

**3833. Shri Phool Chand Verma:**

**Dr. Laxminarayan Pandeya:**

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether the cement quota meant for Madhya Pradesh has been given to Uttar Pradesh; and

(b) if so, the reasons therefor?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Mukherjee):** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

### सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई रुग्ण कपड़ा मिलों की आस्तियां

3834. **श्री श्याम नन्दन मिश्र :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई रुग्ण कपड़ा मिलों की संख्या क्या है और उन की कुल आस्तियां कितनी हैं;

(ख) सरकार ने अपने अधिकार में लेने के पश्चात उनमें कितना पूंजी निवेश किया है; और

(ग) उन मिलों में आज तक कितना सुधार हुआ है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :** (क) सरकार ने 103 रुग्ण मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है। उपलब्ध तुलना-पत्र के अनुसार 95 मिलों की कुल आस्तियां 115.51 करोड़ रुपये की हैं। इस समय बाकी 8 मिलों के तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार की ओर से राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने (31 जुलाई, 1973 तक) 87 मिलों को 19.43 करोड़ रुपये के ऋण दिये हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सरकारों/राज्य वस्त्र निगमों ने इन मिलों को 22.79 करोड़ रुपये के ऋण दिये हैं।

(ग) उन अधिकांश मिलों में, जो एक वर्ष से अधिक सरकार के अधीन कार्य कर रही है, लाभ बढ़ा है या लाभ/हानि (मूल्यह्रास निकाल कर) के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार मिलों में 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 में नुक्सान में कमी हुई है।

## सूती धागे का थोक मूल्य सूचकांक

**3835. श्री समर मुखर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सलाहकार के अनुसार सूती धाग के थोक सूचकांक में 1971 के अन्त के मूल्यों की तुलना में 1972 में कमी हुई है और इसी अवधि में सूती कपड़े के उत्पादन में केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(ख) सरकार सूचकांक और वस्तु स्थिति में इस अन्तर के क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) दिसम्बर, 1972 के अन्तिम सप्ताह में सूती धागे के थोक मूल्य के सूचकांक में दिसम्बर, 1971 के अन्तिम सप्ताह के सूचकांक की अपेक्षा 0.2 प्रतिशत की मामूली गिरावट दिखाई पड़ती है। इसी अवधि के दौरान सूती वस्त्रों के मूल्य सूचकांक में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई पड़ती है।

(ख) इसको स्पष्ट करने वाला विवरण जानकारी के लिए सभा पटल पर रखा जाता है।

### विवरण

(ख) थोक मूल्यों का सूचकांक का आधार वर्ष 1961-62 है जिसके लिए वर्ष 1962 में उत्पादन का जो नमूना था उसे समूचे सूचकांक में विभिन्न वस्तुओं तथा प्रत्येक वस्तु के अन्तर्गत विभिन्न श्रमिकों के उत्पादन का मूल्यांकन निर्धारित करने के लिए उपयोग में लाया गया अनुबन्ध-1 में थोक मूल्य सूचकांक तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग में लाए गए मूल्य-उध्वरणों की संख्या के साथ साथ सूत के नम्बर से सूती धागे के उस उत्पादन के नमूने का उल्लेख किया गया है जो वर्ष 1961 और 1972 में भी था। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5456/73**] और यह भी दिखाया गया है कि सूचकांक में विभिन्न वर्गों के सूत का कितना प्रतिशत भाग है तथा नम्बर के हिसाब से विभिन्न प्रवर्गों के सूत का प्रतिशत भाग कितना है। अनुच्छेद-2 में इसी तरह की सूचना मिल में बने कपड़े के बारे में है, जिन्हें मोटे कपड़े, मध्यम श्रेणी के कपड़े, फाइन और सुपर फाइन कपड़े के रूप में विभक्त किया गया है और 1961 में विभिन्न वर्गों के कपड़े का उत्पादन दिखाया गया है [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7456/73**] कुल कपड़ा उत्पादन में मोटे, मध्यम, फाइन तथ सुपर फाइन कपड़े का उत्पादन प्रतिशत दिखाया गया है। मूल्य सूचकांक तैयार करने में मोटे, मध्यम, फाइन और सुपर-फाइन किस्म के कपड़े के लिए उपयोग में लाए गए मूल्य उध्वरणों की संख्या दी गई है और परिणामस्वरूप कपड़े के कुल मूल्य सूचकांक में विभिन्न वर्गों, के कपड़े के प्रतिशत का भार भी दिखाया गया है।

2. अनुच्छेद 1 से सर्व प्रथम यह दिखाई पड़ जाएगा कि विभिन्न नम्बरों के सूत के लिए उपयोग मे लाए गए मूल्य उध्वरणों की संख्या वर्ष 1961 में तैयार किए गए विभिन्न नम्बरों के सूत के प्रतिशत से मेल खाती है, अलावा इसके कि अधिक अच्छे नम्बर के सूत अर्थात् 40 नम्बर से ऊपर के सूत के लिए मूल्य उध्वरण उपलब्ध नहीं है और, दुसरी बात यह है कि 1961 व 72 के बीच विभिन्न नम्बर के सूत के नमूने में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

3. यद्यपि 41 तथा इससे अधिक (नम्बर) वाले सूत की कोई मूल्य-उध्वरण उपलब्ध नहीं है तो भी 1961 में ऐसे सूत के उत्पादन का कुल प्रतिशत आधार वर्ष में 7 प्रतिशत के कम का। 1972 में यह प्रतिशत बढकर 12 हो गई है।

4. यद्यपि यह सत्य है कि सूत के सूचकांक में 41 तथा उससे अधिक नम्बर वाले सूत के मूल्य में हुए परिवर्तन सम्मिलित नहीं है तो भी यह दिखाई देगा कि यह सूचकांक अभी भी अपने उत्पादन के अनुपात में, भिन्न भिन्न संवर्गों के सूत का मोटे रूप से प्रतिनिधित्व करता है जो देश में सूत के उत्पादन का लगभग 88 प्रतिशत है।

5. इसी प्रकार सूती कपड़े के बारे में भी थोक मूल्य सूचकांक के बताने में भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े का प्रतिनिधित्व मोटे तौर पर देश में भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े के उत्पादन के परिणाम के अनुरुप होता है। फाइन तथा सुपरफाइन इन दोनों प्रकार के उत्पादन की मात्रा के रुप में भार से कुछ अधिक होने का प्रथम कारण यह है कि ऐसा महसूस किया गया है प्रत्येक वर्ग के लिए एक से अधिक निर्ख का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए तथा इसका दूसरा कारण यह है कि मूल्य में फाइन व सुपरफाइन किस्मों का उत्पादन मूल्य मोटे व दर्मियानी वर्ग के कपड़े के उत्पादन में समानुपातत: अधिक होगा।

6. अनुबन्ध–2 से यह भी पता चलेगा कि 1961 व 1972 के बीच भिन्न भिन्न वर्गों के कपड़े के उत्पादन के नमूने में परिमाणत: कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है सिवाय इसके कि सुपरफाइन किस्म के कपड़े का प्रतिशत मोटे कपड़े को नुकसान पहुंचा कर बढ़ा है।

7. अत: सूत व सूती कपड़े के उत्पादन के नमूने तथा इन वर्गों के भिन्न भिन्न प्रकार के मूल्य निर्ख के अंश के रुप में यह विश्वास करने के लिए कोई आधार नहीं है कि देश में सूचकांकों से सूती धागे तथा सूती कपड़े के थोक मूल्यों की गतिशिलता नहीं दिखलाता।

8. इस संदर्भ में यह भी देखा जा सकता है कि उल्लिखित मूल्य सूचकांक थोक भावों के हैं, खदरा भावों के नहीं दूसरे शब्दों में बताए गए मूल्य की गतिशीलता थोक स्तर के सौदों स सम्बन्धित है। सूचकांकों का शीघ्रता से संकलन व प्रकाशन करने में सहायता करने के लिए जो निर्ख प्राप्त की गई हैं वे कपड़ के संबंध में थोक सौदों के प्रथम चरण स सम्बन्धित हैं। सूत के मामले में दो निर्ख थोक सौदों; अर्थात कारखाने से चलते समय के प्रथम चरण में है जबकि छ: निर्ख बाजार में थोक मूल्य निर्खों से सम्बन्धित हैं।

## Closure of Khadi Commission Office at Patna

3836. **Shri Bhogendra Jha:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether the Khadi Commission closed down their office at Patna on the 16th August, 1965 and merged the same with the Bihar Khadi Board and as a result thereof 50 workers of the Patna Office were absorbed in the said Khadi Board;

(b) whether the Khadi Commission has again decided to take over the rebate work in Patna;

(c) if so, whether all the workers working on the rebate work for the last 15 years would be taken back; and

(d) if not, the reasons therefor and the steps proposed to be taken for providing employment to them?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari):** (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

## डालमिया सीमेंट का उत्पादन

3837. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर–सरकारी क्षेत्र में सीमेंट का उत्पादन कितना होता है;

(ख) यदि हां, तो डालमिया सीमेंट का मासिक औसत उत्पादन कितना है ;

(ग) सरकारी एजेन्सी के माध्यम से वितरण और उनके अपने माध्यमें से वितरण के बीच कितना अनुपात है और उपरोक्त एजन्सियों के बीच विक्रय मूल्य में कितना अन्तर है;

(घ) क्या सरकार को पता है कि इस समय उपरोक्त ब्रांड के सीमेंट की बाजार दर सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से बेचे जाने वाले सीमेंट की विक्रय दर से बहुत अधिक है; और

(ङ) इस अन्तर को दूर करने और उपरोक्त फर्म द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :** (क) गैर-सरकारी क्षेत्र में जनवरी से जुलाई, 1973 तक सीमेन्ट का उत्पादन 73.27 लाख मैट्रिक टन था।

(ख) डालमिया सीमेन्ट (ख) डालमिया पुरम का जनवरी से जुलाई, 1973 की अवधि में मासिक औसत उत्पादन 28.72 मैट्रिक टन था।

(ग) और (घ) डालमिया सीमेन्ट (ख) लिमिटेड द्वारा निर्मित सीमेन्ट का कोई भी भाग सरकारी अभिकरणों के माध्यम से नहीं बेचा जाता है। सीमेन्ट का रोल के गन्तव्य स्थान तक निःशुल्क पहुंचाने की मूल्य 141 रुपये प्रति मीट्रिक टन है तथा प्रतिटन 2 रुपये छूट सरकारी विभागों का इस सप्लाई के लिये दी जाती है जिसकी मांग संभरण तथा निपटान के महानिदशालय के माध्यम से दर संविदा पर की जाती है। जनवरी से जुलाई, 1973 की अवधि में दर संविदा वाली पार्टियों को उत्पादन का 55.9 प्रतिशत सीमेन्ट सप्लाई किया गया था।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री कल्याण कुमार बसू द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करने के मामले की जांच**

**3838. श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री कल्याण कुमार बासू द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन किए जाने के बारे में 8 महीने अधिक समय से की जारही जांच अब पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तसम्बन्धी निष्कर्ष क्या है ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) श्री कल्याण कुमार बसू द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के तथाकथित उल्लंघन करने के बारे में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जारही जांच पड़तालें अभी तक पूरी नही हुई हैं। इस बीच, श्री बसू ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएं दायर की हैं और ये मामले न्यायाधीन हैं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

**वर्ष 1973 में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन के मामले**

**3839. श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन के मामलों में वृद्धि है;

(ख) यदि हां, तो 1973 में 31 मई, 1973 तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और

(ग) विभाग ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

## आन्ध्र प्रदेश के वारंगल जिले में हरिजनों की हत्या

3840. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश के वारंगल जिले में हरिजनों की नृशंस हत्या के बारे में संसद् सदस्यों से कोई रिपोर्ट मिली है ;

(ख) क्या इन पत्रों में यह आरोप लगाया गया है कि अपराधी जाली नोट बनाते हैं और उन्होंने जिले के पुलिस अधिकारियों को भारी रिस्वत दी है ;

(ग) क्या उक्त अधिकारियों को इस बीच मुअत्तल कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) और (ख) सरकार को इस विषय पर सदस्य महोदय से एक पत्र प्राप्त हुआ है ।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 13 अप्रैल, 1973 को अकीनेपल्ली मलारम गांव में एक घटना हो गई थी जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा पांच हरिजन मजदूरों को पीटा गया था। एक हरिजन चोट के कारण 14 अप्रैल को मर गया था। साक्ष्य को नष्ट करने के लिए मृतक शरीर को समाप्त किया गया और शेष चार हरिजनों को उस स्थान से निकाल दिया गया था। तत्पश्चात् पुलिस पटेल द्वारा स्थानीय पुलिस को हत्या की सूचना दी गई थी। एक मामला दर्ज किया गया था परन्तु जांच में कोई प्रगति नही हुई क्योंकि शिकायत कर्ता तथा अभिमुक्त दोनों गांव से फरार हो गये थे। गांव के लोग भी प्रत्यक्ष रूप से गवाही देने के लिए आगे नही आए। 7 मई, 1973 को पुलिस अधीक्षक के साथ वारंगल का कलेक्टर उस गांव में गया और मामले की जांच की। उसके बाद 17 अभियुक्त व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और 17 जुलाई, 1973 को अभियोग पत्र प्रस्तुत किए गये थे।

मामले की जांच में कुछ विलम्ब हुआ था क्योंकि उस हरिजन का मृतक शरीर उपलब्ध नहीं था और अन्य चार हरिजन मजदूर भी गांव छोड़ गये थे। पुलिस को अभियुक्तों द्वारा अपनी ओर कर लेने का आरोप जांच के दौरान सिद्ध नही हुआ था। दूसरी ओर यह सन्देह है कि अभियुक्तों द्वारा स्वयं यह आरोप प्रेरित किया गया था।

## आसाम में आदिवासी विकास बोर्ड

3841. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के आदिवासी नेताओं ने राज्य में 10 लाख से अधिक आदिवासियों का उत्थान करने हेतु आदिवासी विकास बोर्ड के गठन की आवश्यकता पर बल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) देश भर में सभी आदिवासियों का उत्थान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या इस सम्बन्ध में कोई वृहद् योजना बनाई गई है ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) और (ख) : असाम के आदिवासी नेता 2 अप्रैल, 1973 को असम के मुख्य मंत्री से मिले और राज्य के मैदानी भाग के आदिवासियों के विकास के लिए उनके सामने मांग रखी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) आदिवासियों के विकास के लिए नई योजना के अनुसार पांचवी पंच वर्षीय योजना में अनेक कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। पांचवो पंच वर्षीय योजना को अंतिम रुप दिया जा रहा है। असम के मैदानी भागों के आदिवासियों के लिए किए जाने वाले ठोस उपायों का निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य रूप रेखा को अंतिम रुप देने के बाद किया जायेगा।

**Financial assistance to states for providing free Education to Harijans and Adivasis**

**3842. Shri Dhan Shah Pradhan:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the amount of financial assistance given by Government to each State for providing facilities in regard to free education to Harijans and Adivasis during the last two years;

(b) whether the Madhya Pradesh Government have urged the Central Government to increase this amount during the current year; and

(c) if so, the reaction of Central Government thereto?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin):** (a) Educational facilities upto pre-matric level are provided by State Governments to all boys and girls including those belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. However, under the State Sector Programme of Backward Classes Welfare, special provision is made to supplement the efforts of the general education sector for education of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The following amounts have been spent on various educational schemes for Scheduled Castes and Scheduled Tribes during the last two years under the State Sector of Backward Classes Welfare —

(Rs. in lakhs)

| | 1971—1972 | 1972—73 |
|---|---|---|
| Scheduled Castes | 441·40 | 632·81 |
| Scheduled Tribes | 416·80 | 735.31 |

State-wise expenditure is given in the statement attached at Annexure—I. **[Placed in Library. See No. L.T. 5457/73.]**

The expenditure on the schemes under the State Sector is shared between the Central Governments and State Governments. The Central assistance is given to the States in the form of block grant and block loan every year.

2. Under the Central Sponsored Programme where the expenditure is met 100% by Central Government, there are two schemes for educational advancement among Scheduled Castes and Scheduled Tribes viz. (i) Post-matric scholarships and (ii) Girls Hostels. The following amounts have been allocated to the States during the last two years under this sector:—

(Rs. in lakhs)

| | 1971—1972 | 1972—73 |
|---|---|---|
| Scheduled Castes | 335.44 | 415.37 |
| Scheduled Tribes | 84.59 | 96.02 |

State-wise allocations are given in the statement attached at Annexure II. **[Placed in Library. See No. L.T. 5457/73.]**

(b) and (c) No such request has been received from the Government of Madhya Pradesh for the schemes under the Centrally Sponsored Programme.

2. The outlays proposed by the State Government and recommended by the Working Group for educational schemes for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1973-74 under the State Sector are as under:—

(Rs. in lakhs)

| | Outlay proposed by State Govt. for 1973—74. | Outlay re commended by working Group foi 1973—74 |
|---|---|---|
| Scheduled Castes. | 88.70 | 88.70 |
| Scheduled Tribes. | 234.95 | 237.95 |

**कृत्रिम अंगों का निर्माण करने के लिए संयंत्र के कल-पुर्जे**

3843. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृत्रिम अंगों का निर्माण करने हेतु संयंत्र की स्थापना के लिए स्थानचयन कर सम्बन्धी गुजरात राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव अभी तक सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी विदेशी सहयोग की आवश्यकता होगी ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :**

(क) औद्योगिक विकास मंत्रालय के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव नही है।

(ख) और (ग) उपर दिए गए (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नही उठते।

**'फ्लाई-ऐश' का भवन-निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग**

3844. **श्री वी० मायावन :**

**श्री पी० ए० सामिनाथ :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 40 लाख टन 'फ्लाई-ऐश' प्रति वर्ष उपयोग न हो सकने के कारण बेकार जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल में पता चला है कि इसे भवन-निर्माण के काम में लाया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इसका उपयोग करने के लिए बनाए गए कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) जी हां, यह अनुमान लगाया गया है कि 40 लाख टन फ्लाई-ऐश प्रतिवर्ष बेकार जाती है।

(ख) जी हां।

(ग) (1) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, दिल्ली, का एक प्रस्ताव है कि फ्लाई-ऐश के प्रयोग द्वारा कोशिकामय कंकरीट के खण्ड बनाय जायें।

(2) राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति (एन० सी० एस० टी०) ने केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सी० बी० आर० आई०), रुड़की केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी०आर० आर०आई०), नई दिल्ली और भारत के सीमेन्ट अनुसंधान संस्थान के संयुक्त प्रयासोंसे फ्लाई-ऐश द्वारा भवन सामग्री बनाने की एक बृहत योजना तैयार करने का कार्य आयोजित किया है।

(3) दिल्ली के समीप बदरपुर के निर्माणधीन बिजलीघर के पास सीमेंट बनानें में फ्लाई-ऐश के प्रयोग करने संबंधी एक प्रस्ताव की जांच चल रही है।

इसके अतिरिक्त, देश के दक्षिणी भाग में एन्नोर बिजली घर से प्राप्य फ्लाई-ऐश का प्रयोग पहले से ही बिजली घर में स्थापित कोशिकामय कंकरीट संयंत्र में किया जाता है। नैवली लिग्नाईट कार्पोरेशन में, उसके बिजली घर से प्राप्त होने वाली फ्लाई-ऐश का प्रयोगभवन निर्माण संबंधी कार्यों में बहुत पहल से किया जाता है। दक्षिणी भारत में एक समय सीमेंट बनाने वाली दो फर्मों—मसर्स इंडिया सीमेंट और मैसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लि०—पोजोलोनल सीमेंट को बनाने और बाजारीकरण करने के लिए नैवलों से फ्लाई-ऐश खरीद रही थीं। तामिल नाडू सरकार का सड़क और सार्वजिनक निर्माण विभाग अपने निर्माण कार्यों में फ्लाई-ऐश का प्रयोग कर रहा है।

## मध्य प्रदेश को सीमेंट के नियतन में कटौती को बहाल करना

3845. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर मध्य प्रदेश में कुछ उद्योग बंद होने वाले है तथा यदि यही स्थिति रही तो सिमेंट का उपभोग करने वाले बडी संख्या में लघु उद्योग बंद हो जाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो उद्योगों के लिए सीमेंट के नियतन में कटौती को बहाल करने तथा उपभोक्ता उद्योगों को सीमेंट कारखानों से सीमेंट की शीघ्र सप्लाई कराने के उपाय खोजने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** :(क) विभिन्न राज्यों के विद्युत बोर्डों द्वारा लगाई गई बिजली की भारी कटौती के कारण मात्रा में पर्याप्त कोयला पानी उपलब्ध न होने तथा कुछ कारखानों में हड़तालों आदि के कारण मध्य प्रदेश राज्य सहित सारे देश में सीमेंट की सामान्य कमी रही है अतः यह असम्भव नहीं है कि इसका कुछ प्रतिकूल प्रभाव लघु उद्योगों पर पडा है।

(ख) सीमेंट की उपलब्ध मात्रा का समान वितरण करन के लिए प्रत्येक राज्य के लिए 1 जुलाई, 1973 से 30 जून, 1974 तक के लिए उनकी पिछले पांच वर्षों की खपत के आधार पर कोटे निर्धारित किए गए हैं तथा राज्य सरकारों की सिफारिशों के अनुसार उन्हें आवन्ठन किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए 4.91 लाख मी० टन की मात्रा निर्धारित की गयी है जिसमें केन्द्रीय सरकार के विभागों, उपक्रमों आदि की आवश्यकता को सम्मिलित नहीं किया गया है तथा जिसकी केन्द्र द्वारा अलग से पूर्ती की जाएगी। लघु उद्योगों को अपना कोटा राज्य सरकारों के कोटे से संबंधित राज्यों द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर प्राप्त करने होंगे। रेलव के साथ निकट सम्पक बनाए रखा जाता है ताकि सीमेंट कारखानों से उपभोक्ता उद्योगों तक सीमेंट की शीघ्रता से पहुंचाने का सुनिश्चय किया जा सके। दूर स्थित कारखानों को महंग मार्गोंपर अधिक दर पर सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए विशिष्ट मामलों में उपयुक्त अनुमति दे दी गई है। सड़कों द्वारा और अधिक सीमेंट भेजने के लिए भी अनुमति दे दी गई है। 100 किलो मीटर से अधिक दूर स्थित गन्तव्य स्थानों की सड़क द्वारा सीमेंट भजने के लिए उत्पादकों को रेल भाड़े पर 1250 प्र० तक की प्रतिपूर्ति की अनुमति भी दे दी गई है।



6—23 LSS (ND)/73

**सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिए कपड़ा मिलों के बिक्री एजेन्टों के रूप में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की नियुक्ति**

3846. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

**श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

**क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिए गए कपड़ा मिलों के उत्पादनों का विपणनरों करने हेतु इन मिलों ने क्या नीति अपनाई है ;

(ख) क्या सरकार ने इन मिलों के बिक्री एजेन्टों और वितरकों के रूप में शिक्षित बेरोजगा को नियुक्त करने सम्बन्धी कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :** (क) सरकार के राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा नियन्त्रित मिलों के बिक्री कार्य का संचालन सीधे उन्हीं मिल के प्रबन्धकों द्वारा किया जाता है। मिलों के लिये बिक्री एजेन्टों की दीर्घकालीन और अल्पकालीन नियुक्ति के प्रश्न पर मिल के प्रबन्धकों और राष्ट्रीय वस्त्र निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के सदस्यों की एक समिति द्वारा विचार किया जाता है तथा स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस समिति द्वारा एजन्टों के आवेदन पत्रों की जांच कर लेने के पश्चात् प्रस्ताव मिल की अधीक्षण समिति के समक्ष बिक्री एजेंटों के नामों पर अंतिम फैसला करने के लिए रखा जाता है। राज्य वस्त्र निगम तथा अन्य अधिकृत नियंत्रक/कस्टोडियन अपनी प्रक्रियाओं के अनुसार अपने एजंटों की नियुक्ति स्वयं करते हैं। सरकार प्रबंधित मिलों को भी अपने निकटवर्ती ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कम से कम 10 खुदरा बिक्री की दुकाने की सलाह दी गई है ताकि समाज के कमजोर वर्ग को नियन्त्रित तथा अन्य प्रकार के कपड़ों को उचित मूल्य में प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। सरकार प्रबन्धित मिले भी नियन्त्रित कपड़ों और सुत के विपणन और वितरण के सम्बन्ध में वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी किये जाने वाले सभी निदेशों का पालन करती है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। शिक्षित बेकारों को सरकार प्रबन्धित मिलों के बिक्री एजन्ट और वितरक नियुक्त न करने का कारण कपड़े के व्यापार में उनकी अनुभव शुन्यता तथा उनपर अपेक्षित धन का न होना रहा है।

**दिल्ली विश्वविद्यालय प्रांगण में अपराध के मामले**

3847. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :**

**श्री डी० के० पण्डा :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षो में दिल्ली विश्वविद्यालय प्रांगण में अपराध की कुल कितनी घटनाएं हुई ह और उनका ब्योरा क्या है;

(ख) क्या समाचारपत्रों में प्रकाशित सब घटनाओं की ओर विश्वविद्यालय अधिकारियों का ध्यान गया है और क्या विश्वविद्यालय के भीतर ही ऐसी कोई व्यवस्था है जहां कि छात्र अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं; और उक्त अवधि में ऐसे कितने मामले हुए हैं ;

(ग) कितने मामलों में विश्वविद्यालय अधिकारियों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी है और सब मामलों की रिपोर्ट दर्ज न कराने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रत्येक मामले में उठाये गये विशिष्ठ कदमों का दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा और धीमी प्रगति के कारण क्या हैं; और

(ङ) कितने मामलों में अपराधियों को सजा दी गई है और क्या सजा दी गई है ?

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) और (घ) दिल्ली प्रशासन तथा पुलिस रिकार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में सन् 1971–72 और 1973 (30 जून तक) बताया जाता है कि कुल 278 अपराधिक मामले हुए थे। क्योंकि मामलों की संख्या बहुत अधिक है अत: तथ्य बतलाने तथा प्रत्येक मामले में हुई कार्यवाही बताना बहुत कठिन होगा। मामलों की इतनी बड़ी संख्या के ब्यौरे एकत्रित करने में लगने वाला समय प्राप्त उद्देश्य के अनुरूप नही होगा। शिकायतें प्राप्त होने पर शीघ्र ही पुलिस द्वारा कानून में उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जाती है। किन्तु पुलिस को सूचित 278 मामलों के संबंध के शिकायतों की वर्तमान स्थिति संलग्न i, ii और iii, विवरणों में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5458/73]**

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय केवल पुलिस प्राधिकारियों के साथ उन्हो मामलों को हाथ में लेता है जो कि विद्यार्थियों अथवा प्रधानाचार्यों अथवा विद्यार्थी कल्याण के डीन अथवा प्रोक्टर द्वारा सूचित किए जाते हैं। विश्वविद्यालय में विद्यार्थी कल्याण का डीन वह प्राधिकारी है जिसके पास विद्यार्थी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। जबकि अपराधिक मामले पुलिस को सूचित किए जाते हैं अनुशासन हीनता के मामले स्वयं विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा निपटाये जाते हैं। अनुशासनहीनता के मामलों में उप कुलपति द्वारा नियुक्त एक समिति मामले की जांच करती है और समिति की शिफारिशों पर निर्णय दिया जाता है। कालेज तथा विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को सूचित मामलों की संख्या के बारे में सूचना सहज उपलब्ध नहीं है। किन्तु 1971, 1972 और 1973 (जून तक) पुलिस को सूचित 278 मामलों में से 238 मामले विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा और 40 विद्यार्थियों द्वारा दर्ज कराये गये थे।

(ङ) 8 मामलों में व्यक्तियों को दी गई सजा विवरण 4 में बतलाई गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5458/73]**

### विशेष डाक टिकट और 'फस्ट डे कवर'

3848. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग द्वारा वर्ष 1973 की शेष अवधि में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नेताओं और संस्थाओं के सम्मान में निकाले जाने वाले विशेष डाक टिकटों और 'फस्ट डे कवरों' का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आगामी वर्ष 1974 के लिए इस संबंध में प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)**: (क) इस संबंध में एक सूची अनुबंध 'क' में दी जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## विवरण

**अनुबंध 'क'**

वर्ष 1973 की बाकी अवधि में विशेष/स्मारक डाक टिकट जारी करने का कार्यक्रम

| डाक-टिकट जारी करने की तारीख | विषय | डाक-टिकटों की संख्या |
|---|---|---|
| शताब्दी | डाक-टिकट माला | |
| 27-9-73 | विट्ठल भाई पटेल (राष्ट्रीय नेता) जन्म शताब्दी | 1 |
| | रमेश चन्द्र दत्त (125 वी वर्षगांठ) | 1 |
| | के० एस० रणजीतसिंहजी (क्रिकेट खिलाड़ी) शताब्दी वर्ष | 1 |
| 30-9-73 | राष्ट्रपति के अंग-रक्षक दल की अर्ध शताब्दी | 1 |
| 9-10-73 | इंटरपोल | 1 |
| 17-10-73 | सर सय्यद अहमद खां (अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक) | 1 |
| 14-11-73 | भारत अन्तर्राष्ट्रीय फिलैटली प्रदर्शनी—1973 | 3 |
| 25-12-73 | चक्रवर्ती राज गोपालाचारी की पहली बरसी | 1 |
| 27-12-73 | भारतीय मुखौटे | 4 |
| 1973 | लखनऊ विश्व विद्यालय (अस्थायी) | 1 |

### लाइसेंस प्राप्त क्षमता में वृद्धि कर के वस्तुओं के निर्माण की अनुमति

3849. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में देश में औद्योगिक क्षेत्र में विकास की दर में गतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने औद्योगिक एककों की उनकी निर्धारित क्षमता के अनुसार निर्माण करने की अनुमति देने अथवा यदि आवश्यक हो तो उनकी क्षमता को बढ़ाने की अनुमति देने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति में ढील देने की समान नीति को सब उद्योगों में लागू करने के बारे में विचार किया गया है; और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि सरकार ने उक्त नीति स्वीकार कर ली है तो क्या सरकार का विचार उन सब औद्योगिक गृहों के विरुद्ध मामले न चलाने का है जिन पर इस समय अनुमति प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन करने के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है और ऐसे मामलों की संख्या कितनी है?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग)** सरकार ने 54 विशिष्ट उद्योगों में उपलब्ध क्षमता का और अधिक उपयोग करने के लिये 1972 के शुरु में कुछ रियायतों की घोषणा की थी जिनमें अक्टूबर 1972 में 11 और उद्योग बढ़ा दिये गये थ। चूंकि इन 65 विशिष्ट उद्योगों में प्राथमिकता प्राप्त उद्योग आ जाते थे, अत: यह छूट अन्य उद्योगों को भी देने की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई। 65 उद्योगों की क्षमता में वृद्धि के लिये स्वीकृती प्रदान करते समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस प्रकार की स्वीकृति का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रार्थी द्वारा लाइसेन्स प्राप्त क्षमता से अधिक विस्तार करने अथवा कोई गर-कानूनी काम करने को नजरन्दाज कर दिया जायेगा। ऐसे मामलों में उचित दण्ड देने अथवा जो भी अन्य आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता समझी जायेगी उसे करने के लिय सरकार का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

**राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा विकसित "गैस लेसर" का निर्माण**

**3850. श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा विकसित "गैस लैसर" का निर्माण फर्मों द्वारा किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें "गैस लैसर" के निर्माण की अनुमति दी गई है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) जी हां ।

(ख) मैसर्स के एल बी इलैक्ट्रोनिक्स, नई दिल्ली और मैसर्स थरमामीटरर्स एण्ड थर्मामीटर्स एप्लाऐंसेज, नई दिल्ली को प्रविधि का लाइसैन्स दे दिया गया है । इन फर्मों ने अभी तक इसका उत्पादन कार्य प्रारंभ नहीं किया ।

**राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का स्थानान्तरण**

**3851. श्री अरविन्द एम० पटेल :**

**श्री डी० पी० जदेजा :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माउन्ट आबू स्थित राष्ट्रीय पुलिस अकादमी को किसी नये भवन में स्थानान्तरित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके नये स्थान पर कब तक स्थानान्तरित किये जाने की आशा है ?

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राष्ट्रीय पुलिस अकादमी को माउन्ट आबू में कोई अन्य उपयुक्त स्थान उपलब्ध होते ही दूसरे भवन में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ।

**समाचारपत्रों को अखबारी कागज की सप्लाई में 30 प्रतिशत की कटौती लागू करने सम्बन्धी आदेश में ढील देने के लिए राज्य सरकारों का अभ्यावेदन**

**3852. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों विशेषकर महाराष्ट्र से प्राप्त अभ्यावेदनों के फलस्वरूप समाचार पत्रों को अखबारी कागज की सप्लाई में 30 प्रतिशत की कटौती लागू करने सम्बन्धी आदेश में ढील देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को ये अभ्यावेदन भेजे हैं और उन्होंने क्या रियायतें मांगी है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है और क्या यह रियायत दैनिक समाचारपत्रों के अलावा साप्ताहिक पत्रों पर भी लागू होगी ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) :** (क) से (ग) किसी भी राज्य सरकार से ऐसा कोई अभ्यावेदन केन्द्रीय सरकार को नहीं मिला है । तथापि, महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री के नाम एक पत्र के साथ उस नोट की एक प्रति भेजी है जो बम्बई यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स द्वारा उनको (मुख्य मंत्री को) दिया गया था अन्य बातों के साथ-साथ उस नोट में यह भी सुझाव दिया गया है कि सरकार के लिए एक समान कटौती करने की बजाय ग्रेड के अनुसार कटौती करना सम्भव होना चाहिए ।

अखबारी कागज के कोटे में 30 प्रतिशत की कटौती इसलिए की गई है, क्योंकि समाचारपत्रों को वितरणार्थ अखबारी कागज की उपलब्धि में उतनी ही मात्रा में कमी हो गई है। सभी समाचार-पत्रों को अखबारी कागज की सप्लाई में एक समान कटौती अखबारी कागज के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए की गई है।

**छात्रों को विदेश भेजने के झूठे आश्वासनों पर "राष्ट्रमण्डल छात्र तथा युवक संघ" द्वारा लाखों रुपये की राशि का इकट्ठा किया जाना**

3853. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे समाचार मिले हैं कि राष्ट्रमंडल छात्र तथा युवक संघ के नाम से एक गैर-मान्यता प्राप्त निकाय विभिन्न सांस्कृतिक तथा शैक्षिक उद्देश्यों से छात्रों को विदेश भेजने के झूठ आश्वासनों पर विभिन्न साधनों से लाखो रुपये इकट्ठा कर रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संघ की गतिविधियां के बारे में जांच की है ; औ .

(ग) इस गिरोह में कौन-कौन पदाधिकारी (आफिस बीयरर्स) तथा अन्य व्यक्ति सम्बद्ध हैं और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन):** (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार देश और विदेश में भारतीय तथा राष्ट्रमंडल छात्र और युवक संघ, के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1968 वर्ष में राष्ट्रमंडल छात्र व युवक संघ, एक अपंजीकृत निकाय, बनाया गया था। श्री हरीकृष्ण शास्त्री और श्री राजकुमार कोहली क्रमश: इसके प्रथम अध्यक्ष और महासचिव थे। अगले वर्ष उनका स्थान श्री रमेश गुप्त और श्री आर० के० नागपाल ने लिया और उनके बाद श्री विजय कुमार और श्री शान्ति दीवान ने।

जहां तक विभिन्न उद्देश्यों के लिए छात्रों को विदेश भेजने के झूठे आश्वासनों पर विभिन्न साधनों से लाखों रुपये इकट्ठा करने का सम्बन्ध है, सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है। गत 2-3 वर्षों में संघ की कोई गतिविधि सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

**Amount given to News Agencies by A.I.R. for News**

3854. **Shri Atal Bihari Vajpayee:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the amount given to various news agencies by All India Radio for the purchase of news during each of the last three years; and

(b) in view of the fact that the All India Radio possesses more resources and facilities as compared to the newspapers, what are the special features of the All India Radio news bulletins in comparison to the newspapers and what special features are proposed to be introduced?

**The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha):** (a) The requisite information is furnished in the statement enclosed.

(b) It is not a fact that A.I.R. possesses more resources and facilities compared to some of the big/important newspapers. The special features of A.I.R.'s news bulletins are their objectivity, brevity in treatment and quicker presentation of home and international news to the listeners. It is also under consideration to introduce some news and special features in the news bulletins.

**Statement I**

*Statement showing Amount paid by News Service Division, All India Radio to various News Agencies*

| Year | PTI | UNI | Hindustan Samachar | Samachar Bharati | Press Asia International | India Press Agency | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | 17,64,295.22 | 4,96,991·35 | 81,776.00 | 49,992·00 | 9,000·00 | — | AIR's subscription to Press Asia International was started w.e.f. 1-9-1970. |
| 1971-72 | 17,92,863·28 | 7,61,154·44 | 1,05,903·70 | 49,960·00 | 18,000·00 | — | |
| 1972-73 | 19,96,477·55 | 8,37,430.70 | 1,11,145·20 | 60,033·31 | 18,000·00 | 3,612·00 | Contribution to India Press Agency started w.e.f. 25-7-72 |

**Statement II**

*Statement showing Amount paid by All India Radio, Hyderabad to Associated News Service, Hyderabad*

| Year | Amount |
|---|---|
| 1970-71 | Rs. 2400·00 |
| 1971-72 | Rs. 2400·00 |
| 1972-73 | Rs. 2400·00 |

**जलपाईगुड़ी जिले को डाक-तार विभाग द्वारा डिविजनल मुख्यालय के रूप में माना जाना**

**3855. श्री आर० एन० बर्मन :**

**श्री बी० के० दास चौधरी :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलपाईगुड़ी जिले को डिवीजनल मुख्यालय के रूप में मानने के लिए इस समय पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के विभिन्न डाकघरों में कार्य कर रहे लगभग 25 कर्मचारीयों को जलपाईगुड़ी जिले की कर्मचारी संख्या में दिखाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) :** (क) जलपाईगुड़ी डाक डिवीजन का मुख्यालैय जलपाईगुड़ी है। इसमें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और कूचबिहार जिले शामिल हैं। इस डिवीजन में जितने कर्मचारी काम कर रहेहैं वे सभी डिवीजन के कर्मचारी हैं। जब किसी डिवीजन में एक से ज्यादा राजस्व जिले होते हैं तो भी कर्मचारियों को ऐसे किसी राजस्व जिले के कर्मचारी नहो माना जाता।

(ख) इस मामले में ऐसी कोई खामी नही है।

**कूच बिहार जिले में डाकघरों का खोला जाना**

**3856. श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कूच बिहार जिले के स्थानीय प्रतिनिधियों ने जिले में अधिक डाकघर, शाखा-डाकघर, उप-डाकघर खोलने के लिए बहुत से अभ्यावेदन दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन अभ्यावेदनों पर मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) :** (क) कूच बिहार जिले के 15 गावों में डाकघर खोलने के वास्ते कुछ अर्जियां प्राप्त हुई हैं। इनके अलावा क्षेत्रीय डाक-तार सलाहकार समिति की बैठक में चौधरीहाट शाखा-डाकघर का दर्जा बढ़ाने और अकराहाट बंदर तथा अटफुकुरी नायरहाट में डाकघर खोलने से सम्बन्धित प्रस्तावों पर भी विचार विनिमय हुआ था।

(ख) अकराहाट बंदर और अटफुकुरी नायरहाट में डाकघर खोले जा चुके हैं और चौधरीहाट शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ा दिया गया है। तथापि, 15 गांवों में डाकघर खोलने के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है।

**चंडीगढ़ के डाकघर में डाक स्टेशनरी की कमी**

**3857. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

**श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ के लगभग सभी डाकघरों में डाक स्टेशनरी की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो डाक स्टेशनरी की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)** :(क) चंडीगढ़ में कुछ डाकघरों में अन्तर्देशीय पत्र कार्डो और पोस्टकार्डों की कमी महसूस की गई थी।

(ख) चंडीगढ़ में इन की कमी की मुख्य वजह यह थी कि रेल के आवागमन में व्यवधान पड़ जाने के कारण डाक लेखन सामग्री का रेलवे कनसाइनमेंट समय में चंडीगढ़ नहीं पहुंचा था। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस को कहा गया है कि वे डाक लेखन सामग्री हवाई मार्ग से चंडीगढ़ भेजें। इस बीच दूसरे मुख्य डाकघरों से चंडीगढ़ के डाकघरों को डाक लेखन सामग्री भेज दी गई है। यह भी फैसला किया गया है कि कोरे अन्तर्देशीय पत्र कार्ड छपवाए जांय और उनके ऊपर 15 नए पैसे के डाक-टिकट चिपका कर उन्हे जनता में बिक्री के लिए रख दिया गया जाय।

**गया, नवादा और जहानाबाद जिलों में नये टेलीफोन कनेक्शन**

**3858. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के गया, नवादा और जहानाबाद जिलों में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन पत्र जनवरी, 1972 में निर्णय लिये जाने के लिए पड़े हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं और मामलों पर निर्णय लेने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)** : (क) गया जिले में सिर्फ अक्तूबर, 1972 से दर्ज अर्जियों पर टेलीफोन कनेक्शन देना बाकी है। जहानाबाद में दो अर्जियों पर टेलीफोन कनेक्शन देना बाकी है। इन अर्जियों का पंजीकरण चालू महीने में हुआ था। सिर्फ नवादा के मामल में जनवरी, 1972 से दर्ज 9 अर्जियों पर टेलीफोन कनेक्शन देना बाकी है।

(ख) देश में एक्सचेंज उपस्कर और दूसरे जरूरी साज सामान की आम कमी है। इसी कारण से टेलीफोन कनेक्शन देने में विलंब हुआ है। तथापि, इस बात की लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि उपलब्ध साधनों से यथासंभव अधिक से अधिक मांगें पूरी की जा सकें।

**फिल्म प्रभाग के रक्षा फिल्म विंग के अधिकारियों के कार्यालय-स्थानों के लिए सरकार द्वारा बहुत अधिक किराया दिया जाना**

**3859. श्री राम कंवर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय फिल्म प्रभाग के रक्षा फिल्म विंग के कार्यालय कहां स्थित हैं ;

(ख) सरकार इन स्थानों के लिए माहवार कितना किराया देती है ; और

(ग) क्या इस संगठन द्वारा बहुत अधिक किराया देने की आलोचना की गई है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह)** :(क) फिल्म प्रभाग का रक्षा फिल्म विंग 'वन्धना,' 11, टाल्सटाय मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है।

(ख) 20,279/— रुपये ।

(ग) फिल्म प्रभाग द्वारा दिए जाने वाले किराये के बारे में दो समाचारपत्रों में छपी आलोचना की सरकार को जानकारी है। जिस क्षेत्र में भवन स्थित है, सरकार उसके किराये को अनुचित नहीं समझती। तथापि, मितव्ययता की दृष्टि से एक एसा प्रस्ताव विचाराधीन है कि फिल्म प्रभाग के दिल्ली में जो कार्यालय है वे इस मंत्रालय के सभी कार्यालयों के लिए नियत सरकार के स्वामित्व के आधिन भवन में रखे जांए।

**पुलिस का अखिल भारतीय संगठन गठित करने की योजना**

3860. **श्री रामकंवर बेरवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 26 मई, 1973 के "हिंदुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि विभिन्न राज्यों के पुलिस संघों के नेताओं ने अपनी जायज़ मांगों के लिए घोर संघर्ष करने हेतु पुलिस कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठन का गठन करने सम्बधी योजनाओं को प्राय: अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समाचार के बारे में वास्तविकता क्या है और पुलिस कर्मचारियों पर इस अभियान का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन)** : (क) और (ख) सरकार समाचार से अवगत है। सरकार को उपलब्ध सूचना से संकेत नहीं मिलता कि पुलिस कर्मचारियों का एक अखिल भारतीय संघ बनाने के लिये योजनाओं को लगभग अन्तिम रुप दिया जा चुका है। किन्तु सरकार निकट से स्थिति पर नजर रख रही है।

**निर्माणाधीन परमाणु संयंत्र को आरम्भ करने के लिए भारी पानी की आवश्यकता**

3861. **श्री अर्जुन सेठी :**

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव :**

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय निर्माणाधीन परमाणु संयंत्र को आरम्भ करने के लिए कुल कितनी मात्रा में भारी पानी की आवश्यकता होगी ;

(ख) क्या भारी पानी संयंत्र में कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो देश में विभिन्न भारी पानी संयंत्रों ने कितनी प्रगति की है तथा उनकी क्या क्या समस्यायें हैं ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) राजस्थान तथा मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के दोनों यनिटों को चालू करने के लिए प्रारम्भ में कुल मिलाकर लगभग 625 मी० टन भारी पानी की आवश्यकता का अनुमान है।

(ख) और (ग) आजकल चार भारी पानी संयंत्र निर्माणाधीन हैं। ये संयंत्र बड़ौदा, तूतीकोरन, कोटा तथा तलचर में हैं। बड़ौदा स्थित भारी पानी संयंत्र, निर्माण के उन्नत चरण में पहुंच गया है तथा सन 1974 के मध्य तक इसके चालू होने की सम्भावना है। अपरिहार्य कारणों से, प्रमुख उपकरणों, टावर थैलियम जैसी वस्तुओं की डिलीवरी में देरी होने से, इस संयंत्र को पूरा होने में लगभग 12 महीने का विलम्ब हुआ है। जहां तक तूतीकोरन स्थित भारी पानी संयंत्र का सम्बध है, उसका सिविल निर्माणकार्य अब समाप्त होने वाला है, तथा मशीनें लगाने और पाइप लगाने का कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा। अब तक इस संयंत्र का काम कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है किन्तु, भारतीय निर्माताओं द्वारा तयार किये जाने वाले कुछ संघटकों के निर्माण में देरी होने के परिणामस्वरुप कार्यक्रम में कुछ देरी होने की सम्भावना है। इस संयंत्र के अब सन 1975 में चालू होने की सम्भावना है। जहां तक कोटा स्थित भारी पानी संयंत्र का सम्बन्ध है, संयंत्र के डिजाइन, इंजीनियरी एवं नक्शों से सम्बन्धित विस्तृत कार्य को अन्तिम रुप दिया जा चुका है तथा सिविल निर्माण-कार्य से सम्बन्धित लगभग 35% कार्य पूरा-

किया जा चुका है। अधिकांश उपकरणों एवं सामग्री के लिए आर्डर दिये जा चुके हैं। इस संयंत्र के सन 1976 तक पूरा होने की आशा है। भारतीय निर्माताओं द्वारा तैयार किए गए कुछ प्रमुख उपकरणों के निर्माण में देरी होने तथा अपेक्षित कच्चे माल को प्राप्त करने में हुई कठिनाइयों के परिणामस्वरुप, इस संयंत्र के कार्य की प्रगति में काफी देरी हुई है। तलचर स्थित भारी पानी संयंत्र को अभी हाल ही में संस्वीकृति प्रदान की गई है। इस संयंत्र से सम्बन्धित कुछ प्रारम्भिक कार्य शुरू किये जा चुके हैं। आशा है यह संयंत्र सन 1976 तक चालू हो जायेगा।

**कुछ राजनैतिक दलों द्वारा अपनी एक गुप्त आकाशवाणी सेवा प्रारम्भ करने की योजना**

**3862. श्री अर्जुन सेठी :**

**श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि कुछ राजनैतिक दल हाल ही में अपनी एक गुप्त आकाशवाणी सेवा प्रारम्भ करने की योजना बना रहे हैं; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई भी प्रयत्न कानून का उल्लंघनकारी होगा और किसी भी राजनैतिक दल को गुप्त या प्रत्यक्ष रुप से रेडियो सेवा आरंभ करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

**Development of Small Scale Industries**

**3863. Shri Chiranjib Jha:**

**Shri G. P. Yadav:**

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to collect detailed information about various units of small scale industry with a view to formulate proper policies for the development thereof?

(b) if so, the minimum investment in a unit to qualify it to be covered under this programme; and

(c) the time by which the work is likely to be completed and the number of unemployed educated youth expected to be employed thereon?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari):** (a) Yes, Sir.

(b) No minimum investment has been stipulated. All small scale units registered with the State Directors of Industries other than Coir, Handlooms & Powerlooms, Khadi and Village Industries, Sericulture and Handicrafts will be covered by the proposed census.

(c) The census is expected to be completed within a period of one year from the date of its commencement. About 4,800 educated unemployed persons are expected to be employed in organising the programme.

## "गरीबी हटाओ" योजनाओं में कटौती

**3864. श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "गरीबी हटाओ" योजनाओं में कटौती की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा समाजवाद लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) और (ख) वर्तमान मूल्य नीति को ध्यान में रखते हुए, चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय और राज्य सरकारों के व्यय (योजना और गैर-योजना) में लगभग 400 करोड़ रुपये की कुल कटौती करने के लिए कतिपय कदम उठाने का प्रस्ताव किया गया है। इन उपायों का पूरा ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है। बहरहाल, ऐसा प्रयत्न किया जा रहा जा रहा है जिससे समाज के गरीब वर्गों को लाभान्वित करने वाले विकास कार्यक्रम पर होने वाला खर्च होता रहे। पांचवीं योजना का जहां तक सम्बन्ध है पांचवी योजना के प्रारुप में शामिल करने के लिए 'गरीबी हटाओ' उद्देश्य को प्रभावित करने वालों सहित विस्तृत नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार किया जा रहा है। इस प्रारुप के सितम्बर, 1973 के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है।

## कम्पनियों में लाइसेंस से अधिक क्षमता का उत्पादन

**3865. श्री शंकर राव सावन्त :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन उद्योगों को कारण बताओं नोटिस जारी किए गए हैं जिन्होंने लाइसेंस से अधिक क्षमता का उत्पादन किया है ;

(ख) उन कम्पनियों के क्या नाम हैं जिन्होंने वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में लाइसेंस से अधिक क्षमता का उत्पादन किया और कितना अधिक उत्पादन किया :

(ग) उत्पादन को हतोत्साहित करने के क्या कारण हैं जब कि भारत को अधिक उत्पादन की बहुत अधिक आवश्यकता है ; और

(घ) क्या उक्त कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) से (घ) लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक अप्राधिकृत उत्पादन करने के मामले सरकार के पास समय-समय पर आते रहते हैं। पहले लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक अप्राधिकृत उत्पादन करने के 45 मामले औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति जांच समिति ने बतलाये थे उन्हे सरकार कमीशन को जाँच करने के लिए भेज दिया गया था। लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन करने के 1970–71 की अवधि के अन्य अप्राधिकृत उत्पादन के मामलों की भी समय समय पर सूचना दे दी गई है।

सरकार का उद्देश्य देश में उत्पादन को निरुत्साहित करना नहीं है। साथ ही सरकार की नीती विद्यमान नियमों के तथा विनिमय के विरोध में, विशेषरुप से विलासिता की सामग्री तथा अमीरों द्वारा प्रयुक्त सामग्री के उत्पादन को अनुमति देना नहीं है।

## राज्य सरकारों द्वारा संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लेना

**3866. श्री शंकर राव सावन्त :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने ऐसी किसी संकटग्रस्त कपड़ा मिल के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने की पेशकश की है जिन्हे भारत सरकारने स्थाई रुप से अपने हाथ मे ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों तथा मिलों का नाम क्या है ; और

(ग) राज्य सरकारों की इस पेशकश के प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

## Murder of a murderer of Aligarh

3867. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether warrants of a Sub-inspector, a constable of Delhi Police and of a scooter owner were issued by Uttar Pradesh Police several times;

(b) whether there are charges against these police employees that the day on which they committed murder of a murderer of Aligarh in broad-day light, their presence on that day has been shown in Delhi;

(c) whether the Uttar Pradesh Police is unable to arrest them due to the protection given to them by higher officers of Police; and

(d) if so, the facts thereof and whether the culprits have so far been arrested or not?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :** (a) The Government of Uttar Pradesh have reported that Additional District Magistrate (Judl.), Aligarh, issued warrants of arrest three times against a Sub-Inspector and a Constable of Delhi Police and a Scooter owner.

(b) No, Sir. There was no charge of murder against these Police officials. The charge was that they had falsely shown the presence in Delhi of an accused person who is alleged to have committed a murder in Aligarh, on the day of murder.

(c) No, Sir.

(d) All the three concerned persons have since surrendered themselves in the Court of Addl. District Magistrate (Judl.), Aligarh. They have since been released on bail.

## "पिन कोड" प्रणाली का असफल होना

3868. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोस्टल इन्डेक्स नम्बर की नई योजना, जिसे तकनीकी रुप से 'पिन कोड' के नाम से जाना जाता है, सफल सिद्ध हुई है;

(ख) क्या सभी प्रकार के प्रचार और अनेक पदों के, विशेष रूप से राजपत्रित संवर्ग में बनाए जाने के बावजूद 'पिन कोड' योजना असफल सिद्ध हुई है, क्योंकि डाक–तार कार्यालयों से भेजे जाने वाले बहुत कम प्रतिशत पत्रों में ही पिन कोड का उल्लेख होता है;

(ग) क्या वह एक सप्ताह की अवधि के लिए भारत के कम से कम प्रमुख नगरों से भेजी जाने वाली और पिन कोड अंकित डाक की प्रतिशतता के वास्तविक आंकड़ों को दर्शानेवाला विवरण–पत्र सभा पटल पर रखेंगे; और

(घ) क्या सरकार इस मामले पर पुर्नविचार करेगी ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)** : (क) यह योजना सिर्फ एक साल पहले चालू की गई थी। यह योजना सफल रहेगी या असफल इसके विषय में इतनी जल्दी कुछ भी नहीं बताया जा सकता ऐसे मामलों में आम जनता की प्रतिक्रिया काफी धीमी गति से होती है। कुल मिला कर योजना की प्रगति सन्तोषजनक है।

(ख) जी नहीं। इस योजना के संबंध में सिर्फ दो राजपत्रित पद बनाए गए हैं और जो अराजपत्रित पद बनाए गए हैं उनकी संख्या भी ज्यादा नहीं है।

(ग) कुछ राजधानियों के शहरों में उन डाक वस्तुओं का प्रतिशत नीचे दिया गया है, जिन पर पिन कोड दिया रहता है :–

| | |
|---|---|
| अहमदाबाद . . . . | 10.8 प्रतिशत |
| पटना . . . . . | 4.9 " |
| लखनऊ . . . . | 6.6 " |
| बम्बई . . . . . | 3.75 " |
| दिल्ली . . . . . | 6.4 " |
| त्रिवेन्द्रम . . . . | 11 " |
| मद्रास . . . . . | 30 " |
| कलकत्ता . . . . | 4.5 " |
| बंगलोर . . . . | 4.2 " |

(घ) जी नहीं।

### बिहार सर्किल में डिवीजन और सब-डिवीजन खोलना

3869. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सर्किल में डाक, रेल डाक–सेवा, तार, और तार इंजीनियरिंग सेवा विभागों में कितने डिवीजन और सब–डिवीजन हैं;

(ख) क्या बिहार सर्किल में नये डिवीजन और सब-डिवीजन खोलने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो नये डिवीजन और सब–डिवीजनों के किन–किन स्थानों पर स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार डाक, रेल डाक–सेवा, तार, तार इंजीनियरिंग के डिवीजन बिहार सर्किल के प्रत्येक राजस्व जिले में स्थापित करने का है जिससे बिहार सर्किल में डाक और तार विभाग में सेवा में समन्वय तथा तेजी से विकास हो सके; और

(घ) क्या सेवा संघों द्वारा वर्तमान डिवीजनों का पुनर्गठन करने के उद्देश्य से जमशेदपुर, रांची और धनबाद में टेलीफोन डिवीजन तथा रांची और धनबाद में तार इंजीनियरिंग डिवीजन स्थापित करने की मांग की गई है और यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)** : (क) बिहार सर्किल में डाक डिवीजनों, रेल डाक सेवा डिवीजनों और तार इंजीनियरी डिवीजनों तथा सब–डिवीजनों की संख्या इस प्रकार है :–

| | डाक | रेल डाक सेवा | तार इंजीनियरी | तार ट्राफिक |
|---|---|---|---|---|
| डिवीजन . . . | 22 | 5 | 6 | 3 |
| सब-डिवीजन . . | 94 | 14 | 24 | .. |

(ख) पूर्णिया जिले में एक अतिरिक्त डाक सब-डिवीजन खोलने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। एक नया तार इंजीनियरी डिवीजन खोलने के आदेश तारीख 14-8-1973 को जारी किए जा चुके हैं। इस डिवीजन का मुख्यालय धनबाद में होगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) जमशेदपुर और धनबाद में नये टेलीफोन डिवीजन खोलने के कोई प्रस्ताव नहीं है। रांची के तार इंजीनियरी डिवीजन का पुनर्गठन अभी हाल ही में किया गया है और एक नया तार इंजीनियरी डिवीजन खोलने के आदेश तारीख 14-8-73 को जारी किए गए हैं। इस डिवीजन का मुख्यालय धनबाद में होगा।

**पटना में डाक-तार विभाग के आवास अयोग्य घोषित क्वार्टरों पर कथित गैर-कानूनी कब्जा**

**3870. श्री के० एम० मधुकर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तार सेवा यूनियनों ने पटना में डाक-तार विभाग के आवास के अयोग्य घोषित क्वार्टरों पर कथित गैर-कानूनी कब्जे के बारे में डी०डी०जी० (सतर्कता) से शिकायत की है और यदि हां, तो उन पर किन किन व्यक्तियों ने गैर-कानूनी कब्जा किया हुआ है ;

(ख) क्या आवास के अयोग्य घोषित क्वार्टरों को किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जाता है और विभागीय नियमों के अनुसार ऐसे सब क्वार्टरों को गिरा दिया जाना चाहिए और नये क्वार्टरों का निर्माण किया जाना चाहिये ; और

(ग) पोस्टमास्टर जनरल, बिहार सर्किल के आवास के अयोग्य क्वार्टरों को गिरा दिये जाने के निर्णय के बावजूद पटना में कितने ऐसे क्वार्टरों को अभी भी गिराया नहीं गया और इस मामले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) :** (क) से (ग) इस विषय में अखिल भारतीय तार इंजीनियरिंग कर्मचारी यूनियन, तृतीय श्रेणी की पटना स्थित बिहार सर्किल शाखा की तरफ से एक शिकायत आई है। इस शिकायत के बारे में जांच हो रही है।

**बिहार सर्किल में लाइनमैनों के पद खाली पड़े रहना**

**3871. श्री के० एम० मधुकर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार विभाग के बिहार सर्किल में लाइनमैनों के कितने स्थान खाली पड़े है ;

(ख) बिहार सर्किल में लाइनमैनों के सब पदों को भरने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) बिहार सर्किल तथा पटना टेलिफोन डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं और अनियत मजदूरों को कितनी न्यूनतम मजदूरी दी गई और इसमें भेदभाव है, तो इसके क्या कारण है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)** : (क) 255 ।

(ख) भर्ती के नियमों के अनुसार लाइन मैनों की ये जगहें मुख्य रूप से उन नैमित्तिक प्रधान मजदूरों और नमित्तिक मजदूरों में से भरी जाती हैं जिन्हें रोजगार दफ्तर के माध्यम से नियुक्त किया गया हो। इस समय जो प्रधान मजदूर और नैमित्तिक मजदूर काम कर रहे है उनकी भर्ती रोजगार दफ्तर के जरिए नाम भेज जाने पर नहीं हुई थी और इसीलिए रोजगार दफ्तर के जरिए नियुक्ति की शर्त में ढील देनी जरूरी है। इस शर्त में ढील देने के प्रश्न पर रोजगार और प्रशिक्षण के महानिदेशालय के साथ लिखा-पढी चल रही है ।

(ग) बिहार सर्किल और पटना टेलिफोन जिले के नैमित्तिक मजदूरों को (स्त्रि-पुरुष दोनों को) निम्नलिखित न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है :—

**बिहार सर्किल :**

(क) गैर औद्योगिक इलाकों के लिए एक प्रधान मजदूर को रोजाना 3.50 रुपये ।

(ख) गैर औद्योगिक इलाकों के लिए एक मजदूर को रोजाना 3.10 रुपये ।

(ग) औद्योगिक इलाकों के लिए एक प्रधान मजदूर को रोजाना 4.25 रुपये ।

(घ) औद्योगिक इलाकों के लिए एक मजदूर को रोजाना 3.75 रुपये ।

**पटना टेलिफोन जिला :**

(क) मजदूर को रोजाना 3.75 रुपये ।

(ख) प्रधान मजदूर को रोजाना 4.00 रुपये ।

इन दरों में थोड़ा सा फर्क इसलिए है कि टेलिफोन जिले ने ये दरें पटना के जिलाधीश और पटना में काम कर रही राज्य सरकार की दूसरी यूनिटों की सलाह से निश्चित की हैं और बिहार सर्किल ने ये दरें बिहार सरकार के राजपत्र में तारीख 8-4-72 की अधिसूचना के आधार पर तथा पूर्व रेलवे से परामर्श करके तय की हैं ।

### पटना सी० टी० ओ० में तारों के भेजने में विलम्ब

3872. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना सी० टी० ओ० में बी० एफ० टी० चैनल और "फिजीकल टेलिग्राफ लाइनों" के ठीक न होने के कारण तारों के भेजे जाने में 48 घंटे से अधिक विलम्ब होता है; और

(ख) यदि हां, तो तारों को छ: घंटे के भीतर भेजे जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए "संतुलित चेनल" और "फिजीकल लाइनों" को संतुलित व्यवस्था करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) तारों के पारेषण में गति लाने के लिए मौजूदा तार सर्किटों का पुनर्गठन किया जा रहा है। तार परियात के आधार पर औचित्य सिद्ध होने पर पटना से देवघर, मूंगेर, डाल्टनगंज, बरौनी, बेगुसराय, सहरसा और दोनापुर जैसे विभिन्न जगहों के लिए अतिरिक्त टेलिग्राफ और टेलिप्रिंटर सर्किटों की व्यवस्था कर दी गई है ।

**Lack of Telephone facilities in Tikamgarh and Chhatarpur Districts of M.P.**

**3873. Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the Tikamgarh and Chhatarpur Districts of Madhya Pradesh lack Telephone facilities; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

**The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna):** (a) No, Sir. There are 5 Telephone Exchanges and 3 Long Distance PCOs in Chhatarpur District and one Telephone Exchange and 3 Long Distance PCOs in Tikamgarh District. Proposals for opening 4 more PCOs in the latter are under examination by the Postmaster General, Bhopal.

(b) Question does not arise.

**Theft of parcels, insured articles and money orders**

**3874. Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the value of parcels, insured articles and money orders as well as other things, stolen in the P. & T. Department during the last two years; and

(b) the number of Departmental employees and outsiders held responsible for the theft and the action taken against them?

**The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna):** (a) The amount of loss/defalcations in respect of parcels, insured articles, money orders and cash and stamps etc. is approximately Rs. 16,16,955 and Rs. 14,70,896 for the years 1971-72 and 1972-73 respectively.

(b) The information is being compiled.

**Manning of Post Offices in Rural areas**

**3875. Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal under consideration to entrust arrangements for running Post Offices in rural areas to the rural educated unemployed for improving postal services and also providing employment to the educated unemployed; and

(b) if so, the date from which it would be implemented and if not, the reasons therefor?

**The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna):** (a) No, Sir.

(b) The question of considering any such proposal does not arise because even though in the past preference was given to teachers for appointment as E.D. Agents, the position has since changed and now any body who satisfies the requisite conditions and is able to perform the work satisfactorily is eligible for appointment as E.D.A.



7—23 L. S. S./73

**फिल्मी जगत के कलाकारों, लेखकों, निदेशकों, फिल्म आलोचकों के एक स्वैच्छिक फिल्म सेंसर बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव**

3876. **श्री सी० के० जाफरशरीफ :**

**श्री जी० वाई० कृष्णन् :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फिल्मी जगत का ज्ञान रखने वाले कुछ कलाकारों, लेखकों, निदेशकों, फिल्म आलोचकों तथा लोकप्रचलित व्यक्तियों के एक स्वैक्षिक फिल्म सेंसर बोर्ड की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बात क्या है ;

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड द्वारा सोडियम ट्रिपोली फास्फेट ऐसिड और फास्फोरिक ऐसिड उत्पादन के लिए आवेदन पत्र**

3877. **श्री रानेन सेन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लाइसेंस समिति ने हिन्दुस्तान लिवर लि० द्वारा सोडियम ट्रिपोली फास्फेट सल्फर एसिड और फास्फोरिक एसिड के उत्पादन के लिए दिए गए आवेदन पत्र पर स्वीकृति दे दी है ;

(ख) क्या उक्त विदेशी कम्पनी उपभोक्ता की अनेक वस्तुओं के निर्माण में पहले ही प्रमुख है और भारी लाभ कमा रही है ;

(ग) क्या देश में ऐसे उद्यमकर्ता हैं जिन्हें तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त है और जो हिन्दुस्तान लिवर द्वारा प्रस्तावित अनुमान से बहुत कम विदेशी मुद्रा के भार पर सोडियम ट्रिपोली फोस्फेट का उत्पादन करने में समर्थ है ; और

(घ) यदि हां, तो औद्योगिक लाइसेंस समिति ने इस विदेशी कम्पनी के आवेदन को किस आधार पर स्वीकार किया ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :** (क) और (घ) लाइसेंस समिति ने हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड द्वारा सोडियम ट्रिपोली फास्फेट सल्फर एसिड और फास्फोरिक एसिड के उत्पादन के लिए दिये गये आवेदन पत्र पर विचार किया है। इस आवेदन पत्र पर लाइसेंस समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर इस समय सरकार विचार कर रही है.।

(ख) सिन्थेटिक डिटेर्जेन्ट तथा ग्लेसरिन उत्पादन उद्योगों में कम्पनी प्रमुखता रखती है तथा लाभ भी प्राप्त कर रही है ।

(ग) सोडियम ट्रिपोली फास्फेट के उत्पादन में रूचि रखने वाली फर्मों में से एक फर्म का कथन है कि उन्होंने वस्तुओं के उत्पादन के लिए स्वदेशी जानकारी विकसित की है तथा पूंजीगत सामानों के आयात करने में मे० हिन्दुस्तान लिवर लि० के औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्र में अपेक्षित विदेशी मुद्रा के अनुमान के मुकाबले में उनके द्वारा अपेक्षित विदेशी मुद्रा बहुत कम होगी ।

**आर्थिक और वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन से चारों पंच वर्षीय योजनाओं में विकास और क्षेत्रीय असंतुलन में असमानता का पता लगाना**

**3878. श्री रानेन सेन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा किये गये अध्ययन के आधार पर 1972-73 में प्रकाशित संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि देश में गत चार पंचवर्षीय योजनाओं में विकास और क्षेत्रीय असन्तुलन में असमानता का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) आर्थिक और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली की 1972-73 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित अध्ययन के निष्कर्षों की योजना आयोग को जानकारी है।

(ख) क्षेत्रीय असंतलनों को हटाने के बारे में केन्द्र का क्या दष्टिकोण होगा, यह सभा पटल पर पहले ही प्रस्तुत पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोंन दस्तावेज में बताया गया है।

**चौथी योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय**

**3879. श्री रानेन सेन :**

**श्री राजदेव सिंह :**

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है ?

(ख) यदि हां, तो योजना के प्रथम चार वर्षों में राज्यवार प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) चौथी योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित किये गए वर्ष 1970-71 के लिए राष्ट्रीय आय के शीघ्र अनुमान संबंधी प्रेस नोट, के अनुसार चतुर्थ योजना के पहले दो वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति आय में (1960-61 के भावों के आधार पर) 5.2 प्रतिशत वृद्धि हुइ हैं। संलग्न विवरण में उक्त अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में हुई राज्य-वार वृद्धि दर्शायी गई है। इसी प्रकार की जानकारी उसके बाद के वर्षों के संबंध में उपलब्ध नहीं है।

(ग) चतुर्थ योजना के दस्तावेज़ के अनुसार उक्त योजना अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय (1968-69 के भावों के आधार पर) 16.5 प्रतिशत ब ने की सभावना है।

विवरण

प्रचलित और स्थिर भावों के आधार पर चतुर्थ योजना के पहले दो वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशतता वृद्धि

| राज्य | 1968–69 के मुकाबले 1970–71 में प्रतिशत वृद्धि | |
|---|---|---|
| | प्रचलित भावों के आधार पर | स्थिर (1960–61)* भावों के के आधार पर |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. आंध्र प्रदेश . . . . | 14.0 | 11.9 |
| 2. असम . . . . . | अनु० | अनु० |
| 3. बिहार . . . . | अनु० | अनु० |
| 4. गुजरात . . . . | 31.4 | 16.4 |
| 5. हरियाणा . . . . | 30.8 | 24.1 |
| 6. हिमाचल प्रदेश . . . . | अनु० | 0.3 |
| 7. जम्मू और कश्मीर . . . | अनु० | अनु० |
| 8. केरल . . . . . | 16.4 | 6.5 |
| 9. मध्य प्रदेश . . . . | 15.2 | 8.1 |
| 10. महाराष्ट्र . . . . | 10.7 | (—) 1.7 |
| 11. मणिपुर . . . . | (—) 15.2 | (—) 12.7 |
| 12. मैसूर . . . . . | 6.4 | 4.1 |
| 13. उड़िसा . . . . | अनु० | अनु० |
| 14. पंजाब . . . . | अनु० | अनु० |
| 15. राजस्थान . . . . | 40.2 | 19.5 |
| 16. तमिल नाडु . . . . | 15.6 | 7.2 |
| 17. त्रिपुरा . . . . | अनु० | अनु० |
| 18. उत्तर प्रदेश . . . . | 9.9 | 7.8 |
| 19. प० बंगाल . . . . | 6.3 | 1.2 |
| 20. दिल्ली . . . . | 12.6 | 0.9 |
| अखिल भारतीय . . . . | अनु० | 5.2 |

*असम (1948–49), मध्य प्रदेश (1952–53), मैसूर (1956–57) और (राजस्थान 1954–55) के मामलों के सिवाय।

टिप्पणी :—1. अनु-अनुपलब्ध

2. प्रति व्यक्ति राज्य आय के अनुमान जिन से प्रतिशतता वृद्धि निकाली गई है, संबद्ध राज्य सांख्यिकीय कार्यालयों द्वारा तैयार किए जाते हैं। संकल्पनाओं, रीतिविधान, प्रयुक्त स्रोत सामग्री और आधार वर्षों में विभिन्नता के कारण उक्त अनुमान (तथा उसी प्रकार प्रतिशतता) राज्यों में परस्पर अथवा अखिल भारतीय अनुमानों के साथ तुलना के योग्य नहीं हैं।

3. महाराष्ट्र और मणिपुर में वृद्धि न होने का कारण कृषि उत्पादन (स्थिर भावों के आधार पर मूल्यांकन) में कमी है।

## विदेशों में प्रत्याशियों के साक्षात्कार पर व्यय

3880. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **प्रधान मंत्री** संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विदेशों में रोजगार के लिये प्रत्याशियों के साक्षात्कार को बन्द किये जाने के बारे में 25 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 459 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में विदेशों में प्रत्याशियों के साक्षात्कार पर कुल कितनी धन राशि खर्च हुई ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : गत तीन वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में कोई धन राशि खर्च नहीं हुई, क्योंकि जुलाई, 1969 के बाद विदेशों में कोई साक्षात्कार आयोजित नहीं किए गए थे।

## गैर सरकारी क्षत्र में विदेशों से तकनीकी सहयोग के लिए प्रस्ताव

3882. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी उद्यमकर्ताओं को विदेशों से बड़े पैमाने पर तकनीकी सहयोग करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में, देशवार रुपरेखा क्या है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार की नीति, उद्योग के केवल जटिल प्रकार के उन क्षेत्रों में, जिनमें कि देश में तकनीकी संबंधी व्यवधान हैं, चयनात्मक आधार पर प्राद्योगिकीय का आयात करने की अनुमति देने की है।

## डाक व तार विभाग में समयोपरि भत्ते का भुगतान

3883. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या डाक व तार विभाग ने समयोपरि भत्ता प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)** : जी, नहीं।

### अन्तर्राज्यीय सलाहकार परिषद् बनाने का तमिलनाडु सरकार का सुझाव

**3884. श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में केन्द्र से अन्तर्राज्यीय सलाहकार परिषद् बनाने और राज्यपाल का पद समाप्त करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) तथा (ख) प्रशासनिक सुधार आयोग और आयोग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल द्वारा केन्द्र राज्य सम्बन्धों से संबंधित प्रश्न पर गहराई से विचार किया है। अन्तर्राज्यीय परिषद् स्थापित करने तथा राज्यपालों की नियुक्ति समेत प्रशासनिक सुधार आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि केन्द्र राज्य सम्बन्धों को नियंत्रण करने वाले संविधान के उपबन्ध इस क्षेत्र में उत्पन्न किसी स्थिति का सामना करने के प्रयोजन के लिए अथवा किसी समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त है। केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की परीक्षा की जा रही है। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें, राज्य सरकारों के विचार तथा उनकी प्रतिक्रिया भी मांगी गई थी। अब तक मैसूर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सरकारों के विचार प्राप्त हुए हैं। तमिलनाडु सरकार ने अपने उत्तर में अन्य विषयों के साथ साथ अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन करने तथा राज्यपालों के पद समाप्त करने की सिफारिश की है। तमिलनाडु सरकार के विचारों की अन्य सभी राज्य सरकारों से प्राप्त विचारों के साथ परीक्षा की जायेगी।

### Setting up of Factory in Bundelkhand in Public Sector

**3885. Dr. Govind Dass Richhariya :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up some big factory in the public sector in Bundelkhand of Uttar Pradesh in view of its backwardness;

(b) if so, the time by which it would be set up; and

(c) the main features thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) :** (a) There is no such proposal at present.

(b) and (c) Do not arise.

### Issue of Letters of Intent/Licences for Setting up Industries in Bundelkhand Area, U.P.

**3886. Dr. Govind Das Richhariya :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the District-wise number of Licences/Letters of Intent issued for setting up medium and big industries in the Bundelkhand area of Uttar Pradesh ;

(b) the facilities being given for establishing industries in that area keeping in view the backwardness of it;

(c) whether Bundelkhand Development Corporation, Jhansi has applied to the Government of India for four licences; and

(d) if so, whether any decision has been taken in this regard and if not, the time by which a decision would be taken thereon?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) :** (a) Three letters of intent have been issued for the setting up of industries in the Bundelkhand area.

(b) To encourage the establishment of industries in backward areas, incentives such as schemes of concessional finance and central outright subsidy are available in selected backward areas. Industrial units set up in the districts of Jalaun, Banda, Hamirpur and Jhansi in Bundelkhand are eligible for concessional finance; in addition industrial units set up in Jhansi district are also eligible for the central outright subsidy.

(c) Yes, Sir.

(d) One application has been rejected and the others are being processed.

**Housing of P. & T. Employees in Delhi**

**3887. Dr. Govind Das Richhariya :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of employees working in the Posts and Telegraph Offices in the Union Territory of Delhi;

(b) the number of employees working in the Post and Telegraph Offices in the Union Territory of Delhi who have been provided with houses;

(c) the number of employees who have been working for more than 5, 10 or 15 years in the said Offices but have not been allotted Government accommodation so far indicating category-wise figures thereof; and

(d) the action being taken by Government to provide houses to the employees as soon as possible?

**The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) :** (a) to (d) The information is being collected and will be placed on the Table of the Lok Sabha.

**Accommodation for Technicians working in Delhi Telephone District**

**3888. Dr. Govind Das Richhariya :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Technicians working in the Delhi Telephone District as on the 31st July, 1973;

(b) the number out of them who have been allotted Government accommodation as well as the number of those who have not been allotted Government accommodation;

(c) the action taken by the Government to allot them Government accommodation on the basis of top most priority keeping in view the fact that they have to be on duty round the clock in Telephone Exchange; and

(d) whether any comprehensive scheme has been formulated by Government or the construction work of quarters would be taken up at the war footing to provide accommodations immediately to those Telephone employees, who work till midnight in Telephone Exchanges?

**The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) :** (a) to (d) The information is being collected and will be placed on the Table of the Lok Sabha.

**मूल्यों के बारे में अन्तर्मंत्रालय दल द्वारा अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए दुहरी मंडी प्रणाली का सुझाव**

**3889. श्री डी० डी० देसाई :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों के बारे में अन्तर्मंत्रालय दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए दुहरी प्रणाली अनिवार्य है; और

(ख) यदि हां, तो दुहरी मंडी सम्बन्धी योजना की रूपरेखा क्या है और इस प्रणाली को प्रोत्साहन देने के क्या कारण हैं?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) और (ख) आम आदमी को आवश्यक जिन्सों और वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध करने के लिए अपनाये जाने वाले उपायों और दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन नीतियों के बारे में सुझाव देने के लिए योजना आयोग ने आम उपभोग की आवश्यक जिन्सों व वस्तुओं पर एक समिति का गठन किया है। समिति ने हाल ही में इस विषय पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाने और मोटे अनाज, दालों, चीनी, गुड और खांडसारी, खाने के तेल और वनस्पति के बारे में सुझाव देन वाली अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है। बाकी जिन्सों के बारे में दी जाने वाली रिपोर्ट का भाग 2 शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

योजना आयोग द्वारा निर्णय लेने से पूर्व समिति की सिफारिशों को बताना उपयुक्त न होगा।

## ट्रकों के टायरों का आयात

**3890. श्री डी० डी० देसाई :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री ट्रकों के टायरों के आयात के बारे में 2 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8794 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम को ट्रकों के 5000 टायरों को आयात करने का निदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ट्रकों के टायरों के आयात और उनकी सामान्य कमी को पूरा करने में क्या प्रगति हुई है?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :** (क) जी; हाँ।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने नमूने के तौर पर श्रीलंका से 36 टायर आयात किये है जिनकी कुछ राज्य सडक परिवहन प्रतिष्ठानों द्वारा परीक्षण/आजमाइश की जा रही है।

सरकार ने 900×20 के आकार के टायरों की कमी पूरी करने हेतु विभिन्न स्त्रोतों से इस श्रेणी के कुल 32,400 टायर आयात करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, टायर निर्माताओं से भी इस श्रेणी के टायरों का अधिक से अधिक उत्पादन करने का अनुरोध किया गया है तथा सरकार इस हेतु मंगाये जाने वाली बोलेन्सिंग इक्विपमेन्ट आदि के आयात करने क अनुरोध पर सहृदयता से विचार करेगी।

## चांदनी चौक, दिल्ली में एक व्यापारी की हत्या

**3891. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

**श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 जुलाई, 1973 को दिन के समय चांदनी चौक दिल्ली में एक व्यापारी को गोली मार कर उसकी हत्या कर दी गई थी;

(ख) क्या ड्यूटी पर तनात सिपाही इस घटना को घडते देखता रहा था; और

(ग) क्या इस बारे में कोई गिरफ्तारी की गई है?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)**: (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान । जेब कतरने के कार्य को रोकने के लिए तैनात एक कांस्टेबल ने, घटनास्थल पर अपराधी को वश मे करत हुए एक व्यक्ति की सहायता की।

(ग) दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

## उत्पादिता के लाभ बांटने संबंधी राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद

**3892. श्री बनमाली पटनायक : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादिता के लाभों को बांटने तथा उनकी बडे पमाने पर अपनाने के लिए राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद द्वारा बनाए गए मागदर्शी सिद्धान्तों को किसी उद्योग ने क्रियान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) यदि नहां, तो इसके क्या कारण है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मखर्जी) :** (क) से (ग) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद द्वारा उत्पादिता के लाभों को बांटने के लिये बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों को किसी उद्योग ने क्रियान्वित किया है अथवा नहीं इस बात की जानकारी सरकार को नही है । परिषद ने मार्गदर्शी सिद्धान्तों को मालिकों के संगठनों तथा ट्रेड यूनियनों के बीच व्यापक तौर पर परिचालित किया है तथा उनस उद्यम स्तर पर इन्हें अपनाने का निवेदन किया है । परिषद उत्पादिता के लाभों को बांटने पर क्षेत्रीय संगोष्ठियों का आयोजन करके भी इन सिद्धांतों का प्रचार कर रही है ।

## सरकारी क्षेत्र में सीमेंट संयंत्र

**3893. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

**श्री श्रीकिशन मोदी :**

**क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में अपनी पांचवी योजना के कार्यक्रमों के लिए 564 करोड़ रु० का परिव्यय करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यक्रम में सरकारी क्षेत्र के 6 नए सीमेंट संयंत्र शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रुपरेखा क्या है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा पांचवी योजना में प्रारंभ किये जाने वाले प्रस्तावित नये सीमेन्ट संयंत्रों की रूपरेखा निम्न प्रकार है :—

| स्थापना स्थल | क्षमता (प्र० व०) | अनुमानित लागत | 5वीं योजना में अनुमानित प्रावशन |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | (लाख मी० टन) : | (लाख रु० में) | (लाख रु० में) |
| 1. नीमच . . | 4.00 | 1,538.00 | 1474.00 |
| 2. अकलतारा . . | 6.00 | 1,932.00 | 1860.00 |
| 3. कुरकुन्ता (विस्तार) . . | 4.00 | 1,400.00 | 1336.00 |
| 4. यरगन्तल्ला . . | 4.00 | 1,564.00 | 1564.00 |
| 5. तेन्दूर . . . | 4.00 | 1,738.00 | 1738.00 |
| 6. आदिलाबाद | 4.00 | 1,624.00 | 1624.00 |
| | 26.00 | 9,796.00 | 9596.00 |

उपर्युक्त के अतिरिक्त बारुवाला प्रायोजना में 4 या 5 लक्ष मी० टन प्रतिवर्ष तथा डल्ला (विस्तार) प्रायोजना में 8 ला० मी० टन प्रतिवर्ष की क्षमता बढाने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है ।

**भारत में दूरसंचार परियोजनाओं के लिए वित्त**

3894. **श्री पी० ए० सामिनाथन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में दूर संचार परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी और हंगरी की एजन्सी के साथ अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (आई० डी० ए०) भी शामिल हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत में संचार परियोजना के विकास में इन तीनों एजन्सियों द्वारा कितनी सहायता दी जाएगी ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) :** (क) दूर संचार परियोजनाओं में विदेशी मुद्रा की लागत के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के वास्ते तीसरी योजना (7 करोड 50 लाख अमरिकी डालर) और चौथी योजना (13 करोड 30 लाख अमरिकी डालर) के दौरान विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी ही प्रमुख साधन रही है । कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी भी चौथी योजना की परियोजना के लिए वित्तीय व्यवस्था (4 करोड कनाडियन डालर) कर रही है । कुछ परियोजनाओं के लिए हंगेरी के ऋण (करीब 1 करोड़ 45 लाख अमेरिकी डालर के बराबर) का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ।

(ख) हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी ने एक दूसरे करार पर हस्ताक्षर किया है जिसके मुताबिक पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों यानी वर्ष 1974/76 की अवधि की जरूरतों को पूरा करने के निमित्त वित्तीय व्यवस्था करने के वास्ते 8 करोड अमेरिकी डालर की विदशी मुद्रा की सहायता प्राप्त होगी । कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी या हंगरी सरकार के साथ आगे और आर्डरों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

### केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के खर्च में वृद्धि

**3895. श्री पी० ए० सामिनाथन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1969 से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पर सात गुना अधिक खर्च करने लगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु जन समितियों का बनाया जाना

**3896. श्री पी० ए० सामिनाथन :**

**श्री प्रभुदास पटेल :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय योजना आयोग ने भूमिहीन श्रमिकों के लिए विभिन्न रोजगार योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु जन समितियां बनाने का सुझाव दिया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) तथा (ख) पांचवीं योजना प्रस्ताव को तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को प्रेषित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में योजना आयोग नें गांव तथा खण्ड स्तरों पर लाभानुभोगियों की समितियां गठित करने की सिफारिश की थी जो कि भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वियन तथा भूमि सुधार से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को सहायक सुविधाएं देने के संबंध में सलाह दें । भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार सर्जित करने संबंधी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए समितियों का सुझाव नहीं दिया गया है।

### मंत्रालयों/विभागों में लोअर डिवीजन क्लर्क के ग्रेड में तदर्थ नियुक्तियां

**3897. श्री पी० ए० सामिनाथन् :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या प्रति वर्ष भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में लोअर डिवीजन क्लर्क के ग्रेड में तदर्थ नियुक्तियां की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में मंत्रालयों तथा विभागों में की गई ऐसी नियुक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में उम्मीदवारों की लम्बी सेवा तथा अनुभव को देखते हुए इन नियुक्तियों को नियमित करने का सरकार का विचार है और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) तथा (ग) केन्द्रीय सचिवालय में लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर भर्ती सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा ली जाने वाली वार्षिक प्रतियोगितां परीक्षाओं के आधार पर की जाती है ।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में शामिल मंत्रालय/सम्बन्ध कार्यालय अपनी अप्रत्यशित अत्यावश्यक मांगों की पूर्ति करने के लिए दो उत्तरोत्तर परीक्षाओं के बीच की अवधि के दौरान रोजगार कार्यालय द्वारा तदर्थ आधार पर कुछ महीनों के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क को काम पर लगा सकते है, परन्तु इसके साथ यह विशेष शर्त है कि इस प्रकार से नियुक्त किए गए व्यक्ति क्लर्क ग्रेड परीक्षाओं के अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के आने पर बदल दिये जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए, लोअर डिवीजन क्लर्कों की इन तदर्थ नियुक्तियां को नियमित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा

**भूतपर्व नरेशों द्वारा जेवरात तथा मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री**

3898. **श्री हेमेन्द्र सिंह वनेरा :**

**डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियों सम्बन्धी अपने निर्णय में यह कहा था कि जेवरात तथा मूल्यवान वस्तुएं भूतपूर्व नरेशों की व्यक्तिगत सम्पत्ति में शामिल होती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनको बेचने से पूर्व भूतपूर्व नरेशों को सरकार से अनुमति लेनी होती हैं ;

(ग) उनमें से कितनों को अनुमति दी गई है और किन-किन के मामले अनिर्णित पड़े है तथा उनको कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) 1970 के प्रिवी पर्स के मामले पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय में आभूषण तथा उनकी अन्य मूल्यवान वस्तुओं समेत भूतपूर्व नरेशों की निजी सम्पत्ति पर विचार नहीं किया गया है।

(ख) भूतपूर्व नरेशों द्वारा बिक्री अथवा अन्यथा आभूषणों के निपटान के लिए सरकार की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। किन्तु आभूषणों के मामले में जिसको सम्पत्ती कर से मुक्त रखने के उद्देश्य से कुल गत वस्तु घोषित किया गया है, उसमें एक शर्त लगा दी गई है कि यदि आभूषण बेचे जाते हैं तो सम्पत्ति कर पूर्व तिथि से देय होगा। ऐसे मामलों में भी कुल गत आभूषणों को बेचने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**"पिम्प पम्पस् आउट परमिट्स् फ्राम वी० आई० पी०" नामक समाचार**

3899. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

**श्री झारखण्डे राय :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'हिन्दुस्तान टाइम्स" नई दिल्ली द्वारा 22 जुलाई 1973 के अपने अंक में "पिम्प पम्पस् आऊट परमिट्स फ्राम वी० आई० पी०ज" शीर्षक के अन्तर्गत लेख की और दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) समाचार में संभवतः उस व्यक्ति का उल्लेख किया गया है जिस पर अनैतिक पणन अधिनियम 1956 के अधीन एक अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था और दोषमुक्त किया गया था । उसके बाद पुलिस रिकार्ड के अनुसार उसके विरुद्ध अवैध गतिविधि की कोई शिकायत नहीं हुई है । लेख में अन्य आरोपों की पर्याप्त ब्यौरा न होने के कारण जांच नहीं की जा सकती ।

**मंत्रियों को दिए गए सुरक्षिगण**

3901. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या गृह मंत्री मंत्रियों को दिए गए सुरक्षिगण के बारे में 7 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2287 के ऊत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे की ;

(क) वर्ष 1967, 1969 और 1973 में, वर्षवार, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों सहित प्रत्येक केन्द्रीय मंत्री को कितने सुरक्षिगण दिये गये; और

(ख) वर्ष 1967, 1969 और 1973 में अभी तक इस व्यवस्था पर कुल कितना व्यय हुआ ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है ।

**विवरण**

**राज्य मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों समेत केन्द्रीय मंत्रियों को उपलब्ध किए गए सुरक्षा गार्डों की संख्या का विवरण**

| वर्ष | | उपलब्ध किए गए सुरक्षा गार्डों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सब इंस्पैक्टर | सहायक सब इंस्पैक्टर | हैड कांस्टेबल | कांस्टेबिल |
| 1967 | 38 मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री था उप मंत्री | 4 | 3 | 44 | 85 |
| 1969 | 38 मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री | 4 | 3 | 46 | 93 |
| 1973 | 54 मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री | 4 | 3 | 124 | 267 |

सुरक्षा गार्डों पर किया गया व्यय :

| वर्ष | धन राशि (रुपये) |
|---|---|
| 1967 . . . . . . | 3,14,622.75 |
| 1969 . . . . . . | 4,61,988.55 |
| 1973 . . . . . . | 9,17,963.02 |

**साहा इन्स्टीट्यूट आफ न्यूक्लीयर फिजिक्स में अप्रयुक्त पड़े आयातित उपकरण**

3902. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा पता लगा है कि साहा इन्स्टीटयुट आफ न्युक्लीयर फिजिक्स के लिए विदेशोंसे मंगाये गये लगभग 16 लाख रुपये मूल्य के उपकरणों का दुरुपयोग किया गया है अथवा उनका बिलकुल भी प्रयोग नहीं किया गया है ;

(ख) क्या अनेक उपकरण गत तीन वर्षों से अप्रयुक्त पडे है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में आयात किये गये प्रत्येक उपकरण का मूल्य क्या है और उसका प्रयोग न किये जाने के कारण क्या है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) इस आरोप की जानकारी न तो विभाग को है और न ही संस्थान के निदेषक को ।

(ख) आयात किया गया ऐसा कोई बडा उपकरण नहीं है जो तीन वर्षों से बेकार पडा है ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

**Statement made by the Muslim League Leader**

3903. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the declaration made by Muslim League leader, Syed Umar Baffaki Thangal published in the daily Hindi 'Hindustan' dated the 3rd July, 1973 that the present League is the part and parcel of the League which created Pakistan; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha):** (a) and (b) Yes, Sir. Government have also seen subsequent reports appearing in the press to the effect that Shri Syed Ummer Baffaki Thangal felt that his observations were not correctly reported.

**Escape of a Pak Smuggler from Patti Jail (Amritsar) to Pakistan**

3904. **Shri Chandulal Chandrakar:**
**Shri M. S. Purty:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether a multi-millionare Pakistani smuggler has succeeded in escaping to Pakistan from Patti Jail (Amritsar) after bribing the officials heavily;

(b) if so, whether Government have constituted a proper enquiry into the matter; and

(c) the facts of the matter and the number of persons against whom action has been taken?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin):** According to the information furnished by the Government of Punjab:—

(a) A Pakistani smuggler escaped from Patti Sub Jail on the night of 13/14th July, 1973. Since the matter is under investigation, it cannot be stated at this stage whether it was done with the connivance of the jail officials after bribing them. It is also not known whether the person in question has since crossed over to Pakistan.

(b) An enquiry into the incident was conducted by the Sub-divisional Magistrate, Patti, who is also the Superintendent of the Jail and the Superintendent, Central Jail, Amritsar. The matter is also under investigation by the police.

(c) As a result of the above enquiry Assistant Superintendent of the Sub-Jail and four warders of Sub-Jail, Patti have been suspended and a case under section 225 IPC has been registered against them at the local Police Station. This case is under investigation by Police.

**Setting up of Sericulture Centres in Kashmir**

**3905. Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up Sericulture Centre in Kashmir during the next Five Year Plan; and

(b) if so, the amount of expenditure likely to be incurred on different items of the Centre?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rehman Ansari):** (a) and (b) The Central silk Board has proposed to set up in Kashmir a Silk Conditioning and Testing house at Srinagar, an extension wing to the Central Silkworm Seed Station, Pampore, and strengthening of that station during the 5th Plan. This proposal and the amount of expenditure to be incurred on it are subject to the finalisation of Sectoral Plan for the next five years.

**Setting up of Computer Centres in U.P. for proper investigation of Crimes**

**3906. Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the number of crimes committed in Uttar Pradesh is the highest as compared with the other States of the country;

(b) whether Computer Centres have been set up in other States for proper investigation of crimes; and

(c) if so, whether Government propose to set up similar centres in Uttar Pradesh also?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin):** (a) Yes, Sir.

(b) The States of Tamil Nadu and Mysore and the Union Territory of Delhi have started computerisations of the crime records.

(c) There is no proposal under consideration of the Government of Uttar Pradesh for setting up a computer centre for the Police in U.P.

**Expansion of Dehradun Cement Plant**

3907. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether the Cement Corporation of India have urged upon Government for the expansion of Dehradun Cement Plant in Uttar Pradesh; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee):** (a) The Cement Corporation of India has submitted project reports proposing to set up a cement plant with 4 lakhs or 5 lakhs tonnes per annum capacity at Baruwala (Dehradun) against 2 lakh tonnes capacity proposed by the Corporation earlier.

(b) The revised project report's is being examined.

**पेंशन लेते समय स्वतंत्रता सेनानियों को होने वाली कठिनाइयां**

3908. **श्री समर गुह :**

**श्री एस० सी० सामन्त :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों को शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों मामलों में पेंशन लेते समय अपने दायें या बायें हाथ के अंगठे और चारो उंगलियों के निशान लगाने पडते है;

(ख) क्या इस प्रक्रिया पर स्वतंत्रता सेनानियों ने बुरा मनाया है और इस प्रक्रिया की प्रेस में भी आलोचना हुई है, और

(ग) क्या सरकारी कर्मचारियों को भी पेंशन लेते समय इसी प्रकार अंगूठे के निशान लगाने पडते है, और यदि नहीं, तो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यह प्रक्रिया क्यों लागू की गई है और क्या यह प्रक्रिया प्रक्रिया बदली जाएगी ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) से (ग) जो व्यक्ति अपना नाम के हस्ताक्षर कर सकता है उसके लिए पेन्शन लेते समय पहचान के रूप में बायें हाथ के अंगूठे और उंगलियों के निशान देने आवश्यक नहीं है । केन्द्र सरकार से पेंशन की स्वीकृत भेजने वाले पत्र में यह स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

किन्तु कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है कि कुछ प्राधिकारी पहली पेंशन लेते समय हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी दोनों पर दबाव डालते हैं । फिर भी, सभी महालेखाकारों तथा राज्य सरकारो के ध्यान में सही स्थिति लाई गई है ।

**आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को स्वाधीनता सैनानियों के रूप में पेंशन की अदायगी करण**

3909. **श्री समर गुह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजाद हिंन्द फौज के भतपूर्व सैनिकों को स्वाधीनता सेनानियों के रूप में पेंशन दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों के कितने आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) क्या सरकार आजाद हिन्द फौज के उन भूतपूर्व सैनिकों के आवेदन पत्रों पर भी विचार करेगी, जो नेताजी की फौज में ब्रिटिश फौज से भर्ती न होकर नागरिक के रूप में भर्ती हुए, थ, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) तथा (ख) अब तक आजाद हिन्द फौज के 830 कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है और, 7,812 आवेदन सरकार के पास अभी निलंबित पड़े है ।

(ग) आजाद हिन्द फौज के वे कर्मचारी, जिन्होंनें भारत में अथवा विदेशी जेलों अथवा सैनिक शिबिरों में कम से कम छः महीने की अवधि के लिए जेल काटी है / नजरबन्द रहे है अथवा जो सैनिक सवा अथवा सरकार से बरखास्त कर दिये गये निकाल/दिये गये हैं, पेंशन स्वीकृति के पात्र हैं।

आजाद हिन्द फौज के जो भूतपूर्व कर्मचारी अपनी राजनीति पीडाओं अर्थात् सजा, नजर-बन्दी आदि के बारे में कोइ सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे है उनके मामलों की जांच करने के लिए शाह नवाज खां की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गई है ।

**देश के सभा सिनेमा गृहों में नेताजी सुभाष बोस के बारे में पूर्ण वृत्त चित्र का दिखाया जाना**

**3910. श्री समर गुह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री अशीश मुकर्जी द्वारा नेताजी पर बनाये गये वृत्त चित्र की फिल्म आलो-चकों तथा प्रमुख व्यक्तियों द्वारा प्रशंसा की गइ है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह नेताजी संबंधी 4000 फुट लम्बे वृत्त चित्र को समूचे देश में विभिन्न सिनेमा गृहों में दिखान के लिए इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन से अपील करेंगे और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस वृत्त चित्र को राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को मजबूत बनाने के लिए सरकार के अधीन 'मास मीडिया" के संगठन के माध्यम से विशेष रूप स प्रदर्शित किया जायगा; और

(घ) समूचे देश में विद्यार्थियों था युवकों को यह वृत्त चित्र दिखाने के लिए क्या विशेष प्रयास किये जायेंगे और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) सरकार की इस फिल्म के बारे में सराहना के दो पत्र प्राप्त हुए है जिनमें एक माननीय सदस्य का है।

(ख) अनिवार्य प्रदर्शन योजना के अन्तर्गत, केवल 2000 फुट से कम लम्बी स्वीकृत फिल्में ही सिनेमा घरों के लिए रिलीज की जा सकती है । फिल्म प्रभाग ने 'नेताजी' पर दो रील की एक फिल्म के निर्माण हेतु श्री अशीश मुखर्जी से एक करार किया है ।

जब यह फिल्म मुकम्मल हो जायेगी और फिल्म सलाहकार बोर्ड द्वारा पास कर दी जायगी, तो इसको सिनेमा घरों में प्रदर्शन हेतु रिलीज कर दिया जायगा । चार रील वाली डाकुमेन्ट्री फिल्म को दिखाने के लिए इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन से अपील करने के प्रश्न पर दो रील वाली फिल्म के मुकम्मल होने और इस फिल्म सलाहकार बोर्ड द्वारा पास किये जाने के उपरांत, विचार किया जा सकता है ।



8—23 L.S.S./73

(ख) और (ग) सिनमा घरों में प्रदर्शन के अतिरिक्त चार रील वाली डाकुमेन्ट्री फिल्म की टेलीविजन केन्द्रों द्वारा टेलीकास्ट किए जाने और क्षेत्रीय प्रचार एककों, आदि द्वारा प्रदर्शित किए जाने पर भी विचार किया जा सकता है । इसकी प्रिंटें "विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को भी उधार दी जा सकती है ।

**देश में आपात स्थिति का जारी रखना**

3911. **श्री समर गुह :**

**श्री सोमनाथ चटर्जी :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के साथ शिमला समझौते के पश्चात भी आपात स्थिति को जारी रखने के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त समझौते के पश्चात सरकार द्वारा आपात स्थिति के फलस्वरूप मिली विशेष शक्तियों के अन्तगत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान संविधान के अनुच्छेद 19 का निलम्बन करके कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार, नजरबन्द किया गया और अन्य क्या दंडात्मक उपाय अपनाये गये है;

(घ) आपात शक्ति के अनसार ताला—बन्दियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या सरकार आपात स्थिति को जारी रखने की वांछनीयता पर पुनर्विचार करेगी?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) और (ङ) सम्पूर्ण स्थिति को दष्टि में रखते हुए जिसकी लगातार समीक्षा की जा रही है सरकार का विचार है कि आपातकालीन स्थिति को समाप्त करने के लिए अभी समय नहीं आया है ।

(ख) से (घ) आंध्र प्रदश, गुजरात राज्य सरकारों तथा अन्दमान निकोबार, चन्डीगढ, दादरा व नगर हवेली, गोवा दमन व दीव, लक्कादीव मिनिकाय तथा अमिनदीवी, पांडिचरी, मिजोराम तथा अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस अवधि में भारत रक्षा नियम 1971 क अन्तर्गत कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है । असम में 8 व्यक्ति मैसूर में 36, हरियाणा में 3, पंजाब में 95 तथा मणिपुर में 43 व्यक्ति गिरफ्तार किए गये थे । तमिलनाडु में 90 व्यक्तियों के विरुद्ध मामले चलाए गये थें जिनमें से 57 गिरफ्तार किये गये थे और 33 ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया शेष सूचना एकत्रित की जा रही है ।

**स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन के लिये आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व व्यक्तियों के आवेदनपत्रों के पुनर्विलोकन के लिए समिति**

3912. **श्री समर गुह :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन के लिए आजाद हिन्द फौज के भुतपूर्व व्यक्तियों के आवेदन पत्रों के पुनर्विलोकन के लिए एक समिति स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित समिति के सदस्यों के नाम क्या है; और

(ग) क्या समिति नें 'आल इंडिया आजाद हिन्द फौज एसोसिएशन' जो कि आजाद हिन्द फौज के व्यक्तियों का एक संगठन है और जिसको स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा आजाद हिन्द फौज के व्यक्तियों के मुख्य संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी, के प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा; और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) समिति का गठन निम्नरूप से है :--

(1) श्री शाह नवाज खां . . अध्यक्ष

(2) श्री मोहन सिंह, संसद सदस्य . . सदस्य

(3) श्री एस० एम० घोष . . सदस्य

(4) श्री रविंद्र नाथ त्यागी . . सदस्य
(रक्षा मंत्रालय में उपसचिव)

(5) श्री आर० एल० प्रदीप . सदस्य
(गृह मंत्रालय में उपसचिव)

(ग) इस समिति में क्योंकि आजाद हिन्द फौज के दो सदस्य श्री शाह नवाज खा तथा श्री मोहन सिंह पहले हो सम्मिलित है अतः इस समय इसे और बढाने का प्रस्ताव नहीं है।

## मिनी कागज मिलों की स्थापना

**3913. श्री बनमाली पटनायक :**

**श्री मधु दण्डवते :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामोण क्षेत्रों में मिनी चीनी मिलों द्वारा उत्पादित फालतू कोई तथा भूसे पर आधारित मिनी कागज को मिलें स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## गत भारत-पाक युद्ध के बाद से पाकिस्तानियों द्वारा सीमा का अतिक्रमण करने के मामले

**3914. श्री बनमाली पटनायक :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत भारत पाक युद्ध में के बाद पाकिस्तानियों द्वारा भारत पाक सीमा का कितनी बार अतिक्रमण करने का समाचार मिला;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ती जासूसी करने के कारण गिरफ्तार किये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सीमा पर सतर्कता को और मजबूत करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

## मूल्य-आय-मजूरी-उत्पादिता सम्बन्धीनीति की जांच सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

3915. **श्री बनमाली पटनायक :**

**श्री राजा कुलकर्णी :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य आय मजूरी उत्पादिता सम्बन्धी नीति की जांच के लिए योजना आयोग द्वारा समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो समिति ने अपने कार्य में कितनी प्रगति की है; और

(ग) प्रतिवेदन कब तक उपलब्ध कर दिये जाने की सम्भावना है और क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा फरवरी 1973 के प्रारंभ म एक वेतन नीति संबंधी समिति की स्थापना की गई थी। समिती नें मार्च 1973 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट पश की थी । समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

मूल्य नीति तथा पांचवी योजना के लिए आय नीति के अन्य पहलुओं का अध्ययन अलग पांचवी योजना प्रारूप के निर्माण के एक अंग के रूप में किया जा रहा है । अध्ययन के परिणामों को पांचवी योजना दस्तावेज के प्रारूप में समाविष्ट कर इसे यथा समय सदन में प्रस्तुत किया जायेगा।

## योजना क्रियान्विति व्यवस्था में सुधार

3916. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना की अच्छे इरादे तथा भली भांति तैयार की गई योजनाएं भी त्रुटिपूर्ण क्रियान्विति के कारण पहले असफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार योजना क्रियान्विति व्यवस्था में सुधार करने के लिए कोई विशेष कार्यवाही कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) जी, हां कुछ मामलों में।

(ख) जी, हां।

(ग) पांचवी योजना के प्रति दृष्टिकोण में नामक दस्तावेज में, कार्यान्वयन से सम्बन्धित अध्याय म ऐसे क्षेत्रों का संकेत किया गया है जिनमें कार्यान्वयन के सुधार के लिए भारी प्रयास करने तथा इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है । विभिन्न स्तरों पर समुचित प्रबोधन तंत्र की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है जिसका उल्लेख हाल ही में कार्यान्वयन प्रक्रिया के सुधार के लिए किया गया है । इस संबंध में राज्य सरकारों को मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किए गए है। अपने अधीन परियोजनाओं तथा स्कीमों के संबंध में अपने प्रबोधन

तंत्र को सुदृढ करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों के लिए भी मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किए गए है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अर्थ-व्यवस्था की प्रगति का सतत प्रबोधन करने और इन क्षेत्रों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित आंकडों का गंभीरतापूर्वक विश्लेषण करने तथा कार्यान्वयन के सुधार के लिए अपेक्षित कदमों का सुझाव देने के लिए योजना आयोग मे एक प्रबोधन तथा मूल्यांकन एकक का गठन किया जा रहा है। राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर अपने योजना तंत्र सुदृढ करने में सहायता पहुंचाने की दृष्टि से आरंभिक कुछ समय तक केन्द्रीय सरकार ने दो तिहाई व्यय वहन करने का प्रस्ताव किया है। इससे निश्चितत: राज्य स्तर पर भी प्रभाव प्रबोधन व्यवस्था स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

## रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सहायता

3917. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **योजना** मंत्री रोजगार के अवसर पदा करने के लिए राज्यों को धनराशि का आबंटन करने के बारे में 8 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2434 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन योजनाओं की मुख्य बातें क्या है जिनके लिए पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :** एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5459/73]**

## पश्चिम बंगाल में डलखोला में तापीय विद्युत परियोजना

3918. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

**(क)** क्या योजना आयोग ने पश्चिम बंगाल के डलखोला में तापीय विद्युत परियोजना सम्बन्ध में अंतिम रूप से निर्णय नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय उस क्षेत्र का विकास करने के लिए मूल ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) बनाने हेतु इस परियोजना की तुरन्त स्वीकृति देगा ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) और (ख) इस परियोजना पर योजना आयोग म विचार किया जा रहा है और यथा शीघ्र इस बारे में अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा।

## कूच बिहार जिले में खोले गये डाकघर

3919. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में कुल कितने डाक घर, उप डाकघर और शाखा डाकघर खोले गये तथा उनके नाम क्या है;

(ख) ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है जो अभी तक विचाराधीन है और जिनके बारे में जनता ने और स्थानीय प्रतिनिधियों ने उक्त विभाग को अनेक अभ्यावेदन भेजे है; और

(ग) शेष डाक घरों के बारे में कब तक विचार किया जायेगा और उन्हें कब तक खोला जायेगा ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) :** (क) कूच बिहार जिले में 30 जून, 1973 तक समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान 11 शाखा डाकघर और 1 उप डाकघर खोले गए थे । इनके नाम नीचे दिए गए है :–

| | |
|---|---|
| 1. किस्मत अदबारी | शाखा डाकघर |
| 2. मारूगंज | शाखा डाकघर |
| 3. तापुरहाट | शाखा डाकघर |
| 4. जमादारेरवाश | शाखा डाकघर |
| 5. जोरनपुर | शाखा डाकघर |
| 6. सिलद्वार | शाखा डाकघर |
| 7. नाकाराजन | शाखा डाकघर |
| 8. थोरैखाना | शाखा डाकघर |
| 9. न्यू कूच बिहार | शाखा डाकघर |
| 10. अक्राहाट बन्दर | शाखा डाकघर |
| 11. अटपुकुरी नायरहाट | शाखा डाकघर |
| 12. दुर्गाबारिसुभाषपल्ली | उप डाकघर |

(ख) 15 जगहों पर डाकघर खोलने के लिए अर्जियां आई है । इनकी जांच हो रही है ।

(ग) ज्योंही जांच समाप्त हो जाती है, त्योंही जो स्थान सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करेंगे, वहां डाकघर खोल दिए जाएंगे ।

**डाकघरों तथा अन्य कार्यालयों के भवनों के लिए पश्चिम बंगाल सर्किल में डाक तथा तार विभाग द्वारा किरायों का भुगतान**

**3920. श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग ने गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल सर्किल में डाकघरों, तारघरों, टेलीफोन एक्सचेंजों तथा विभाग के अन्य प्रयोजनों के लिए प्राइवेट मकान मालिकों को कुल कितने किराये का भुगतान किया;

(ख) विभिन्न जिलों और कलकत्ता में अलग अलग, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए कुल कितने किराये का भुगतान किया गया; और

(ग) क्या मन्त्री महोदय किराये को इतनी बडी राशि का भुगतान करने के बजाय अपनी इमारत बनाने पर विचार करेंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) :** (क) 19,77,184 रुपये प्रतिवर्ष ।

(ख) विभिन्न जिलों के लिए 8,36,148 रुपये और कलकत्ता के लिए 11,41,036 रुपये ।

(ग) जी हां, परन्तु भवन निर्माण का काम निधि उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

**कूच बिहार जिले का पृथक डाक डिवीजन बनाया जाना**

3921. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिवीजनल मुख्यालय घोषित करने की कसौटी क्या है और क्या पश्चिम बंगाल में कूच बिहार जिला पश्चिम बंगाल सर्किल के अन्तर्गत पृथक् डाक डिवीजन घोषित किया जा सकता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)** : (क) मौजूदा डिवीजन को दो भागों में बांट कर एक नया डाक डिवीजन बनाया गया है। डाक डिवीजन को दो भागों में बांटने के लिए कार्य भार के आधार पर कुछ मानदण्ड निर्धारित किए गए है । किसी डाक डिवीजन को दो भागों में बांटने के प्रश्न पर तभी विचार किया जाता है जबकि उसका कार्य-भार किसी निश्चित गुणांक पर पहुंचाजाए बशर्ते कि जो नया डिवीजन बनाया जाना है उसमें भी निश्चित न्यूनतम कार्य-भार अवश्य है ।

(ख) कूच बिहार जिले के लिए अलग से डाक डिवीजन बनाना सम्भव नहीं है क्योंकि जलपाईगुड़ी डिवीजन में जिसमें कूच बिहार जिला भी शामिल है। मानदंडों के अनुसार भी इतना कार्यभार नहीं है कि उसे दो भागों में बांटा जा सके ।

**Working capacity of Police in Delhi**

3922. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government of India has been drawn to the news-item published in daily "Swadesh" (Hindi) of Indore (Madhya Pardesh) dated the 19th June, 1973 in which an Officer stated to the correspondent of Press Asia International that the working capacity of Police in Delhi is greatly affected during the period foreign Heads of States and Prime Ministers are on a visit and the constables of Traffic Police are not seen on traffic points for many days during rush hours in those days ; and

(b) if so, the Government's reaction thereto?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :** (a) Yes, Sir.

(b) The report is exaggerated. On such occasions, sometimes, policemen are withdrawn from less important duties but it is not correct that Traffic Police are not seen for days on important crossings or that any serious disruption taken place on this account.

**दिल्ली में अपमिश्रित पेय पदार्थों के कारण हुई मौतों के सम्बन्ध में की गई जांच के परिणाम**

3923. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में कई बार अपमिश्रित पेय पदार्थों के कारण बड़ी संख्या में हुई मौतों के सम्बन्ध में की गई जांच के परिणाम क्या है ;

(ख) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) जांच आयोग अधिनियम (1952 को 60) के अन्तर्गत विषाक्त शराब से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में गठित जांच आयोग ने अधिकारियों की और से की गई कुछ गलतियों तथा विलोपन के कार्यो तथा आबकारी प्रशासन की भी कुछ कमियों को बताया है। आयोग के निष्कर्ष अनुलग्नक 'क' में दिए गए है। आयोग ने कुछ सिफारशें भी की है जो अनुलग्नक 'ख' में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखे गये / देखिये संख्या एल० टी० 5459/73**]

(ख) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा किए गए उपाय अनुलग्नक 'ग' में दिए गए है। [**ग्रंथालय में रखा गया / देखिये संख्या एल० टी० 5459/73**]

(ग) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही अनुलग्नक 'घ' में दर्शाई गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5459/73**]

### देश में नये स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

3924. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वित्तीय वर्ष 1973-74 में कितने नये स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)** : वित्तीय वर्ष 1973-74 के दौरान कुल 296 आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

### Arrest of an underground Pak Citizen working in the Eelectricity Office at Godhra (Gujarat)

**3925. Shri Hukam Chand Kachwai:**
**Shri R. V. Bade:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether an underground Pakistani citizen working in the Power House of Godhra (Gujarat) was arrested in July, 1973;

(b) since when he was working in that Power House; and

(c) the action taken by Government against him?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin):** (a) to (c) One Abdul Karim Daudbhai Shaikh, who was born in India, is reported to have left for Pakistan in 1952 and returned to India in 1956 on a Pakistani passport. He has since then been living in India. He was working in the Power House at Godhra as a Helper since April 1960. He was arrested on 9-8-1973 for contravention of the provisions of the Foreigners Act, 1946, and a case has been registered against him.

### Dharna by Sikhs at British High Commission in Delhi

**3926. Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether some Sikhs had staged a 'Dharna' at British High Commission in Delhi in June, 1973; and

(b) if so, the causes thereof?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha):** (a) Yes, Sir.

(b) The Dharna was staged to protest against the decision of the British authorities requiring compulsory use of helmets by members of the Sikh community in U. K. while driving scooters, motorcycles etc.

**Bomb explosion in Aijal, Mizoram**

**3927. Shri Hukam Chand Kachwai :**

**Shri G. Y. Krishnan :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state;

(a) whether an incident of bomb explosion occurred in Aijal, the capital of Mizoram during July;

(b) whether Government have since conducted any enquiry in this regard; and

(c) if so, the result thereof?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin):** (a) to (c) On the 21st July, 1973, an explosion took place in a stationary vehicle belonging to contractor in Aijal town. Some nearby shops were damaged but none was injured. The police cordorned the area but none of the culprits could be arrested. The police have undertaken investigations, which are still in progress. The State Government are maintaining utmost vigilance against any attempt to disturb peace.

**बम्बई में एक व्यक्ति पर प्रधान मंत्री के जाली हस्ताक्षर बनाने के कारण मुकदमा चलाया जाना**

3928. **श्री मधु लिमये** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय जांच ब्यूरो के वर्ष 1972 के वार्षिक प्रतिवेदन के पैरा 142 (पृष्ठ 63 पर) में उल्लिखित इन शब्दों की ओर दिलाया गया है कि "बम्बई के एक व्यक्ति पर भारत के प्रधान मंत्री के जाली हस्ताक्षर बनाने और एकाऊंट 403216 से 551197 (स्विस बैंकिंग कारपोरेशन, जेनेवा) में 6,00,000 डालर डालने का अनुरोध करने के कारण, जिसका उद्देश्य प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाना था, मुकदमा चलाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उल्लीखित दो खातों या उनमें से कोई प्रधान मंत्री के नाम में है और क्या इस खातें /खातों को बनाये रखने के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति ली गई थी;

(ग) इस खाते या खातों में कितनी राशि बकाया है; और

(घ) उपरोक्त व्यक्ति का नाम क्या है और उसके विरुद्ध आरोप-पत्र का ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) तथा (ग) जांच पड़ताल से सिद्ध हुआ है कि प्रश्न के भाग (क) में उल्लीखित जैसा कोई भी खाता स्विस बैंक कारपोरेशन, जेनेवा में प्रधान मंत्री के नाम पर नहीं था। अत: झूठे खाते या ऐसे खाते की किसी शेष राशि के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस सूचना के आधार पर कि भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, के जाली हस्ताक्षर एक पत्र में, जो कि उनके नाम से स्विस बैंक कारपोरेशन जेनेवा के नाम लिखा दिखाया गया था, किए गए हैं, जनवरी 1971 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 465 / 471 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था। जांच पड़ताल से पता लगा है कि यह जाली पत्र बम्बई के श्री एन० बी० शाह द्वारा लिखा गया था। जांच पड़ताल के दौरान यह भी पता लगा कि उक्त श्री एन बी० शाह ने उस पत्र पर भी जाली हस्ताक्षर किए थे जो एम०जी०

मिस्त्री ने मैनेजर, ट्रस्टी डिपार्टमेंट, बैंक्यू कैन्टोन्ले, वाउडोसे। स्विटजरलैण्ड को भेजा गया दिखाया गय था, जिसका प्रयोजन खाता नम्बर 605216 से 5,00,000 पौण्ड की राशि श्री शाह के खाते नम्बर 605217 तथा खाता नम्बर 602216 से 5,00,000 पौंड की राशि खाता नम्बर 706128 में हस्तान्तरित करने से था बम्बई की एक अदालत ने उक्त श्री एन० बी० शाह के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 465 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 465 तथा 471 के अन्तर्गत केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक आरोप-पत्र दायर किया गया है। यह मामला निर्णयाधीन है।

**प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति विकास संबंधी व्यय, राज्यों आदि को प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता के बारे में आंकड़े एकत्र करने के लिए एक सैल की स्थापना**

3929. **श्री मधु लिमये** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यवार प्रति व्यक्ति आय, राज्यवार प्रति व्यक्ति विकास व्यय, राज्यों की राज्यवार, प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय परियोजनाओं में, राज्यवार, प्रति व्यक्ति परिव्यय, और प्रति व्यक्ति, राज्यवार, बैंक ऋण; भारतीय औद्योगिक ऋण तथा पूंजी-निवेश निगम, यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम आदि अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रति व्यक्ति राज्यवार, ऋण और पूंजी निवेश के संबंध में आंकड़े एकत्र करने और उन्हें अद्यतन बनाने के लिए योजना आयोग में कोई सैल स्थापित किया गया है या करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त मदों के बारे में नवीनतम आंकड़े क्या हैं?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) योजना आयोग के कार्यक्रम प्रशासन और वित्तीय संसाधन प्रभाग वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन तथा अन्य प्रभागों/संगठनों के सहयोग से प्रति व्यक्ति आय, योजना परिव्यय/व्यय, राज्यों को केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय परियोजनाओं में निवेश, बैंक ऋण तथा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, कृषि पुन: वित्त निगम आदि जैसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जानेवाले कर्जे और निवेश के संबंध में राज्यवार नवीनतम सूचना एकत्रित करते हैं।

(ख) विवरणों का एक सेट सभा पटल पर प्रस्तुत है। [**ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी०** 5461/73]

**Communication Satellite Programme during Fifth Plan**

3930. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Space** be pleased to state :

(a) the expenditure proposed to be incurred on Communication Satellite Programme in the country during Fifth Five Year Plan; and

(b) the percentage of the expenditure to be incurred on the neglected and backward regions of the country?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Information and Broadcasting and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) :** (a) & (b) The details of the Fifth Plan Outlay on Communication Satellite have not yet been finalised.

**Implementation of development schemes of hilly areas in U.P.**

**3931. Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Governor of Uttar Pradesh undertook a tour of the hilly areas of the State during the month of June, 1973 and has issued orders for the immediate implementation of the development schemes of hilly areas; and

(b) if so, the action taken in pursuance of the said orders?

**The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) :** (a) and (b) Information has been asked for from the State Government and will be laid on the Table of the House on receipt.

**केरल से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये प्राप्त विचाराधीन आवेदन-पत्र**

3932. **श्री वरके जार्ज :**

**श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक लाइसेंसो के लिये ऐसे कितने आवेदन-पत्र जून, 1973 तक केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन पड़े थे जिनकी केरल राज्य सरकार ने सिफारिश की थी ; और

(ख) आवश्यक लाइसेंस कब तक जारी किये जाने की संभावना है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) केरल में औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए 30-6-1973 तक प्राप्त आवेदन पत्रों में से 1-8-1973 को 55 आवेदन पत्र अनिर्णीत थे ।

(ख) इन आवेदनपत्रों को निपटाने के लिए प्रत्येक संभव प्रयास किए जा रहे हैं ।

**नेवादा कोर्टस से मूर्तियों की चोरी**

3933. **श्री वरके जार्ज :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवादा कोर्टस से कई लाख रुपये कीमत की 17 मूर्तियों की चोरी के पीछे कुछ उच्चाधिकारीयों का हाथ पाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** (क) तथा (ख) बिहार सरकार से अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक सभा के पटल पर रख दी जायगी ।

**नेताजी जांच आयोग का प्रतिवेदन**

3934. **श्री वरके जार्ज :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और यह प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) जी नहीं, श्रीमन्,।

(ख) आशा की जाती है कि आयोग 31 अक्तूबर, 1973 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

### भारत में दिखायी जाने वाली अंग्रेजी की विदेशी फिल्मों का आयात

**3935. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब तक नये आयात लाइसेंस मंजूर नहीं किये जाते अंग्रेजी की कोई भी नई विदेशी फिल्म भारत में नहीं दिखाई जायगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगी ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) और (ख) जी, नहीं। पहले ही आयात की गई कुछ नई विदेशी फिल्में दिखाई जा रही हैं। तथापि जब तक राष्ट्रीय फिल्म निगम, जो फिल्मों के आयात संबंधी कार्य भी करेगा, स्थापित नहीं हो जाता, तब तक राज्य व्यापार निगम के माध्यम से फिल्में आयात करने की नई नीति के अन्तर्गत, विदेशी फिल्मों की आयात करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

### गैर-स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन दिये जाने के विरुद्ध शिकायतें

**3937. श्री रामावतार शास्त्री :**
**श्री के० एम० मधुकर :**

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के और अन्य राज्यों के कुछ ऐसे व्यक्तियों को स्वाधीनता सेनानियों के रूप में पेंशन दी गई है जिन्होंने मुखबिर अथवा इकबाली गवाह के रूप में कार्य किया या जो कभी भी जेल नहीं गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात की ओर कुछ संसद सदस्यों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** :(क) से (ग) लगभग 70 मामलों के बारे में गैर स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत करने के आरोपों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें बिहार के एक संसद सदस्य की शिकायत शामिल है जिसमें पटना के एक मुखबिर को पेंशन स्वीकृत करने का आरोप लगाया गया है और इसी प्रकार की एक दूसरी शिकायत राजस्थान से प्राप्त हुई है।

सभी शिकायतों की जांच की जा रही है और थोड़े से मामलों में पेंशन रोक दी गई है जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

## स्वतंत्रता सेनानियों को "ताम्र-पत्र" देना

**3938. श्री रामावतार शास्त्री :**

**श्री शशि भूषण :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को "ताम्र-पत्र" देने का निर्णय किया है जिन्होंने कम से कम छह महीने कारावास भुगता था ;

(ख) उन स्वतंत्रता सैनानियों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्हें अब तक "ताम्र-पत्र" दिये जा चुके हैं; और

(ग) "ताम्र-पत्र" देने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इसमें शीघ्रता लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) सभी जीवित स्वतंत्रता सेनानियों को उनकी पात्रता, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के कारण कम से कम छह महीने की सजा शामिल है- के निर्धारित मानदण्ड के अनुसार ताम्र-पत्र दिये जा रहे हैं।

(ख) उपलब्ध सचना का एक विवरण संलग्न है।

(ग) पराने जेल रिकार्डो आदि से सज़ा के ब्यौर के सत्यापन में कठिनाइयों के कारण ताम्र पत्र देने में प्राथमिक रूप से विलम्ब हुआ है। देश के कुछ भागों में दंगों तथा सूखे की स्थिति से भी विलम्ब हुआ है।

जहां सज़ा से संबंधित जेल रिकार्ड नहीं मिल रहे हैं वहां मामलों के सत्यापन में सहायता करने के लिए राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्वतंत्रता सेनानी समितियां गठित की गई हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से उन सभी जीवित स्वतंत्रता सेनानियों को भी ताम्र-पत्र देने का अनुरोध किया गया है जिन्हे स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले ही पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है।

### विवरण

| क्रम सं० | राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम | वर्तमान उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य-वार व्यक्तियों की संख्या जिन्हें ताम्र-पत्र दिये गये |
|---|---|---|
| 1 | आन्ध्र प्रदेश . | 253 |
| 2 | असम | 1335 |
| 3 | बिहार . | 262 |
| 4 | गजरात | 1203 |
| 5 | हरियाणा . | 137 |
| 6 | हिमाचल प्रदेश | 55 |
| 7 | जम्मू व काश्मीर . . . . | 44 |

| क्रम संख्या | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | वर्तमान उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य-वार व्यक्तियों की संख्या जिन्हें ताम्र-पत्र दिये गये |
|---|---|---|
| 8 | केरल | 352 |
| 9 | मध्य प्रदेश | 1940 |
| 10 | महाराष्ट्र | 4129 |
| 11 | मसूर | 42(15-8-72 को दिल्ली में) |
| 12 | मेघालय | 17 |
| 13 | मणिपुर | 36 |
| 14 | नागालैण्ड | 1 |
| 15 | उड़ीसा | 1756 |
| 16 | पंजाब | 5873 |
| 17 | राजस्थान | 478 |
| 18 | तमिलनाडु | 2002 |
| 19 | त्रिपुरा | 91 |
| 20 | उत्तर प्रदेश | 1748 |
| 21 | पश्चिम बंगाल | 2453 |
| 22 | अरुणाचल प्रदेश | 1 |
| 23 | अण्डमान | .. |
| 24 | चण्डीगढ़ प्रशासन | 23 |
| 25 | दादरा व नागर हवेली | .. |
| 26 | दिल्ली प्रशासन | 1251 |
| 27 | गोवा, दमन व दीव | 34 |
| 28 | मिज़ोरम | 2 |
| 29 | लक्कदीव, मिनिकाय व अमिनदीवी | .. |
| 30 | पाण्डिचेरी | 92 |

**डाक और तार बोर्ड के सदस्य के संवर्ग में पद**

3939. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान डाक और तार बोर्ड के सदस्य के संवर्ग में, उप-महानिदेशक, निदेशक, सहायक उप-महानिदेशक और अन्य ऐसे पदों की संख्या संवर्ग वार, अलग-अलग क्या है और 1971-72 और 1972-73 के दौरान पोस्ट मास्टर जनरल के दर्जे के कितने अतिरिक्त पद बनाये गये ;

(ख) वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान टेलीग्राफी इंजीनियरिंग विभाग में पोस्टमास्टर जनरल के दर्जे के समान ऐसे रिक्त पद थे ; और

(ग) क्या भूतपूर्व वरिष्ठ सदस्य के पदों के समय में सीनियर सुपर-टाईम स्केल पदों औ अन्य राजपत्रित संवर्गों के पदों का निर्माण हुआ था ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)** : (क) और (ख) इस संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। अपेक्षित सूचना इसमें दी जा रही है।

(ग) जी नहीं।

**विवरण**

| | 1971-72 के प्रारंभ में पद | 1971-72 में निर्मित पद | 1972-73 के प्रारंभ में पद | 1972-73में निर्मित पद | 1972-73के अन्त में पद | कैफियत यदि कोई हो |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. सदस्य | 6 | .. | 6 | .. | 6 | |
| 2. वरिष्ठ प्रशासन ग्रेड | | | | | | |
| (क) डाक के तथा अन्य | 21 | .. | 21 | 6 | 27 | |
| (ख) दूरसंचार के तथा अन्य | 15 | 5 | 20 | 1 | 21 | |
| 3. कनिष्ठ प्रशासन ग्रेड | | | | | | |
| (क) डाक के तथा अन्य | 43 | 3 | 46 | 10 | 56 | |
| (ख) दूरसंचार के तथा अन्य | 48 | 31 | 79 | 23 | 102 | |
| 4. समय मान | | | | | | |
| (क) डाक के तथा अन्य | 241 | 5 | 246 | +23 − 10* | 259 | *3 पद समाप्त किये गए और 7 पद रोक दिए गए। |
| (ख) दूर संचार के तथा अन्य | 651 | 92 | 743 | 178 | 921 | |

**पटना नगर में डाक और तार औषधालय के काम के घंटे**

3940. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना नगर में डाक और तार कर्मचारियों के लिए दूसरा डाक और तार औषधालय कार्य कर रहा है ;

(ख) क्या यह औषधालय मध्यवर्ती स्थान पर स्थित है और महीने के पूर्वा में औषधालय का कार्य समय प्रातः 7 बजे से मध्यान्ह 1 बजे तक है ; और महीने के उत्तरार्द्ध में मध्यान्ह 1 बजे से सायं 7 बजे तक है ; और

(ग) यदि हां, तो पटना नगर में दूसरे डाक और तार औषधालय के कार्य करने का समय इतना असामान्य क्यो है जो सभी रोगियों के लिए नितान्त असुविधाजनक है और बीमार रोगियों के हित में इस असंगत काम के घंटों को खत्म करने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) पटना के पोस्टमास्टर जनरल को हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि वे पटना शहर के औषधालय के काम करने का समय इस तरह से बदल दें जिससे वहां के रोगियों को सुविधा रहे।

**भारत पर एक उप-ग्रह केन्द्र स्थापित करने के लिए भारत-ब्रिटेन वार्ता**

**3941. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर ई० आर० टी० एस० टाइप का उप–ग्रह स्थापित करने में सहयोग करने के लिए ब्रिटेन के साथ बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**समुद्री संसाधन आयोग**

**3942. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :**

**श्री पी० गंगादेव :**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सनुद्रीय संसाधन आयोग स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन–कौन होंगे और उनके कृत्य क्या होंगे ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यन्)** : (क) समुद्रीय संसाधन आयोग की स्थापन के प्रस्ताव पर सरकार अभी जांच कर रही है।

(ख) इस प्रस्ताव की अभी भी जांच की जा रही है। इसके विस्तृत संघटन और कृत्यों का निर्धारण करना अभी बाकी है।

**चर्म उद्योग में लगे हुए उड़ीसा में पंचायत उद्योग**

**3943. श्री आनन्दो चरण दास** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उपलब्ध कच्ची खालों के उपयोग के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) उड़ीसा राज्य में चर्म उद्योग में कितने पंचायत उद्योग लगे है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : (क) उड़ीसा सरकार नें क्रोम के ऊपरी चमड़े सहित विभिन्न किस्म के तैयार चमड़े के कमाने हेतु बौध तथा टीटलागढ़ में दो टैनरियां लगाई हैं। टीटलागढ़ की टैनरी में तैयार चमड़ा बनाने में काम आने वाली

आधुनिक मशीनें लगायी गई हैं। इन दो टैनिरियों के अलावा टखनों वाले बूट (एंकिल बूट) तथा अन्य जूतों की आवश्यकताओं का निर्माण करने हेतु जूतों के एकक प्रारम्भ किये गये हैं जिनमें दोनों टैनरियों का तैयार चमड़ा लग जाता है।

(ख) इस समय चमड़ा उद्योग में कोई पंचायत एकक काम नहीं कर रहा है। केवल भद्रक में एक एकक था जो बन्द हो चुका है।

**मापुरा नगरपालिका परिषद, गोवा के अध्यक्ष के बारे में शिकायत**

3944. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार को यह शिकायत प्राप्त हुई है कि मापुरा नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष भारतीय नागरिक नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) और (ख) गोवा, दमण और दीव स इस मामले में पत्र प्राप्त हुआ है। इस पर विचार किया जा रहा है।

**मनीपुर में भूतपूर्व संयुक्त विधायक दल की सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप**

3945. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर में भूतपूर्व संयुक्त विधायक दल की सरकार के विरुद्ध उनके एक वर्षिय शासन के दौरान भ्रष्टाचार तथा सत्ता का दुरुपयोग करने के बारे में लगाये गये आरोपों की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी प्रगति हुई है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन आरोपों की पूरी जांच करने का है?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) तथा (ख) प्रधान मंत्री को कुछ पत्र आदि प्राप्त हुये हैं, जिनमें दिनांक 12 अप्रैल, 1973 का माननीय सदस्य द्वारा लिखा गया पत्र भी शामिल है और उनमें मनीपुर के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मोहम्मद अलीमुद्दीन तथा मनीपुर के भूतपूर्व संयुक्त विधायक दल की सरकार के उनके कुछ सहयोगियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के कतिपय आरोप समाविष्ट थे। राज्य के राज्यपाल से इन आरोपों से संबंधित तथ्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इस विषय में राज्यपाल के उत्तर की प्रतीक्षा है।

**मनीपुर में शिक्षित युवकों के लिए रोजगार**

3946. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि मनीपुर सरकार शिक्षित युवकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में प्रगति नहीं कर सकती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**मनीपुर में टेलीफोन व्यवस्था का कार्यकरण**

3947. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मनीपुर में टेलीफोन अनेक कारणों संतोषजनक रूप से काम नहीं कर रहें हैं और यदि पोस्टमास्टर जनरल, शिलांग को इस संब में जनता ने शिकायतें की हैं और हां, तो क्या सरकार का विचार वहां एक उच्चाधिकारी भेजकर स्थिति आ जायजा लेने का है ;

(ख) क्या पूर्वोत्तर डाक तथा तार सर्किल के क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति ने इस स्थिति को सुधारने के लिए अपनी गत बैठक में कोई निर्णय किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय किये गये है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)** : (क) सिवाय लम्बी दूरी के सर्किटों को ट्रंक सेवा के, मणिपुर टेलीफोन एक्सचेंज संतोषजनक सेवा दे रहा है। स्थायें ट्रंक सेवा की व्यवस्था करने के लिए, इम्फाल और जोरहाट के बीच माइक्रोवेव सम्पर्क स्थापित करने का काम चल रहा है ।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय सलाहकार समिती ने अपनी पिछली बैठक में इम्फाल में टेलीफोन आपरेटरों की कमी और मनुअल टेलीफोन एक्सचेंज को बदल कर उसको जगह आटोमैटिक टेलोफोन एक्सचेंज लगाने के संबंध में प्रश्न उठाया था। और अधिक टेलीफोन आपरेटरों के लिए मंजूरी दे दी गई है। आटोमैटिक एक्सचेंज लगाने के लिए भवन निर्माण का काम चल रहा है।

**संगीत तथा नाटक प्रभाग के अन्तर्गत प्रदर्शन तथा मनोरंजन मंडलियों का विकेन्द्रीकरण**

3948. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

(क) क्या सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संगीत तथा नाटक प्रभाग के अन्तर्गत आने वाली प्रदर्शन तथा मनोरंजन मंडलियों का, जो प्रभाग के आरम्भ होने से ही राजधानी में थी, उनके कलाकारों का विभिन्न यूनिटों में स्थानान्तरण करके विकेन्द्रीकरण कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है और ऐसे स्थानान्तरणों को ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार संगीत तथा नाटक प्रभाग के ढांचे के कठित पुनर्गठन से पूर्व स्थिति का आद्योपान्त पुनर्मूल्यांकन करने का विचार कर रही है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) दिल्ली स्थित गीत और नाटक भाग की विभागीय मण्डलियों के मुख्यालय दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित कर दिए गए हैं। सशस्त्र सैनिक मनोरंजन स्कन्ध की तीन–तीन मंडलियों को जलन्धर, बरेलो तथा सिलीगुड़ी में स्थानान्तरित कर दिया गया है जबकि परिवार नियोजन विभागीय नाटक मंडली तथा उत्तर प्रदेश और बिहार विभागीय नाटक मंडली क्रमश: चण्डीगढ तथा पटना में स्थानान्तरित कर दी गई है।

(ख) मंडलियों को देश के पूर्वी उत्तरी और पश्चिमी भागों के विशाल क्षेत्रों का दौरा दिल्ली से करना पड़ता था। प्रशासनिक रुप से यह अधिक उपयुक्त होगा कि मंडलियों के मुख्यालय उनके कार्य-क्षेत्र के अधिक निकट रहें ।

(ग) इन मण्डलियों को दिल्ली से बाहर भेजने का निर्णय गीत और नाटक प्रभाग की दक्षता के हित में है जिसे मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद लिया गया है।

## मनीपुर में सीमेंट उद्योग

3949. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय सीमेंट निगम, जिसने मनीपुर में चुना पत्थर के संसाधनों का कम अनुमान लगाया है, के गलत प्रतिवेदन के कारण मनीपुर में प्रस्तावित सीमेंट कारखाना लगाने के कार्य में विलम्ब हो रहा है ;

(ख) क्या सरकार भारतीय भूगर्भ संवक्षण के निष्कर्षों को देखते हुए, जिसने भारतीय सोमेंट निगम के अनुमान से दुगुना चुनापत्थर होने का अनुमान लगाया है, उक्त कारखाने के स्थापना कार्य में तेजी लायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त कारखाना शीघ्र ही आगामी वित्तीय वर्ष में चालू हो जायेगा?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : (क) मणिपुर सरकार के अनुरोध पर, सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए संभाव्यता रिपोर्ट भारतीय सीमेंट निगम तैयार की थी। यह रिपोर्ट भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा किये गये चूने के पत्थर के निक्षेप आंकने पर आधारित थी तथा भारतीय सीमेंट निगम ने स्वयं अलग से चने के पत्थर के निक्षेप का अनुमान नहीं लगाया था। रिपोर्ट के तकनीकी में आर्थिक परीक्षण से पता लगा है कि मणिपुर में सीमेंट संयंत्र की स्थापना आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं होगी इसलिए इस प्रस्ताव को छोड़ देने का निर्णय किया गया था। मणिपुर सरकार को 9 अक्तूबर 1972 को सूचित कर दिया गया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## लघु चित्र वाले डाक टिकटों की बिक्री

3950. **श्री सरजू पांडे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 मई, 1973 को जारी किये गये लघु चित्र वाले डाक टिकटों को अन्य देशों में बिक्री हेतु भी उपलब्ध किया गया है और यदि हां तो इन लघु चित्रों को कैसे प्राप्त किया गया था तथा उन सभी देशों में अब तक उनकी कितनी बिक्री हुई है ; और

(ख) इन सभी डाक टिकटों की छापने में कितनी लागत आई है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)** : (क) शुरु में लघु चित्रकारी वाले डाक टिकट सिर्फ पश्चिमी जर्मनी को ही सप्लाई किए गए थे क्योंकि मई 1973 में म्यूनिख में अन्तर्राष्ट्रीय फिलाटली प्रदर्शनी लगी हुई थी। बम्बई प्रधान डाकघर के फिलाटली ब्यूरो के पास विदेशों से डाक के जरिए आर्डर आए थे। डाक के जरिए प्राप्त इन आर्डरों पर भी ये डाक टिकट उन्हें बेचे गए थे। इन डाक टिकटों की बड़ी सराहना हुई है। विभाग के जरिये अभी तक कुल 9631 रुपये 53 पैसे के मूल्य के ये डाक टिकट विदेशों को बेचे जा चुके हैं। निजी व्यापारियों ने जितने मूल्य के ये डाक टिकट बेचे हैं उनके आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) इन डाक टिकटों को निकलने का कुल 2,54,637 रुपये 60 पैसे खर्च हुए। इन में वे डाक टिकट भी शामिल है जो भारत में बेचने के लिए छापे गए हैं।

### पोर्ट ब्लेयर स्थित पुरानी सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक बनाना

**3951. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व अण्डमान बन्दियों के संघ द्वारा सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि वह पोर्ट ब्लेयर में उनके सहयोग से एक आयोजन करके पुरानी सेल्यूलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि यह समारोह 26 जनवरी, 1974 से पहले पहले आयोजित किया जाये क्योंकि अनेक भूतपूर्व क्रान्तिकारी काफी वयोवृद्ध हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। भूतपूर्व अण्डमान राजनैतिक बन्दियों के भाई चारा सर्कल, कलकत्ता से इस तरह का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) ऐसा अनुभव किया जाता है कि भवन की सारी मरम्मतें जिसमें प्रगति हो रही है पूरी होने के पश्चात् ही सेल्युलर जेल स्मारक के उद्घाटन के लिये औपचारिक समारोह का आयोजन करने के प्रश्न पर विचार किया जाना अच्छा होगा।

### पोर्ट ब्लेयर में अन्दमान में सजा पाये भूतपूर्व कैदियों का अभिवादन

**3952. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोर्ट ब्लेयर, अन्दमान स्थित पुराने सेल्युलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित रखने तथा उसकी देखरेख करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या जेल के अहाते के एक भाग का उपयोग सरकारी गोदाम तथा रिहायशी होस्टल के रूप में किया जा रहा है ; और

(ग) स्वाधीनता की 25 वें वर्ष में अन्दमान में सजा पाए भूतपूर्व कैदियों का कोई अभिवादन समारोह पोर्ट ब्लेयर में न मनाने के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) और (ख) पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जैल के केन्द्रीय टावर तथा तीन खण्डों को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित रखने का निश्चय किया गया है। तद्नुसार अन्दमान व निकोबार प्रशासन से चार लाख रुपयों की लागत से सेल्यूलर जेल भवनों की आवश्यक मरम्मत करने को कहा गया है। अन्दमान निकोबार प्रशासन से उन भवनों के निर्माण प्रावस्थागत कार्यक्रम तयार करने को कहा गया है जो अब सेल्यूलर जेल भवनों के भीतर स्थित कार्यालयों, भण्डारों इत्यादी को स्थानान्तरित करना आवश्यक है।

(ग) सेल्यूलर जेल भवन की पूर्ण मरम्मत हो जाने पर ही पोर्ट ब्लेयर में एक समारोह करने पर विचार किया जा सकता है।

### भारत-ब्रिटेन प्रौद्योगिकी सहयोग समूह की बैठक

**3953. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री ब्रिटेन द्वारा पूंजी निवेश के बारे में भारतीय अधिकारी की लन्दन यात्रा के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2492 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं ;

(ख). क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिकी की कमियों को दूर करने के लिए गैर सरकारी ब्रिटिश फर्मों द्वारा सहयोग करने के लिए किन्हीं नए प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी ; और

(ग) क्या भारत में अपनी नियंत्रित कम्पनियों वाले ब्रिटिश फर्मों की ओर से विदेशी मुद्रा विनियम विधेयक पर शंकाएं प्रकट की गई थीं परन्तु उनका खण्डन कर दिया गया था ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) भारत ब्रिटेन प्राद्योगिकी समूह की लन्दन में हुई चौथी बैठक में भारत की तरफ से निम्नलिखित व्यक्तियों ने भाग लिया :

1. श्री ए० एन० बनर्जी . . . नेता
2. श्री० बी० डी० तिलक . . . नेता
3. श्री एस० के० सहगल . . . सदस्य सचिव
4. डा० ए० सीतारमैय्या
5. श्री आर० एम० भण्डारी
6. डा० आर० एम० हनावर
7. श्री के० एस० आर० मूर्ति
8. श्री केशव महीन्द्रा
9. श्री चरत राम

(ख) भारतीय प्रतिनिधियों ने उन क्षेत्रों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जहां भारतीय उद्योगों के बीच विद्यमान प्रोद्योगिकी अन्तराल को ध्यान में रख कर देश से बाहर से प्रोद्योगिक प्राप्त करना आवश्यक समझता है तथा यह स्वीकार किया गया कि प्रोद्योगिकी के स्थानान्तरण के लिए इन अन्तरालों की एक सूची तैयार की जाएगी तथा ब्रिटेन के उद्योगों में परिचालित की जाएगी।

(ग) ब्रिटेन के प्रतिनिधियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियन्त्रण बिल के संबंध में पूछे गए उत्तर में भारतीय पक्ष ने बिल के उपबन्धों का स्पष्टीकरण किया।

### मूल्य वृद्धि के कारण वर्ष 1973-74 की वार्षिक योजना में कटौती

3954. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असाधारण मूल्य वृद्धि के कारण चालू वित्तीय वर्ष की योजना में कटौती की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस कटौती से कौन-कौन सी परियोजनायें प्रभावित होंगी ; और

(ग) चालू वर्ष की योजना के लिये पुनरीक्षित परिव्यय क्या होगा ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) से (ग). अर्थ व्यवस्था पर मुद्रा स्फीति के दबाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित उपाय तारांकित प्रश्न संख्या 285 और 365 के उत्तर में वित्त मंत्री द्वारा 10 और 17 अगस्त को सभा पटल पर रखे गये विवरणों में स्पष्ट किए गए हैं। उसके अनुसार विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के गैर-योजन व्यय, केन्द्रीय योजनाओं, जिनमें केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें भी शामिल है,

के लिए की गई व्यवस्था में लगभग 300 करोड़ रुपये की बचत तथा राज्य योजनाओं में 100 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है। इससे लगभग 400 करोड़ रुपये की कुल बचत होगी। इस प्रकार से की जाने वाली बचतों के विस्तृत विवरण वित्त मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके तैयार किए जा रहे हैं।

**अखबारी कागज की खरीद के लिए दी गई कनाडा सहायता का उपयोग न किया जाना**

3955. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज की खरीद के लिए कनाडा सरकार की 50 लाख डालर की सहायता का इस वर्ष उपयोग नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) क्या इस सहायता का उपयोग करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :** (क) से (ग) कनाडा की सहायता के अन्तगत 50 लाख डालर की कोई मात्रा अभी तक उपलब्ध नहीं है। भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० द्वारा मांगे गए टेन्डर के उत्तर में सहायता प्रक्रिया के अनुसार, केवल दो पेशकशें प्राप्त हुई थी और दोनों मामलों में, अखबारी कागज की जिन विशिष्टयों को पेशकश की गई थी वे ऐसी नहीं थी जिनका सामान्यतः इस देश में आयात किया जाता है। अतएव उन पेशकशों को स्वीकार नहीं किया गया कनाडा हाईकमीशन के परामर्श से यह मंजूर कर लिया गया है कि भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० को कानडा सहायता के अन्तर्गत, आपसी बातचीत के आधार पर, अखबारी कागज खरीदने की इजाजत दे दी जाए। सहायता का उपयोग करने के लिये कनाडा में स्रोतों को ढूंढने के प्रयत्न जारी हैं।

**हैदराबाद के निकट न्यूक्लीयर ईंधन काम्पलैक्स द्वारा तैयार किया गया विविधीकरण कार्यक्रम**

3956. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के निकट न्यूक्लीयर ईंधन काम्पलैक्स ने विविधीकरण कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) जी, हां।

(ख) न्यूक्लीय इन्धन सम्मिश्र के विविधिकरण कार्यक्रम में इस यंत्रो की स्थापना करना शामिल है। (1) स्टेनलेस स्टील की जोड़रहित ट्यूबे बनाने वाला संयंत्र तथा (ii) टाईटेनियम प्रायोगक संयंत्र (i) स्टेनलेस स्टील को जोडरहित ट्यूबें बनाने वाले संयंत्र पर लगभग 412.70 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है जिसमें 208.65 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा भी शामिल है। यह संयंत्र, न्युक्लीय इंधन सम्मिश्र में स्थित जरकालय संनिर्माण संयंत्रों की बहिर्वेधन प्रैस की फालतू क्षमता का प्रयोग करके प्रारम्भ में 2000 मी० टन स्टेनलस स्टील की जोड़रहित ट्यूबें प्रतिवर्ष तैयार करेगा। आशा की जाती है कि इस संयंत्र से सन् 1975 के अन्त तक उत्पादन शुरु हो जायगा। प्रतिवर्ष 7.5 मी० टन टाइटेनियम स्पंज की उत्पादन क्षमता का टाइटेनियम प्रायोगिक संयंत्र अब बनकर तैयार होने वाला है। इस संयंत्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य टाइटेनियम स्पंज के उत्पादन में काम में आने वाली विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना है ताकि ऐसी प्रक्रिया को अन्तिम रुप से चुना जा सके जिसका प्रयोग बाद में लगाये जा सकने वाल पुरी क्षमता वाले किसी संयंत्र में किया जा सके। इस प्रायोगिक संयंत्र की अनुमानित लागत लगभग 25.03 लाख रुपये होगी जिसमें 4.20 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा भी शामिल है।

**आकाशवाणी केन्द्रों से सम्बद्ध अंशकालिक जिला संवाददाता**

3957. **श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया रेडियो ने विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों से सम्बद्ध अंशकालिक जिला संवाददाता रखे हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों के सभी जिलों में ऐसे संवाददाता हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उन जिलों के नाम क्या है जहां से संवाददाता अभी नहीं हैं ; और

(घ) क्या हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में जहां संचार व्यवस्था बहुत ही खराब है इन पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में कोई प्राथमिकता दी जाएगी?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) जी नही । आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाता विभिन्न राज्यों के केवल कुछ जिलों में है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) पंजाब में--फिरोजपुर, गुरदासपुर, जलंधर, लुधियाना, भटिण्डा, फरीदकोट, पटियाला, होशियारपुर, रोपड़, कपूरथला तथा संगूरर; हरियाणा में--अम्बाला, गुडगांव, हिसार, जीन्द करनाल, महेन्द्रगढ़ तथा रोहतक, तथा हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर, सिरमौर, ऊना, महासू, चम्बा, किनौर, लाहौर और स्पिति तथा हमीरपुर ।

(घ) स्रोतों पर दबाव के कारण, जिलों में अंशकालिक संवाददाताओं की नियुक्ति क्रमबद्ध रुप से करनी पड़ी है । ऐसे संवाददाताओं को नियक्ति करते समय पिछड़े तथा पर्वतीय क्षेत्रों को विशेष संचार आवश्यकताओं को विशेष रुप से ध्यान में रखा जायगा ।

**आकाशवाणी में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए कोटे का आरक्षण**

3958. **श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में कार्य कर रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए कोई कोटा निर्धारित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में पदोन्नति सम्बधि नीति के बारे में कोई स्थायी आदेश अथवा परिपत्र है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में हैड क्लार्क तथा लेखाकार के पदों के लिये कोई पदोन्नति की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान, क्षेत्रवार, कितनी पदोन्नतियां की गई है ।

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मबीर सिंह)** : (क) तथा (ख) समस्त नियमित सरकारी पदों के सम्बन्ध में आकाशवाणी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से संबंधित कर्मचारियों की पदोन्नति से सम्बन्धित कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 27-2-71-एस्ट (एस० सी०टी०), दिनांक 27-11-72 में निहित अनुदेशों जो केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालय पर लागू हैं, का पालन करती है ।

(ग) तथा (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान हेड क्लार्क / लेखाकार के ग्रेड में की गई पदोन्नतियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। नवम्बर, 1972 से पूर्व, नियमित पदों में पदोन्नति हेतु अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कोई पृथक आरक्षण निर्धारित नहीं था, यद्यपि पदों की सीधी भर्ती के मामले में कुछ कोटा निर्धारित था।

**विवरण**

| क्षेत्र का नाम | विगत तीन वर्ष (अगस्त, 1970 से जुलाई, 1973 तक) के दौरान हेड क्लार्क / लेखाकार के पदोन्नति द्वारा भरे गये पदों की संख्या | पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति और आदिम जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| गुजरात . . . . . | .. | .. |
| केरल . . . . . | .. | .. |
| मैसूर . . . . . | .. | .. |
| बिहार . . . | 5 | .. |
| पश्चिम बंगाल . . . . | 4 | .. |
| पंजाब/हरियाणा/हिमाचल प्रदेश/जम्मू और काश्मीर संघ प्रशासित क्षेत्र चण्डीगढ़ | 6 | .. |
| आन्ध्र प्रदेश . . . | 1 | |
| मध्य प्रदेश . . | 2 | |
| राजस्थान . . . . . | 1 | |
| उड़ीसा . . . . . | 1 | |
| संघ प्रशासित क्षेत्र दिल्ली . . . | 6 | .. |
| उत्तर प्रदेश . . . . . | 2 | .. |
| तमिलनाडु, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पाण्डीचेरी | 1 | अनुसूचित जाति-1 5-7-72 को |
| महाराष्ट्र, गोआ, दमन और दीव . | 20 | अनसूचित आदिम जाति-1 2-8-71 को |
| आसाम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैण्ड मिजोराम, मणिपुर और त्रिपुरा . . . | 4 | अनुसूचित आदिम जाति-1 31-8-72 को |
| | †53 | |

†कालम 2 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों तथा गैर-अनुसूचित आदिम जातियों से संबंधित नियुक्त किए गए सभी व्यक्तियों की कुल संख्या दी गई है।

## डाक द्वारा समाचारपत्रों को भेजने के बारे में 'डी' संख्या का आबंटन

**3959. श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने डाक द्वारा समाचार पत्रों को भेजने के बारे में "डी" संख्या का आवंटन करने की एक नई प्रक्रिया अपनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नई प्रक्रिया की मुख्य बातें क्या हैं और किन समाचारपत्रों के मामले में (आवर्तता आदि) यह नई प्रक्रिया लागू की जाएगी ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस नई प्रक्रिया के अनुसार वास्तविक उपभोक्ताओं की सूची की जांच पड़ताल का कार्य अब नहीं किया जाता है । पंजीकरण मंजूर करने का अधिकार संबंधित डाक डिवीजनों के अधिक्षकों/वरिष्ठों अधिक्षकों को दे दिया गया है । पहले जो समाचार पत्र पंजीकरण के पात्र थे उन सभी पर यह नई प्रक्रिया लागू होगी । समाचार पत्रों के पंजीकरण के लिए जो समयावधि या शर्तें निर्धारित थीं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

## फिरोजाबाद तथा वाराणसी के दंगों सम्बन्धी रिपोर्ट

**3960. श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **गृह** मंत्री फिरोजाबाद तथा वाराणसी के दंगों सम्बन्धी रिपोर्ट के बारे में 28 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4934 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त हुई है ।

## अनुसूचित जातियों द्वारा धर्म परिवर्तन

**3961. श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **प्रधान मंत्री** अनुसूचित जातियों द्वारा धर्म परिवर्तन के सम्बन्ध में 21 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3971 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हा, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) से (ग) अब तक 40 मंत्रालयों/विभागों से आवश्यक सूचना प्राप्त हो चुकी है, जिसे संलग्न विवरण में दिया जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5462/73**] 12 मंत्रालयों/विभागों से सम्बन्धित आवश्यक सूचना की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है ।

**दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए सिलेक्शन ग्रेड**

3962. **श्री छत्रपति अम्बेश :** क्या प्रधान मंत्री पृथक वरीयता के आधार पर अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सिलेक्शन ग्रेड के बारे में 21 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3959 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद ने यह आदेश जारी किया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सिलेक्शन ग्रेड 1 अप्रैल, 1973 से मंजूर किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड देने की तिथि 5 सितम्बर, 1971 से उन्हें सेलेक्शन ग्रेड न देकर 1 अप्रैल, 1973 से देने के क्या कारण है ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) जी, नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग**

3963. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग में और आगे कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या देश को आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे परमाणु संयंत्रों का विस्तार किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इनका कितना विस्तार किया जायेगा ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) विभिन्न शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए परमाण ऊर्जा के उपयोग में हुई प्रगति का विवरण परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 1972-73 की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है, जिसकी प्रतियां माननीय सदस्यों के लिए प्रचारित की जाती हैं। रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) इस समय प्रक्रियाधीन अथवा निर्माणाधीन परमाणु बिजलीघरों की क्षमता बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। इसलिए परमाणु बिजलीघरों द्वारा देश की विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कुल उत्पादित बिजली की तुलना में परमाणु बिजली का प्रतिशत काफी कम है।

**दिल्ली में पांच वर्ष से अधिक समय से स्टेशन निदेशक तथा सहायक स्टेशन निदेशक**

3964. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित आकाशवाणी तथा टेलिविजन केन्द्रों में कार्य कर रहे सभी ऐसे सहायक स्टेशन निदेशकों और स्टेशन निदेशकों की संख्या और नाम क्या हैं जो 1 जुलाई, 1973 को पांच वर्ष से अधिक समय से दिल्ली में रह रहे हैं ;

(ख) क्या ऐसे अधिकारियों के ठहरने की सामान्य अवधि 5 वर्ष है ; और

(ग) यदि हां, तो इन अधिकारियों द्वारा अपनी अवधि से अधिक समय तक दिल्ली ठहरने के क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्म वीर सिंह) :** (क) दस । इनके नाम ये हैं :—

1. श्री के० पी० शुंगलू, केन्द्र निदेशक, दिल्ली ।

2. श्री वी० कृष्णमूर्ति, कार्यक्रम निदेशक (नीति)

3. श्री गोपालदास, कार्यक्रम निदेशक (नीति) (16–8–73 को सेवानिवृत्त हो गए)

4. श्री रोमेशचन्द्र, निदेशक, टेलिविजन उपग्रह ।

5. श्री जी० के० माथुर, निदेशक, स्टाफ प्रशिक्षण स्कूल (कार्यक्रम) ।

6. श्रीमती सरला मदान, उप-निदेशक ।

7. श्री के० आर० पाणी, सहायक केन्द्र निदेशक ।

8. श्री एस० एम० कौल, सहायक केन्द्र निदेशक ।

9. श्री एम० एल० एम, सहायक केन्द्र निदेशक ।

10. श्री जे० एन० गौड़, सहायक केन्द्र निदेशक ।

(ख) तथा (ग) इस श्रेणी के अधिकारियों को ठहरने की सामान्य अवधि 5 वर्ष है, परन्तु यह अपरिवर्तनीय नहीं है और सार्वजनिक हित में सेवा की प्रशासनिक आवश्यकताओं के अधीन है ।

### प्रोड्यूसरों सहित स्टाफ आर्टिस्टों का पुनः स्थानान्तरण

**3965. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोड्यूसरों सहित अनेक स्टाफ आर्टिस्टों को, जिनकी श्रीनगर, बम्बई और दिल्ली स्थित टेलिविजन केन्द्रों में नियुक्ति की गई थी, इस बीच उनके पसन्द के केन्द्रों में पुनः स्थानान्तरित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनको पहले एक विशेष केन्द्र में नियुक्त किया गया था और तदुपरान्त उन्हें अन्य केन्द्रों में पुनः स्थानान्तरित किया गया है ; और

(ग) ऐसे स्थानान्तरण में कितना व्यय आया है ?

**सूचना और प्रसारण मलयन्त्रा में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

**आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र तथा देश के टेलीविजन केन्द्रों के विभिन्न कार्यालयों में कार्य कर रहे केजुअल आर्टिस्टों की संख्या**

3966. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित आकाशवाणी के तथा सम्पूर्ण भारत में टेलीविजन केन्द्रों के विभिन्न कार्यालयों में कापीइस्ट/जनरल असिस्टेंट/टेप लाइब्रेरियन/प्रोडक्शन असिस्टेंट/फ्लौर असिस्टेंट के रूप में कितने कैजुअल आर्टिस्ट कार्य कर रहे हैं ;

(ख) उनमें से ऐसे आर्टिस्टों की संख्या कितनी है, जिनकी सेवा में विच्छेद सहित, जो लगातार एक वर्ष से अधिक की अवधि से कार्य कर रहे हैं तथा उनके चयन का तरीका क्या है ;

(ग) क्या उनमें से बहुत से व्यक्ति आकाशवाणी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी के अन्य प्रचार एककों के अधिकारियों के सम्बन्धी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) 83।

(ख) 38। कैजुअल ठेके पर रखने के लिए व्यक्तियों का चयन, अधिकतर आवश्यक टैस्ट/इन्टरव्यू के बाद बनाए गये पैनल में से होता है।

(ग) और (घ) 14 व्यक्ति आकाशवाणी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इसके माध्यम एककों के कर्मचारियों के सम्बन्धी हैं।

**बेरोजगारी सम्बन्धी भगवती समिति द्वारा उत्पादकता और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 'सिस्टम अप्रोच' की सिफारिशों को लागू करना**

3967. **श्री के० लकप्पा** :

**श्री श्रीकिशन मोदी** :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी संबंधी भगवती समिति ने उत्पादकता और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए "सिस्टम अप्रोच" अपनाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में नियोजन योजनाओं के उचित आयोजन में आंकड़े एकत्र करने में परम्परागत लापरवाही सबसे बड़ी अड़चन है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) समिति ने इस प्रकार की कोई खास सिफारिश नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**मैसूर सीमेंट में मिलावट**

3968. **श्री के० लकप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के मैसूर सीमेंट की किस्म में विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा होने वाली मिलावट और गलत उपकरणों के कारण काफी गिरावट आ गई है ;

(ख) क्या पिछले एक साल से बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है और इस प्रकार के सीमेंट की बिक्री करके उपभोक्ताओं को धोखा दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सीमेंट की किस्म सुधार करने और उसे जनता को वितरित करने के लिए ऐसे उत्पादकों के विरुद्ध भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : (क) और (ख) भारत सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## लघु उद्योगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी गोष्ठी

**3969. श्री क० लकप्पा :**

**श्री पी० गंगादेव :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने नई दिल्ली में 20 मई, 1973 को लघु उद्योगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी गोष्ठी में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने 26-5-1973 को लघु उद्योग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया था न कि 20-5-72 को।

(ख) संगोष्ठी में निम्नलिखित विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया :—

(1) सरकारी तथा अर्ध-सरकारी एजेन्सियों का लघु उद्योगों की दिशा में प्रौद्योगिकी विकसित करने में योगदान।

(2) पांचवी योजना में लघु उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगि सम्बन्धी नीति।

(3) लघु उद्योगों में व्यावसायिक अनुसंधान की आवश्यकता तथा उसके लिये प्रोत्साहन।

## आगरा फाउन्ड्री उद्योग में उत्पादन

**3970. श्री के० लकप्पा :**

**श्री पी० गंगादेव :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का प्रति वर्ष उत्पादन करने वाला आगरा फाउन्ड्री उद्योग संकट में है;

(ख) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त संकट को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : (क) और (ख) आगरा आयरन फाउन्डीर्स एसोसिएशन ने पक्का कोयला तथा पत्थर के कोयले को प्राप्त करने में उनको महसूस होने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए तथा आगरे में कोयला/कोक गोदाम खोलने के बारे में एक अभ्यावेदन भेजा था। लघु क्षेत्र के उद्योग होने के कारण उनकी आवश्यकताओं को राज्य उद्योग निदेशक देख भाल करते हैं।

(ग) इन शिकायतों की जांच करने पर सरकार को सूचित किया गया है कि राज्य उद्योग निदेशक ने संघ के सदस्यों की मांगों के बारे में सम्बद्ध प्राधिकारियों को मामला भेज दिया है तथा सिफारिश भी की है।

## लखनऊ विश्वविद्यालय की घटना के बारे में जांच

3971. **श्री के० लकप्पा :**

**श्री पी० गंगादेव :**

क्या गृह मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार मई में लखनऊ विश्वविद्यालय की घटना के बारे में जांच करने पर विचार कर रही है?

(ख) यदि हां, तो क्या प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस दल का विद्रोह भी इस जांच का विषय होगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के निर्देश पद क्या होंगे ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) से (ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 10 मई से 21 मई, 1973 तक लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई हिंसा की घटनाओं के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा नौ मामले दर्ज किए गये थे। नौ मामलों में से तीन मामलों का चालान किया गया है और न्यायालय में भेजे गये हैं। तीन मामलों की जांच हो रही है और तीन मामले अन्तिम रिपोर्ट पर समाप्त किये गये हैं। केवल दो मामले जिनकी जांच हो रही है उनमें प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस दल तथा राज्य पुलिस के कुछ कर्मचारी अन्तर्गस्त हैं। राज्य सरकार का इन घटनाओं की कोई अन्य जांच करने के लिए आदेश देने का कोई प्रस्ताव नही है।

---

# अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

# CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

## बम्बई बन्दरगाह पर आयातित खाद्यान्नों के खराब हो जाने का समाचार

**श्री पी० के० देव** (कालाहांडी) : मैं **कृषि** मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"गोदाम की सुविधाएं न होने के कारण बम्बई बन्दरगाह पर आयधिक मूल्यों पर आयात किये गये लाखों रुपये के खाद्योन्नों के खराब हो जाने के समाचार"

**कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : भारतीय पत्तन विशेषतया बम्बई के पत्तन पर खाद्यान्न तथा अन्य नौभार सम्भालने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं और वहां पर्याप्त पारगमन भण्डारण सुविधाएं भी हैं। चालू वर्ष के दौरान, बम्बई के पत्तन पर लगभग 6 लाख मीटरी टन आयातित खाद्यान्न सम्भाला गया था।

2. जब जहाज खुले समुद्र में होते हैं, कभी कभी खाद्यान्न ऐसे कारणों से, जोकि जहाज के मालिकों के नियंत्रण के बाहर होते हैं, क्षति ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे सभी मामलों में, क्षतिग्रस्त अनाज का जहाज से उतारने के बाद, स्वतन्त्र रूप से निरीक्षण किया जाता है ताकि चारटरकर्ता जहाज के मालिकों के विरुद्ध दावे दायर कर सकें। अत: क्षतिग्रस्त अनाज के इस स्टाक को गोदी से उस समय तक नही हटाया जा सकता जब तक कि निरीक्षण पूरा नहीं हो जाता है।

3. चालू मौसम के दौरान बम्बई की बन्दरगाह पर सम्भाले गए 6 लाख मीटरी टन आयातित खाद्यान्न में से, समुद्र यात्रा के दौरान लगभग 1400 मीटरी टन खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हुआ बताया जाता है। यह वर्ष के दौरान बम्बई में सम्भाले गए खाद्यान्न की कुल टनेज का लगभग 0.2 प्रतिशत बैठता है। माननीय सदस्य सम्भवतया इसी क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का उल्लेख कर रहे हैं, जिसका बम्बई की गोदी में निरीक्षण किया जाना है। निरीक्षण के बाद जहाजरानीय एजेन्टों के पास आवश्यक दावे दायर किये जाते हैं। इसके साथ साथ, खाद्यान्न को सुखाने और साफ करन का कार्य किया जाता है ताकि ऐसे खाद्यान्न का यथासम्भव चारे/मुर्गीदाने और/अथवा औद्योगिक प्रयोजनों हेतु इस्तेमाल किया जा सके। खाद्यान्न सम्भालते समय, खाद्यान्नों को क्षतिग्रस्त न होने देने की दिशा में पर्याप्त सावधानी बर्ती जाती है।

4. माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि असावधानी अथवा लापरवाही के कारण कोई भी आयातित खाद्यान्न क्षतिग्रस्त नही हुआ है। सरकार खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने और उनके इस्तेमाल करने की आवश्यकता के बारे में काफी जागरूक है।

**श्री पी०के० देव** : कृषि सम्बन्धी गलत नीतियों के कारण हरित क्रांति केवल कल्पना ही रह गयी है और हमें आयातित खाद्यान्नों पर ही निर्भर करना पडता है। इसके लिए मंत्रालय ही जिम्मेवार है। यह बात चिंताजनक है कि अत्यधिक मूल्यों पर आयातित खाद्यान्नो खाने के अयोग्य हो गये हैं। इसको नौवहन और परिवहन मंत्रालय यहां लाया था। बम्बई बन्दरगाह पर खाद्यान्नों को रखने के लिए पर्याप्त सुविधाए नही थीं। सुविधायें न होने के कारण खाद्यान्न को जहाजों के अन्दर 2, 3 सप्ताह तक बम्बई बन्दरगाह पर रहना पड़ा। जिसके फलस्वरूप काफी क्षति हुई। मंत्री महोदय का कहना है कि यह क्षति काबू से बाहर थी। उनका वक्तव्य निराधार है। हमें मालूम है कि क्षति के कारण खाद्यान्न खाने के अयोग्य हो गया हैं और सड़ गया है।

सरकार भी मानती है कि 1400 टन खाद्यान्न खराब हो गया है। यह अन्न भूख से मरने वाले बहुत से लोगों को मरने से बचा सकता था। मैं जानना चाहता हूं कि कितने खाद्यान्न का नकसान हुआ। मंत्री महोदय इस बात पर विचार करें कि क्या देश के किसानों को 76 रु० प्रति क्विंटल से अधिक मूल्य नहीं दिये जा सकते थे? उत्तर प्रदेश के अनेक अति प्रतिष्ठित व्यक्ति कांग्रेस बैंच्चों पर बैठे हैं और उन्होंने वसूली सम्बन्धी विवरण देन से इनकार कर दिया है **(व्यवधान)**।

[श्री पी० के० देव]

गेहूं की वसूली के लिये अधिक मूल्य निश्चित किया जाता तो आयात करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं जानना चाहता हूं कि बहुमूल्य खाद्यान्न के इस नुकसान की जिम्मेवारी क्या कृषि मंत्री अथवा नौवहन और परिवहन मंत्री की है?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : माननीय सदस्य ने इस प्रकार के प्रश्न उठाये हैं जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संगत नहीं है। बम्बई में हमारे पास अन्न को स्टोर करने की पर्याप्त क्षमता है।

खाद्यान्न स्टोर सुविधा न होने के कारण खराब नहीं हुआ बल्कि जहाजों से ही खराब खाद्यान्न उतारा गया है। इस खराब खाद्यान्न की जांच की गयी तथा और हमने नुकसान के मुआवज़े की मांग की है। अतः खाद्यान्न के खराब होने सम्बन्धी वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है जैसे कि माननीय सदस्य ने प्रस्तुत की है। इस प्रकार का खाद्यान्न का नुकसान प्रायः होता ही रहता है। हम जहाज़ कम्पनियों से इसके मुआवज़े की मांग करते रहते हैं। 6 लाख टन में से 1400 टन खाद्यान्न का खराब होना एक सामान्य बात है।

**श्री पी० के० देव** : मैं अपने प्रश्न का निश्चित उत्तर चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : वे इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं।

**श्री पी० के० देव** : यदि सर्वेक्षक इस मामले की जांच कर रहा है तो मंत्री महोदय ने यह कैसे कह दिया कि यह नुकसान जहाज़ कम्पनी के काबू से बाहर था।

**डा० हरि प्रसाद शर्मा** (अलवर) : बन्दरगाह पर जो खाद्यान्न का नुकसान हुआ उस जिम्मेवारी से सरकार नही बच सकती।

मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि नुकसान कभी कभी जहाज़ कम्पनियों के काबू से बाहर होता है। वाशिंगटन में जो मिशन है उसका काम अन्य बातों के साथ साथ यह देखना भी है कि क्या जहाज़ इस योग्य है कि खाद्यान्न को ठीक ढंग से हमारे बन्दरगाहों तक पहुंचा सकें। यदि मिशन ने कहा हो कि खाद्यान्न ढोने वाले ये जहाज़ इस योग्य नहीं हैं तो सरकार ने मिशन के परामर्श के विरुद्ध खाद्यान्न को इन जहाज़ों पर क्यों लाने दिया?

मैं जानना चाहता हूं कि जो मुआवजा हमें मिलेगा वह क्या खाद्यान्न की पुराने दरों, जिस पर हमने क्रय किया था, के अनुसार होगा? मुआवजा क्रय तथा भाड़े की दर पर आधारित होना चाहिये।

बम्बई में खाद्यान्न का खराब हो जाना कोई नई बात नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस नुकसान का निवारण करने हेतु क्या क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं?

कहा गया है कि खाद्यान्न की केवल 0·2 प्रतिशत मात्रा ही खराब हुई है। मात्रा कितनी भी हो, फिर भी यह चिंताजनक बात है।

भारतीय खाद्य निगम की रिपोर्ट में कहा गया है कि गेहूं तथा खाद्यान्न के नुकसान से बचाव करने के लिये उन्होंने नई प्रणालियां अपनाई है। क्या इन प्रणालियों को बम्बई में लागू किया गया है और नुकसान में कमी हुई है?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : खराब हुआ खाद्यान्न अगस्त महीने में जहाजों से उतारा गया था जिसका सर्वेक्षण हो रहा है ताकि हम जहाज कम्पनियों से मुआवजे की मांग कर सकें। हम ऐसे ही जहाजों पर माल लाते हैं जो ठीक दशा में हों। माननीय सदस्य ने किसी समिति की सिफारिशों की चर्चा की है। उसका नुकसान के इस प्रश्न से कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

खाद्यान्न का लदान करने से पहले मिशन जहाजों को देखता है कि ये ठीक दशा में हैं अथवा नहीं। उसके बाद ही खाद्यान्न का लदान किया जाता है। जिस खाद्यान्न की चर्चा की जा रही है वह 'डोलेमाइन' नामक जहाज में इधर लाया गया है। जितना भी नुकसान हुआ है, उसके मुआवजे की मांग की जायेगी।

ऐसा कोई भी उदाहरण मेरे सामने नहीं आया है कि बाहर से लाया गया अनाज वर्षा में खराब होने दिया गया हो। कोई भी स्टाक कुछ घंटों से अधिक पत्तन पर नहीं रहता है। उसे शीघ्रातिशीघ्र बम्बई शहर अथवा अन्य किसी स्थान को भेज दिया जाता है।

**अध्यक्ष महोदय** : अब पत्र सभा-पटल पर रखे जायेंगे।

**Shri Madhu Limaye** (Banka) : The doctors' strike in Bombay has assumed larger proportions which has resulted in the health hazard of the people.

**अध्यक्ष महोदय** : यह बम्बई का मामला है। यह प्रश्न केन्द्र के लिये नहीं है।

**Shri Madhu Limaye** : How can the Minister of Health sleep over the matter when the public health hazard has taken place? You are not allowing us.

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप मुझे आश्वस्त कर दें कि यह मामला केन्द्र के विचारण के लिये है तो मैं इस पर विचार करूंगा।

---

## सभा-पटल पर रखे गए पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

**भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त का 13 वां प्रतिवेदन, प्रशासनिक सुधार आयोग और भारतीय वन सेवा के प्रतिवेदनों पर लिये गये निर्णय आदि बताने वाला विवरण, (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) संशोधन विनियम, 1973**

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) संविधान के अनुच्छेद 350ख के खण्ड (2) के अन्तर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के 1 जुलाई, 1970 से 30 जन, 1971 तक की अवधि के 13 वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।



1C—23 R.S.S.(ND)/73

दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—5446/73।]

(2) प्रशासनिक सुधार आयोग के विभिन्न प्रतिवेदनों पर लिये गये निर्णयों और इन निर्णयों के कार्यान्वयन संबंधी एक विवरण (30-6-1973 को) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—5447/73।]

(3) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 अगस्त, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 391 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—5448/73।]

### तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन आदि

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटलपर रखा हूं :—

(1) (एक) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1971-72 के और इसकी सहायक कम्पनी हाइड्रोकार्बन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1971 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति और लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—5449/73।]

(2) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की समीक्षा सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर 'की गयी कार्यवाही' प्रतिवेदन की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—5450/73।]

### हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के वर्ष 1971-72 का समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गयें। देखिए संख्या एल० टी०—5451/73।]

## नियम 377 के अधीन मामला

## MATTER UNDER RULE 377

### बरौनी तेल शोधक कारखाने में हड़ताल

**Shri Ramavatar Shastri** (Patna): I have received a telegram from the President of the Barauni Oil Refinery Trade Union that there is complete strike in Barauni Oil Refinery and immediate intervention has been sought. There is complete strike in Barauni Oil Refinery from 21st which has resulted in entire stagnation of the work there. I was present at Patna on the 18th. On that day the Managing Director of I.O.C., some trade union leaders and myself were present there. Negotiations were going on there between the Labour Ministry of the Bihar Government and the Union. There was great resentment among the workers on the policy with regard to promotion which is being adopted there. It was said on behalf of the Union that the promotion policy on the lines of Gauhati Refinery and I.O.C. should be adopted in Barauni Oil Refinery. But the Managing Director refused to agree to this request. I would like the hon. Minister to give a statement in this House and intervene alongwith the Labour Minister to settle the issue.

**The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh):** The Barauni Oil Refinery Trade Union is a recognised union. It gave notice that they would go on strike from the 2nd and put certain demands. After that they again gave a notice that they would go on strike from 21st. The petroleum Ministry has no information regarding strike from 21st. We are collecting information. We shall give full particulars to the House after we have received them. The State Government has been informed.

**Mr. Speaker:** If the hon. Minister wants to give statement after collecting information later on, there is no use now.

---

## हरियाणा के अधिकारियों द्वारा संसद् सदस्यों को कुछ दस्तावेज दिखाने से इन्कार किये जाने के बारे में

## RE. REFUSAL BY HARYANA AUTHORITIES TO SHOW CERTAIN DOCUMENTS TO MEMBERS OF PARLIAMENT

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : मैंने सूचना दी है ताकि मैं इस मामले को उठा सकूं।

सरकार के विशेष अधिग्रहण आदेश के अन्तर्गत प्रभावित हुए गुड़गांव जिले के कुछ क्षेत्रों के छोट किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के बार-बार अनुरोध करने पर मैंने नियम 189 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव पेश किया है। बेदखली के अतिरिक्त, एक एकड़ भूमि के लिये अदा किया गया 11,000 रुपये का मूल्य वास्तविक मूल्य के एक अंश से ज्यादा नहीं है और इससे बहुत से लोगों को काफी कठिनाई हुई है।

17 अगस्त को मैं दो अन्य संसद-सदस्यों के साथ वहां गया था और सरकारी सम्पदा प्राधिकरण, फरीदाबाद के समक्ष व्यक्तिगत रूप से याचिका प्रस्तुत की जिसमें भूमि-अधिग्रहण प्रक्रिया से संबद्ध कुछ लोक फाइलों का निरीक्षण करने की अनुमति मांगी। वहां के प्रशासनिक अधिकारी तथा सम्पदा अधिकारी ने मुझे सलाह दी कि मैं नगरीय सम्पदा निदेशक हरियाणा, जो चंडीगढ़ में हैं, मंजूरी प्राप्त करूँ।

[ श्री जोतिर्मय बसु ]

तदनुसार, 20 अगस्त को मैं श्री दिग्विजय नारायण सिंह, संसद-सदस्य के साथ चंडीगढ़ गया और नगरीय सम्पदा निदेशक से मिला। हमने वहां एक वकील द्वारा बनाये गए प्रारुप की एक याचिका स्टांप पेपर पर लिखकर पेश की। मैंने नगरीय सम्पदा निदेशक को यह भी बताया कि संसदीय कार्य के संबंध में मुझे इन लोक दस्तावेजों को दखना है। मध्याह्न में उक्त अधिकारी ने हमें लिखित रूप में उन कागजों को देखने से इनकार कर दिया। वकीलों से राय लेने पर हमें पता चला कि ये लोक दस्तावेज खुले रूप से कोई भी दख सकता है और हमें ये कागज दिखाये जाने चाहिये थे।

एक आपत्ति यह भी थी कि इस भूमि का संभाव्य बाजार मूल्य 75,000 रुपये प्रति एकड़ से कम नहीं है क्योंकि भूमि सड़क पर है और दिल्ली से केवल 14 मील दूर है।

आवेदक, एयर मार्शल मेहरा, वायु सेनाध्यक्ष का स्पष्ट कहना है कि मारुति के संबंध में भूमि का आबंटन रक्षा मंत्रालय के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है । ... **(व्यवधान)** यह एक उचित मामला है जो विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये ...**(व्यवधान)**

अब हम समझ गये हैं कि हरियाणा सरकार इस प्रकार क्यों बर्ताव कर रही है...**(व्यवधान)**

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** (बेगुसराय) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय सदस्यों ने यह नहीं चाहा था कि उनके साथ सामान्य नागरिक से अधिक बर्ताव किया जाये। अधिकारियों ने उनके साथ सामान्य नागरिक के साथ जैसा बर्ताव किया होता है उससे भी कम बर्ताव किया। इस प्रकार अधिकारियों ने संसद सदस्यों की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास किया है। यदि ऐसी बात है तो कोई भी संसद्-सदस्य भारत की जनता की सेवा नहीं कर सकेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नही है...**(व्यवधान)**

मैंने पहले एक बात पर ध्यान दिया था वह यह है कि इस बात का दोषारोपण करने के लिए कि कानून का उल्लंघन हुआ है, अधिकारी को बीच में लाया गया है। अब एक विवरण आया है जो मेरी इस बात की पुष्टि करता है कि एयर चीफ मार्शल को दोषारोपण करने के लिय कि, कानून का उल्लंघन किया गया है, बीच में लाया गया है। मुझे अध्यक्षपीठ का संरक्षण चाहिये। ...**(व्यवधान)**

**Shri Madhu Limaye** (Banka): I do not want to raise a general debate on Maruti but want to draw your attention to the facts and your ruling.

There are many laws in this country and under those laws ordinary citizens have right to see files etc. e.g. anybody can see files in the office of the Registrar of Companies after depositing fee. Similarly, ordinary citizens have right to see the objections made regarding the land.

The Director of Urban Estates writes in the letter given to Shri Jyotirmoy Basu :

"All other contents of the file are unpublished records relating to the affairs of State. It is regretted that the request for inspection cannot be granted."

Now the question is whether it is really a secret document that the Members of Parliament and ordinary citizens have no right to see it. If it is not an official secret, the ordinary citizens and the Members of Parliament have right, under law, to see it.

In May's 'Parliamentary Practice', it is given that "Obstructing members of either House in the discharge of their duty" is a breach of privilege.

According to the May's 'Parliamentary Practice', the Director of Urban Estates has obstructed the discharge of the members duties. Therefore, you should accord permission to raise a question of privilege against him.

**Mr. Speaker**: I have carefully studied the May's 'Parliamentary Practice'. So far as the question of seeing the files of a department by the Members of Parliament for which this motion has been given—it does not amount to their right that they go in any department whichever they like and see whatever paper is available there. (*Interruption*). They are citizens like other citizens. If they do not get anything there to see, they can have the remedy the other citizens.

**(अन्तर्बाधा)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने पहले ही श्री पाणिग्रही को बोलने को कह दिया है।

---

## उड़ीसा के सम्बंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को लागू रखने के बारे में सांविधिक संकल्प

## STATUTORY RESOLUTION RE: CONTINUANCE OF PROCLAMATION IN RESPECT OF ORISSA

**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** (भुवनेश्वर) : उस दिन मैं यह तर्क दे रहा था कि मंत्री महोदय ... **(व्यवधान)** मैं समझता हूं कि यह मामला समाप्त हो गया है।

**श्री के० एस० चावड़ा** (पाटन) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न पहले ही समाप्त हो गया है मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं। **(अन्तर्बाधाएं)**

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Gwalior): I had written to you to raise another matter under Rule 377...

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने पहले इस पर अनुमति दे दी थी

**अध्यक्ष महोदय** : मैं कोई अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने श्री पाणिग्रही से बोलने को कह दिया है यदि इस संबंध में आप लोगों का कोई व्यवस्था का प्रश्न है तो मैं उसे सुनूंगा।

**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : उस दिन मैं यह कह रहा था कि भारत सरकार को आने वाले पांच वर्षों में उड़ीसा के सभी साधनों से 3,000 करोड़ रुपये में कुल निवेश के लिये एक योजना बनानी चाहिए ताकि उड़ीसा का वर्तमान पिछड़ापन दूर हो सके। **(अन्तर्बाधाएं)**

**अध्यक्ष महोदय** : व्यवधान मत डालिए। इस प्रकार व्यवधान डालना उचित नहीं है, मैं सिर्फ श्री पाणिग्रही को बोलने की अनुमति दी है। **(अर्न्तबाधाएं)**

**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो वह केवल मद संख्या 6 से संबंधित होना चाहिये **(व्यवधान)**

**(अन्तर्बाधाएं)**

**Shri Madhu Limaye:** What difficulty you have in listening to the point of order. He rose earlier but you did not recognise him. He rose before Shri Panigrahi.

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस विषय पर अपना विनिर्णय दे चुका हूं और उसे निपटा चुका हूं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : आपको अपना सहयोग देना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : सहयोग देने का कोई लाभ नहीं है, श्री ज्योतिर्मय बसु को सुनने के बाद मैंने अपना विनिर्णय दिया था परन्तु इसके बावजूद भी व्यवधान डाला जा रहा है।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** (बेगुसराय) : आपने नियम 377 के केवल एक पहलू के बारे में विनिर्णय दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं नहीं। मुझे खेद है।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Gwalior) : You did not allow the notice of Privilege Motion of Shri Jyotirmoy Bosu but has allowed discussion on rule 377. My submission is that you should admit Privilege Motion.

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** : यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न नियम 377 के अन्तर्गत उठाये जाते हैं, **(व्यवधान)**।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप नियम 377 की व्याख्या चाहते हैं तो मैं ऐसा कर सकता हूं परन्तु फिर हमें उस पर दृढ़ रहना पड़ेगा। नियम 377 का प्रयोग सामान्य प्रश्नों के लिए होता है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या आप श्री पटेल को सुनेंगे या नहीं?

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विनिर्णय पर व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है मैंने पहले ही दूसरा विषय ले लिया है, मैं इस तरह का कोई गलत उदाहरण नहीं रखना चाहता हूं।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** : आपने इस मामले के एक पहलू पर अपना विनिर्णय दिया है, श्री पटेल इसके दूसरे पहलू पर बोलना चाहते हैं।

**Shri Atal Bihari Vajpayee:** Cannot we ask you to reconsider your ruling? We do not dispute your ruling but have a right to reconsider another aspect which is left.

**Mr. Speaker:** It is strange that contradictory statements are being made regarding the ruling. I am prepared to listen but you will have to abide by my interpretation.

**श्री एच० एम० पटेल** (ढंढुका) : जैसा कि मैंने कहा था कि सार्वजनिक मामलों के बारे में सूचना मांगने का अधिकार साधारण नागरिक का है। यह भूमि सार्वजनिक अधिग्रहण नियम के अंतर्गत प्राप्त की गई थी और इसीलिए कोई भी नागरिक इससे संबंधित कागजातों को देख सकता है। यह कोई गोपनीय मामला नहीं है, किसी भी संसद सदस्य को साधारण नागरिक के समान इन कागजातों को देखने का अधिकार है। इसलिए इनको उपलब्ध किया जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि किसी नागरिक को उसके अधिकार से वंचित किया जाता है तो अपने अधिकारों की मांग के लिए उसके पास कई मार्ग हैं, यदि संसद सदस्य भी साधारण नागरिक हैं तो वे भी उसी मार्ग को अपना सकते हैं। श्री चिंतामणि पाणिग्रही।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (भुवनेश्वर) : अपने पहले के वक्तव्य में मैंने कहा था कि उडीसा के पिछड़ेपन को देखते हुए सरकार को वहां पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 3,000 करोड़ रुपये व्यय करने चाहिए ताकि उसका पिछड़ापन दूर हो सके ।

मैं अब सरकार का ध्यान उड़ीसा में अलका और बरहामपुर में हुई घटनाओं की ओर दिलाना चाहूंगा, वहां की जनता ने बंद का आयोजन किया था । पुलिस ने इन दोनों स्थानों पर ज्यादातियां की थी । मेरी मांग है कि जनता की उत्तेजित भावनाओं को शान्त करने के लिए इन स्थानों पर पुलिस की ज्यादतियों की जांच कराई जानी चाहिए ।

उड़ीसा में 65 प्रतिशत व्यक्ति निर्धारित स्तर के नीचे रह रहे हैं और 40 प्रतिशत जनता अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाती से संबंधित है। परिणामतः यहां का जनता की क्रय शक्ति भारत में सब से कम है और इस मंहगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है ।

उड़ीसा में खुदरा दुकानों की संख्या बहुत कम है, प्रत्येक दो या तीन गांवो में एक खुदरा दुकान होनी चाहिए जहां आवश्यक वस्तुओं को संग्रहित करके रखा जा सके, इससे जनता को इन वस्तुओं को प्राप्त करने में आसानी रहेगी । सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उप मंडल मुख्यालयों से अनावश्यक वस्तुओं की सप्लाई प्रत्येक खुदरा दुकानों में ठीक समय पर होनी चाहिए । चूंकि वस्तुओं का मूल्य 24 प्रतिशत तक बढ़ गया है इसलिए सरकार को चाहिये कि वह व्यापारियों आदि को उनका मूल्य 17 प्रतिशत तक कम करने को कहे ।

जमा अनाज को बाहर निकालने के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए, विशेष कर जमाखोरों और चोरबाजारियों को कड़ा दंड दिया जाना चाहिए ।

[ **उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair* ]

पांचवी पंचवर्षीय के दौरान ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी तथा सुवर्णरेखा नदी पर बाढ़ नियंत्रण उपायों पर कार्य किया जाना चाहिए तथा सिंचाई संबंधी कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। महानदी पर बनाई बांध योजना पर कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए । इससे एक बड़े भाग को सिंचाई संबंधी सुविधाएं मिल सकेंगी । इसी प्रकार दासपला क्षेत्र में कुनरिया योजना नाम की एक मध्यम दर्जे की सिंचाई योजना को क्रियान्वित किया जाना चाहिए, सरकार ने पटसन मिल स्थापित करने के जिस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, उसको स्थापित करने के लिए औद्योगिक विकास निगम ने आवेदन पत्र दिया है । इस पर शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिए ताकि इस कार्य में अधिक विलम्ब न हो, इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

***श्री सी० चित्तिबाबू** (चिंगलपट) : मुझे दुःख है कि मैं इस संकल्प का समर्थन नहीं कर रहा हूं । किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग तब किया जाता है जब देश में आपात स्थिति उत्पन्न हो गई हो । उड़ीसा में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, वहा स्थिति सामान्य है, मैं नहीं जानता हूं कि मंत्री महोदय किस आधार पर वहां राष्ट्रपति का शासन छह महीनें के लिए और बढ़ा रहे हैं ।

*मूल तामिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)**: संकल्प प्रस्तुत करते समय मैंने उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन की अवधि में 6 महीने की वृद्धि किये जाने के कारणों का उल्लेख किया था। माननीय सदस्य मेरे विचार से तब सभा में उपस्थित नहीं थे।

**श्री सो० चितिबाबू**: मेरे उपस्थित रहने न रहने से उसका कोई सम्बध नहीं है। देखना यह है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधान मंत्री काल में केन्द्रीय सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 का 22 बार सहारा लिया है जबकि उनसे पूर्व 15 वर्षों में केवल 10 बार इस का सहारा लिया गया। वास्तव में संविधान पर सत्तारुढ़ दल का अधिकार है देश की जनता का नहीं।

केन्द्रीय सरकार को जब यह ज्ञात हो गया कि उड़ीसा में श्रीमती नंदिनी सत्पती की सरकार नहीं चल सकती तो उन्होंने राज्य विधान सभा को तुरंत भंग करा दिया। किन्तु उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के बारे में केन्द्रीय सरकार का यही रवैया नहीं रहा इससे सिद्ध होता है कि केन्द्रीय सरकार वही कार्य करती है जो सत्तारूढ़ कांग्रेस के हितों के अनुकुल होता है।

उड़ीसा के राज्यपाल ने वहां के तत्कालीन मुख्य मंत्री की राजनीति से सलाह तुरन्त स्वीकार करली तथा विधान सभा भंग किये जाने की सिफारिश कर दी जबकि विरोधी दलों ने 75 विधायकों के बहुमत से सरकार बनाने की अनुमति मांगी किन्तु राज्यपाल ने उनको इस की अनुमति नहीं दी।

अत्यंत खेद की बात है कि श्रीमती इंन्दिरा गांधी राज्य के नेताओं को बिल्कुल आदर नही देतीं जबकी स्वर्गीय नेहरु जी राज्य के नेतायों को आदर के साथ-साथ प्रोत्साहन भी देते थे। अब राज्यों में न केवल राज्यपाल ही केन्द्र द्वारा नियुक्त किये जाते है वहां मुख्य मंत्री भी केन्द्र के एजेंट के रूप में भेजे जाते है। केन्द्रीय सरकार के हाथो में सभी आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के एकत्रित होने से राज्यों का कमजोर हो जाना स्वाभाविक है। केन्द्रीय सरकार का यदि यही रवैया रहा तो राज्यों में प्रजातंत्र की जड़े हिल जाएंगी तथा देश का भारी अहित होगा तथा उसकी एकता पर कुठाराघात होगा।

आज स्थिति यह है कि संविधान के उपबन्धों का उपयोग केवल केन्द्र को शक्तिशाली बनाने के लिये किया जा रहा है भले ही उससे राज्यों का अहित हो। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने की 22 घटनाओ को देखते हुए राज्यों की जनता में यह भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि केन्द्रीय सरकार उनके हितों की अवहेलना करती है तथा देश में प्रजातंत्र प्रणाली का अहित कर रही है।

मैं श्री कृष्ण चन्द्र पन्त से यह अनुरोध करता हूं कि वह राज्यों को अधिक शक्ति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव करे तथा उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन की अवधि में वृद्धि के प्रस्ताव को वापस ले लें।

**श्री श्याम सुन्दर महापात्र** (बालासोर) : आज उड़ीसा की जनता कठोरतम आर्थिक संकटों का सामना कर रही है। केन्द्रीय सरकार ने अन्य राज्यों को बाढ़ नियंत्रण के लिये जितनी सहायता दी है उड़ीसा को उसके अनुपात में बहुत कम राशि ही गई है।

जहाँ बिहार को 48.71 करोड़ रुपया, हरियाणा को 15.46 करोड़ रुपया, पंजाब को 36.71 करोड़ रुपया दिया गया, वहाँ उड़ीसा को केवल 6.81 करोड़ रुपया दिया गया।

स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी उड़ीसा की जनता के साथ भेदभाव की नीति अपनाई गई है। सम्पूर्ण भारत में 5,000 व्यक्तियों के लिये एक डाक्टर है। पश्चिम बंगाल में 1,850 व्यक्तियों के लिये, पंजाब में 2,582 व्यक्तियों के लिये एक-एक डाक्टर है किन्तु उड़ीसा में 7,000 व्यक्तियों के लिए एक डाक्टर है। अत्यंत खेद का विषय है कि उतने पर भी उड़ीसा सरकार ने मेडिकल कालेजों में सीटों की संख्या में 100 की कमी करने का निर्णय किया है।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि भूमि सुधार सम्बन्धी सलाहकार समिति को उड़ीसा के राज्यपाल को सलाह देने का विशेष अधिकार प्रदान किया जाना चाहिये तथा उनके सुझावों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में बड़ी संख्या में कर्मचारियों का, क्लर्कों, चपरासी, आदि का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला किया जा रहा है जिससे उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके बच्चे स्कूलों में दाखिल ले चुके हैं। ऐसी स्थिति में, जब उड़ीसा में बाढ़ सूखा जैसी समस्याएं विद्यमान हैं, कर्मचारियों का तबादला किया जाना अनुचित है। राज्यपाल को नौकरशाहों के संकेत पर नहीं चलना चाहिये।

उड़ीसा के कुछ जिलों में आदिवासी तथा अनुसुचित जाति के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। अतः राज्य के विकास के लिये सरकार को अधिक धनराशि प्रदान करनी चाहिये। आदिवासी तथा अनुसूचित जाति के लोगों में केवल 15 प्रतिशत साक्षरता है। उक्त शिक्षा को जहां तक सम्बन्ध है इनमें कठिनाई में 5 प्रतिशत व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त है। सरकार ने इनके उत्थान के कार्यों के लिये अल्पराशि नियत की है किन्तु पुलिस विभाग के लिए भारी धनराशि दी है। हम चाहते हैं कि पुलिस के कर्मचारीयों को भी अधिक सुविधा दी जाए। तथा उनकी कठिनाई भी अवश्य ही दूर की जाए। जहां तक अपराधों की संख्या का प्रश्न है उसके आंकड़े इस प्रकार हैं :—

| | |
|---|---|
| 1958 में . . . . . | 12,458 |
| 1960 में . . . . . | 12,418 |
| 1963 में . . . . . | 13,863 |
| 1964 में . . . . . | 14,725 |
| 1966 में . . . . . | 16,946 |
| 1967 में . . . . . | 18,667 |
| 1972 में . . . . . | 20,000 |

अपराधों में वृद्धि का बताया जाता है कि पुलिस कर्मचारियों की संख्या कम है। कर्मचारियों की संख्या तो सभी विभागों में कम है। वास्तव में यदि पुलिस इमानदार हो जाए तो जनता की बहुत सी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी।

श्री डा० के० पंडा ने बरहामपुर और अस्क. बन्द के दौरान पुलिस की ज्यादतियों की आलोचना की है। देश की संकटपूर्ण आर्थिक स्थिति को देखते हुये मैं बन्द और हड़ताल करने वालों का पक्ष नहीं ले सकता। ऐसे अधिकारी भी हड़ताल की धमकी देने लगे हैं जिन्हें पर्याप्त वेतन मिलता है। लोगो में कुछ उत्तरदायित्व की भावना भी अवश्य होनी चाहियें।

मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उड़ीसा में सर्वे आफ इंडिया की शाखा स्थापित नहीं की जा रही है जबकि मंत्री महोदय ने मुझे एक पत्र में लिखा था कि उड़ीसा में उसकी यूनिट या कार्यालय की स्थापना के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रुप से विचार कर रही है। उड़ीसा में खनिज पदार्थों की बहुतायत को देखने को सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिये।

आश्चर्य है कि सरकार ने केवल महाराष्ट्र में ही जमाखोरों, तस्कर व्यापारियों आदि के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिय भारत रक्षा नियम को लागू क्यों किया है। मेरी मांग है कि भारत रक्षा नियम को इस उद्देश्य से सम्पूर्ण भारत में लागू किया जाना चाहिये तथा उसके अन्तर्गत राजनीतिक व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की बजाय ऐसे समाजविरोधी तत्वों को गिरफ्तार किया जाना चाहिये जो देश की आर्थिक जड़ों को खोखला कर रहे हैं।

[श्री श्याम सुन्दर महापात्र]

उड़ीसा सरकार के आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा में चावल का भाव 1952 में 48 रुपया प्रति क्विंटल, 1958 में 60 रुपया प्रति क्विंटल, 1960 में 64 रुपया तथा 1968 में 95 रुपया प्रति क्विंटल था। 1972 में चावल का मूल्य 105 रुपया प्रति क्विंटल हो गया तथा कुछ स्थानों में तो उसका मूल्य 180 रुपया और 200 रुपया प्रति क्विंटल है। सरकार उन जमाखोरों के विरुद्ध भारत रक्षा नियम को लागू क्यों नहीं करती जो मूल्यों में इतनी वृद्धि कर रहे ह।

खाद्यान्न वसूली के बारे में मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या हमारे दल के अतिरिक्त अन्य दलों को भी उनके अतिरिक्त भण्डारों का ब्यौरा देने संबंधी निदेश दिये गये हैं। पंजाब में सी० पी० एम० के नेताओं के पास भारी मात्रा में खाद्यान्न है जिसे वे सरकार को न बेचकर बाजार में बेच रहे है। यह निदश उन्हें भी दिये जाने चाहिए। इस बार में पार्टी गत विरोध नहीं होना चाहिये।

मैं भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय में 500 पद रिक्त हैं तथा निगम 6 रुपया प्रति दिन के हिसाब से स्नातकों को दैनिक मजदूरी पर भर्ती कर रहा है। कलकत्ता स्थित कार्यालय तथा कृषि मंत्रालय के उक्त अधिकारीयों के षडयंत्र के परिणाम स्वरुप इन 500 पदों को नहीं भरा जा रहा है। जिससे खाद्यान्न वसूली का कार्य बिगड़ गया है। उड़ीसा के रोजगार कार्यालयों में 1,50,000 बेरोजगारों ने अपने नाम लिखा रखे है जिनमें से लगभग 70,000 शिक्षित व्यक्ति है। इस स्थिति में इन पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं? मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय उड़ीसा के राज्यपाल को यह सलाह दे कि वह वहाँ की जनता की भावनाओं का आदर करें।

**श्री पी० के० देव** (कालाहाण्ड) : राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का तात्पर्य है कि सरकार उड़ीसा में लोकप्रिय सरकार समय पर बनाने में असफल रही है। इस बारे में मंत्री महोदय ने निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन का तर्क दिया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उड़ीसा में सीमांकन सम्बन्धी तथ्यों को गुप्त रखा जा रहा है। जिला और ग्राम सम्बन्धी आंकड़ों और मानचित्रों को मुद्रित करके आयोग के सदस्यों को अभी तक नहीं दिया गया।

माननीय मंत्री श्री कृष्णचंद्र पंत बड़े ईमानदार खिलाड़ी रहे हैं किन्तु इस मामले में वह न जाने क्यों उड़ीसा की जनता के हितों को उपेक्षा कर रहे हैं। उड़ीसा में भुखमरी के मामले को कई बार सदन में उठाने का प्रयत्न किया गया है किन्तु उस पर चर्चा करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। एक तारांकित प्रश्न को सूचना दी गई की तथा आधे घंटे की चर्चा की भी सूचना दी गई थी किन्तु किसी भी सूचनाओं पर चर्चा नहीं कराई गई। उड़ीसा की मांगों पर केवल दो घंटे चर्चा की गई। इसीलिये यह आवश्यक है कि वहां शीघ्र लोकप्रिय सरकार की स्थापना हो।

पांचवी योजना के सम्बन्ध में मेरी यह आशंका सच ही निकली कि उड़ीसा की ओर उपेक्षा की जाएगी। उड़ीसा में विद्यमान गम्भीर समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरकार बार बार कहती है कि ऐसी असंतुलन को समाप्त करना है किन्तु आंकड़ों से विदित होता है कि क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि होती जा रही है। छठे दशक के मध्य में राष्ट्रीय प्रतिव्यक्ति आय और राज्य की प्रति व्यक्ति आय म लगभग 100 रुपया का उन्तर था किन्तु सातवें दशक के मध्य में यह अन्तर बढ़कर लगभग 200 रुपया हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ 64.04 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी, रेखा से निम्न स्तर पर जीवन बिता रहे हैं तथा नगरीय क्षेत्रों में 57.58 प्रतिशत लोगों का यही हाल है।

उड़ीसा को चौथी योजना के प्रारुप में बताया गया है कि उड़ीसा के 13 जिलों में से कालाहांडी, क्योंकार और कोरापुट जिलों में कोई मध्यम स्तर अथवा बड़ी सिचाई परियोजना नहीं है। कटक में 34.53 प्रतिशत, सम्बलपुर में 21.14 प्रतिशत और पुरी में 14.79 प्रतिशत सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त शेष सात जिलों के लिये केवल 30 प्रतिशत सिचाई सुविधाएं हैं। यह सर्व विदित है कि केवल तटवर्ती जिलों को लाभ होगा तथा ऊपर के जिलों को भारी क्षति होगी। उन्हें सिचाई सुविधाएं तथा बिजली देने के लिये सरकार इन्द्रावती परियोजना को आरम्भ क्यों नहीं करती जो 600 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगी तथा 2.5 लाख एकड़ भुमि की सिचाई करेगी।

उड़ीसा राज्य सरकार ने 216 करोड़ रुपयों की लागत के राष्ट्रीय निम्नतम आवश्यकता सम्बंधि कार्यक्रम के सहित 836 करोड़ रुपये की लागत की योजना का सुझाव दिया था। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि पांचवी योजना के लिये 535 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की जा रही है। अतः विकास कार्यों के लिये केवल 319 करोड़ रुपये बचेंगे। रुपये के मूल्य के प्रतिदिन ह्रास को देखते हुये यह राशि चौथी योजना में दी गई राशि से भी कम रहेगी।

विभिन्न स्थानों पर 991 व्यक्तियों के भूख से मरने के समाचार मिले हैं तथा मृत्यु का कारण प्यास, दूषित भोजन तथा आन्त्रशोध बताया गया है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनता को शुद्ध जल की सप्लाई होनी चाहिये। जल सप्लाई के लिये आन्ध्र प्रदेश को 25 करोड़ रुपया, आसाम को 25 करोड़ रुपया तथा केरल को 32 करोड़ रुपया दिया जाएगा जबकि उड़ीसा को केवल 12.50 करोड़ रुपया। इस प्रकार उड़ीसा की जनता के साथ भारी अन्याय किया जा रहा है।

सम्मिलित सरकार के शासनकाल से विभिन्न बड़े पुल बनाए गये। उन पुलों तक सड़कें बनाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। भवानी, पटना, भुवनेश्वर सड़कों की स्थिति बहुत खराब है तथा मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय उसका स्वयं निरीक्षण करें।

रामपुर-बेसनपुर राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण को खटाई में डाल दिया गया। इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुये हमारी मांग है कि उड़ीसा से राष्ट्रपति शासन को अतिशीघ्र समाप्त किया जाए जिससे वहां की जनता को राहत मिल सके।

जहां तक राज्य भूमि विकास बैंक का सम्बन्ध है इसके प्रबन्धक मण्डल के सदस्यों का 27 जून को चुनाव किया गया था तथा नियमानुसार मण्डल का गठन एक महीने के अन्दर हो जाना चाहिए था। किन्तु सरकार ने इस बारे में अभीतक कोई कदम नहीं उठाया। इसके अतिरिक्त कई विवादास्पद निर्णय भी किये गये हैं। तथा प्रबन्ध निदेशक कार्यावधि 6 महीने तक और बढ़ा दी गई है।

मुझे ज्ञात हुआ है कि श्री जी० के० मिश्रा केन्द्र पचा आयोग के अतिरिक्त किसी अन्य आयोग के भी अध्यक्ष हैं। यदि यह बात सच है तो यह अनुचित है। यह भी ज्ञात हुआ है कि उनका मुख्यालय कलकत्ता में है तथा वह टेलीफोन पर भी आदेश दे देते हैं जो कई बार अपेक्षित विधि के बाद सूचित किये जाते हैं। इससे उनकी नियत का साफ पता लगता है। उस प्रकार रवैया समाप्त होना चाहिये।

**श्री बनमाली पटनायक** (पुरी) : राष्ट्रपति शासन के विरोध में बार-बार यही तर्क किये जा रहे हैं। माननीय सदस्य को ज्ञात है कि परिसीमन आयोग ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है अतः जनवरी फरवरी से पहले वहां चुनाव नहीं कराये जा सकते।

सदन में अनेक समस्याओं का उल्लेख किया गया है। क्या राष्ट्रपति शासन के दौरान उन सभी समस्याओं को हल करना सम्भव है? उड़ीसा की प्रगति तभी सम्भव है जब कि वहां की जनता एक शक्तिशाली सरकार बनाएं तथा एक पार्टी को अच्छा बहुमत प्रदान करे।

[श्री बनमाली पटनायक]

राष्ट्रपति शासन के दौरान उड़ीसा में किसी के साथ भेदभाव नहीं बढ़ता जा रहा है तथा वहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है। लोकप्रिय सरकार भी नए कार्यक्रम आरम्भ कर सकती है तथा इसकी आशा राष्ट्रपति शासन में नहीं रखनी चाहिए।

इस दौरान हम कुछ कार्यों को आरम्भ करने की आशा रख सकते हैं। भूमि सुधार विधेयक को कानून बनाने के बारे में किसी प्रमुख बातों पर कोई विवाद नही है। ट्रस्ट एस्टेट्स को 1970 के अधिनियम के अन्तर्गत समाप्त कर दिया गया था। कुछ मंदिरों और मठों को इससे छूट दी जा रही है जो दी नहीं जानी चाहिये क्योंकि वास्तव में मंदिर खेती नहीं करते। खेती वही लोग करते हैं जिनको जोत सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैं। अतः भूमि की अधिकतम सीमा इनके उपर भी लागू होनी चाहिये।

मेरा यह भी सुझाव है कि भूमि सुधार कानून 2 अक्तूबर, अर्थात गांधी जयंती दिवस से लागू करने चाहिये। गांधीजी चाहते थे कि उड़ीसा की स्थिति में सुधार होना चाहिये। भूमि सुधार कानून को क्रियान्विति के लिये न योजना आयोग ने कोई धनराशि मंजूर की है और न बजट ही में इनकी व्यवस्था की गई है। अतः सरकार का इस प्रयोजन के लिये धनराशि की व्यवस्था करने का पूर्ण दायित्व है।

मैं श्री महापात्र की इस मांग से सहमत हूं कि मैडिकल कालेजों में सीटों की संख्या कम नहीं की जानी चाहिये। सीटों में कमी करके डाक्टरों की बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं किया जा सकता। अन्य क्षेत्रों में भी बहुत से लोग बेरोजगार हैं। अतः सरकार का यह तर्क असंगत है। जहाँ तक भारतीय चिकित्सा परिषद के सुझाव का सम्बन्ध है परिषद 1967 से ही सीटों में वृद्धि पर आपत्ति प्रकट करती आ रही है। किन्तु केवल अभी इस कार्यवाही करने का क्या कारण है।

आज समाचार पत्रों में यह रिपोर्ट छपी है कि जयपुर में प्रस्तावित एल्यूमिनियम फैक्ट्री को बिजली सप्लाई नहीं की जायगी। इससे वह फैक्ट्री बन ही नही सकती। उसी जिले में बिजली उत्पन्न होती है किन्तु वहाँ के प्रस्तावित कारखाने के लिये, जिसमें 10,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, बिजली नहीं दी जाएगी, यह कहाँ तक न्यायसंगत है?

राजगढ़ स्थित फैरो-सिलिकान संयंत्र के विस्तार की बहुत दिनों से प्रतीक्षा की जा रही है। यदि उनका विस्तार नहीं किया गया तथा उनको बिजली सप्लाई नहीं की गई तो उस संयंत्र से वह माल निर्यात नहीं किया जा सकता जिसके लिये वायदा किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त पांचवी योजना को इस प्रकार बनाया जाए कि आनेवाली लोकप्रिय सरकार यदि उनमें कुछ परिवर्तन करना चाहें तो कर सके। उड़ीसा सरकार के पास सब अन्य विधेयक अनिर्णित है। यदि विभिन्न दरों से कर लगाने के उपबन्धों वाले इस विधेयक को पास किया गया तो उड़ीसा को प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त आय होगी।

उड़ीसा सरकार निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये धनराशि नहीं जुटा सकती। अतः इसके लिये केन्द्रीय सरकार को धनराशि देनी चाहिये तथा स्वयं उसे ही यह कार्यक्रम लागू करना चाहिये।

श्री पी० के० देव को यह ज्ञात होगा कि पहले उनके क्षेत्र में केवल एक हाईस्कूल था अब वहाँ 70 हैं तथा पहले 16 मील सड़क ऐसी थी जिस पर मोटरगाड़ियां चल सकती थीं किन्तु अब 200 मील सड़क ऐसी है।

इसके अतिरिक्त हीराकुड परियोजना से कई जिलों में सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होंगी। माननीय सदस्य के ही जिले में सुन्दर और उन्हीं परियोजनाएं बन रही हैं। पारादीप पत्तन के निर्माण की स्वीकृति योजना आयोग ने नहीं की। श्री पी०के० देव तथा उनके साथियों ने भी इसका समर्थन नहीं किया था। किन्तु जब इसका निर्माण हो गया तो अब सब इसकी सराहना करते हैं। इसका निर्माण तभी सम्भव हुआ जब राज्य सरकार अपने निर्णय पर अटल थी। श्री पी० के० देव तथा उनकी पार्टी ने हीराकुड परियोजना तथा अन्य परियोजनाओं का भी विरोध किया था। शेष परियोजनाओं के पूरा न होने का कारण केवल धनाभाव ही नहीं वरन संकल्प की कमी भी है। यदि वहाँ की सरकार किसी काम के लिये दृढ़ संकल्प हो जाए तो केन्द्रीय सरकार को उनकी सहायता करनी ही पड़ेगी।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उड़ीसा की बहुत सी परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिये। उड़ीसा में क्षेत्रीय असंतुलन है। कोरापुट जिले में अनुसूचित जनजातियों की जन संख्या 56.4 प्रतिशत है किन्तु सिंचाई परियोजनाओं की प्रतिशतता 0.99 है जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 13.15 हो जायेगी। पांचवी योजना में भी बडामला परियोजना ो सम्मिलित नहीं किया गया।

ब्रहि्मनी, बैतरनी और बंसधारा नदी पर पर पुल बनाए जाने चाहिए तथा इन प्रमुख परियोजनाओं को पांचवीं योजना में अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिय। इन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार को वित्तीय सहायता देनी चाहिये क्योंकि राज्य सरकार इतने अधिक खर्च को वहन करने में समर्थ नहीं है।

आदिवासियों के विकास के लिये उड़ीसा सरकार ने 15 पायलट प्रोजेक्ट्स आरम्भ करने का सुझाव दिया था। दो परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। संचार मंत्रालय ने कोरापुट जिले में डाकघर स्थापित किये हैं किन्तु उसने सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित नहीं किये। केन्द्रीय सरकार ने सुंकी में एक सीमेंट कारखाने के प्रस्ताव पर भी विचार नहीं किया है जब कि उड़ीसा सरकार ने यह प्रस्ताव 12 सितम्बर, 1972 को भेजा था। मंत्री महोदय इस दिशा में उपयुक्त कार्यवाही करने का कष्ट करे। आशा है कि इस परियोजना को पांचवी योजना में सम्मिलिखित किया जायेगा।

आदिवासियों की घनी आबादी वाली कासीपुर तहसील को भी अभी तक अनुसूचित क्षेत्र-घोषित नहीं किया गया है। उड़ीसा सरकार ने वहां प्रत्येक परिवार को दो एकड़ भूमि देने की घोषणा की है। इस में वृद्धि की जानी चाहिये तथा उड़ीसा सरकार बेकार पड़ी भूमि तथा कृषि-योग्य भूमि को आदिवासी लोगों में वितरित करे तथा काश्त करने में उनकी सहायता दे।

मुझे आशा है कि भारत सरकार समूचे तौर पर उड़ीसा राज्य तथा विशेष रूप से कोरापुट जिले के विकास के लिये सक्रिय के रूप से कार्यवाही करेगी। धन्यवाद।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन जारी रखने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं क्यों कि वहां चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य कभी पूरा नहीं हुआ है तथा वर्षा ऋतु के कारण एक स्थान में दूसरे स्थान पर जाना भी कठीन है।

वर्ष 1966-67 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा यह पाया गया है कि उड़ीसा की सब से निर्धन ग्रामीण जन संख्या के 5 प्रतिशत लोगों की औसतन दैनिक व्यय क्षमता 33 पैसे है तथा नगरीय लोगों की 55 पैसे है। सबसे धनवान की यह क्षमता ग्रामीण क्षेत्र में 55 रु० 10 पैसे है तथा नगरीय क्षेत्रों में यह औसत 120 रु० 79 पैसे है। स्वाधीनता की दो शताब्दियां के पश्चात् भी उड़ीसा की आर्थिक स्थिति यह है कि सबसे धनवान व्यक्ति भी वस्तुत:

[श्री अर्जुन सेठी]

समानता को प्राप्त नहीं हैं। इसका कारण यह है कि राज्य की आधी अर्थव्यवस्था से केवल कृषि से होने वाली आय पर आधारित है। अतः वहां कृषि-उत्पादन में गिरावट तथा औद्योगिक क्षेत्र के अल्प विकास के कारण ऐसी कमजोर अर्थ व्यवस्था विद्यमान है। प्राकृतिक विपदाओं के अतिरिक्त वहां सिंचाई सुविधाओं, अपर्याप्त ऋण सुविधाओं, छोटी-छोटी कृषि क्षेत्रों तथा सप्लाई और सेवाओं के अपर्याप्त होने के कारण समस्याओं और अधिक बढ़ गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पांचवीं योजना के आरंभ होने के समय वहां कोई लोकप्रिय सरकार भी नहीं है। अतः जो विचार हम लोगों ने पांचवीं योजना के बारें में संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में दिये हैं कम से कम उन पर तो ध्यान दिया ही जाना चाहिये।

उड़ीसा के दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि इस राज्य में सब से अधिक पछड़ी हुई जातियां हैं जिससे कि इस राज्य का पिछड़ापन और भी बढ़ गया है। यहां की ग़रीबी यहां के नेताओं के लिये सबसे बड़ी चिन्ता का विषय है। वर्ष 1949 में 24 स्थानी रियासतों के इस राज्य में समावेश से इस राज्य पर ग़रीबी का भार और भी बढ़ गया क्योंकि उक्त रियासतों में अधिकांश लोग आदिवासी वर्गों के थे। इस प्रकार इस राज्य की 70 प्रतिशत जनसंख्या पिछड़े वर्गों के लो का है। साथ ही इन लोगों में यह भी भावना व्याप्त है कि अल्प संख्यक लोगों ने उनके अधिकार हड़प रखें हैं और उन्हें समाज में निम्न दर्जे पर रखा गया है। आंकड़ों से भी पता चलता है कि पूंजी-निवेश का अधिकांश भाग उन क्षेत्रों की ओर जाता है जो कि राज्य के राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय क्षेत्र माने जाते हैं।

उड़ीसा राज्य वित्त निगम द्वारा मार्च, 1973 में कुछ स्वीकृत राशि में से 35 प्रतिशत से अधिक राशि केवल कटक जिले को ही मिल पाई जब कि आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को केवल नगण्य वित्त ही मिला। इसके अतिरिक्त उड़ीसा सरकार ने हाल ही में यह प्रयास भी किया है कि आदिवासियों के प्रबंधाधीन स्कूलों के प्रबंध को भी शिक्षा विभाग के प्रबंधाधीन स्थानान्तरित कर दिया जाये। मैं ऐसे प्रयास का कड़ा विरोध करता हूं क्योंकि इससे आदिवासी अथवा अनसूचित जातियों को कोई भी लाभ नहीं पहुंचता है बल्कि इसके फलस्वरूप उनको मिलने वाली धनराशि भी अन्यत्र लगा दी जायेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

**Shri Anadi Charan Das** (Jajpur): Extending my support to the resolution for extending President's rule in Orissa; I would like to point out two-fifth area of my constituency has been worst affected due to recent disastrous floods in Orissa. Orissa Government has not been able to provide adequate relief to the victims. There people in those areas are having no work to earn their livelihood. The centre should arrange for relief to those people.

I know that the Govt. of India allotted Rs. 3 lakhs for constructing house for the Harijans and Rs. 3,000 were spent on the construction of each house which measures only 12 feet by 8 feet and there is no facility for kitchen etc. there. How can a family dwell in a house worth only Rs. 3,000? Thus they have done nothing useful but wasted the money. I agree that the cost of construction in those inaccessible area is more but it appears that the planners for these houses had absolutely no liking for the Adivasis and Harijans.

At least one solid work can be done during the President's rule in the State. Let the Harijan families which have no housing sites may be allotted at least that much land on which they can have their home. Whatever land has been allotted to the families of Scheduled Castes is too little to construct a house thereon. So they should be given more land.

Similarly 487.96 acres of agricultural land has been allotted to 500 people. Most of the people got only .04 acre land. How can they earn their living with this small piece of land? It appears to have been done only in name sake and only to fill in the records to show. Let the Govt. allot as much homestead land to each Adivasi and Harijan family as may enable them to earn their livelihood easily.

Pilot project like Tribal Development Agency should be launched for the Harijans also. The amount of stipend to the school and college students should be enhanced. If the Adivasis and the Harijans are not organising movements and agitations for their demands it should not be taken that they are satisfied with their present plight. The bureaucracy and the staff of the Secretariat are quite silent and inactive. They do not respond to letters even. Let the Govt. ensure a better management at least during the President's rule.

**Shri Madhu Limaye** (Banka): As per the reports published in the newspapers regarding the activities of Mrs. Nandini Sathpati, it appears that only she is the fortuner maker of Orissa and all the decisions in respect of the people there are influenced by her. Thus the people of the State are being misled. In my opinion the meeting of the Legislation Committee of Orissa should be convened to discuss comprehensively the entire Fifth Plan proposals. Let the all the leaders of Orissa be taken into the confidence and no specific favour should be given to any particular leader or the party. Also defeated candidates should not be appointed to posts of commissioners or chairmen. The centre should exercise absolutely impartial attitude towards all.

Some racket is understood to be going on in the work of delimitation. Opposition parties are not being given necessary information. May I know from the hon. Minister (1) whether all the aspects would be discussed with the Members of Legislation Committee and the dissolved Legislature; (2) Why a defeated candidate is being appointed as Deputy Chairman thereby encouraging defections and (3) doubts being sustained in respect of delimitation work should be removed and the work should be done and finished expeditiously.

Only that mucn I have to offer at the moment.

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : इस चर्चा में भाग लेने वाले मित्रों का मैं आभारी हूं। यद्यपि सभी प्रश्नों के उत्तर देना तो संभव न हो सकेगा तो भी मैं विश्वास दिलाता हुं कि दिये गये सुझावों पर पूरा पूरा विचार किया जायेगा।

विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के बारे में यहां चर्चा होती रही है जिसके फलस्वरूप सभी सदस्यों विशेष रूप से संबंधित राज्यों के सदस्यों को अपने अपने दृष्टिकोण पेश करने का पर्याप्त अवसर मिला। उड़ीसा के बारे में भी दो दिन से चर्चा चल रही थी। इस चर्चा के फलस्परूव सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि प्राय: सभी सदस्य उड़ीसा के आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन पर बहुत चिन्तित है तथा उस राज्य से संबंधित पांचवीं योजना प्रस्तावों के प्रति अत्यन्त जिज्ञासा रखते हैं यह बड़ी अच्छी बात है कि इस प्रकार की चर्चा उस समय हुई है जब कि पांचवी योजना का प्रारुप तैयार किया जा रहा है। इस कार्य में माननीय सदस्यों के विचार विशेष रूप से महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान सिद्ध होंगे। विचारधारा दो प्रकार की होती है एक आशावादी और दूसरी निराशावादी। यहां दोनों प्रकार की विचारधारा देखने को मिली है। मेरे विचार से यदि विशषकर उड़ीसा राज्य से संबंधित सदस्य योजना मंत्री से भी अलग से विचार विमर्श कर ले तो अति उत्तम होगा।

हालांकि उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने संबंधी संकल्प अत्यन्त स्पष्ट है तो भी श्री चित्ति बाबू ने इसके कारण पूछे हैं। लगता है उन्होंने मेरा भाषण भी नहीं सुना और न ही उसे पढ़ने का कष्ट उठाया इसी प्रकार जनसंघ दल के मेरे मित्र ने भी इस अवधि को बढ़ाने का विरोध किया है। इसी प्रकार साम्यवादी मार्क्सवादी दल के सदस्य ने भी परिसीमन के कार्य में

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

तेजी लाने की बात कही है। साधा-सा बात ह कि जनगणना के पश्चात विधान सभा तथा संसदीय चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना जरूरी होता है। हर राज्य को एक निश्चित संख्या में स्थान दिये जाते हैं। यह क्रिया चल रही है। संविधान के अनुसार यह आवश्यक भी है। हमें नये चुनाव क्षेत्रों के बनने तथा मतदाता सुचियां तैयार होने तक प्रतीक्षा करनी ही होगी। चुनाव आयोग इसमें हमें सहयोग दे रहा है। इस संबंध में सरकार पर किसी का दवाब नहीं है और नही हो सकता है। चुनाव आयोग इस कार्य को कर रहा है और यह कार्य चुपचाप तो हो नहीं सकता आपत्तियां आई जाती है, विरोध प्रकट किया जाता है, समाचार छपते हैं सब को पता लगता है और फिर चुनाव आयोग उचित निर्णय करता है। उसने कुछ गैर-सरकारी लोग सलाह के लिये साथ लिये हैं। अत: इस संबंध में कम से कम सरकार पर तो कोई आरोप नहीं आना चाहिये। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि संविधानानुसार हो रहे इस कार्य में किसी भी दल को कोई लाभ पहुंचाने की गुंजाइश ही नहीं है।

श्री हाजरा ने बड़ी विचित्र बात कही है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान केन्द्र सरकार केवल कानून और व्यवस्था का काम संभालती है वहां के विकास का नहीं परन्तु साथ ही दूसरी सास में वह कह गये कि सरकार शिक्षा में सुधार करे।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** श्री हाजरा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वह तो यहां थे ही नहीं।

**श्री कृष्ण चंद्र पंत :** तो फिर किसने कहा? मैंने नाम पूछा था।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** श्री जगदीश भट्टाचार्य ने।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** मैंने समझा था कि साम्यवादी मार्क्सवादी दल में केवल एक सदस्य ही ऐसी टिप्पणी कर सकता है। परन्तु लगता है ऐसे तो अनेक है। बड़ आश्चर्य की बात है।

खैर, मैं कह रहा था कि राष्ट्रपति शासन में भी प्रशासन को विकास संबंधी आवश्यकताओं को देखना होता है। परन्तु क्योंकि शासन की अवधि प्राय: थोड़ी होती इसलिये उसमें लम्बी अवधि की परियोजनायें नहीं शुरू की जा सकती। फिर भी कुछ तो करना ही होता है। हां, यह भी सही है कि इस अवधि में सभी कुछ तो कर सकना संभव नहीं हो पाता।

दुर्भाग्य से उड़ीसा में निरन्तर प्राकृतिक विपदायें आती रही हैं। 1971 में तूफान आया 1972 में बाढ़ तथा 1973 में सूखा। वर्षा से सूखे की स्थिति तो ठीक हुई परन्तु बाढ़ आ गई नौ जिले प्रभावित हुए। राहत कामों पर 30 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। शायद 10 व्यक्ति मारे गये तथा 3500 पशु भी मरे। राहत संबंधी कार्य बहुत बड़ा था। संतप्त लोगों को हर प्रकार की सहायता पहुंचाई गई। इस कार्य में प्रशासन बहुत ही व्यस्त रहा। और मुझे यह जानकर खुशी है कि अब पानी घटना शुरू हो गया है और खरीफ की फसल को हानि नहीं पहुंची है।

इस खरीफ के मौसम के दौरान अधिक उत्पादन देने वाले बीज बोने का प्रयास किया गया है तथा बहुत बड़े क्षेत्र में बुवाई हुई है। कोरापुट जिला, जिसे पिछड़ा क्षेत्र कहा गया है, वहां मक्का की वाणिज्यिक फसल के रूप में बुवाई की गई है। तिलहन का भी विशेष कार्यक्रम है।

कुछ सदस्यों ने वहां खाद्य की स्थिति तथा भूख के कारण मौतें होने का जिक्र किया है। मेरी सूचनानुसार खुले बाजार में उचित दरों पर चावल उपलब्ध हो रहा है और सप्लाई के लिये 9300 से अधिक सप्लाई केन्द्र खोले गये हैं और वे भी विशेष रूप से सूखे तथा बाढ़ से संतप्त क्षेत्रों में खोले गये हैं। यदि उन केन्द्रों से उठाये गये माल की मात्रा देखी जाये तो कहा जा

सकता है कि वहां खाद्य की स्थिति सामान्य है। मैं जानता हूं कि वहां लोगों की क्रय-क्षमता बहुत कम है उसके लिये हमने योजनायें बनाई है . . . (व्यवधान) मैं यहां तथ्य ही पेश कर सकता हू या फिर यदि आप कहे तो अधिक खाद्य सामग्री भेजने के लिये केन्द्र से अनुरोध कर सकता हू परन्तु जहां तक तथ्यों की बात है तो म यह भी कह दूं कि आवश्यक खाद्य पदार्थों में यहां तक कि वनस्पति की स्थिति भी बहुत ठीक है। हालांकि देशभर में इस की कमी है।

साथ ही वहां चलती फिरती अदालतें भी गठित की गई हैं जो नियंत्रण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालो को दण्डित करती है। उड़ीसा की समूची स्थिति का अनुमान इस बात से भी हो सकता है कि वहां वसूली के निर्धारित लक्ष्य पूरे हो गये हैं।

भूख से मौते के बारे में श्री पी० के० देव ने बताया कि 900 लोग मरे। श्री भट्टाचार्य ने यह प्रश्न उठाया था। मैंने जांच कराई थी पता लगा कि सुन्दरगढ़ को छोड़ 12 जिलों के 709 मामलों में 552 मामले झूठे पाये गये। केवल 12 मौते अपोयाहार के कारण हुई शेष मौते बीमारी, वृद्धावस्था अथवा अन्य कारणों से हुई। भूख के कारण कोई मौत नहीं हुई। हम जानते है कि वहां की बहुत बड़ी जनसंख्या आदिवासी आदि जाति ों के ो ों की है जोकि ग़रीबी से भी नीचे का जीवन बिता रहे ह; हम इस स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रहे है।

केन्द्र ने तो सभी राज्यों से कहा है कि वह भारत सुरक्षा नियमों तथा अन्तरिम सुरक्षा नियम का उपयोग करें। उड़ीसा में 18 जमाखोरो को बन्दी बनाया गया है।

श्री भट्टाचार्य ने गेहुं के आवंटन को 20,000 टन से घटा कर 10,000 टन किये जाने का प्रश्न उठाया। यह घटाना बढ़ाना तो आवश्यकतानुसार होता ही रहता है। यह सभी इसलिये की गई है कि उड़ीसा सामान्यत: गेहुं भोजी राज्य न होकर चावल भोजी राज्य है और क्योंकि खरीफ की चावल की फसल बड़ी अच्छी है अत: इसी हिसाब से गेहुं का आवंटन कम किया गया है।

**श्री डी० के० पण्डा :** यदी चावल लोगों को एक रुपया प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाता। हम मांग करते आ रहे हैं कि चावल के व्यापार का अधिग्रहण किया जाये। आप हमें बताये कि ऐसा कब होगा ?

**कृष्ण चंद्र पंत :** यह प्रश्न तो आप खाद्य मंत्री से पूछे।

जहां तक लघु उद्योगों का प्रश्न है, मैं इससे सहमत हूं कि कुछ बड़े संयंत्र लगा देने से ही आर्थिक या बेरोजगारी की समस्यायें हल नहीं हो जाती। उड़ीसा में राऊरकेला से कुछ दूर देहातों में स्थिति बिल्कुल भिन्न मिलेगी यद्यपि इन संयंत्रों का बड़ा महत्व होता है परन्तु फिर भी ये उस सीमा तक ही इन समस्याओ को हल करने में सहायक होते है। लघु उद्योगों की स्थापना इन समस्याओं का सही हल है। उड़ीसा में 7000 गांवों में बिजली पहुचाई गयी है तथा 3000 अन्य गांवों में भी आ जायेगी इससे वहां लघु उद्योगों की वृद्धि होगी।

जहां तक पांचवी योजना की बात है उसके प्रस्ताव अभी तयार किये जा रहे हैं और मैं अभी कुछ भी बता सकने की स्थिति में नहीं हू।

विभिन्न मंत्रालयों ने विभिन्न प्रस्ताव पेश किये थे और मुझे पता लगा है कि योजना आयोग सभी में कटौतियां कर रहा है क्योंकि उन्हें उपलब्ध स्रोतों का भी ध्यान रखना है। मैं यह चाहता हू कि उड़ीसा को यथासंभव ध्यान रखा जाये परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि उस के भी प्रस्ताव

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

में कोई कटौती होगी या नहीं। उड़ीसा संबंधी पांचवी योजना प्रस्तावों में कुल परिव्यय का 72 प्रतिशत अंश कृषि सिंचाई तथा विद्युत के लिये प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार उड़ीसा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पूरा पूरा खयाल रखा गया है। जैसा कि यहां अनेक सदस्यों ने जोर दिया था फिर भी सही स्थिति तो विचार के बाद ही सामने आयेगी।

श्री मधु लिमये को श्रीमती नन्दिनी सतपथी द्वारा प्रधान मंत्री का योजना मंत्री से मिलने पर तथा योजना पर विचार करने पर एतराज है। उन्हें तो प्रसन्नता होनी चाहिये कि इसे मख्यमंत्री न होते हुए भी वह लोकहित में इतने रूचि ले रही है . . .

**Shri Madhu Limaye:** I have no objection to her meeting with anybody. I only wanted that the Plan should be dominant with the Legislative Committee and the Members of Orissa Assembly.

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** मान लो श्रीमती नन्दिनी सतपथी वही उड़ीसा में बैठी रहती और यहा उड़ीसा योजना पर चर्चा होती रहती। तब क्या श्री मधु लिमये यह आरोप नही लगाते क्योंकि अब वह मुख्य मंत्री नहीं है इसलिये उसे उड़ीसा की योजना के आकार से भी कोई रूचि नहीं रही ?

**Shri Madhu Limaye:** Call her with all the others leaders, why only Congress leaders should be invited?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** इस का अर्थ यह है कि वह स्वीकार करते है कि श्रीमती नन्दिनी सतपथी को रुचि लेते रहना चाहिये।

**श्री पी० के० देव** (कालाहांडी) : प्रक्रियानुसार उडिसा की योजना पर इस सभा द्वारा गठित सलाहकार समिती के माध्यम से विचार किया जाना चाहिये। आप इस समिती की उपेक्षा क्यों कर रहे है। दूसरी ओर आप जनता द्वारा अस्वीकृत व्यक्ति श्री लोकनाथ द्विवेदी को 220 लाख लोगों का भाग्य निर्माता बना रहे हैं ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** उपेक्षा नहीं कर रहे है और श्री लोकनाथ द्विवेदी का इस ढंग से यहां सभा में जिक्र करना उचित नहीं है वह इस सभा के माननीय सदस्य रहे है और सभी वर्गो की ओर से उन्हे सन्मान प्राप्त किया।

**श्री सुरेश महन्ती :** यहां मैं दखल देना चाहूंगा यह कोई व्यक्तिगत प्रश्न नही है। उड़ीसा में योजना बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन यात्रा भत्तों आदि के रूप में हज़ारों रुपये खर्च कर के यहां पर बातचीत करने के लिए आते है और श्रीमती नन्दिनी सतपथी भी आती हैं।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** यदि श्रीमती नन्दिनी सतपथी जनता के हितो को ध्यान में रखकर कुछ मामलों पर बातचीत करने के लिए यहां आती है तो इसमें आपत्ति करने की कोई बात नही होनी चाहिये जब श्री द्विवेदी उड़ीसा में योजना बोर्ड योजना कार्यों से संबद्ध है तो उन्हें योजना आयोग के साथ बातचीत करने के लिये आना ही चाहिये विशेषकर जब उड़ीसा के लिये योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा हो अन्यथा वे आरोप लगायेंगे कि वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे है।

**श्री वयालार रवि** (चिरयिंकील) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, वे अनावश्यक रूप से ऐसे व्यक्ति की आलोचना कर रहे है जो यहां उपस्थित नही है। वह भूतपूर्व मुख्य मंत्री होने के नाते किसी और मामले पर बातचीत करने के लिये भी आ सकती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया जाना चाहिये।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** वह वही कर रही हैं जो ठीक है। इस सभा के सभी सदस्य उसका समर्थन करेंगे।

**श्री सुरेन्द्र महन्ती** (केन्द्रपाड़ा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मंत्री महोदय के वक्तव्य से पतो चलता है कि श्रीमती नन्दिनी सत्पथी, जो उड़ीसा में कांग्रेस दल की नेता हैं, योजना के आकार के बारेम प्रधान मंत्री के साथ बातचीत करने के लिये आई थीं, मैं आपका विनिणय चाहता हूं कि अन्य दलों के नेताओं को यह विशेषाधिकार क्यों नहीं दिया गया।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** यदि वे प्रधान मंत्री को साक्षात्कार के लिये अनुरोध करें वह निश्चय ही उसपर विचार करेंगी। अब हम लोगों को इस बात पर विचार करना है कि उड़ीसा का पिछाड़ापन किस प्रकार विचार किया जा सकता है। राज्य सरकार के तिक्कल योजना के लिये हिन्दुस्तान कॉपर को लाइसैंस दिया है। इस योजना को पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित करने के लिये स्वीकार कर लिया गया है। सरजीपाली में सीसा परियोजना स्थापित करने के लिये राज्य सरकार ने हिदुस्तान जिंक लिमिटेड को एक खननप ्टा मंजूर किया है। यह परियोजना केन्द्रीय सरकार और उड़ीसा सरकार का संयुक्त कार्य होगा आशा है कि उक्त कंपनी अक्तूबर-नवम्बर 1973 में अपना कार्य आरम्भ कर देगी। उसके साथ पारादीप में उर्वरक परियोजना का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है।

जहां तक उड़ीसा में डाक्टरों को बेरोजगारी का संबंध है, हम मेडिकल कालेजों में सीटों का निर्णय करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे। अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिश पर अध्यापन कार्य में सुधार करने के लिये सीटों में कमी की गयी है।

जहां तक चपरासियों, कनिष्ठ अधिकारियों आदि के स्थानान्तरण का संबंध है, मुझे पता चला है कि कोई बड़े पमाने पर स्थानान्तरण नहीं किये गये। मैं माननीय सदस्य स इस बात पर सहमत हू कि कांग्रेसीयों को सरकार को अनाज देने में पहल करनी चाहिये। भूमि-सुधार संबंधी विधेयक पर परामर्शदात्री समिति ने विचार किया था और अब वह कृषि मंत्रालय को भेजा गया है। उसके बाद उसे विधि मंत्रालय में भेजा जायेगा और उसकी अन्तिम रूप दिया जायेगा।

केन्दू लीफ कमीशन के निदेशपदों में वस्तुतः विस्तार किया गया है। मुझे आशा है कि श्री पंडा को इसमें कोई आपत्ति नही होगी। वस्तुस्थिती यह है कि एक परिवर्तन यह किया गया था कि रियायतो और छूट के बारे में आलोचनाए भी सम्बद्ध है। निर्देश-पद में यह भी जोड़ा गया है "क्या मंत्री या किसी सरकारी कर्मचारी ने 3 अप्रैल, 1970 से 31 मार्च 1972 तक केन्दू पत्तों के सौदे के संबंध में कोई अवैध धनराशि अथवा कोई अन्य लाभ कमाया है"।

जहां तक तोड़फोड़ की कार्यवाही का संबंध है कुछ इंजीनियर दिन की पारी में काम करने वाले थे और कुछ रात की पारी में। तोड़फोड़ के मामलों का कुछ संदेह था जिनकी जांच की जा रही है। उड़ीसा के केन्द्रीय जांच ब्यूरों की विशिष्ट एंजेसी यह काम कर रही है। कुछ अपराधी पकड़े गये हैं और जांच जारी है। जहां तक सुपरिन्टेंडेंट इंजीनियर द्वारा तोडफोड किये जाने की शिकायत का सम्बन्ध है, मैं उसके बारे में पता लगाऊंगा।

गंजम बन्ध के संबंद्धमें कुछ छात्रोंको गिरफ़तार किया गया था। बादमें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इस बारे में यही जानकारी प्राप्त हुई है।

**श्री डी० के० पंडा** (भंजनगर) : जिला कलक्टर के निदेश पर की गई पुलिस ज्यादितयों के बारे में न्यायिक जांच की जानी चाहिये। अब इसी कलक्टर ने मुझे गिरफतार करने के लिये वारंट जारी किये है।

**श्री कृष्ण चंद्र पंत :** उस बारे मे मूझे कोई जानकारि नही है। मुख्य प्रश्न यह था कि राष्ट्रपति शासन कब तक जारी रहेगा। निर्वाचन आयोग विधी अनूसार यथाशीघ्र सभी औपचारिकताएं पूरी कर रहा है और मुझे आशा है कि आगामी वर्ष के आरम्भ में वहा पर चुनाव कराना संभव हो जायगा।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सभा प्रस्तुत संकल्प का अनुमोदन कर देगी।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उड़ीसा के सम्बंध में 3 मार्च 1973 को जारी की गई उद्घोषणा को 26 सितम्बर, 1973 से 6 महीने की और अवधि के लिये लागू रखे जाने का अनमोदन करती है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

The Motion was adopted

---

## उडिसा राज्य बिजली बोर्ड के लिये ऋण की अधिकतम राशि निर्धारित करने के बारे में सांविधिक संकल्प

## STATUTORY RESOLUTION RE : FIXATION OF MAXIMUM AMOUNT OF LOAN FOR ORISSA STATE ELECTRICITY BOARD

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव)** : मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"जबकि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अनुसरण में उड़ोसा राज्य सरकार नें, उस राज्य की विधान सभा की अनुमति से अपनी अधिसूचना संख्या ई एल IV–17/71/19127, दिनांक 2 जुलाई, 1971 द्वारा उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ 2 जुलाई, 1973 से 50 करोड़ रुपये की राशि अधिकतम राशि के रूप में निर्धारित की है ;

और जबकि उड़ीसा सरकार का विचार उक्त अधिकतम राशि को बढ़ा कर 75 करोड़ रुपये करने का है;

और जबकि उड़ीसा की विधान सभा विघटित की जा चुकी है;

और जबकि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई दिनांक 3 मार्च 1973 की उद्घोषणा के अधीन राज्य विधान मण्डल की शक्तियां संसद् द्वारा प्रयोक्तव्य हैं;

अत: अब एतद्द्वारा संकल्प किया जाता है कि लोक सभा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन उड़ीसा सरकार के 75 करोड़ रुपये की राशि को अधिकतम राशि निर्धारित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करती है, जिसे उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन किसी भी समय उधार ले सकता है।"

इस संकल्प से उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड को 75 करोड़ रुपये तक का ऋण लेने की शक्ति प्राप्त हो जायेगी, इस समय 50 करोड़ रुपये की सीमा हैं। उपरोक्त बोर्ड ने विद्युतीकरण और पारेषण का विस्तृत कार्यक्रम है और व अधिक ऋण लेना चाहते हैं। चूंकि विधान सभा भंग की जा चकी है और संसद विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, अत: मैं ने सभा के अनुमोदनार्थ यह संकल्प प्रस्तुत किया है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"जबकि विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अनुसरण में, उड़ीसा राज्य की सरकार ने, उस राज्य की विधान सभा की अनुमति से अपनी अधिसूचना संख्या ई एल IV–17/71/19127, दिनांक 2 जुलाई 1971 द्वारा उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ 2 जुलाई, 1973 से 50 करोड़ रुपये की राशि अधिकतम राशि के रूप में निर्धारित की है;

और जबकि उड़ीसा सरकार का विचार उक्त अधिकतम राशि को बढ़ा कर 75 करोड़ रुपये करने का है;

और जबकि उड़ीसा की विधान सभा विघटित की जा चुकी है;

और जबकि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई दिनांक 3 मार्च, 1973 की उद्‌घोषणा के अधीन राज्य विधान मण्डल की शक्तियां संसद् द्वारा प्रयोक्तव्य है;

अतः अब एतद्‌द्वारा संकल्प किया जाता है कि लोक सभा विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन उड़ीसा सरकार के 75 करोड़ रुपये की राशि को अधिकतम राशि निर्धारित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करती है, जिसे उड़ीसा राज्य विद्युत् बोर्ड उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन किसी भी समय उधार ले सकता है।

[ **श्री एस० ए० कादर** पीठासीन हुए
SHRI S. A. KADER *in the Chair.* ]

**Shri Hukam Chand Kachwai** (Morena): It has not been mentioned in the resolution as to the manner in which this amount will be utilised. Orissa is a backward State and special steps should be taken for electrification of rural areas. Besides, Government should provide relief to electricity workers also. I would like to know the number of villages proposed to be electrified under this development programme.

**श्री जगन्नाथ राव** (छतरपुर) : उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड की प्रगति के सम्बन्ध में गत वर्ष के प्रतिवेदन की एक प्रति हमें सप्लाई की जानी चाहिये थी ताकि हम यह पता लगा सकते कि उन्होंने कितना काम किया है और क्या राज्य में बिजली के विकास के लिये धन का ठीक ढंग से उपयोग किया जाता है, या नहीं।

बालेमेला परियोजना का काम जो आन्ध्र प्रदेश के साथ संयुक्त उपक्रम है, कई वर्ष पहले आरंभ हुआ था। इस पर व्यय का मूल अनुमान 25 करोड़ रुपये था जो अब 50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। मुझे पत्ता चला है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार अपने हिस्से का भुगतान करने के लिये तैयार नहीं हैं और इस काम को पूरा करने में विलम्ब हो रहा है। वहां अभी तक पारेषण लाइनों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहां बिजली पैदा होगी परन्तु उससे उड़ीसा को बिजली नहीं मिल पायेगी। आन्ध्र प्रदेश ने पारेषण लाइने बिछा दी है, अतः उन्हें बिजली उपलब्ध हो जायेगी। यह बहुत खराब बात है। सिंचाई योजनाओं के बारे में भी यही स्थिति है कि बांध का काम पूरा हो गया है परन्तु चैनल नहीं बनाये गये हैं। मंत्री महोदय को इस मामले की जांच करनी चाहिये।

मछकुंड पनबिजली परियोजना आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। जलाशय में गाद भर रही है और पता नहीं संयुक्त बोर्ड इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है। पानी के भण्डार की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। विद्युत उत्पादन में कमी हो गई है अतः इस मामले

[श्री जगन्नाथ राव]

की जांच की जानी चाहिये। उड़ीसा बिजली बोर्ड ने स्टेट बैंक से कई लाख रुपये का ओवरड्राफ्ट लिया है उन्होंने जीवन बीमा निगम और अन्य संस्थाओं से भी धन प्राप्त किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस धन राशी का उपयोग परियोजना के लिये ही किया गया है अथवा इतर कार्यों के लिये ?

उड़ीसा में एल्यूमीनियम का जो कारखाना लगाया जाना है वह न लाभ न हानि के आधार पर लगाया जाना चाहिये। यह 30,000 टन की क्षमता वाला बड़ा कारखाना होगा अत: बिजली बोर्ड को इसके लिये विद्युत उपलब्ध करने हेतु उचित व्यवस्था करनी होगी।

**श्री डी० के० पंडा** (भंजनगर) : मैं उड़ीसा के संबन्ध में इस संकल्प का स्वागत करता हूं। अखिल भारतीय स्तर पर बिजली बोर्ड की विद्युत क्षमता केवल 10 प्रतिशत है। अत: इस विद्युत का उचित उपयोग करने के लिये इस बोर्ड को ऋण प्राप्त करने की क्षमता 100 करोड़ रुपये कर देनी चाहिये। जब तक भ्रष्टाचार और धन का दुर्विनियोजन आदि को समाप्त नहीं किया जाता तब तक हम कोई प्रगति नहीं कर सकते। उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड के केन्द्रीय भंडार में 10 करोड़ रुपये के बिजली के कलपुर्जे अप्रयुक्त और बेकार पड़े हैं। उन्हें बहुत समय पहले अनावश्यक रूप से खरीदा गया था और अब वे बेकार हो गये है। इस मामले की जांच की जानी चाहिये। उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड के लिये जो परामशदात्री समिति बनाई गई है उसमें 12 संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले महासंघ का एक प्रतिनिधि अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिये।

सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर 132 किलोवाट लाइन में तोड़फोड़ करने के लिये जिम्मेदार है। वह अपने आप मजदूर संघों की गतिविधियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हमने सरकार और बोर्ड के चेयरमेन के साथ करार करने के बाद हड़ताल समाप्त कर दी थी। परन्तु कटक और भुवनेश्वर में दो या तीन संघ है जिन्हें सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर का प्रोत्साहन प्राप्त है जिसके विरुद्ध $2\frac{1}{2}$ करोड रुपय के दुर्विनियोजन का आरोप है। अत: इस पहलू की भी जांच की जानी चाहिये।

बड़े एकाधिकार गृहों को 1.5 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली उपलब्ध की जाती है जबकि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को 12 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना पड़ता है इसलिये बोर्ड को इन पूंजीपतियों से, विशेषकर जब कि हमें 28 पैसे प्रति यूनिट देन को कहा जा रहा है, अधिक धनराशि प्राप्त करनी चाहिये ?

**श्री श्याम सुन्दर महापात्र** (बालासोर) : उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड ने 75 करोड़ रुपये की मांग की है, गत सप्ताह जब मैं उड़ीसा में जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग ले रहा था कि राज्य में किस प्रकार लघु उद्योग का विकास हो सकता है तो बिजली कि कार्यकारी इंजीनियर ने बड़ी दृढ़ता से कहा कि कोई विकास नहीं हो सकता क्योंकि वे अधिक बिजली सप्लाई नहीं कर सकते। यदि यही स्थिति है तो उड़ीसा में विद्युत प्रजनन के बारे में चर्चा करते रहने से क्या लाभ होगा ? मैंने उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों का दौरा किया है और देखा है कि वहां बिजली का अभाव-सा है। अब उड़ीसा में तालचेर में तापीय संयंत्र लगाने की चर्चा की जा रही है। इस सम्बन्ध में कुछ टेंडर भी प्राप्त हुए हैं। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में उड़ीसा बिजली बोर्ड के अधिकारियों पर भरोसा न करके स्वयं छानबीन करनी चाहिये ताकि उन्हीं लोगों को उड़ीसा की सहायता करने का यह अवसर दिया जाये जिनका टेंडर सब से कम का हो और तापीय विद्युत प्रजनन का अनुभव भी हो।

**श्री पी० के० देव** (कालाहांडी) : मैं इस संकल्प का समर्थन ही नहीं करता बल्कि मैं यह चाहूंगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में उड़ीसा राज्य के पिछड़ेपन को देखते हुए राज्य बिजली बोर्ड को और भी अधिक धनराशि दी जाय। इस सम्बन्ध में श्री जगन्नाथ राव द्वारा व्यक्त की

गई संभावनाओं का मैं समर्थन करता हूं। यद्यपि बालीमेला बिजली घर चालू होने वाला है वहां कोई पारेषण लाइन नहीं है अतः सभी बिजली बेकार जायेगी, अन्य क्षेत्रों में भी पारेषण लाइन खराब होने के कारण अधिकांश जिलों में बिजली बन्द रहती है, फिर उड़ीसा में बिजली के लिये टेरिफ शुल्क भी अन्य राज्यों से अधिक है। यद्यपि हीराकुड बान्ध में अधिकतम बिजली पैदा होती है तथापि सम्बलपुर के सब डिवीजनल मुख्यालय को इससे कोई लाभ नहीं पहुंचता। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उन्हें इन्द्रावती पन बिजली परियोजना की स्वीकृति दे देनी चाहिये जिससे 600 मेगावाट बिजली पैदा होगी और 2½ लाख एकड़ सूखाग्रस्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

उड़ीसा में विद्युतचालित पम्पों की संख्या सब से कम है। तमिल नाडु में 2,42,189, महाराष्ट्र में 1,72,000 पश्चिम बंगाल में 5816 और उड़ीसा में केवल 1,800 है, अन्त में मैं डा० के० एल० राव से अनुरोध करूंगा कि वह इस कार्यक्रम को शीघ्र क्रियान्वित करें।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (भुवनेश्वर) : मैं डा०के० एल० राव के इस संकल्प का समर्थन करता हूं। बिजली बोर्ड ने ग्रामीण विद्युतीकरण का विस्तृत कार्यक्रम आरंभ किया है। बिजली बोर्ड ने 61 करोड़ रुपये के ऋण को खर्च कर दिया है और 14 करोड़ रुपये का और उपयोग किया जाना है जिससे कुल राशि 75 करोड़ रुपये की हो जायेगी। मार्च, 1973 से विद्युतीकरण के कार्य में शिथिलता आ गई है और इस वर्ष मई तक केवल 80 ग्रामों में बिजली लग पाई थी। वर्ष 1973-74 में उनका लक्ष्य 3,000 ग्रामों में बिजली लगाने का था परन्तु इसको पूरा करना बहुत कठिन है। पांचवी योजना में हर वर्ष 3,000 ग्रामों में बिजली लगाने का कार्यक्रम रखा गया है परन्तु जिस गति से यह काम चल रहा है उससे यह कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकेगा। अतः उन्हें राज्य बिजली बोर्ड पर जोर देना चाहिये कि वह इस काम को पूरा करे।

**Shri Madhu Limaye** (Banka): The tempo of rural electrification programme is very slow. Only 16 per cent villages have been electrified in Orissa during the last 26 years. Our Estimates Committee had stated in one of its Reports that in case an amount of Rs. 2000 crores is spent on electrification programmes, the villages with sixty per cent population could be electrified and 48 lakh pumping sets could be energised. I would like to point out that government is not working according to priorities. Will the hon. Minister assure us that electricity will be supplied to the farmers of Orissa at cheaper rates?

One of the main reasons for unsatisfactory situation regarding electricity is the tussle between technocrats and the general administrators. The central Government should take necessary steps to solve this problem in order to remedy the situation. I support this resolution though I feel that the proposed amount is inadequate.

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव)** : अनेक माननीय सदस्यों ने मांग की है कि ऋण की राशि 100 करोड़ रुपये रखी जानी चाहिये। परंतु उड़ीसा सरकार ने अपने अनुमानों के आधार पर 75 करोड़ रुपये की ही मांग की है।

इस राशि का उपयोग प्रतिवर्ष अर्थोपाय के रूप में किया जायेगा। बाजार से जीवन बीमा निगम तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से भी ऋण लिए जाते हैं। इन ऋणों को शर्तों के अनुसार चुकाना भी होता है। यह कहना भी उचित नहीं कि केवल इतनी धनराशि ही उपलब्ध थी वास्तव में उड़ीसा सरकार को पांचवी योजनावधि में विद्युत योजनाओं पर 200 करोड़ रुपये व्यय करने का विचार है। चौथी योजना में उक्त सरकार ने 88 करोड़ रुपये व्यय किये थे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादन क्षमता को दोगुना करना और प्रेषण लाइनों की संख्या बढाया जाना है। उड़ीसा में बिजली उत्पादन का कार्य दो किनारों पर होता है इनमें से एक स्थान बालीमाला है और दूसरा तालचरें

[डा० के० एल० राव]

अत: उड़ीसा में प्रेषण लाईनों की अधिक आवश्यकता है। सरकार इसमें से बालीमाला प्रेषण लाइन को अधिक प्राथमिकता दे रही है। इन दोनों किनारों को प्रेषण लाईनों के द्वारा मिलाया जाना है। इस दिशा में कुछ कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य के 6 महीनों में पूरा होने की संभावना है।

पांचवी योजना में उड़ीसा में प्रेषण लाईनों पर लगभग 70 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना है जबकि विद्युत उत्पादन पर 90 करोड़ रुपये व्यय किये जाने है। पांचवी योजना में विद्युत् उत्पादन क्षमता को भी दुगुना किया जाना है। उड़ीसा में इस समय 500 मेगावाट बिजली पैदा होती है और पांचवी योजना में इसे दुगुना किया जाना है।

श्री महापात्र ने उड़ीसा के पिछड़ेपन के लिए सिंचाई और विद्युत मंत्रालय को दोषी ठहराया है। वास्तव में इस बारे में केन्द्र पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता। राज्य सरकारें इस दिशा में स्वतंत्र होती है और राष्ट्रपति शासन की 6 महीने की अवधि में राज्य का कायाकल्प करना संभव नहीं होता। वास्तव में विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की कमी का कारण प्रेषण लाइनों का अभाव है और इस कार्य के लिए ग्रामीण विद्यतीकरण निगम आदि द्वारा अधिकतम धन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

उड़ीसा में हाल ही में ग्रामीण विद्युतीकरण की दिशा में भी प्रगति हुई है। अब तक लगभग 7300 गांवों का विद्युतीकरण हुआ है और पांचवी योजनावधि में प्रत्येक वर्ष 3000 गांवों का विद्यतीकरण किया जाना है। इस कार्य की गति धीमी न होने देने के लिए गवर्नर को लिखा जायेगा।

उड़ीसा में विद्युत चालित पम्पों की संख्या केवल 2100 है जबकि सारे देश में कुल 22 लाख पम्प है। तमिल नाड् जैसे राज्य में भी 6 लाख से अधिक पम्प है। यह काम किसी और को नहीं करना होता। इसके लिये तो स्थानीय व्यक्तियों में रुचि चाहिये। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्य इस दिशा में पिछड हुए हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए ही ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक धन दिया जा रहा है।

जहां तक इन्द्रावती परि योजना का संबंध है इससे न केवल बिजली ही उत्पादित होगी अपितु नियमित रूप से सूखाग्रस्त होने वाले काला हुंडी जिले की 3½ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई भी होगी परंतु केन्द्र की अपनी सीमाएं है। एक बार हमने न्यायाधिकरण का गठन किया है तो उसके निर्णय की प्रतिक्षा तो की ही जानी चाहिये। मुख्य मंत्रियों की स्वीकृति प्राप्त करके कार्य प्रारंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यह बहुतही दुख की बात है कि 2000–4000 जनसंख्या वाले भी ऐसे गांव हैं जिनमें बिजली नहीं है। सरकार ने 1000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों का पांचवी योजनावधि में विद्युतीकरण करने की नीति बनाई है। इस कार्य को शीघ्रता से कराने के लिए प्रयास किए जायेंगे।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"जबकि विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उप धारा (3) के अनुसरण में, उड़ीसा राज्य की सरकार ने, उस राज्य की विधान सभा की अनुमति से अपनी अधिसूचना संख्या ई. एल. IV–17/71/–19127, दिनांक 2 जुलाई, 1971 द्वारा उक्त धारा 65 की उपधारा (1) क प्रयोजनाथ 2 जुलाई, 1973 से 50 करोड़ रुपये की राशि अधिकतम राशि के रूप में निर्धारित की है;

और जबकि उड़ीसा सरकार का विचार उक्त अधिकतम राशि को बढ़ाकर 75 करोड़ रुपय करने का है ;

और जबकि उड़ीसा की विधान सभा विघटित की जा चुकी है ;

और जबकि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई दिनांक 3 मार्च 1973 की उद्‌घोषणा के अधीन राज्य विधान मण्डल की शक्तियां संसद् द्वारा प्रयोक्तव्य हैं;

अत: अब एतद्‌द्वारा संकल्प किया जाता है कि लोक सभा विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन उड़ीसा सरकार के 75 करोड़ रुपये की राशि को अधिकतम राशि निर्धारित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करती, जिसे उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन किसी भी समय उधार ले सकता है ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

*The motion was adopted.*

---

## अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1973-74
## SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1973-74

**सभापति महोदय :** अब हम अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर विचार करेंगे । कार्य मंत्रणा समिति ने इसके लिये एक घंटे का समय नियत किया है ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : कार्य मंत्रणा समिति में हमने दो घंटे का समय नियत करने की मांग की थी । मेरा सुझाव है कि अब 6½ बजे तक हमें इस पर चर्चा करनी चाहिये ।

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) :** हम 5–30 बजे तक चर्चा करके बाद में फिर सोचेंगे ।

**Shri Hukam Chand Kachwai** (Morena): It is a very important matter and two hours should be allotted for discussion. Minister may reply to-morrow.

**सभापति महोदय :** हम इस पर आज एक घंटा चर्चा करेंगे और मंत्री महोदय कल उत्तर देंगे ।

**Shri Madhu Limaye** (Banka): Sir, I have a point of order. I am unable to understand the reason for making changes in the list of Business. Law Minister was to make a statement about one Bill, but now it has been excluded from the order Paper . . .

**Mr. Chairman:** What is your point of order?

**Shri Madhu Limaye:** I want to know the reasons for making changes in the order Paper?

**श्री के० रघुरामैया :** कार्यसूची में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अनुदानों की अनुपूरक मांगों को प्राथमिकता देने की जरुरत थी इसी कारण इन्हें कार्यसूची में सम्मिलित किया गया है ।

**Shri Madhu Limaye:** What about the other Bill? The other day when we wanted postponement of the discussion you wanted to conclude that then and there where is that urgency now?

**श्री दिनेन भट्टाचार्य** (सीरमपुर) : लोको रनिंग कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त करने के समय आश्वासन दिया गया था कि सभी गिरफ्तार लोगों को छोड़ दिया जायेगा । असम में 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ।

**Shri Mansingh Narain Pandey** (Gorakhpur) : Sir, I rise on a point of order. Supplementary Demands relate to a specific purpose. I want your ruling on whether we should confine ourselves to their demands only.

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपूर): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अनुपूरक अनुदानों में मीटर गाज लाइनोंको बड़ी लाइनों में बदलने के लिए उपबन्ध है। इसके अनुसार रोलिंग स्टाक व अन्य बातें भी आ जाती हैं यदि उन पर ही चर्चा न हुई तो हमें किस पर चर्चा करनी है।

**सभापति महोदय** : श्री पांडे ने उचित ही व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मैं इस बारे में व्यवस्था नहीं देना चाहता परंतु मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा के दौरान उनसे संबंध विषयों पर ही बोला जाये।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : सार्वजनिक आश्वासन के परिणामस्वरुप उन चार व्यक्तियों को भी छोड़ दिया जाना चाहिये जो कि अभी भी गिरफ्तार हैं।

**सभापति महोदय** : जब भी अध्यक्ष पीठ द्वारा कोई निदेश दिया जाता है तो वह सदन के कार्य संचालन के लिए है। यदि इसी प्रकार असम्बद्ध विषय उठाये जाए तो यह अध्यक्ष पीठ के प्रति उचित नहीं।

**श्री दिनेन भट्टाचार्य** : प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि कांग्रेस दल के चुनाव में जीतने के पश्चात् मार्टिन बर्न रेलवे को फिर से चालू किया जायेगा। बाद में भी आश्वासन दिये गये। परंतु अब उन्हें पूरा नहीं दिया जा रहा। मंत्री महोदय ने पहले कहा कि उक्त लाईन को फिर से खोलने के लिए 80 लाख रुपये की आवश्यकता है। बाद में रेलवे बोर्ड के किसी प्रवक्ता ने कहा कि उसके स्थान पर बड़ी लाईन लगाई जायेगी। अब श्री कुरेशी कहते हैं कि यह नहीं बताया जा सकता कि कार्य कब प्रारंभ किया जायेगा।

**सभापति महोदय** : यह मार्टिन बर्न लाईन और बड़ी लाइन क्या है?

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : मार्टिन बर्न लाइन मीटर गाज लाइन थी वह इसे बड़ी लाईन में बदलना चाहते थे और इस बारे में अनेक आश्वासन दिये गये। परन्तु अब मंत्री महोदय कहते है कि यह नहीं बताया जा सकता कि यह कार्य कब तक होगा। मैं जानना चाहता हूं कि यह कार्य कब तक प्रारंभ किया जायेगा और पूरा किया जायेगा?

माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि त्रिपुरा में धर्मनगर से अगरतला तक नई रेल लाइन बिछाई जायेगी। इसका सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इसका कार्य कब तक प्रारंभ होगा।

पूर्वी रेलवे के रानीगंज आसनसोल अनुभाग से अभ्यावेदन था कि बर्दबान–आसनसोल अनुभाग को उपनगर अनुभाग में बदला जाए। इसके द्वारा स्थानीय लोगों को कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। इस कारण सभी वर्ग इसकी मांग कर रहे है। इस बारे में कुछ कहा जाना चाहिये।

सन्तालदीह में एक तापीय बिजलीघर स्थापित किया गया है। परंतु कर्मचारियों के लिए कोई गाड़ी का प्रबंध नहीं है। अतः कम से कम बिजलीघर तक रेल लाइन बिछा दी जाये।

पिछले बजट सत्र में मैंने कुछ उपरिपुलों की आवश्यकता पर बल दिया था। मंत्री महोदय ने बताया था कि यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है क्योंकि 50 प्रतिशत व्यय का वहन उन्हें करना होता है। बहुत कम राज्य सरकारें इस व्यय का वहन करने में सक्षम है। अतः मेरा अनुरोध है की कम से कम जिन राजपथों पर बहुत अधिक रेलवे दरवाजे हैं उन पर उपरिपुलों का निर्माण किया जाये। बम्बई कलकत्ता राजपथ पर चार उपरिपुलो की आवश्यकता है। इसी

प्रकार पूर्वी रेलवे पर जी० टी० रोड पर सीरहामपुर में एक उपरिपुल की आवश्यकता है। लोगों ने इस बारे में मांग की और रेलवे ने उसे स्वीकार भी किया परन्तु अभी तक पुल का निर्माण नहीं किया गया। इसी प्रकार जी० टी० रोड पर कुछ अन्य स्थानों पर भी पुलों की आवश्यकता है ?

यह मांग की गई है कि रेलवे विभाग में सभी रिक्त पदों को आकस्मिक श्रमिकों से भरा जाये यह बहुत ही चिंता का विषय है। पश्चिम रेलवे में लगभग 300 अभ्यासिक श्रमिकों को छंटनी का नोटिस दिया गया है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देकर उनके लिए रलवे में काम का कोई प्रबंध करना चाहिये।

हावड़ा बम्बई और दिल्ली जैसे बड़े बड़े नगरों में गाड़ियों में तीसरे दर्जे के लिए आरक्षण कराने के लिए समय की कोई पाबन्दी नहीं। इससे गड़बड़ करने वालों को सभी टिकटें खरीदने का बहुत अवसर मिलता है। कलकत्ता की तरफ दशहरा के अवसर पर यात्रा के लिए कोई भी टिकट उपलब्ध नहीं। सभी टिकट खरीद लिए गए हैं। लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। मेरा अनुरोध है कि पूजा की छुट्टियों के अवसर पर वहां कुछ विशेष गाडियां चलाई जाएं अथवा वर्तमान गाड़ियों में और डिब्बे लगाए जाएं जिससे लोगों की कुछ कठिनाई दूर हो सके।

प्राक्कलन समिति ने रेलवे बोर्ड से बहुत समय पूर्व मांग की थी कि रेल कर्मचारी को प्रति वर्ष दिये जाने वाले पास तथा पी० टी० ओ० के मूल्य से समिति को अवगत कराया जाये। परंतु रेलवे वोर्ड नें अभीतक सूचना उपलब्ध नहीं की। यदि बोर्ड का काम करने का यही ढंग है तो उसें बनाए रखने की कोई आयश्यकता नहीं।

लोकों कर्मचारियों के साथ साथ अन्य कर्मचारियों की कुछ शिकायतें है। वेतन आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। अतः रेलवे मंत्री को रेल कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष कार्य करना चाहिये। उन्हें बोनस दने के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिये। यदि समय रहते इस बारे में कार्यवाही नहीं की गई तो कर्मचारी आंदोलन प्रारंभ करेंगे।

**श्री वयालार रवि** (चिरयिंकील) : अनुपूरक मांगों से सम्मिलित व्यय अन्वेषण कार्य अथवा पुरानी लाइनों को फिर से खोलने से संबंधित है। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अन्वेषण कार्य केवल विशष क्षेत्र अथवा राज्य के लोगों को खुश रखन के लिए ही किया जाता है। मेरे राज्य में अलप्पी में एक नई रेल लाइन के संबंध में सभी वर्गों की मांग थी। उससे संबंधित प्रारम्भिक अन्वेषण के अनुसार 13.5 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान था। परतु अब उसे छोड़ दिया गया है। लोगों को बहलाने के लिए अन्य स्थानों पर अब अन्वेषण प्रारंभ किये जा रहे हैं। मंत्री महोदय अलप्पी की लाइन की मांग पर विचार करना चाहिये।

कोचीन-त्रिवेन्द्रम् लाईन का परिवर्तन किया जा रहा है। ये स्टेशन बहुत पुराने हैं अतः इनकी इमारतों को गिरा कर उनके स्थान पर नई इमारतों का निर्माण किया जाना चाहिय। पेरुगुंजी में एक 'फ्लेग' स्टेशन बनाया जाना चाहिये। यह कहा जाता है कि यह लाभप्रद नहीं है। क्षेत्र के लोगों ने सिद्ध किया है कि यह कहना ठिक नहीं है। अतः मंत्री महोदय को इस मांग पर विचार करना चाहिये।

थुम्बा राकेट स्टेशन पर भूतपूर्व रेल मंत्री, श्री हनुमन्तया ने रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया था परन्तु अभी तक वहां पर स्टेशन का निर्माण नहीं किया गया इस और ध्यान देना चाहिये।

गाड़ियों के चलने में चलाने वालों के साथ साथ रेल डिब्बों का भी बहुत महत्व है। देश में निकट भविष्य में रेल डिब्लों की अत्यन्त कमी होने की आशंका है। मंत्री महोदय ने सार्वजनिक रुप से कहा है कि चार लाख रेलवे वैगन उपयोग में हैं परन्तु क्या यह सच नहीं

[श्री वयालार रवि]

कि उनमें से 50 प्रतिशत से अधिक वैगन उपयोग के योग्य नहीं । यदि देश में खाद्यान्न का पुरा उत्पादन हो और वसूली के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें तो खाद्यान्न की सारी मात्रा की ढुलाई संभव नहीं हो सकेगी ।

रेलवे बोर्ड को जितना शीघ्र हो सके समाप्त कर दिया जाना चाहिये । इसमें ऐसे सदस्यों स्थान दिया गया है जिन्हें अपने काम से संबंधित ज्ञान प्राप्त नहीं । रेलवे बोर्ड के सदस्य (परिवहन के अनुसार और अधिक वैगनों की कोई आवश्यकता नहीं है । इसि कारण वैगनों का उत्पादन बढान के लिए कोई योजना नहीं बानाई गई है । मेरे विचार से पांचवीं योजना के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक लाख और वैगनों की आवश्यकता है ।

रेलवे बोड ने अधिक शक्तियों का केन्द्रीकरण अपने पास कर रखा है । जोनल रेलवे का जनरल मैनेजर तक रेलवे बोर्ड की अनुमति के बिना किसी गाड़ी का डीजलीकरण नहीं कर सकता । अतः शक्तियों को विकन्द्रीकरण किया जाना चाहिये ।

रेलवे कर्मचारी आज बहुत ही असन्तुष्ट हैं । लोको कर्मचारियों की हड़ताल से रेलवे का सारा कार्य अस्त-व्यस्त हो गया था । परंतु लोको कर्मचारियों को हमेशा के लिए असन्तुष्ट नाहीं रखा जा सकता । रेलवे बोर्ड में कुछ इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो कर्मचारियों की हड़ताल का निपटारा नहीं चाहिये । माननीय मंत्री महोदय के आश्वासन का वे उल्लंघन कर रहे हैं । उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये ।

कर्मचारियों के कुछ नेता अभी जेल में हैं ।

[श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे पिठासिन हुए ।
SHRI N. K. P. SALVE *in the Chair.*]

उन्हें मुक्त करने का अश्वासन दिया गया था । उसका उलंघन नहीं होना चाहिये । मेरा मत है कि जब तक रलवे बोर्ड का कार्य करने का यह रवैया रहेगा तब कितना भी सुधार कर लिया जाए नई रल लाईनें बिछा दी जायें वे मीटर गाज लाइनों को भी बड़ी लाइनों में बदला जाए रेलों के संचालन में सुधार नहीं होने वाला । उसके लिए इस सफेद हाथी रैलवे बोर्ड से छुटकारा पाना जरुरी है अतः रेल भवन से शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाए ।

नारियल जटा उद्योग मेरे क्षेत्र का मुख्य उद्योग है । 50 प्रतिशत से अधीक लोगों का जीवन ज्ञापन का यह साधन है । उसके संचलन के लिए समुचित प्रबंध नहीं हैं । माननीय मंत्री महोदय के अनुसार इसे 'ई' प्राथमिकता प्राप्त है । इस क्षेत्र के लिए चावल तथा गेहूं लेकर आने वाले वैगन वापसी पर खाली जाते हैं । दूसरी और वैगनों की कमी के कारण नारियल जटा तथा पत्थर की शिलाओं का उद्योग प्रभावित हो रहा है । वापसी पर खाली डिब्बों में नारियल जटा तथा पत्थर की शिलाएं भरी जानी चाहिए । मंत्री महोदय को इस बात पर विचार करना चाहिये ।

**Shri Sarjoo Pandey** (Ghazipur): Railway Board should be forthwith abolished. More lines could have been laid and extended had there not been the Railway Board. Its abolition can help in solving the problems confronting the Railways. Present Railway Minister is the only Railway Minister who did not know before the officials and has settled the dispute with locomen inspite of opposition by officials.

There is not a single Broad Gauge Line in Eastern U.P. Some time ago a meeting attended by M.P.s and M.L.A.s of all Parties and Chief Minister of Bihar had proposed a Railway line from Hajipur. But there is no mention about it in Supplementary Demands. Attention should be paid towards this.

Though there is a Railway line in Bailladila in M.P. Yet passengers are not allowed to travel on trains and trains are used for movement of goods and iron ore. This facility should be made available to general public also. Many areas of Madhya Pradesh are not connected with Railway lines. Such areas should be accorded priority in the matter of laying new Railway lines.

There should not be any discrimination in the allocation of funds. Special attention should be paid towards backward areas of the country. Ghazipur is the most backward area of U.P. There has been a demand that a bridge should be constructed at River Ganges and broad gauge line should be connected to the narrow gauge line. U.P. Government has started the construction of the bridge. But Railways have not taken any action for laying the lines. If Ghazipur city Railway Station could be connected with broad gauge Railway line by connecting a branch line from Tadighat it could help the deveopment of the area. Patel Commission had also recommended accordingly. But Railways have not taken any action.

Recognition has been accorded to such unions which do not have any following. An un-registered union has been recognised in North Eastern Railway. Government should envolve a criterion for recognising the unions, which should be based on justice and logic.

I had given in writing to the Railway Minister as well as to the Speaker about corruption in Railways, quoting instances but no action has been taken. Fifteen Station Masters have been suspended. But inspite of assurances no action has been taken in such matters.

**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर) : मैं भी इस बात से सहमत हूं कि रेलवे बोर्ड जनविरोधी और अदक्ष है। यह देश तथा रेलवे मंत्रालय के लिए बहुत ही शर्म की बात है। रेलवे बोर्ड के सभी सदस्य और विशेष रूप से परिवहन सदस्य का रवैया भी बहुत ही जन विरोधी है। बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के सदस्यों ने लिखित रूप से मांग की कि बरास्त फरक्खा असम के लिए एक और गाडी चलाई जाए परंतु परिवहन सदस्य ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपने भी जून में इस बारे में आश्वासन दिया था। अब आप रेल मंत्री भी है। इस दिशा में कुछ किया जाना चाहिये। हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी मांग को आगे रख रहे हैं। गाड़ियों के समय पर न चलने के संबंध में भी उत्तरदायित्व किया जाना चाहिये। हम रेलवे मंत्री के समर्थक हैं। उसके अनुशासन के भी विरूद्ध नहीं परतु यदि रेलवे बोर्ड का यही रवैया उचित नहीं। यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि आप स्वयं अपने आश्वासन की पूर्ति करने को तत्पर है कि नहीं।

**रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र)** : यह सच है कि सरकार बराश्ता भागलपुर और फरक्खा असम के लिये एक नई गाड़ी चलाने वाली है। मैंने कुछ दिन पूर्व ही सदस्य, परिवहन से ब्यौरा तैयार करने को कहा है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसी भी अधिकारी के विरूद्ध कडे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।

**सभापति महोदय** : मैं भी आपकी भावनाओं का आदर करता हूं। परंतु यह भी कहना चाहता हूं कि अफ़सरों को भी जनता के प्रतिनिधियों की भावनाओं की ओर ध्यान देना चाहिये।

**श्री भागवत झा आजाद** : आजकल गाड़ियां बहुत लेट चलती हैं। कई बार गाड़ियां स्टेशन से बाहर 45 मिनट तक रूकी रहती हैं। इस स्थिति के लिए रेल मंत्री तथा विशेष रूप से रेलवे बोर्ड के परिवहन सदस्य जिम्मेदार हैं। अतः इस आधार पर उन्हें सेवा मुक्त

[श्री भागवत झा आजाद]

किया जाना चाहिय। वैगनों की सप्लाई के लिए भी यही अधिकारी जिम्मेदार है। उत्तर बिहार में आज अनेक गाड़ियां बन्द है इसका कारण कोयले की कमी है। एक ओर तो कोयले का उत्पादन बढ़ रहा है परन्तु दूसरी ओर कोयले के संचलन के लिए वैगन नहीं।

यदि भूतपूर्व रेल मंत्री, श्री हनमन्तया गाड़ियों को समय पर चलवा सके तो क्या श्री मिश्र ऐसा नहीं सुनिश्चित कर सकते? मंत्री महोदय को परिवहन सदस्य को बुला कर स्पष्ट रूप से आदेश देना चाहिय कि गाड़ियां समय पर चलनी चाहिय अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही होगी। इसका स्पष्ट प्रभाव होगा।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** क्या इसका यह अर्थ नहीं कि माननीय रेल मंत्री कमजोर है ?

**श्री भागवत झा आजाद :** स्पष्ट रूप से है ...

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** माननीय रेल मंत्री को गाड़ियों के देरी से चलने की जम्मेवारी अपने ऊपर लेनी चाहिये।

**श्री भागवत झा आजाद :** वर्तमान परिवहन सदस्य को पद से हटाया जाना चाहिये। अन्यथा उन्हे कहा जाए कि गाड़ियों को समय पर चलाने, रेलवे की आय में वृद्धि हो एवं सीमेन्ट, कोयले व अन्य माल के लिए अधिक वैगन देने आदि का प्रबंध किया जाए। वास्तव में देश में वैगनों की कमी नहीं पर कुप्रबन्ध के कारण कमी प्रतीत हो रही है। बड़ी बड़ी तनख्वाहे लेने वाले ये अधिकारी देश की अर्थ व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

रेल मंत्री को रेलवे बोर्ड में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिये जो कि जनता की भावनाओं को समझे, जो कि गाड़ियों के समय पर चलने की आवश्यकता को जाने, जिन्हें लोगों की असुविधाओं का पता हो।

**रेल मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) :** मैं वाद-विवाद का उत्तर कल दूंगा लेकिन जहां तक उत्तर बिहार को माल डिब्बों की सप्लाई में कमी का प्रश्न है उस संबंध में मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। हमने खाद्यान्न, कोयला और सीमेंट को लाने ले जाने के लिये माल डिब्बों की सप्लाई को यथासंभव बढ़ाने का भरसक प्रयास किया है। हड़ताल के दिनों में भी अनाज को लाने ले जाने के लिये माल डिब्बों की सप्लाई में काफी वृद्धि की थी।

उत्तर बिहार के बारे में वास्तविक कठिनाई माल डिब्बों की कमी नहीं है। माल डिब्बों का आवंटन राज्य सरकार ने किया था। हमने उन्हें माल डिब्बे दिए थे किन्तु तीन मास पहले बिहार सरकार ने केवल चार व्यक्ति मनोनीत किए जो उत्तर बिहार तथा अन्य क्षेत्रों के लिए कोयला उठायेंगे किन्तु इन चार व्यक्तियों ने उत्तर बिहार में कृत्रिम कमी पैदा की है। माल डिब्बों का अभाव नहीं था।

**श्री भागवत झा आजाद :** फिर गाड़ियां क्यों रूक गई।

**श्री सभापति महोदय :** मंत्री महोदय कल स्थिति स्पष्ट करेंगे।

**श्री वयालर रवि :** मंत्री महोदय का कहना है कि वैगनों का अभाव नहीं था। वह केवल उत्तर बिहार के संबंध में स्थिति स्पष्ट न करें अपितु समग्र देश के बारे में बताएं।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Gwalior): Sir, I did not want to participate in the debate but Shri Bhagwat Jha's remarks have prompted me.

There is no doubt that these are some achievements of the Railway and generally the credit for it is given to the hon. Minister whereas for its shortcomings the officers are made responsible. This is not fair.

We have also demanded that representation should be given to Railway employees in the Railway Board but the ruling party is not in favour of it.

---

## *स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अवधी बढ़ाना

## **EXTENSION OF PERIOD FOR RECEIPT OF APPLICATIONS FOR GRANT OF PENSION TO FREEDOM FIGHTERRS

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (तेल्लोचरी) : सभापति महोदय 8 अगस्त को जब मंत्री महोदय ने स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन के बारे में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया तो कई महत्वपूर्ण बातें प्रकाश में आईं और इसी कारण मैंने इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा उठाना जरूरी समझा। स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के संबंध में निर्णय लेने के लिए नोकरशाही द्वारा जो विलम्ब हुआ है, उसे क्षमा नहीं किया जा सकता है। इसमें अन्य कठिनाईयां भी हैं। पेंशनरों से स्पष्टीकरण मांगते हुए लगभग 50,000 आवेदन पत्र वापिस भेजे गए हैं। सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि देश ने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने का निर्णय उन्हें सम्मान प्रदान करने हेतु किया है क्योंकि उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन अथवा जीवन का उत्तम अंश देश को स्वतंत्रता हेतु अर्पण कर दिया लेकिन मंत्रालय में बैठे कुछ नोकरशाह उनसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि वह हाथ फैला कर उनसे बखशीश मांग रहे हो। ऐसा रवैया बदलना होगा। मुझे प्रसन्नता है सरकार ने इस संबंध में कुछ निर्णय लिया है पर ऐसे अबाधित विलम्ब को रोकने तथा अंतिम निर्णय लेने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी।

अधिकतर स्वतंत्रता सेनानी बूढे और रूग्ण हैं। क्या सरकार उनके मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कुछ विशेष उपाय करेगी। वैसे भी सरकार को कुछ समय सीमा निर्धारण करनी चाहिये और एक स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिये की सभी विचाराधीन आवेदन पत्रों को एक विनिश्चित अवधि के भीतर निपटा दिया जाएगा जो दो या तीन वर्षों की नहीं अपितु कुछ महीनों की होनी चाहिए।

ऐसे कुछ बहुत विशेष मामले हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था। जिसका कोई स्पष्ट उतर प्राप्त नहीं हुआ है। केरल राज्य में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी शिक्षा के दौरान चौथी दशक के प्रारम्भ तथा अन्त में बम्बई या कलकत्ता जो ऐसे बड़े नगरों मे पढा करते थे और जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। उन्हें कारावास में डाल दिया गया और अपनी रिहायी के पश्चात् वह उन नगरों को छोड़ केरल वापिस आ गए। उन नगरों के जेल अधिकारी इस स्थिति में नहीं हैं कि वे उस अवधि के बारे में प्रमाण पत्र दे सके जिसके लिये वे उन जेलों में रहे क्योंकि वे बड़े बड़े नगरों में

---

*आधे घंटे की चर्चा।

**Half an hour discussion.

[श्री सी० के० चन्द्रप्पन]

केवल कुछ वर्षों के लिए हो रहे थे और वे अपने पुराने जेल साथियों को जो, अब संसद् सदस्य अथवा विधायक बन चके हैं, नहो जानते है। इस प्रकार के कई विशष मामल हैं जहां उन्हें पेंशन नहीं दी गई है और वास्तव में उनके मामलों को अस्वीकृत कर दिया गया है।

यदि हम उनके पूराने जेल साथियों से इस बात का समर्थन करा दें तो क्या उनके मामलों पर सहानु-भूतिपूर्वक विचार करेंगें ।

इसके अतिरिक्त ऐसे लोग भी हैं जो अनेक दशक पूर्वलम्बी अवधिके लिए भूमिगत हो गए थे किन्तु वह यह सिद्ध करने के लिए सरकारी रिकार्ड प्रस्तुत नहो कर सकते उन्हें पेंशन देने से वंचित किया जा रहा। आपका ऐसे मामलों के बारे मे क्या कार्यवाहो करने का विचार है?

इसके अतिरिक्त कुछ एसे स्वतंत्रता सेनानो भी हैं जिन्हें को] पाकिस्तान को जेलोमें रखा गया था। स्पष्ट है वे कोई जेल दस्तावेज प्रस्तत नहीं कर सकते हैं। उन मामलों में क्या किया जा रहा है।

मुझे बताया गया है कि इस संबंध मे प्रधानमंत्री से एक प्रतिनिधि मंडल मिल चुका है। प्रतिनिधि-मंडल बंगला देश से आया था। उसमें ऐसे लोग थें जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। यदि बंगला देश सरकार इन व्यक्तियों को भारत सरकार से पेंशन प्राप्त करने पर आपत्ति नहो करती तो सरकार का इस बारें में क्या कार्यवाही करने का विचार है।

सरकार को बहुत ही स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वह उन लोगों के बारे में क्या करने जा रही है जिन्होंनें गोवा के मुक्ति संघर्ष आझाद हिन्द फौज तथा रायल इण्डियन नेवी के विद्रोहों में भाग लिया था। उनके मामलों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए ।

सरकार ने राज्य सभा और लोकसभा में मोपला विद्रोह के संबंध में प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया था कि 1971-72 में मोपला विद्रोह में भाग लेने वालों को कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। केरल सरकार ने मोपला विद्रोह में भाग लेने वालों को पेंशन का निर्णय किया है। और यह निर्णय सही है। जैसा कि सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे प्रथम स्वाधीनता संग्राम को भी सांप्रदायिक दंगा बताया है।

मै चाहता हूं कि सरकार कांग्रेस के भुतपुर्व नेता द्वारा लिखित पुस्तक पहले पढ़े और केरल प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा प्रकाशित केरल में कांग्रेस पार्टी का इतिहास भी पढ़े जिसमें इसे साम्प्रदायिक दंगा नहीं कहा गया है।

यह तो किसान विद्रोह था जिसमें कांग्रेस और खिलाफत दोनों के नेता साथ-साथ रहे और देश की स्वाधीनता की मांग उठाई जब कि मोपला विद्रोह उन किसानों का आंदोलन था जो चाहते थे कि देश आजाद हो।

अन्त में मै तेलेंगाना आंदोलन का उल्लेख करूंगा जो निजाम और रजाकारों के विरूद्ध था। मेरा गृह मंत्री जी से निवेदन है कि वह इस समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें क्योंकि तेलंगाना आंदोलन उस व्यक्ति और उसके द्वारा चलाये गए रजाकार आंदोलन के विरूद्ध था जो देश के हितों के विरूद्ध कार्य कर रहे थे। अतः हम इस संबंध में सरकारी निर्णय जानना चाहते ह।

**सभापति महोदय :** में शेष चारों सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह संक्षिप्त में ही अपनी बात कहे। ताकि मंत्री महोदय को ठीक प्रकार से उत्तर देने के लिए उचित समय दिया जा सके।

**श्री पी० जी० मावलंकर** (अहमदाबाद): सब से पहले मैं तो यह चाहता हूं कि आवेदन प्राप्त करने के लिए कोई निथि निश्चित न की जांय क्योंकि यद्यपि निर्धारित तिथि तक बहुत से आवेदन प्राप्त हो चुके हैं फिर भी सभी को यह अवसर दिया जाना चाहियें।

दूसरे, क्या यह सच नहीं है कि उनके झूठे पत्रों को राजनितिक पेंशन दी गई है और ताम्रपत्र भी दिए गए ह जैसा कि समाचारपत्रों में छपा है ?

तीसरे क्या अनेक व्यक्तियों को ताम्रपत्र मिलने पर भी अभी तक पेन्शन नहीं मिली है जैसा कि 96 वर्षीया श्रीमती चंचलबेन के मामले में हुआ है, प्रधान मंत्री को लिखे गए पत्र के उत्तर में बताया गया है कि इस मामले पर अभी विचार चल रहा है। बाद में उन्हें पेंशन दे दी गई है। मैं यह चाहता हूं कि वृद्ध और शिथिल लोगों के आवेदनों पर सबसे पहले विचार किया जाय, ताकि उन्हें इसी जीवन में पेंशन का कुछ लाभ मिल सके न कि मरणोपरान्त। दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि बोगस दावों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मैं यह भी जानना चाहुंगा कि भूतपूर्व रियासतों में स्वाधिनता संग्राम में भाग लेने वालों के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

बम्बई में 1146 में जलसैनिक क्रान्ति में भाग लेने वालों को सिविल जेल में नहीं रखा गया था अत: व प्रमाणपत्र नहीं दे सकते। अत: मेरा निवेदन है कि उनके मामलों में इस शर्तें को न रखा जाये।

अन्त में आज़ाद हिन्द फौज एसोसियशन, 82, दरिया गंज, दिल्ली के दो कार्यकर्ताओं में से एक को सरकार द्वारा गठित समिति में क्या सरकार रखेगी क्योंकि वे इन सैनिकों के हितों का बहुत ध्यान रख रही है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि राज्यों को जो मामले छानबीन के लिए भेजे गए है क्या वे पुन: केन्द्र के पास निर्णय के लिए आयेंगे या राज्य ही उन्हें निपटा देंगे ?

*__श्री एस० ए० मुरुगनन्तम__ (तिरूनेलवेली) : मैं आपके साथ प्रश्नों पर मंत्री महोदय की उत्तर चाहता हूं। पहला प्रश्न यह है कि क्या तमिलनाडु सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को जो 75 रुपये मासिक पेंशन के रूप में दिए जाते थे, वे भी केन्द्रीय सरकार उन्हें इस पेंशन में मिला कर अर्थात् 200 या 225 रुपये की दर से उन्हें देगी क्योंकि राज्य सरकार ने यह पेंशन बन्द कर दी है ?

दुसरे, क्योंकि अधिकांश स्वतंत्रता सेनानी 60 वर्ष से अधिक के हैं, तो क्या उन्हें शिघ्राति-शीघ्र पेंशन देने का प्रबन्ध किया जायगा ताकि इस आशा में लिए गए ऋण वे चुका कर शान्ति से मर सके ?

तीसरे, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ये निदेश कि 14 अगस्त, 1973 के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर 15 अगस्त, 1972 से पेन्शन नहीं दी जाएगी, बहुत कठोर है इसमे उदारता दिखाई जानी चाहिए।

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version of English translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री एस० ए० मुरुगनन्तम]

चौथे, कुछ जजों ने दयालु होने के कारण स्वतंत्रता सेनानियों को अधिक कठोर दण्ड न दे कर केवल एक या दो मास के कारावास का ही दंड दिया था। इस कारण उन महान देशभक्तों को पेंशन से वंचित नहीं किया जाना चाहिये।

पांचवे, पांडीचेरी के स्वाधीनता सेनानी भूमिगत हो गए और उन्हें इतने लम्बे समय का दण्ड नहीं मिला। उनके मामलों में यह शर्त हटा दी जानी चाहिये। और उन्हें इस पेंशन का पात्र माना जाना चाहिये।

साथ ही अंदमान-निकोबार द्वीप समूह के वासियों को भी जिन्होंने जापान के विरुद्ध युद्ध किया इसका पात्र समझा जाये।

उन स्वाधीनता सेनानियों को भी, जिनके कारावास की कुल अवधि 6 मास बनती है, इस पेंशन का पात्र माना जाना चाहिये, भले ही उन्होंने 6 मास का कारावास इकट्ठा न भुगता हो।

उन स्वर्गवासी स्वाधीनता सेनानियों के निरक्षर बच्चों और पत्नियों के मामलों में नियम का कठोरता से पालन न करके उन्हें प्रमाण पत्रों के बिना भी पात्र समझा जाना चाहिये। साथ ही यह शर्त भी हटाई जाना चाहिये कि 5000 रुपये वार्षिक की आय वाले सेनानी इस पेंशन के पात्र नहीं होंगे।

आशा है मंत्री महोदय इन सभी बातों के स्पष्ट उत्तर देंगे।

**Shri Chandrika Prasad** (Ballia): The condition of six months imprisonment for eligibility of pension should be waved in cases where freedom fighters underwent four month's imprisonment plus a fine of Rs. 50 or so.

I want to know whether Ashrams like Milki Ashram, Ballia which used to provide shelter and food to freedom fighters would also be considered for aid as some of the followers of it and founder Babu Laxman Dass are old and infirm.

Station Masters have been suspended. But inspite of assurances no action has been done by U.P. Government and grant this pension as a reward to freedom fighters?

**श्री अण्णासाहेब गोटखिंडे** (सांगली): मैं जानना चाहता हूं कि उन मामलों पर भी क्या पुनः विचार किया जाएगा जहां दण्ड तो 6 मास के कारावास का दिया गया परन्तु उनकी सजा स्वतः ही घटा दी गई क्योंकि रत्नागिरी जिले के एक व्यक्ति श्री वी० आर० पांकलकर को, जिन्हें 15 अगस्त 1973 को प्रधान मंत्री ने ताम्र पत्र दिया था, कुछ सूचना प्राप्त करने के लिए उनका आवेदन लौटा दिया गया ऐसे अनेक मामले हैं और उन्हें शीघ्र निपटाया जाना चाहिये।

सांगली और सतारा जिलों में अनेक व्यक्ति भूमिगत हो गए थे और उन्होंने स्वतंत्र सरकार स्थापित कर रखी थी, अतः मैं जानना चाहता हुं कि क्या सरकारी पत्र बम्बई क्रानिकल में उस समय इनकी सूचना को आधार मान कर पेंशन दी जाएगी?

मैं यह भी चाहता हूं कि गोआ के एक सेनानी श्री साठे की भांति जिन्हें 24 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया था अन्य मामलों को शीघ्र क्यों नहीं निपटाया जाता है?

**श्री उमा शंकर दीक्षित**: मुझे खशी हैं कि इस चर्चा में अनेक महत्वपूर्ण मामले उठाए गए हैं जिन्हें स्पष्ट करने का हमें अवसर मिलता है और जहां त्रुटि हो वहां उसे दूर करने का भी अवसर मिलता है। श्री चन्द्रप्पन द्वारा उठाए गए मामलों में सब से महत्वपूर्ण मापला विद्रोह है।

मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि सरकार ने इस मामले में दलगत आस्थाओं संग्राम के शान्तिपूर्ण या अन्यथा आदि का कोई भेद नहीं रखा है। केवल एक ही बात हमारे सामने रही है कि क्या उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए वे कार्य किए या नहीं?

जहां तक मोपला विद्रोह का संबंध है हमने इसका इतिहास देखा है और मद्रास सरकार तथा वाइसराय और वाइसराय तथा विदेश मंत्री के पत्रोत्तरों गांधीजी के वक्तव्य कांग्रेस के प्रस्तावों और श्री मजूमदार जैसे इतिहासकारों के लेखों से साक्ष्य उनके पक्ष के विरुद्ध जाते हैं। मूल रूप से यह सांप्रदायिक आंदोलन था। मैं सदस्य महोदय को ये सही प्रमाण दिखा सकता हुं।

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : राज्य सरकार के निर्णय पर क्यों विचार नहीं किया जाता?

**श्री उमाशंकर दीक्षित** : हमें अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहिये।

जहां तक नौसैनिक विद्रोह का संबंध है उन्हें शामिल किया गया है। साथ ही देश की स्वाधीनता के लिये देशीय राज्यों में या जहां कहीं भी लोगों ने इस संग्राम में भाग लिया है उन्हें शामिल किया गया है।

वृद्धि, रोगी और अपंग सेनानियों के बारें में दिए गये सुझाव, मुझे पूरी तरह मान्य है। कुछ मामले अभी विचाराधिन हैं। 70 मामलों में गंभीर शिकायतें मिली हैं। इन पर भी उचित कार्यवाही की गई हैं। अत: किसी भी आवेदन पर बिना प्रमाण या जांच के पेंशन नही दी जा सकती जो जनता की गाढ़े पसीने की कमाई है जो करों के रूप में एकत्र की गई है।

फिर भी यदि विशिष्ट मामलों में सदस्यगण हमें लिखें तो हम शीघ्रातिशीध्र कार्यवाही करेंगे, परन्तु उन मामलों पर नहीं, जहां सेनानियों या उनके पुत्रों आदि की आय 5,000 हजार रुपये वार्षिक से अधिक है।

**Shri Ramavtar Shastri** : Many of those having an income of less than Rs. 5,000/- have been denied this pension.

**Shri Uma Shankar Dikshit** : I have already promised prompt action in all such cases as are referred to us by you.... (*Interruption*) but if you want us to go on extending the scope thereof, we would be helpless. It is not possible to include all those who went to jail even for one day.

Even then I want to give an assurance that despite all this if any of you feel that a particular person had suffered a lot for the country and is now in great distress, I promise to look into his case sympathetically and am prepared to relax these conditions... **(व्यवधान)**

जहां किसी मामलो को गलत ढंग से अस्वीकार भी किया गया है, वहां भी मैं पुर्नविचार करूंगा।

**तत्पश्चात्, लोक सभा गुरुवार 23 अगस्त, 1973/1 भाद्र, 1895 (शक) के 11 बजे म०पू० तक के लिये स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, the 23rd August, 1973/Bhadra 1, 1895 (Saka).**

---



GIPN—S3—23 L. S. S.(ND)/73—7-12-73—490.

P.L.S. 8. XXX 20.73 (N)
490

© 1973 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवा संस्करण के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक, भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक-422006 द्वारा मुद्रित ।

© 1973 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NASIK-422006.